राहविनि
NHDC

35th

वार्षिक प्रतिवेदन
Annual Report
2017-18

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

National Handloom Development Corporation Limited
(A Government of India Undertaking)

निदेशक मंडल
Board of Directors

श्री संजय रस्तोगी
Shri Sanjay Rastogi
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman-cum-Managing Director
विकास आयुक्त (हथकरघा)
Development Commissioner (Handlooms)

श्री ए. के. शर्मा
Shri A. K. Sharma
उप–सचिव (समेकित वित्त प्रभाग), वस्त्र मंत्रालय
Dy. Secretary (IFW), Ministry of Textiles

श्रीमती शिखा रॉय पब्बी
Smt. Shikha Roy Pabbi
अशासकीय स्वतन्त्र निदेशक
Non Official Independent Director

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
Key Managerial Personnel

श्री शक्तिवेल पेरूमालसामी
Shri Sakthivel Perumalsamy
अधिशासी निदेशक (वाणिज्य)
Executive Director (Commercial)

श्री नवीन गुप्ता
Shri Naveen Gupta
अधिशासी निदेशक (वित्त)
Executive Director (Finance)

35वां वार्षिक प्रतिवेदन 2017–18
35th Annual Report 2017-18

रा ह वि नि
NHDC

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
National Handloom Development Corporation Limited
(A Govt. of India Undertaking)

विषय सूची

लक्ष्य एवं नैगमिक उद्देश्य	4
निगम सूचना	6
पैतीसवीं (35वीं) वार्षिक साधारण सभा की सूचना	8
अध्यक्ष का भाषण	12
निदेशकों की रिपोर्ट	16
निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक	34
नैगमिक अभिशासन का प्रमाण–पत्र	50
सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	88
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	98
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक	106
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	126
वार्षिक लेखे	
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	128
तुलन–पत्र	132
लाभ एवं हानि का विवरण	134
लेखाओं पर टिप्पणियाँ	136
नकदी प्रवाह विवरण	174
इक्विटी परिवर्तन पर टिप्पणियाँ	176
कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार सूचना	178
अनुदान संबंधी विवरण	180

CONTENTS

Mission & Corporate Objectives	5
Corporation Information	7
Notice for Thirty Fifth Annual General Meeting	9
Chairman's Speech	13
Directors' Report	17
Annexure to Director's Report	35
Corporate Governance Certificate	51
Secretarial Auditor's Report	89
Auditor's Report	99
Annexure to Auditor's Report	107
Comment of The Comptroller & Auditor General of India under section 143(6) of the Company Act, 2013	127
Annual Accounts	
Significant Accounting Policies	129
Balance Sheet	133
Statement of Profit & Loss	135
Notes on Accounts	137
Cash Flow Statement	175
Statement of Change in Equity	177
Information Pursuant to Schedule III of the Company's Act, 2013	179
Grants Related Information	181

लक्ष्य व नैगमिक उद्देश्य

लक्ष्य

हथकरघा की उन्नति एवम् विकास के लिये राष्ट्रीय संस्था के रूप में अपनी सेवायें उपलब्ध कराना।

नैगमिक उद्देश्य

1. आपूर्ति श्रृंखला की बेहतर प्रबंधन (सप्लाई चेन मैनेजमेंट) प्रणाली द्वारा अच्छी गुणवत्ता का कच्चा माल जैसे कि सूत, रंग व रसायन आदि उपलब्ध कराकर अपनी प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाना।

2. उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग द्वारा अपने कार्य संचालन को औचित्यपूर्ण बनाए रखना।

3. विकास कार्यक्रमों का संचालन इस प्रकार करना कि योजनाओं/उत्पादों तथा विपणन माध्यमों आदि विषय में बुनकरों की जानकारी बढ़ाने में सहायता मिलें।

4. हथकरघा क्षेत्र के विकास हेतु कार्यक्रमों के त्वरित क्रियान्वयन के लिये केन्द्र सरकार की निधियां, ऋण तथा अनुदान आदि का हथकरघा संस्थाओं तक पहुँचाने का माध्यम बने रहना।

5. प्रशिक्षण तथा परामर्श के माध्यम से कार्मिकों के योगदान में वृद्धि करना तथा उनकी जीविकावृति मे प्रगति के सुअवसरों को सुनिश्चित करना।

Mission & Corporate Objectives

MISSION

To serve as a National Agency for the promotion and development of the Handloom sector.

CORPORATE OBJECTIVE

1. To enhance its competitive edge in providing quality raw material i.e. yarn, dyes & chemicals through improved supply chain management.

2. To maintain viability of operations through effective utilization of available resources.

3. To take up the development programmes so as to contribute to increasing the awareness of schemes/products and marketing avenues etc.

4. To continue to act as a channel for routing Central Government funds, loans & grants to handloom agencies to aid in speedy implementation of programmes for development of the sector.

5. To ensure increasing contribution from personnel through training/counselling and to ensure career progression opportunities.

निगम सूचना (25.09.2018)

श्री संजय रस्तोगी **(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)**
विकास आयुक्त (हथकरघा)
वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

श्री ए.के. शर्मा **(निदेशक)**
उप सचिव, समेकित वित्त प्रभाग,
वस्त्र मंत्रालय

श्रीमती शिखा रॉय पब्बी **(अशासकीय स्वतंत्र निदेशक)**

सांविधिक लेखा परीक्षक
मैसर्स एम ए एन वी एंड एसोसिएट्स
चार्टेड एकाउन्टेन्ट्स,

सचिवीय लेखा परीक्षक
मैसर्स नवनीत के. अरोडा एंड कं. एलएलपी
प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, नई दिल्ली

शाखा लेखा परीक्षक
मैसर्स जेकब एंड जॉर्ज, कन्नूर
मैसर्स मिश्रा एंड मिश्रा, कोलकाता
मैसर्स आलोक शर्मा एंड कंपनी, वाराणसी
मैसर्स विनोद ग्रोवर एंड एसोसिएट्स, पानीपत
मैसर्स एम. ए. मोहियाद्दीन एंड कंपनी, हैदराबाद
मैसर्स एन.एम. एंड कंपनी, कोयम्बटूर
मैसर्स एस. बोस एंड कंपनी, गुवाहाटी
मैसर्स पीपीबी एंड कंपनी, भुवनेश्वर
मैसर्स गद्दम सत्यनारायण एंड कंपनी, विजयवाड़ा

प्रमुख बैंकर्स
इंडियन बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
एच.डी.एफ.सी. बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
इंडियन ओवरसीज बैंक
एक्सिस बैंक
केनरा बैंक

पंजीकृत कार्यालय
चौथी मंजिल, वेगमेन्स बिजनेस पार्क, टॉवर 1,
प्लाट नं. 3, सेक्टर नॉलेज पार्क–तृतीय,
सूरजपुर – कासना मेन रोड, ग्रेटर नोएडा
उत्तर प्रदेश – 201 306

Corporation Information (As on 25.09.2018)

Shri Sanjay Rastogi **(Chairman cum Managing Director)**
Development Commissioner (Handlooms)
Ministry of Textiles, Govt. of India

Shri A. K. Sharma **(Director)**
Dy. Secretary, I.F.W.
Ministry of Textiles, Govt. of India

Smt. Shikha Roy Pabbi **(Non Official Independent Director)**

Statutory Auditors
M/s. MANV & Associates
Chartered Accountants

Secretarial Auditors
M/s. Navneet K Arora & Co. LLP
Practising Company Secretary, New Delhi

Branch Statutory Auditors
M/s. Jacob & George, Kannur
M/s. Mishra & Mishra, Kolkata
M/s. Alok Sharma & Co., Varanasi
M/s. Vinod Grover & Associates, Panipat
M/s. M A Mohiaddin & Co., Hyderabad
M/s. N.M. & Co., Coimbatore
M/s. S. Bose & Co., Guwahati
M/s. PPB & Co., Bhubaneshwar
M/s. Gaddam Satyanarayana & Co., Vijaywada

Principal Bankers
Indian Bank
Union Bank of India
HDFC Bank
Punjab National Bank
United Bank of India
Indian Overseas Bank
Axis Bank
Canara Bank

Registered Office
4th Floor, Wegmans Business Park, Tower - 1,
Plot No. 03, Sector Knowledge Park - III,
Surajpur - Kasna Main Road, Greater Noida,
Gautam Buddh Nagar
Uttar Pradesh - 201 306

सूचना

एतद्वारा यह सूचना (अल्प सूचना) दी जाती है कि निम्नलिखित कार्यों को सम्पादित करने हेतु राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड की 35वीं वार्षिक सामन्य सभा मंगलवार, दिनांक 25 सितम्बर, 2018 को अपराह्न 3 बजे वेगमन्स बिजनेस पार्क, टॉवर–1, प्लॉट नं. 3, सैक्टर नॉलेज पार्क– ।।।, सूरजपुर–कासना मेन रोड, ग्रेटर नोएडा–201306 पर आयोजित की जाएगीः

साधारण व्यवसाय

1. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, निदेशकों के प्रतिवेदन और उस पर लेखा परिक्षकों के प्रतिवेदन को प्राप्त करना, उस पर विचार करना और अपनाना।

2. वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए लाभांश घोषित करना।

बोर्ड के आदेशानुसार द्वारा

स्थान : ग्रेटर नोएडा
दिनांक : 19 सितम्बर, 2018

ह/–
(अंजलि यादव)
कम्पनी सचिव

NOTICE

Notice (Shorter Notice) is hereby given that the 35th Annual General Meeting of the National Handloom Development Corporation Limited will be held on Tuesday, the 25th September, 2018 at 3.00 p.m. at 4th Floor, Wegmans Business Park, Tower - 1, Plot No. 03, Sector Knowledge Park – III, Surajpur-Kasna Main Road, Greater Noida – 201306 to transact the following businesses: -

Ordinary Business

1. To receive, consider, approve and adopt the Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2018 together with the Report of the Directors and Auditors thereon.

2. To declare dividend for the financial year ended 2017-18.

By order of the Board

Sd/-
(Anjali Yadav)
Company Secretary

Place: Greater Noida
Date: 19th September, 2018

टिप्पणियांः –

क) प्रत्येक सदस्य को बैठक में भाग लेने, मत देने व प्रतिनिधि नियुक्त करने का हक है जो उसके स्थान पर मत दे सके तथा यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रतिनिधि निगम का सदस्य हो। प्रोक्सी के उचित और प्रभावी होने के लिए, ऐसे प्रतिनिधि का विवरण बैठक के आयोजन से कम से कम अड़तालीस घंटे पहले निगम के पंजीकृत कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए।

ख) निगम के वित्तीय विवरण और निदेशकों के प्रतिवेदन के साथ लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन संलग्न है।

ग कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के अनुसार सरकारी कम्पनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा की जाती है और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अनुसार, इनका पारिश्रमिक कम्पनी द्वारा एक सामान्य सभा में अथवा इस तरीके से किया जाएगा जिसे कम्पनी सामान्य सभा में निर्धारित करे।

घ) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत निदेशकों और प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिक (केएमपी) और उनकी शेयरधारिता के रजिस्टर, ठेके और समझौतों के रजिस्टर जिनमें निदेशकों के हित हों, को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए रखा गया है और अन्य सभी नोटिस में निर्दिष्ट दस्तावेज, सदस्यों द्वारा बैठक के दौरान बैठक के स्थल पर तथा निगम के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

ङ 35वीं वार्षिक सामान्य सभा के स्थल का मानचित्र एतद् सहित संलग्न है।

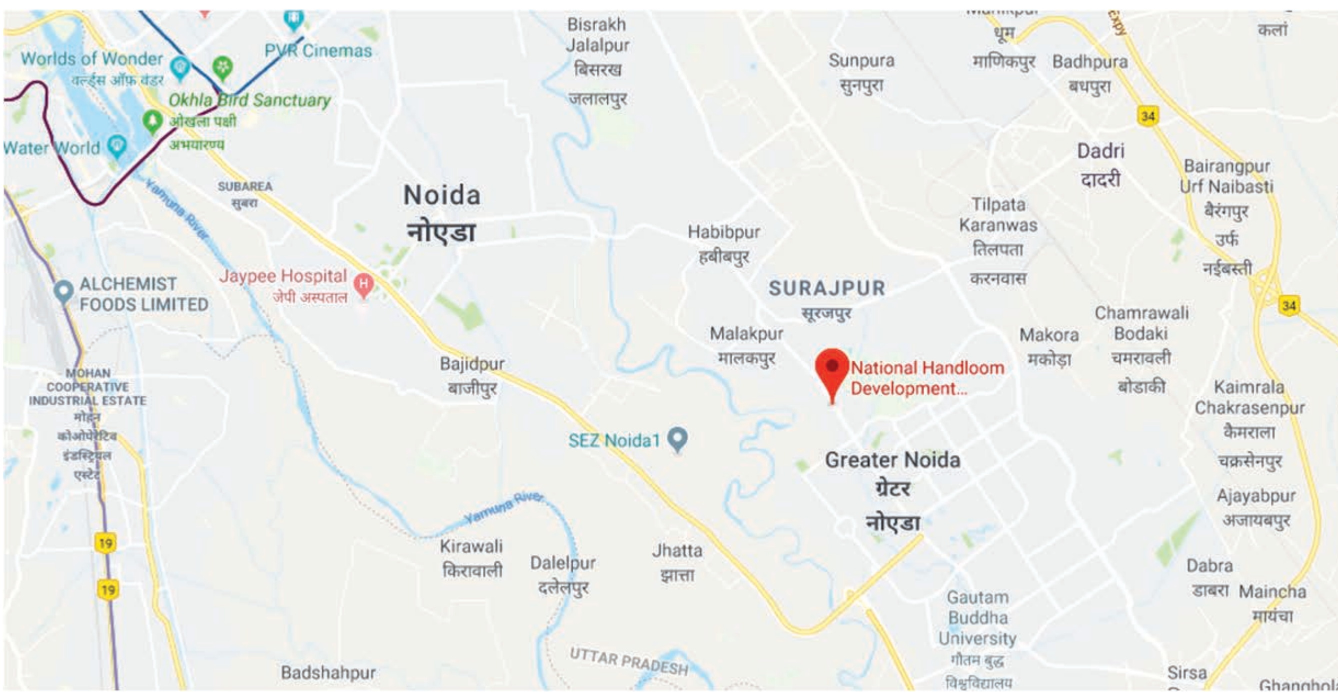

Notes: -

a) A member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and, on a poll, to vote instead of himself. Such a proxy need not be a member of the company. Proxies, in order to be valid and effective, must be delivered at the registered office of the company not later than forty-eight hours before the commencement of the meeting.

b) Financial Statements of the Company, Auditors' Report thereon together with the Directors' Report are enclosed.

c) Pursuant to Section 139(5) of the Companies Act, 2013, the Auditors of a Government Company are appointed/re-appointed by the Comptroller and Auditor General (C&AG) of India and in terms of Section 142 of the Companies Act, 2013, their remuneration shall be fixed by the company in a General Meeting or in such manner as the company in a General Meeting may determine.

d) The Register of Directors and Key Managerial Personnel (KMP) and their Shareholding maintained under Section 170 of the Companies Act, 2013, Register of contracts and arrangements in which Directors are interested maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013 and all other documents referred to in the Notice, will be available for inspection by the Members at the Registered Office of the Company on all working days during business hours and at the time of AGM of the Company at the venue of the Meeting.

e) Map of the Venue of the 35th Annual General Meeting is attached herewith.

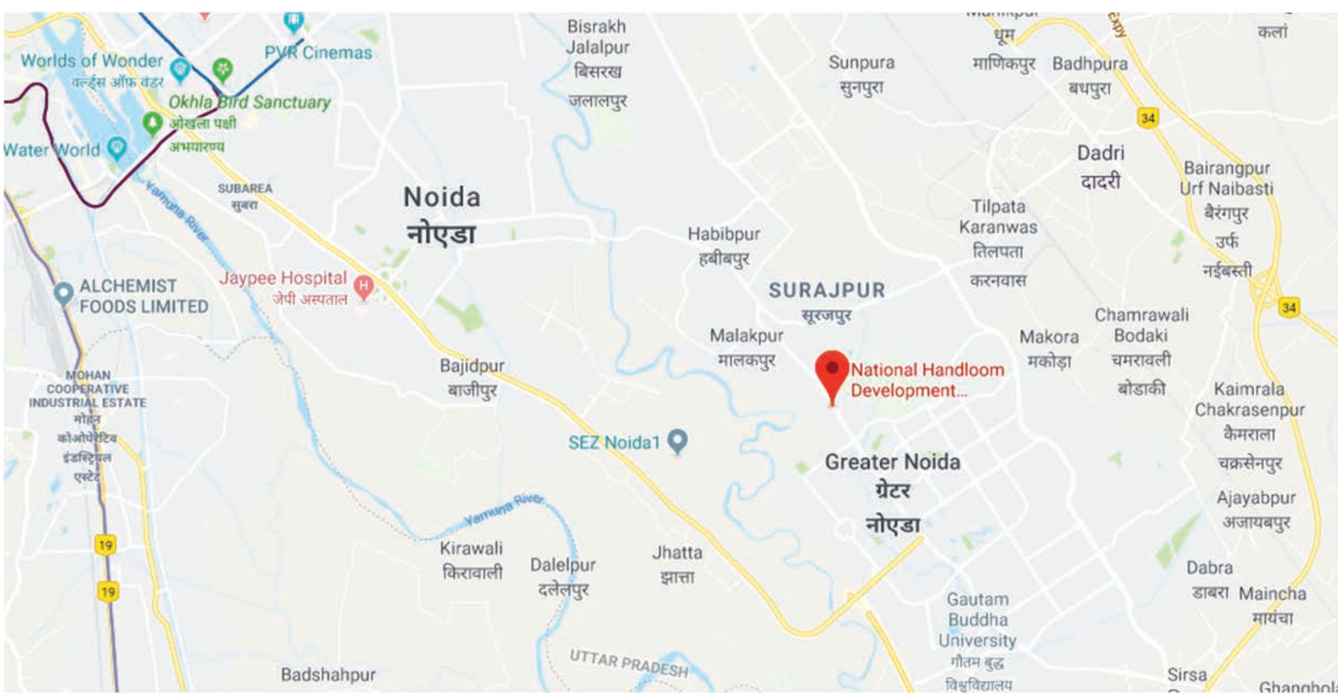

अध्यक्ष का भाषण

प्रिय शेयरधारकों,

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।

आपके निगम ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान 2605.16 करोड़ रुपए का व्यवसाय किया है। कर के पश्चात् निवल लाभ रु. 23.58 करोड़ है और निगम ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए 7.08 करोड़ रुपए के लाभांश की संस्तुति की है।

अत्यंत संतोष का विषय है कि आपका निगम एक ऋण मुक्त निगम है और कोष के कार्य इतने अच्छे तरीके से प्रबंधित है कि सम्पूर्ण कार्यशील पूंजी को इसके आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाता है और निगम पर ब्याज लागत का कोई भार नहीं है, जोकि निगम के अल्प योगदान को देखते हुए उम्मीद की किरण है।

पिछला दशक हथकरघा क्षेत्र को सहायता मुहैया कराने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पहल का साक्षी रहा है। मार्च 2020 तक सूत आपूर्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए, उपायुक्त (हथकरघा) ने दिनांक 18.04.2018 को सूत आपूर्ति योजना को संषोधित किया है, जिसमें मालभाड़ा प्रतिपूर्ति, मैदानों, पहाड़ों और दूरस्थ क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आपूर्ति के लिए डिपो प्रभारों का युक्तिसंगत किया गया है। इसके अतिरिक्त, हथकरघा क्षेत्र के लागत संबंधी हानि को न्यूनतम करने के उद्देश्य से, उपायुक्त (हथकरघा) ने सूत आपूर्ति योजना (वाईएसएस) के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रतिपूर्ति आधार पर हथकरघा क्षेत्र को वितरित किए जाने के लिए कॉटन हैंक यार्न, घरेलू रेशम, ऊनी और लिलन यार्न पर 10 प्रतिशत की मूल्य सब्सिडी की अनुमति दी है।

निगम ने संगठनात्मक पुनर्संरचना कार्य भी हाथ में लिया है और अधिक व्यवसाय सृजित करने के लिए अधिकाधिक अधिकारियों और फील्ड कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति की है। इसके परिणाम स्वरूप निगम का व्यवसाय वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान 417.16 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान 2605.16 करोड़ रुपए हो गया है, जिसका अर्थ यह है कि यह महज 11 वर्ष की अवधि में छह गुणा बढ़ गया है।

निगम कुल उत्पादन के लगभग 21% लच्छी सूत (हैंक यार्न) की आपूर्ति कर रहा है और शेष 79% अप्रयुक्त हैंक यार्न की आपूर्ति की प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा व्यवसाय सम्बन्धी अवसर है। इस विशाल व्यवसाय सम्बन्धी अवसर की उपलब्धता आपके निगम को और अधिक आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी बनाती है। तथापि, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है और आक्रामक तरीके से अधिक व्यवसाय सम्बन्धी अवसरों को खोजने की आवश्यकता है।

आपका निगम विश्वास करता है कि अच्छी नैगमिक अभिशासन सम्बन्धी परम्पराएँ दीर्घावधि में सभी हितधारकों के लिए सम्पत्ति का सृजन करती हैं। निगम द्वारा नैगमिक अभिशासन सम्बन्धी परम्पराओं पर रिपोर्ट का अनुसरण किया जा रहा है और प्रबन्धन चर्चा व विश्लेषण रिपोर्ट निदेशकों के प्रतिवेदन के अनुलग्नक के रूप में आपको प्रस्तुत की जाती है। यह नोट करना उल्लेखनीय है कि निगम अपना ध्यान निरंतर सीएसआर के अंतर्गत स्वास्थ्य, पर्यावरण, धरोहर, शिक्षा पर हथकरघा बुनकरों के लिए विशेष फोकस सहित समुदायों के लाभार्थ परियोजनाओं और कार्यक्रमों की श्रृंखला के माध्यम से सतत् विकास पर बनाए हुए है।

CHAIRMAN'S SPEECH

Dear Shareholders,

It is a privilege to present the Annual Report for the financial year 2017-18.

Your Corporation achieved a turnover of Rs. 2605.16 crore during FY 2017-18. The net profit after tax is Rs. 23.58 crore and the Corporation has recommended a Dividend of Rs. 7.08 crore for the year 2017-18.

It is a matter of great satisfaction that your Corporation is a debt free Corporation and the treasury functions are so well managed that the entire working capital is met out from its internal resources and there is no burden of interest cost on the Corporation, which is the silver lining, considering the thin contribution margins of the Corporation.

The last decade has seen path breaking initiative to provide support to the handloom sector. For implementing the Yarn Supply Scheme up to March 2020, the office of DC (Handlooms) has revised the Yarn Supply scheme on 18.04.2018, wherein, the freight reimbursement, depot charges for supply in plains, Hills and remote areas and North Eastern Region have been rationalized. Further, in order to mitigate the cost disadvantage of handloom sector, the office of DC (Handlooms) have allowed 10% price subsidy on cotton hank yarn, domestic silk, woolen and Linen yarn to be distributed in the handloom sector on reimbursement basis through Direct Benefit Transfer (DBT) mode under the Yarn Supply Scheme (YSS).

The Corporation has also undertaken organizational restructuring and redeployed more and more officers and staff to the field offices to generate more business. This has resulted in increase in turnover from Rs. 417.16 crore during the FY 2006-07 to Rs. 2605.16 crore during the FY 2017-18, increasing it six folds just in a span of 11 years.

The Corporation is supplying approximately 21% of the total hank yarn production and there is a huge business opportunity to capture the remaining 79% of the untapped hank yarn supplies. The availability of this huge business opportunity makes your Corporation more confident and ambitious. However, we need to gear up further and aggressively look for more business opportunities.

Your Corporation believes that good Corporate Governance practices in the long term leads to creation of wealth to all the stakeholders. A report on Corporate Governance practices, being followed by the Corporation and Management Discussion and Analysis report are placed before you as Annexure to the Directors' Report. It is worthy to note that the Corporation continues its focus on sustainable development of society through a series of projects and programs for benefit of communities with specific focus to the handloom weavers on health, environment, heritage, education under CSR.

किसी भी उपलब्धि के लिए मानवीय सहयोगी की आवश्यकता होती है और एनएचडीसी का विकास कोई भिन्न कहानी नहीं है। मैं, अपनी तथा बोर्ड की ओर से, हमारे समर्पित और सक्षम कर्मचारियों की कड़ी मेहनत को अधिकृत रूप से स्वीकार करता हूँ। जिनके ईमानदार और सतत् प्रयासों ने ये परिणाम अर्जित किए हैं। मैं बोर्ड के सदस्यों, शेयरधारकों, वस्त्र मंत्रालय, अन्य सरकारी विभागों, सीएंडएजी के लेखापरीक्षकों, सांविधिक और शाखा लेखापरीक्षकों के निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन के लिए उनका आभारी हूँ। मैं विभिन्न बैंकरों, प्रयोक्ता एजेंसियों, कताई मिलों, रंगों और रसायनों के निर्माताओं और कारोबारी सहयोगियों के प्रति भी अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने आपके निगम में विश्वास बनाए रखा है।

मैं भविष्य में निगम के विकास के लिए आपके निरंतर समर्थन की आशा रखता हूँ।

ह/–

(संजय रस्तोगी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएनः 07722405

25 सितंबर, 2018

ग्रेटर नोएडा

Any accomplishment requires human contribution and the growth of NHDC has no different story. I, on my behalf and on behalf of the Board place on record appreciation for hard work of our committed and competent employees, whose sincere and continuous efforts have yielded results. I am grateful to the members of the Board, Shareholders, Ministry of Textiles, Other Government Departments, C&AG, Statutory and Branch Auditors for their continuous guidance and support. I also express sincere gratitude to various bankers, user agencies, spinning mills, manufacturers of Dyes & Chemicals and business associates, who have reposed confidence in your Corporation.

I look forward to your continued support for Corporation's growth in the future.

Sd/-
(Sanjay Rastogi)
(Chairman cum Managing Director)
DIN: 07722405
25th September, 2018
Greater Noida

निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में,

सदस्यगण,

आपके निदेशकों को निगम की कार्यप्रणाली पर 35वें (पैंतीसवें) वार्षिक प्रतिवेदन के साथ–साथ वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए लेखा परीक्षित लेखों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है।

1. वित्तीय परिणाम:

(रु. करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17
बिक्री कारोबार	2605.16	2993.52
करो के भुगतान के पश्चात् लाभ	23.58	28.89
विनियोजन:		
• प्रस्तावित लाभांश	7.08	8.70
• लाभांश पर निगम कर	1.44	1.77
• विकासात्मक गतिविधियों के लिए आरक्षित राजस्व	0.20	0.58
• सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा समग्र निधि में स्थानांतरण	–	0.37
• कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनुप्रयोगी परिसम्पत्तियों का अवमूल्यन	–	–
फ्री रिजर्व और अधिशेष	95.82	80.77
कुल रिजर्व	97.02	82.03

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान फ्री रिजर्व और अधिशेष में वाहित राशि 15.06 करोड़ (गत वर्ष 17.46 करोड़ रुपए) है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम के कारोबार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

2. समझौता ज्ञापन के अधीन निष्पादन मूल्यांकन:

आपके निगम के निष्पादन को वर्ष 2016–17 के लिए लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा 'अति उत्तम' मूल्यांकित किया गया है। वर्ष 2017–18 के लिए मूल्यांकन अभी लंबित है।

3. लाभांश:

आपके निगम ने 7.08 करोड़ के लाभांश की अनुशंसा की है, जो करो के भुगतान के पश्चात् लाभों का 30.04% और निवल मूल्य का 6.10% है।

DIRECTORS' REPORT

To,

The Members,

Your Directors have pleasure in presenting the 35th (Thirty Fifth) Annual Report on the working of the Corporation together with the audited accounts for the Financial Year 2017-18.

1. FINANCIAL RESULTS:

(Rs. in crore)

Particulars	2017-18	2016-17
Sales Turnover	2605.16	2993.52
Profit after tax	23.58	28.89
Appropriations:		
• Proposed dividend	7.08	8.70
• Corporate tax on dividend	1.44	1.77
• Reserve for Developmental Activities	0.20	0.58
• Transfer to Post Retirement Medical Corpus	–	0.37
• Depreciation on asset not having remaining useful life as per provisions of Companies Act, 2013	–	–
Free reserve & surplus	95.82	80.77
Total reserve	97.02	82.03

The amount carried to free reserve & surplus during the FY 2017-18 is Rs. 15.06 crore (Previous Year Rs. 17.46 crore). There is no change in the nature of business of the Corporation during the year under review.

2. PERFORMANCE RATING UNDER MOU:

The performance of your Corporation has been rated as 'Very Good' by the Department of Public Enterprise (DPE) for the year 2016-17. Evaluation for the year 2017-18 is still pending.

3. DIVIDEND:

Your Corporation has recommended a dividend of Rs. 7.08 crore, which is 30.04% of post tax profits and 6.10% of Net Worth.

4. कम्पनी का निष्पादन और भावी दृष्टिकोणः

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी के वित्तीय निष्पादन और प्रचालनों का विस्तृत विश्लेषण और अंतर्दृष्टि और भावी दृष्टिकोण प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण में दर्शाया जा रहा है, जो वार्षिक प्रतिवेदन के भाग को निर्मित करता है।

5. कम्पनी की निष्पादन समीक्षा और मामलों की दशाः

वित्तीय वर्ष 2017–18 में निगम का टर्न ओवर, वित्तीय वर्ष 2016–17 में रु. 2993.52 करोड़ की बिक्रियों की तुलना में, रु. 2605.16 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में रु. 46.54 करोड़ की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए कर–पूर्व लाभ रु. 35.38 करोड़ है और निवल करो के भुगतान के पश्चात् लाभ वित्तीय वर्ष 2016–17 में रु. 28.89 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017–18 में रु. 23.58 करोड़ है। 31 मार्च, 2017 को निगम का निवल मूल्य 101.03 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर 31 मार्च, 2018 को 116.02 करोड़ रुपए हो चुका है।

अत्यंत संतोष का विषय है कि निगम एक ऋण–मुक्त निगम है और यह अपनी सम्पूर्ण कार्यशील पूंजी अपेक्षा का प्रबंधन अपने आंतरिक संसाधनों से करने में सक्षम है।

भारत सरकार, बुनकर समुदाय की आर्थिक व्यवहार्यता का अनुरक्षण करने के उद्देश्य से औचित्यपूर्ण कीमतों पर यार्न की अबाध और आसान उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए, आपके निगम के माध्यम से 'यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस) का कार्यान्वयन कर रही है। कॉटन हैंक यार्न हथकरघा सेक्टर में प्रमुख उपभोग की जाने वाली किस्म है। हथकरघा बुनकरों द्वारा बाजार फीडबैक के माध्यम से प्राप्त मांग और प्राथमिकताओं के आधार पर यार्न की अन्य किस्मों का प्रयोग भी कर रहा है।

आसान और अबाध आपूर्तियां सुनिश्चित करने के लिए हथकरघा एजेंसियों के माध्यम से डिपो भी स्थापित किए गए हैं। 31 मार्च, 2018 तक, परिचालित डिपो की संख्या 843 है (31 मार्च, 2017 को 935 थी)।

हथकरघा क्षेत्र के लागत संबंधी नुकसान को न्यूनतम करने के लिए, भारत सरकार ने दिनांक 6 जनवरी, 2012 से वाईएसएस के अंतर्गत हथकरघा सेक्टर में वितरित किए जाने वाले कॉटन, घरेलू रेशम, उनी और लिलन हैंक यार्न पर 10% मूल्य सब्सिडी की अनुमति प्रदान की है। योजना के 10% मूल्य सब्सिडी घटक के अधीन निगम हथकरघा बुनकरों को यार्न की आपूर्ति कर रहा है।

गत वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान 1802.19 लाख किलो सूत की आपूर्ति जिसका मूल्य 294755.14 लाख रुपए था तथा जिसमें सूत सप्लाई स्कीम के अन्तर्गत 294194.81 लाख रुपए मूल्य का 1799.15 लाख किलो सूत शामिल था, की तुलना में वर्ष 2017–18 के दौरान 1557.18 लाख किलो सूत की आपूर्ति की गई जिसका मूल्य 256777.32 लाख रुपए था तथा जिसमें सूत सप्लाई स्कीम के अन्तर्गत 256256.42 लाख रुपए मूल्य का 1552.40 लाख किलो सूत शामिल था। गत वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान सूत की आपूर्ति 306.31 लाख किलो थी जिसका मूल्य 141730.51 लाख रुपए था, की तुलना में वर्ष 2017–18 के दौरान सूत सप्लाई स्कीम के 10% मूल्य अनुवृत्ति घटक के अन्तर्गत सूत की आपूर्ति 332.50 लाख किलो थी जिसका मूल्य 120991.87 लाख रुपए था।

निगम हथकरघा बुनकरों और आपूर्तिकर्ताओं के लाभ हेतु गुणवत्तापूर्ण रंगों की व्यवस्था कर रहा है और गत वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान 4596.65 लाख रुपए मूल्य वाले 46.22 लाख किलो सूत की आपूर्ति की तुलना में वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान 38.91 लाख किलो सूत की आपूर्ति की गई जिसका मूल्य 3737.97 लाख रुपए है।

निगम हथकरघा बुनकरों को प्रतिस्पर्धी / न्यूनतम दरों पर यार्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से थोक मात्रा में छूटें प्राप्त करने के लिए थोक मात्राओं की खरीद के लिए आपूर्तिकर्ताओं के साथ यार्न की दरों पर बातचीत कर रहा है। दरों को निगम की वेबसाइट पर भी, बुनकर एजेंसियों के लिए मासिक आधार पर डाला जाता है, जिसके परिणामस्वरूप पारदर्षिता बेहतर होती है।

निगम हथकरघा बुनकरों / एजेंसियों के लिए समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गुवाहाटी (असम), समुद्रगढ़ (पश्चिम बंगाल), बहरामपुर (पश्चिम बंगाल), सीतापुर (उत्तर प्रदेश), मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश), वाराणसी (उत्तर प्रदेश),

4. COMPANY PERFORMANCE AND FUTURE OUTLOOK:

A detailed analysis and insight into the financial performance and operations of your Company for the year under review and future outlook, is appearing in Management Discussion and Analysis Reports, which forms part of the Annual Report.

5. PERFORMANCE REVIEW AND STATE OF AFFAIRS OF THE CORPORATION:

The turnover of the Corporation in FY 2017-18 is Rs. 2605.16 crore against the sales of Rs. 2993.52 crore in FY 2016-17. The profit before tax for FY 2017-18 is Rs. 35.38 crore against Rs. 46.54 crore in the FY 2016-17 and net profit after tax is Rs. 23.58 crore in FY 2017-18 against Rs. 28.89 crore in the FY 2016-17. The net worth of the Corporation has increased to Rs. 116.02 crore as on 31st March, 2018 from Rs. 101.03 crore as on 31st March, 2017.

It is a matter of great satisfaction that the Corporation is a debt free Corporation and is able to manage its entire working capital requirement from its internal resources.

The Government of India has been implementing the 'Yarn Supply Scheme' (YSS) through your Corporation, facilitating the uninterrupted and easy availability of yarn at reasonable prices so as to maintain the economic viability of the weaving community. Cotton hank yarn is the major consumed variety in the handloom sector. Other varieties of yarn have also been used based on the demand and preferences received through market feedback by the handloom weavers.

Depots are also set up through handloom agencies for ensuring easy and uninterrupted supplies. Uptill 31st March, 2018, the number of operational depots is 843 nos. (935 nos. as on 31st March, 2017).

To mitigate the cost disadvantage of Handloom sector, the Government of India has allowed 10% price subsidy on Cotton, domestic Silk, Woolen and linen hank yarn to be distributed in the handloom sector under YSS w.e.f. 06thJan., 2012. Corporation is supplying the yarn to the handloom weavers under the 10% Price Subsidy component of the scheme.

The yarn supplies during the year 2017-18 were 1557.18 lakh kg. valuing Rs. 256777. 32 lakh which include 1552.40 lakh kg. valuing Rs. 256256.42 lakh under YSS as compared to supplies of 1802.19 lakh kg. valuing Rs. 294755.14 lakh which includes 1799.15 lakh kg. valuing Rs. 294194.81 lakh under YSS during the FY 2016-17. The yarn supplies under the 10% Price Subsidy Component of YSS (included in the yarn supplies mentioned above) during the year 2017-18 were 332.50 lakh kg. valuing Rs. 120991.87 lakh as compared to 306.31 lakh kg. valuing Rs. 141730.51 lakh during the FY 2016-17.

Corporation has arranged quality dyes for the benefit of handloom weavers and the supplies during the FY 2017-18 were 38.91 lakh kg. valuing Rs. 3737.97 lakh as compared to supplies of 46.22 lakh kg. valuing Rs. 4596.65 lakh during the FY 2016-17.

Corporation is negotiating the yarn rates with the suppliers for purchase of bulk quantities to obtain bulk quantity discounts with a view to provide the yarn to Handloom weavers at competitive/ lowest rates. Rates are placed on Corporation's website as well, on monthly basis for access by the weaver agencies, resulting in better transparency.

Corporation is operating 18 nos. Warehouses (Previous year 10 nos.) at Guwahati (Assam), Samudragarh (West Bengal), Santipur (West Bengal), Behrampur (West Bengal), Sitapur (Uttar Pradesh), Moradabad

जैदपुर (उत्तर प्रदेश), चिराला (आंध्र प्रदेश), श्रीकाकुलम (आंध्र प्रदेश), बलरामपुरम (केरल), कन्नूर (केरल), भुवनेश्वर (ओडिशा), बारगढ़ (ओडिशा), वारंगल (तेलंगाना), अगरतला (त्रिपुरा), गोड्डा (झारखण्ड) और कांचीपुरम (तेलंगाना) में 18 गोदाम (गत वर्ष 10) प्रचालित कर रही है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान रु. 871.75 लाख मूल्य के 3.23 लाख किग्रा यार्न की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान रु. 1274.59 लाख मूल्य के 3.305 लाख किग्रा यार्न की आपूर्ति की गई।

देनदारों से वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान (दिनांक 31 मार्च 2017 तक बकाया राशि में से) धनराशि की वसूली की गई तथा दिनांक 31 मार्च, 2017 तक बकाया देनदारों का प्रतिशत 94.65% (पिछले वर्ष 95.92%) है।

6. विकासात्मक गतिविधियां और विपणन सहायताः

निगम ने हथकरघा बुनकरों को विशिष्ट प्रदर्शनियों के आयोजन के जरिए विपणन संबंधी सहायता मुहैया कराई है, जिनमें, वे अपने उत्पादों को बेहतर कीमत पर सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकते हैं। इस संबंध में वर्ष के दौरान मुंबई, अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोयम्बटूर, देहरादून, नई दिल्ली, एर्णाकुलम, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जम्मू, जमशेदपुर, कोलकाता, लखनऊ, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, सूरत और विजयवाड़ा में 23 'सिल्कफैब' प्रदर्शनियां (गत वर्ष – 21) आयोजित की गईं। जबकि दिल्ली, जोधपुर, लखनऊ और वाराणसी में 04 'वूलफैब' प्रदर्शनियां (गत वर्ष – 03) और इंदौर तथा वडोदरा में 02 'नेशनल हैंडलूम एक्सपो' (गत वर्ष – 01) तथा पटना और वाराणसी में 02 'एकीकृत प्रदर्शनियां आयोजित की गईं।

वर्ष के दौरान इन प्रदर्शनियों में कुल बिक्री 93.78 करोड़ रुपए (गत वर्ष – 88.99 करोड़ रुपए) थी।

7. कम्प्यूटरीकरणः

निगम ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और अपने पंजीकृत कार्यालय में यार्न गतिविधियों के लिए दिनांक 30.11.2016 से ईआरपी का कार्यान्वयन किया है। तदनुसार, समस्त डेटा एंट्री ईआरपी में की जा रही है। भारत सरकार द्वारा घोषित वाईएसएस के अंतर्गत हैंक यार्न पर 10% मूल्य सब्सिडी और स्टॉक हैंडलिंग को भी ईआरपी में समाविष्ट किया गया है। यह प्रणाली हथकरघा बुनकरों को अपने मांगपत्र (इंडेंट) डालने और ऑनलाइन भुगतानों में सहायता प्रदान करेगी। बुनकरों द्वारा माल की रसीदें अनुरक्षित करने के लिए इस प्रणाली में आधार सम्पृक्त बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण सेवाएं भी होंगी। यह प्रणाली हथकरघा बुनकरों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में भी सहायक रहेगी।

इसके अतिरिक्त, निगम ने ई–धागा एप्प लांच किया है जिसमें बुनकर इंडेंट्स प्लेस कर सकेंगे और भुगतान कर सकेंगे। ई–धागा एप्प गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और इसे कुछ ही स्टेप्स के जरिए आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। यह एप्प 10 भाषाओं यथा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दु, बांग्ला, असमिया, ओडिशा, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम में उपलब्ध है। सभी प्रतिवेदनों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और स्थिर किया जा चुका है। इसके परिणामस्वरूप सभी सूचना समयबद्ध तथा वास्तविक हो गई है, मैन्युअल अभिलेखों का विलोपन हुआ है तथा कार्य को दुबारा किए जाने से बचाव हुआ है।

निगम ने सहायक प्रबंधकों और इनसे ऊपर के अधिकारियों के पदनामों के लिए ऑनलाइन ऐसीआर प्रस्तुति का कार्यान्वयन भी किया है। साथ ही, निगम ने एक ऑनलाइन आवेदन प्रणाली का सृजन किया है, जिसे सीधे मानव संसाधन कार्मिकों को भेजा जाता है। ये ऑनलाइन आवेदन किसी भी उपलब्ध पद के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं और भर्ती शुल्क भी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे'ज के जरिए एकत्रित किया जाता है। ऑनलाइन भर्ती अभ्यर्थियों के साथ समुचित अंतःक्रिया और दोनों पक्षों की ओर से संवाद को सुगम बनाने की अनुमति देती है।

8. नैगमिक अभिशासनः

आपका निगम अपने प्रचालनों के सभी पहलुओं में नैतिक कारोबारी आचरण, पारदर्शिता, जवाबदेही और समानता में दृढ़ विश्वास रखता है और इन्हें सर्वोच्च महत्ता प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप शेयरधारकों के लिए सम्पत्ति का सृजन होता है।

(Uttar Pradesh), Varanasi (Uttar Pradesh), Zaidpur (Uttar Pradesh), Chirala (Andhra Pradesh), Srikakulam (Andhra Pradesh), Balarampuram (Kerala), Kannur (Kerala), Bhubaneswar (Odisha), Bargarh (Odisha), Warangal (Telangana), Agartala (Tripura), Godda (Jharkhand) and Kancheepuram (Tamilnadu), for ensuring timely supply to the handloom weavers/ agencies. The yarn supply made through these warehouses during the year 2017-18 was 3.305 lakh kg. valuing Rs. 1274.59 lakh as against 3.23 lakh kg. valuing Rs. 871.75 lakh during the FY 2016-17.

The debtors recovered (out of outstanding as on 31st March, 2017) during the FY 2017-18 as % age of debtors outstanding as on 31st March, 2017 is 94.65% (Previous year – 95.92%).

6. DEVELOPMENTAL ACTIVITIES AND MARKETING SUPPORT:

Corporation has provided marketing support to the handloom weavers through organization of exclusive exhibitions, wherein, they can sell their products directly to the consumers at better price. In this regard 23 nos. 'SILKFAB' exhibitions (Previous year - 21 nos.) were organized at Mumbai, Ahmedabad, Amritsar, Bengaluru, Bhubaneswar, Chandigarh, Coimbatore, Dehradoon, New Delhi, Ernakulum, Guwahati, Hyderabad, Jabalpur, Jammu, Jamshedpur, Kolkata, Lucknow, Patna, Pune, Raipur, Ranchi , Surat and Vijayawada while 04 nos. 'WOOLFAB' exhibitions (Previous year - 03 nos.) at Delhi, Jodhpur, Lucknow and Varanasi and 02 no. 'National Handloom Expo' (Previous year – 01 nos.) at Indore and Vadodara and 02 no. 'Integrated Exhibition' at Patna and Varanasi were organized during the year.

The total sale in the Exhibitions during the year was Rs. 93.78 crore (Previous year - Rs. 88.99 crore).

7. COMPUTERISATION:

Corporation has implemented the ERP with effect from 30.11.2016 for yarn activity at all its Regional Offices and at its Registered office. Accordingly, all the data entry is being done in ERP. The 10% price subsidy on hank yarn under YSS announced by the Govt. of India on 6th Jan., 2012 and stock handling has also been incorporated in ERP. This system will facilitate the handloom weavers to place their indents and make payments online. This system will also be having Aadhar linked Biometric authentication services for maintaining the goods receipts by the weavers. The system will be helpful for Direct Benefit Transfer to handloom weavers.

Further, the Corporation has launched the E-Dhaga app wherein the weavers can place indents and make payments. The E-Dhaga App is available in Google Play Store and can easily be downloaded in few steps. The App is available in 10 languages viz: Hindi, English, Urdu, Bangla, Assamese, Odisha, Kannada, Tamil, Telugu, and Malayalam. All the reports have been finalized and stabilized. It has resulted in timely and accurate information, elimination of manual records and avoiding duplicity of work.

The Corporation has also implemented Online ACR submission for designations of Assistant Managers and above. Also, the Corporation has created an online application system, which is sent directly to human resources personnel. These online applications can be filed for an available position and recruitment fee is also collected through Online Payment gateways. Online recruitment allows for appropriate interaction with candidates and facilitates communication from both sides.

8. CORPORATE GOVERNANCE:

Your Corporation firmly believes and accords highest importance to ethical business conduct, transparency, accountability and equity in all facets of its operations, which leads to creation of wealth for its stakeholders.

निगम द्वारा अपनाई जा रही 'नैगमिक अभिशासन व्यवहार' और 'प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण प्रतिवेदन' एतद्सहित क्रमशः **अनुलग्नक 'क' और 'ख'** के साथ संलग्न हैं।

वर्ष 2016–17 के लिए सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण आंकड़े दिनांक 15 सितम्बर, 2017 को सार्वजनिक उपक्रम विभाग को सौंप दिये गये थे तथा वर्ष 2016–17 के लिए निगम के वार्षिक लेखाओं को दिनांक 26 सितम्बर, 2017 को निगम की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2017–18 के दौरान सभी तिमाहियों के लिए नैगमिक अभिशासन पर तिमाही प्रगति प्रतिवेदन लोक उद्यम विभाग को प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

वर्ष 2017–18 के लिए लोक उद्यम विभाग को प्रस्तुत नैगमिक अभिशासन पर वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन में वार्षिक स्कोर (तिमाही प्रतिवेदनों की औसत पर आधारित) 88.50% अर्थात 'उत्कृष्ट' बनता है।

9. कार्मिक विकास और औद्योगिक संबंधः

निगम मानव संसाधन के विकास पर अत्यधिक जोर देता रहा है और इस संबंध में, ये विभागी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल के स्तर उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करता रहा है और साथ ही बाहरी प्रतिष्ठित एजेंसियों द्वारा विशिष्ट कार्यक्रमों/सेमीनारों/कार्यशालाओं में अपने कार्मिकों को नामित भी करता रहा है।

निगम ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) आरंभ की है, जो वर्ष 2017–18 के दौरान सचिवालयी स्टाफ और समूह 'घ' के लिए प्रचालन में थी; और वर्ष के दौरान ड्राइवर ने वीआरएस का विकल्प लिया है। दिनांक 31 मार्च 2018 को निगम के कर्मचारियों की कुल संख्या 202 (गत वर्ष 208) बनती है जिनमें अनुसूचित (एससी) श्रेणी के 23 (11.36%), अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी के 08 (3.96%)] अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के 29 (14.36%) और शारीरिक रूप से अक्षम (पीएच) श्रेणी के 06 (2.97%) कर्मचारी शामिल हैं।

प्रति कर्मचारी टर्न ओवर 13.22 करोड़ रुपए (गत वर्ष – 14.39 करोड़ रुपए) और प्रति कर्मचारी कर के उपरान्त लाभ (पीएटी) 11.97 लाख रुपए (गत वर्ष – 13.88 लाख रुपए) है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्द्रपूर्ण और शांतिपूर्ण रहे हैं।

10. हिंदी का प्रगामी प्रयोगः

निगम अपने दिन–प्रतिदिन के कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए प्रतिबद्ध है। निगम सितम्बर और मार्च माह में अर्थात अर्धवार्षिक आधार पर ''राजभाषा सुरभि'' पत्रिका का प्रकाशन करता रहा है।

इसके अतिरिक्त निगम को ''राजभाषा सुरभि'' के प्रकाशन के लिए नराकास, नोएडा (उ.प्र.) द्वारा 58 कार्यालयों में चतुर्थ पुरस्कार प्राप्त हुआ।

11. निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकः

निदेशक

निगम के बोर्ड के एक स्वन्तत्र निदेशक की नियुक्ति के मामले को छोड़कर सुस्थापित संरचना है जिसके लिए उन्हें बोर्ड में शामिल करने हेतु प्रशासनिक मन्त्रालय से अनुरोध किया गया है। 31 मार्च 2018, स्थिति के अनुसार बोर्ड में चार सदस्य हैं जिसमें से दो भारत सरकार के नामित (अध्यक्ष को शामिल करके), एक अशासकीय स्वतन्त्र महिला निदेशक तथा एक कार्यशील निदेशक (अर्थात प्रबन्ध निदेशक) हैं। बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा निगम संघ के अनुच्छेदों के अनुच्छेद 94 के अनुसार की जाती है।

Report on 'Corporate Governance Practices' being followed by the Corporation and 'Management Discussion and Analysis Report' are annexed herewith as **Annexure 'A' & 'B'** respectively.

The Public Enterprises Survey data for the year 2016-17 was submitted to the department of Public Enterprises on 15th September, 2017 and the annual accounts of the Corporation for the year 2016-17 were placed on the website of the Corporation on 26th September, 2017. Further, the quarterly progress reports on Corporate Governance for all the quarters during the year 2017-18 have been submitted to Department of Public Enterprises.

The annual score (based on the average of quarterly reports) in the annual evaluation report on Corporate Governance submitted to the Department of Public Enterprises for the year 2017-18 comes to 88.50% i.e. 'Excellent'.

9. PERSONNEL DEVELOPMENT & INDUSTRIAL RELATIONS:

Corporation has been laying a lot of emphasis on development of Human Resource and in this context, it has been extending support for upgradation of the skill through organization of inhouse Training Programmes as well as deputing its personnel to specific programmes/ seminars/workshop organized by the outside agencies of repute.

Corporation had introduced Voluntary Retirement Scheme (VRS), which was in operation during the year 2017-18 for secretarial staff & Group 'D'; and one driver has opted VRS during the year. Total number of employees of the Corporation as on 31st March 2018 now stands at 202 (Previous year 208) which include 23 (11.36%) employees belonging to Scheduled Castes (SC) category, 08 (3.96%) employees belonging to Scheduled Tribes (ST) category, 29 (14.36%) employees belonging to Other Backward Classes (OBC) category and 06 (2.97%) employees belonging to Physically Handicapped (PH) category.

The turnover per employee is Rs. 13.22 crore (Previous year – 14.39 crore) and the Profit after Tax (PAT) per employee is Rs. 11.97 lakh (Previous year Rs. 13.88 lakh).

The Industrial relations have been cordial and remained peaceful during the year under review.

10. PROGRESSIVE USE OF HINDI:

Corporation is committed to the progressive use of Hindi in its day to day working. Corporation has been publishing "RAJBHASHA SURABHI" magazine on half yearly basis i.e. in the month of September and March.

Further Corporation was awarded 4th prize for publication of "RAJBHASHA SURABHI" magazine by TOLIC, Noida (UP) among 58 offices.

11. DIRECTORS & KEY MANAGERIAL PERSONNEL:

Directors

The Board of Directors of the Corporation is well structured except for the appointment of 01 independent director, for which, request has been made to the Administrative Ministry. As on 31st March, 2018 the Board consists of 4 members, out of which two are nominee(s) of the Government of India (including Chairman), 01 is Non-Official Independent Women Director and one is the Functional Director (i.e. Managing Director). The Directors on the Board are appointed by the Government of India in terms of Article 94 of the Articles of Association of the Corporation.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय ने अपने आदेश संख्या 10/4/93–डीएसएच/एनएचडीसी द्वारा दिनांक 5 दिसम्बर, 2017 (पूर्वाह्न) से श्री शांतमनु, हथकरघा विकास आयुक्त के स्थान पर श्री संजय रस्तोगी, हथकरघा विकास आयुक्त को निगम के पदेन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। श्री शांतमनु की नियुक्ति 18 मई, 2017 को श्री आलोक कुमार के स्थान पर की गई।

इसके अतिरिक्त श्री संजय रस्तोगी को दिनांक 19 जून, 2018 को निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्य प्रभार दिया गया। उन्होंने प्रभार श्री आर.के. साहू (कार्यकालः 8 से 18 जून, 2018) से लिया, जिन्होंने आगे दिनांक 8 जून, 2018 (पूर्वाह्न) को श्री सर्वपल्ली श्रीनिवास से प्रभार लिया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय ने दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 के आदेश संख्या 11/(26)/82–डीसीएच/एनएचडीसी/भाग 1 द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 (पूर्वाह्न) से श्री आर.वी.एस. मणि, उप सचिव के स्थान पर श्री ए.के. शर्मा, उप सचिव की नियुक्ति निगम के सरकारी निदेशक के रूप में की गई है।

श्रीमती शिखा रॉय पब्बी, निगम की अशासकीय स्वतंत्र महिला निदेशक ने पुष्टि की है कि वे कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथा निर्धारित स्वतंत्रता के मापदंडों को पूरा करती हैं।

उपर्युक्त निदेशकों का संक्षिप्त विवरण, विशेषज्ञता की प्रकृति, अन्य कम्पनियों में धारित निदेशक–पद के ब्यौरे के साथ–साथ सचिवालयी मानक–2 के अधीन यथा निर्धारित कम्पनी में अपनी शेयरधारिता का ब्यौरा वार्षिक प्रतिवेदन के नैगमिक अभिशासन से संबंधित खंड में दिया गया है।

निगम के बोर्ड की वर्ष 2017–18 के दौरान नियमित अंतराल पर 04 बार बैठकें (25 जुलाई, 2017, 6 सितम्बर, 2017, 27 दिसम्बर, 2017 और 22 मार्च, 2018) को हुईं और डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित समस्त सूचना बोर्ड के समक्ष रखी गई थी।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सुश्री गुंजन वर्मा, जिनकी नियुक्ति 13 सितम्बर, 2017 को निगम की कम्पनी सचिव के रूप में की गई थी, जिन्होंने 31 दिसम्बर, 2017 को त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद, सुश्री अंजली यादव को 15 जून, 2018 से निगम की कम्पनी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया।

12. लेखा परीक्षा समितिः

कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार निगम में बोर्ड की एक कार्यशील लेखा परीक्षा समिति है। समिति की संरचना, संदर्भ शर्तों, वर्ष के दौरान बैठकों से संबंधित ब्यौरा वार्षिक प्रतिवेदन की नैगमिक अभिशासन के प्रतिवेदन संबंधी खंड में उपलब्ध कराई गई है।

13. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और इनकी पर्याप्तताः

निगम ने अपने आकार के अनुरूप आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली स्थापित की है। व्यापक आन्तरिक लेखा परीक्षा मैन्युअल के अतिरिक्त आन्तरिक प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आन्तरिक लेखा परीक्षकों को समय समय पर आवश्यकता के आधार पर नए जाँच बिन्दुओं का भी सुझाव दिया जाता है। निगम की आन्तरिक लेखा परीक्षा निगम के आन्तरिक लेखा परीक्षा दल तथा बाह्य स्वतन्त्र चार्टेड एकाउन्टेन्टस के द्वारा की जाती है। लेखा परीक्षा समिति के निर्णय के अनुसार निगम के मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखा परीक्षा आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग तथा बाह्य चार्टेड एकाउन्टेन्टस द्वारा बारी–बारी से प्रत्येक वर्ष की जाती है। लेखा परीक्षा समिति द्वारा आन्तरिक नियन्त्रण तथा लेखा परीक्षा प्रणालियों की आवधिक रूप से समीक्षा की जा रही है तथा सतत् सुधार के लिए आवश्यकतानुसार सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

During the year under review, Government of India, Ministry of Textiles vide order no. 10/(4)/93-DCH/NHDC/ had appointed Shri Sanjay Rastogi, Development Commissioner for Handlooms as ex-officio Chairman of the Corporation in place of Shri Shantmanu, Development Commissioner for Handicrafts w.e.f. 4th December, 2017 (forenoon). Shri Shantmanu was appointed Chairman in place of Shri Alok Kumar on 18th May, 2017.

Further Shri Sanjay Rastogi was vested with additional charge of Managing Director of the Corporation on 19th June, 2018. He took the charge from Shri R.K. Sahu (Tenure: 8th to 18th June, 2018), who further took the Charge from Shri Sarvepalli Srinivas on 8th June, 2018 (forenoon).

During the year under review, Government of India, Ministry of Textiles vide order no. 11/(26)/82-DCH/NHDC/Vol. I dated 18th December, 2017 had appointed Shri A. K. Sharma, Dy. Secretary as Government Director of the Corporation in place of Shri R.V.S. Mani, Dy. Secretary w.e.f. 18th December, 2017 (forenoon).

Smt. Shikha Roy Pabbi, Non-official Independent Woman Director of the Corporation has confirmed that she meets the criteria of independence as prescribed under the Companies Act, 2013.

Brief resume, nature of expertise, details of directorship held in other companies of the above Directors along with their shareholding in the Company as stipulated under Secretarial Standard-2 is provided in the Report on Corporate Governance section of the Annual Report.

The Board of the Corporation met 04 times during the year 2017-18 at regular intervals (25th July, 2017, 6th September, 2017, 27th December, 2017 and 22nd March 2018) and all the information required in accordance with DPE guidelines were placed before the Board.

Key Managerial Personnel

During the year under review, Ms. Gunjan Verma who was appointed as Company Secretary of the Corporation w.e.f. 13th September, 2017 resigned on 31st December, 2017. Further, Ms. Anjali Yadav was appointed as the Company Secretary of the Corporation w.e.f. 15th June, 2018.

12. AUDIT COMMITTEE:

The Corporation has a functional Audit Committee of the Board in accordance with the provisions of the Companies Act 2013 and DPE guidelines. Details regarding the composition of the Committee, terms of reference, meetings during the year are provided in the Report of Corporate Governance section of the Annual Report.

13. INTERNAL CONTROL SYSTEM AND THEIR ADEQUACY:

The Corporation has a system of internal control, which is continuously evolving to match the growing size of the Corporation. In order to make the internal control more effective, besides comprehensive Internal Audit Manual, the new check points are also advised to the internal auditors from time to time on need basis. The Internal Audit of the Corporation is conducted by the Internal Audit team of the Corporation as well as outside independent Chartered Accountants. As per the decision of the Audit Committee, the head office and regional offices of the Corporation are audited by the Internal Audit wing and outside Chartered Accountants alternatively every year. The internal control and audit systems are being reviewed periodically by the Audit Committee and corrective measures are taken, wherever necessary, for continuous improvement.

14. सतर्कताः

निगम के सतर्कता विभाग की अध्यक्षता सतर्कता अधिकारी द्वारा की जाती है, जो निगम के प्रबंधक निदेशक को रिपोर्ट करते हैं। सतर्कता विभाग केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों का अनुसरण करता है। निगम निवारक सतर्कता प्रक्रिया अपना रहा है।

कर्मचारियों को उनके दिन प्रतिदिन के कामों में सुरक्षित कारोबारी परिपाटियों के बारे में शिक्षित करने के लिए सतर्कता सप्ताह का आयोजन प्रति वर्ष किया जाता है। वर्ष के दौरान, दिनांक 30 अक्टूबर, 2017 से 4 नवम्बर, 2017 के दौरान 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' का आयोजन किया गया। जिसका विषय ''मेरा विजन – भ्रष्टाचार मुक्त भारत'' था। सप्ताह की शुरुआत कर्मचारियों द्वारा सतर्कता की शपथ लेने से हुई, जो निगम के सतर्कता अधिकारी द्वारा दिलाई गई। सप्ताह के दौरान, सतर्कता के संबंध में निबंध लेखन प्रतियागिता और वाद–विवाद प्रतियागिता का आयोजन किया गया, जिनमें अनेक कर्मचारियों ने भाग लिया। सतर्कता आयोजन निगम के पंजीकृत कार्यालय के साथ–साथ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में किया गया।

15. सांवधिक लेखा परीक्षकों और सीएंडएजी की टिप्पणियों के उत्तरः

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) और 143(6) के अंतर्गत सीएंडएजी की टिप्पणियों के साथ–साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन वार्षिक प्रतिवेदन में रखा गया है। सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के उत्तर बोर्ड के प्रतिवेदन के **अनुलग्नक 'ग'** के रूप में संलग्न हैं।

16. सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियों का उत्तरः

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 201(1) के अंतर्गत सचिवालयी लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन वार्षिक प्रतिवेदन में रखा गया है। सचिवालयी लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के उत्तर बोर्ड के प्रतिवेदन के **अनुलग्नक 'घ'** के रूप में संलग्न है।

17. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशनः

निगम कोई निर्माण गतिविधि नहीं कर रहा है। तदनुसार, प्रौद्योगिकी समावेशन से संबंधित मुद्दा निगम पर लागू नहीं होता।

18. आकस्मिक परिसम्पत्तियांः

विधिक कार्यविधियों के अधीन पक्षकारों की ओर से वसूली योग्य ब्याज राशि 0.65 करोड़ रुपए (गत वर्ष – 0.63 करोड़ रुपए) है।

19. विदेशी मुद्रा आय और परिव्ययः

निगम विदेशी मुद्रा में कारोबार नहीं कर रहा है, क्योंकि यह कोई आयात/निर्यात गतिविधि नहीं चला रहा है।

20. जोखिम प्रबंध नीतिः

निगम विदेशी मुद्रा में कारोबार नहीं कर रहा है। इसके अतिरिक्त, अधिशेष निधियों का निवेश बैंकों के पास जमा राशियों में किया गया है, जिनमें मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शामिल हैं। इस प्रकार, इस प्रक्रिया में कोई वित्तीय जोखिम निहित नहीं है।

21. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निराकरण) अधिनियम, 2013 के अधीन सूचना

पिछले वित्तीय वर्ष में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के किसी मामले की सूचना नहीं दी गई। कम्पनी में एक आंतरिक शिकायत समिति है जिसके पास महिला कर्मचारी यौन उत्पीड़न के विरूद अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

14. VIGILANCE:

The vigilance department of the Corporation is headed by the Vigilance Officer, who reports to the Managing Director of the Corporation. The Vigilance Department follows the guidelines issued by the Central Vigilance Commission from time to time. Corporation is adopting preventive vigilance.

Vigilance week is observed every year to educate the employees about safe business practices in their day to day working. During the year, 'Vigilance Awareness Week' with the theme "My Vision-Corruption Free India" was observed from 30th October, 2017 to 4th November, 2017. The week was started with taking the pledge, by the employees, administered by the Vigilance Officer of the Corporation. During the week, essay writing competition and debate competition on topics relating the vigilance were conducted, wherein, various employees participated. Vigilance week was observed at Registered Office as well as at all regional offices of the Corporation.

15. REPLY TO STATUTORY AUDITOR'S & C&AG'S COMMENTS:

The report of the Statutory Auditor alongwith comments of C&AG u/s 143(5) & 143(6) of the Companies Act, 2013 is placed in the Annual Report. The reply to the comments, of the Statutory Auditor are placed as **Annexure 'C'** to the Board Report.

16. REPLY TO SECRETARIAL AUDITOR'S COMMENTS:

The report of the Secretarial Auditor u/s 201(1) of the Companies Act, 2013 is placed in the Annual Report. The reply to the comments of the Secretarial Auditor's report are placed as **Annexure 'D'** to the Board Report.

17. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION:

Corporation is not carrying on any manufacturing activity. Accordingly, the issue pertaining to Technology absorption does not apply to Corporation.

18. CONTINGENT ASSETS:

Interest receivable from the parties under legal proceedings is Rs. 0.65 crore (Previous year - Rs. 0.63 crore).

19. FOREIGN EXCHANGE EARNING AND OUTGO:

Corporation is not dealing in foreign exchange, as it is not carrying on any import/ export activity.

20. RISK MANAGEMENT POLICY:

Corporation is not dealing in foreign exchange. Further, the surplus funds, if any, are invested in short term deposits with the banks, which include mainly public sector banks. Thus, there is no financial risk.

21. INFORMATION UNDER SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION & REDRESSAL) ACT, 2013.

No case of Sexual Harassment at work place was reported in the last financial year. The company has an Internal Complaint Committee where women employees can register their complaints against sexual harassment.

22. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

कम्पनी सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसरण में जारी सरकारी अनुदेशों का अनुसरण कर रही है, और अधिनियम के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी नामित किए हैं। समस्त प्रासंगिक सूचना कम्पनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

23. नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

एक उत्तरदयी नैगमिक नागरिक होने के नाते, आपकी कम्पनी हथकरघा बुनकरों के समुदाय पर प्रमुख फोकस के साथ समुदाय के कल्याण और सतत् विकास के लिए सामाजिक रूप से उपयोगी कार्यक्रम चलाने के लिए प्रतिबद्ध है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों और डीपीई के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशकों की नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति विद्यमान है। सीएसआर समिति की संरचना और संदर्भ शर्तें नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी प्रतिवेदन में उपलब्ध कराई गई हैं, जो वार्षिक प्रतिवेदन के भाग को निर्मित करती हैं। सीएसआर समिति ने एक सीएसआर नीति निरूपित करके बोर्ड को अनुशंसित की है, जिसमें समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा चलाई जाने वाली सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों को रेखांकित किया गया है। सीएसआर नीति कम्पनी की वेबसाइट nhdc.org.in पर उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए सीएसआर पर वार्षिक प्रतिवेदन बोर्ड के प्रतिवेदन के साथ **अनुलग्नक 'ङ'** के रूप में संलग्न हैं।

24. वार्षिक विवरणी का उद्धरणः

प्रपत्र एमजीटी–9 में वार्षिक विवरणी का उद्धरण एतद्सहित **अनुलग्नक–'च'** के रूप में संलग्न है।

25. निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरणः

कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के दृष्टिगत, आपके निदेशक एतद्सहित घोषित करते हैं किः–

(i) वार्षिक लेखों की तैयारी में, महत्वपूर्ण विचलनों से संबंधित उपयुक्त स्पष्टीकरण के साथ साथ लागू लेखाकरण मानदंडों का अनुसरण किया गया था।

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियां चुनी हैं और उन्हें निरंतर लागू किया है और उन पर निर्णय और प्राक्कलन किए हैं जो दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष वित्तीय वर्ष के अंत में निगम के मामलों की दशा और उस अवधि के लिए निगम के लाभों का सत्य और स्पष्ट अवलोकन प्रदान करती हैं।

(iii) निदेशकों ने निगम की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करने और किसी धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और उनका निवारण करने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए उपयुक्त और पर्याप्त ध्यान रखा है।

(iv) निदेशकों ने चालू कम्पनी के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए थे और

(v) निदेशकों ने सभी प्रयोज्य कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियां तैयार की हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी रूप से काम कर रही थीं।

26. प्रकटीकरण

आपके निदेशकों ने उल्लेख किया है कि निम्नलिखित मामलों के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है, क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इनके संबंध में कोई संव्यवहार/घटनाएं नहीं थींः

22. RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

The Company follows Government instruction issued in pursuance of Right to Information Act, 2005, and has designated Public Information Officer and Appellate Authority under the Act. All relevant information has been hosted on the Company's website also.

23. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR):

As a responsible corporate citizen, your Company is committed to undertake socially useful programmes for welfare and sustainable development of the community with its major focus on the community of handloom weavers. The Company has in place the Corporate Social Responsibility (CSR) Committee of Directors in terms of Section 135 of the Companies Act, 2013 and revised DPE guidelines. The composition and terms of reference of the CSR Committee are provided in the Report on Corporate Governance, which forms part of the Annual Report. The CSR Committee has formulated and recommended to the Board, a CSR Policy outlining CSR projects/activities to be undertaken by the Company during the year under review. The CSR Policy is available on the Company's website *www.nhdc.org.in*.

The Annual Report on CSR for FY 2017-18 is annexed to the Board's Report at **Annexure 'E'**.

24. EXTRACT OF ANNUAL RETURN:

Extract of the Annual Return in Form MGT-9 is annexed herewith as **Annexure 'F'**.

25. DIRECTOR'S RESPONSIBILITY STATEMENT:

In view of provisions of the Companies Act, 2013, your Directors hereby declare that:-

(i) In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures.

(ii) The directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Corporation at the end of the financial year ended March, 31, 2018 and of the profits of the Corporation for that period.

(iii) The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the Corporation and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

(iv) The directors had prepared the annual accounts on a going concern basis and

(v) The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

26. DISCLOSURES

Your Directors state that no disclosure is required in respect of the following matters, as there were no transactions/ events in relation thereto, during the year under review:

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V के अंतर्गत आने वाली जमा राशियों से संबंधित ब्यौरा।

(ii) विशेष अधिकारों, यथा लाभांश, मताधिकार या अन्यथा के साथ इक्विटी शेयर जारी किया जाना।

(iii) कम्पनी की किसी भी योजना के अंतर्गत कम्पनी के कर्मचारियों को शेयर जारी करना (स्वैट इक्विटी शेयरों सहित)

(iv) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी की शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

(v) कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सामान्य रिजर्व में कोई राशि अंतरित नहीं की है।

(vi) वित्तीय वर्ष 2017–18 के अंत के बाद और इस प्रतिवेदन की तारीख तक कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन/प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं जिनसे आपकी कम्पनी की वित्तीय स्थिति प्रभावित होती हो। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए 6.52 करोड़ रुपए की वेतन बकायों के लिए प्रावधान किया गया है जो चालू वित्तीय वर्ष में देय होगा।

(vii) विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई उल्लेखनीय या महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किए गए हैं जिनसे 'चालू कम्पनी स्थिति' और भविष्य में कम्पनी के प्रचालन प्रभावित होते हों।

(viii) आपकी कम्पनी में वित्तीय विवरणिकाओं के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियां मौजूद हैं। वर्ष के दौरान, ऐसे नियंत्रणों का परीक्षण किया गया और आरेखन या प्रचालनों में कोई प्रतिवेदन योग्य महत्वपूर्ण दुर्बलता नहीं पाई गई।

(ix) निगम की कोई धारक या सहायक कम्पनी नहीं है, अतएव धारक/अनुषंगी कम्पनी की ओर से प्रबंधक निदेशक के लिए पारिश्रमिक लागू नहीं होता।

(x) निगम की कोई धारक या सहायक कम्पनी नहीं है, अतएव लेखों के समेकन संबंधी प्रावधान लागू नहीं होते।

(xi) लेखा परीक्षकों द्वारा उनके प्रतिवेदन में किसी प्रकार की धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई है।

(xii) निगम ने कोई ऋण या गारंटी प्रदान नहीं की है।

(xiii) निगम ने कोई संबद्ध पक्षकार संव्यवहार आरंभ नहीं किया है।

(xiv) निगम के चालू कम्पनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(xv) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 5 जुलाई, 2015 की अधिसूचना संख्या 1/2/2014–सीएल.वी द्वारा, सरकारी कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ङ) और (त) के अंतर्गत सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्रदान की है।

27. अभिस्वीकृति :

आपका बोर्ड निगम के कार्यकलापों और संचालनों में वस्त्र मन्त्रालय, हथकरघा विकास आयुक्तों का कार्यालय, भारत सरकार तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों के अन्य मन्त्रालयों और विभागों द्वारा दिए गए उनके सहयोग एवं दिशानिर्देशों के लिए उनका आभारी है।

आपके निदेशक भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक, लेखा परीक्षा बोर्ड के सदस्यों, सांविधिक एवं शाखा लेखा परीक्षकों तथा बैंकरों का उनके द्वारा दी गई सहायता, सहयोग एवं दिशानिर्देश के लिए उनके आभारी हैं।

(i) Details relating to deposits covered under Chapter V of the Companies Act, 2013.

(ii) Issue of equity shares with differential rights as to dividend, voting or otherwise.

(iii) Issue of shares (including sweat equity shares) to employees of the Company under any scheme of the Company.

(iv) There was no change in the share capital of the Company during the year under review.

(v) The Company has not transferred any amount to the General Reserve during the year under review.

(vi) No material changes/commitments have occurred after the end of the financial year 2017-18 and till the date of this report which would affect the financial position of your Company. Further, provision for salary arrears amounting to Rs. 6.52 crores have been made for FY 2017-18 which shall be payable in current financial year.

(vii) No significant or material orders were passed by the Regulators or Courts or Tribunals which impact the 'going concern status' and Company's operations in future.

(viii) Your Company has in place, adequate internal financial controls with reference to the financial statements. During the year, such controls were tested and no reportable material weakness in the design or operations were observed.

(ix) Corporation has no Holding or Subsidiary Company hence remuneration to Managing Director from Holding/Subsidiary Company is not applicable.

(x) Corporation has no Holding/subsidiary Company hence provisions regarding consolidation of accounts are not applicable.

(xi) No frauds were reported by the Auditors in their report.

(xii) Corporation has not given any loans or Guarantee

(xiii) Corporation has not undertaken any Related party Transaction

(xiv) There is no change in going concern status of the Corporation.

(xv) Vide notification F.No.1/2/2014-CL.V dated 05th June, 2015, Ministry of Corporate Affairs, Government of India, has exempted Government companies from disclosure of information under section 134(3)(e) and (p) of the Companies Act,2013.

27. ACKNOWLEDGMENT:

Your Board is thankful to the Ministry of Textiles, Office of Development Commissioner for Handlooms, Government of India and other Ministries and departments in Central and State governments for their support and guidance given to the Corporation in carrying out its activities and operations.

Your Directors are grateful to the Comptroller & Auditor General of India, Members of Audit, Board, Statutory and Branch Auditors and Bankers for their help, cooperation and guidance.

आपका बोर्ड विभिन्न प्रयोक्ता एजेंसियों/अन्य सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा संगठन में उनके सहयोग एवं विश्वास व्यक्त करने के लिए उनका आभारी है और भविष्य में आपसी सहयोगी सम्बन्ध के आधार पर आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

आपके निदेशक सभी कताई मिलों तथा रंग एवं रसायन तथा वस्त्र विनिर्मिताओं से प्रत्यक्ष तथा साथ ही उनके संगठनों के जरिए प्राप्त सतत् सहयोग के लिए स्पष्ट रूप से उनकी प्रशंसा करना चाहते हैं। आपका बोर्ड रा.ह.वि.नि. परिवार का भी उनके उत्साह, समर्पित कार्य एवं सहयोग के लिए हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता है तथा उनकी लगातार सहभागिता के लिए आशान्वित है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ह/–
(संजय रस्तोगी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 07722405

दिनांकः 25 सितम्बर 2018
स्थानः ग्रेटर नोएडा

Your Board expresses sincere gratitude to the various user agencies/ other concerned agencies for their support and confidence reposed in the organization and looks forward to mutually rewarding relationship in future.

Your Directors wish to place on record their appreciation for the continued co-operation received from all the Spinning Mills and Manufacturers of dyes & chemicals and fabrics directly as also through their organised set-ups. Your Board also wishes to record its deep gratitude to all the members of NHDC family for their enthusiasm, dedicated work and cooperation and look for their continuous involvement.

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-

Dated: 25.09.2018
Place: Greater Noida

(Sanjay Rastogi)
Chairman cum Managing Director
DIN: 07722405

अनुलग्नक क

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक
नैगमिक अभिशासन पर प्रतिवेदन

(क) नैगमिक अभिशासन पर कम्पनी का दर्शन :

नैगमिक अभिशासन पर रा.ह.वि.नि. के दर्शन में नीतिपरक व्यवसाय आचरण और संचालन के सभी पहलुओं व शेयरधारकों, कर्मचारियों, बैंकरों, लेखा परीक्षकों एवं सरकार सहित अपने सभी हितधारकों के साथ परस्पर क्रियाओं में उच्चतम स्तर की पारदर्शिता, जवाबदेही व इक्विटी की प्राप्ति की परिकल्पना की गयी है। निगम हितधारकों के दीर्घकालिक मूल्यों में अभिवृद्धि करने और नैगमिक अभिशासन के अच्छे मानकों को बनाए रखने के लिए नैगमिक अभिशासन के उच्चतम स्तर के मानकों की प्राप्ति हेतु लगातार प्रयास कर रहा है। व्यावसायिकता और जवाबदेही प्रदान करने के लिए निगम का सुस्थापित, पारदर्शी और निष्पक्ष प्रशासनिक तन्त्र है।

(ख) निदेशक मंडल

निगम के बोर्ड के एक स्वन्तत्र निदेशक की नियुक्ति के मामले को छोड़कर सुस्थापित संरचना है जिसके लिए उन्हें बोर्ड में शामिल करने हेतु प्रशासनिक मन्त्रालय से अनुरोध किया गया है। इस 31 मार्च 2018 कि स्थिति के अनुसार बोर्ड में चार सदस्य हैं जिसमें से दो भारत सरकार के नामित (अध्यक्ष को शामिल करके), एक अशासकीय स्वतन्त्र महिला निदेशक तथा एक कार्यशील निदेशक (अर्थात प्रबन्ध निदेशक) हैं। बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा निगम संघ के अनुच्छेदों के अनुच्छेद 94 के अनुसार की जाती है।

दिनांक 31 मार्च, 2018 को निदेशक मंडल की संरचना और संबंधित सूचना निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम और श्रेणी	बोर्ड की बैठकों की संख्या उपस्थिति सहित	पिछली एजीएम में उपस्थिति	दिनांक 31.03.2018 को बाहरी निदेशकों की संख्या
सरकारी निदेशकः			
क. श्री संजय रस्तोगी, अध्यक्ष–एनएचडीसी / विकास आयुक्त (हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय डीआईएन संख्या 07722405 **(4 दिसम्बर, 2017 से)**	2/2	लागू नहीं	-
ख. श्री शांतमनु*, अध्यक्ष–एनएचडीसी / विकास आयुक्त (हस्तशिल्प और हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय, डीआईएन सं. 06640820 **(18 मई, 2017 से 4 दिसम्बर, 2017)**	2/2	हां	लागू नहीं
ग श्री ए.के. शर्मा, उप सचिव, समेकित वित्त प्रभाग, वस्त्र मंत्रालय, डीआईएन नं. 06471388 **(18 दिसम्बर, 2017 से)**	2/2	लागू नहीं	-

Annexure A

ANNEXURE TO DIRECTORS' REPORT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(a) COMPANY'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE:

NHDC's philosophy on Corporate Governance envisages ethical business conduct and attainment of highest level of transparency, accountability and equity in all facets of operations and all its interactions with its stakeholders including shareholders, employees, bankers, auditors and the Government. The Corporation constantly endeavours to achieve the highest levels of standards of corporate governance in order to enhance the long term stakeholders' value and maintain good standards of Corporate Governance. Corporation has well established, transparent and fair administrative set up to provide for professionalism and accountability.

(b) BOARD OF DIRECTORS:

The Board of the Corporation is well structured except the appointment of one independent director, for which, request has been made to the Administrative Ministry. As on 31st March, 2018 the Board of Directors consisted of 4 members, of whom, two are the nominee of the Government of India (including Chairman) and 01 is Non-Official Independent Woman Director and one is the Functional Director (i.e. Managing Director). The Directors on the Board are appointed by the Government of India in terms of Article 94 of the Articles of Association of the Corporation.

Constitution of Board of Directors and the related information as on 31st March, 2018 is as follows:

Name & category of the Director	No. of Board meetings with attendance	Attendance in last AGM	No. of outside Directorships as on 31.03.2018
Government Director:			
a. Shri Sanjay Rastogi, Chairman-NHDC/ Development Commissioner (Handlooms), Ministry of Textiles, DIN No. 07722405 **(From 4th December, 2017 onwards)**	2/2	N.A.	-
b. Shri Shantmanu*, Chairman-NHDC/ Development Commissioner (Handicraft & Handlooms), Ministry of Textiles, DIN No.06640820 **(From 18th May, 2017 to 4th December, 2017)**	2/2	Yes	N.A.
c. Shri A.K. Sharma, Dy. Secretary, Integrated Finance Wing, Ministry of Textiles, DIN No. 06471388 **(From 18th December, 2017 onwards)**	2/2	N.A.	-

घ श्री आर वी एस मणि@, उप सचिव, समेकित वित्त प्रभाग, वस्त्र मंत्रालय, डीआईएन 06982441 **(02 सितम्बर, 2014 से 18 दिसम्बर, 2017)**	2/2	हां	लागू नहीं
कार्यकारी निदेशक:			
ङ श्री सर्वपल्ली श्रीनिवास, प्रबंध निदेशक डीआईएन 02292051 **(01 मई, 2013 से 8 जून, 2018)**	4/4	हां	नेशनल टैक्सटाईल कॉरपोरेशन
गैर सरकारी स्वतंत्र सदस्य:			
च. श्रीमती शिखा रॉय पब्बी अशासकीय स्वतंत्र महिला निदेशक, डीआईएन 07764529 **(1 फरवरी, 2017 से)**	4/4	हां	-

**श्री शांतमनु दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 से निगम के अध्यक्ष नहीं हैं और उनके स्थान पर श्री संजय रस्तोगी को निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके बाद श्री शांतमनु ने 18 मई, 2017 से श्री अशोक कुमार से निगम के अध्यक्ष का प्रभार लिया।*

@श्री आरवीएस मणि का निगम के निदेशक पद का कार्यकाल 18 दिसम्बर, 2017 को समाप्त हो गया ओर उनके स्थान पर श्री ए के शर्मा को निगम का निदेशक नियुक्त किया गया।

निगम के बोर्ड की वर्ष 2017–18 के दौरान नियमित अंतराल पर 04 बार बैठकें (25 जुलाई, 2017, 6 सितम्बर, 2017, 27 दिसम्बर, 2017 और 22 मार्च, 2018) को हुईं और डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित समस्त सूचना बोर्ड के समक्ष रखी गई थी।

बोर्ड में निदेशकों का संक्षिप्त विवरण:

i) **श्री संजय रस्तोगी:** (51 वर्ष) ओडिशा कैडर के 1991 बैच के आईएएस है। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक और आईआईटी–दिल्ली से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में एम. टेक हैं। उन्होंने अन्य पदों के अतिरिक्त सीएमडी, ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम, प्रधान सचिव – वाणिज्य और परिवहन, सीएमडी, ओडिशा दुग्ध संघ (ओएमएफईडी), सीवीओ – परियोजना उपकरण निगम लिमिटेड (पीईसी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जोनल संयुक्त महानिदेशक, डीजीएफटी और निर्यात आयुक्त, वाणिज्य मंत्रालय के रूप में सेवा प्रदान की है। इन्होंने दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 से वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार में हथकरघा विकास आयुक्त और राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के पदेन अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था। इन्हें दिनांक 19 जून, 2018 से निगम के प्रबंध निदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

ii) **श्री ए के शर्मा:** (59 वर्ष) उप सचिव, भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के समेकित वित्त प्रभाग से जुड़े हुए हैं। वह 18 दिसम्बर, 2012 से 05 जून, 2014 और फिर 18 दिसम्बर, 2017 को नामांकित निदेशक के रूप में निगम में आए। ये वाणिज्य स्नातक हैं और केंद्रीय सचिवालयी सेवा (सीएसएस) अधिकारी हैं। ये सितम्बर 1984 में गृह मंत्रालय में केंद्रीय सचिवालयी सेवा से जुड़े।

नवम्बर, 2012 में उप सचिव के रूप में वस्त्र मंत्रालय से जुड़ने से पूर्व, इन्होंने प्रधान मंत्री कार्यालय (9 वर्ष से अधिक), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (6 वर्ष से अधिक), गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय (7 वर्ष से अधिक) में काम किया है। इन्होंने अधिकांशतः स्थापना / कार्मिक, संसदीय और वित्त मामलों पर काम किया है।

d. Shri R V S Mani@, Dy. Secretary, Integrated Finance Wing, Ministry of Textiles, DIN No. 06982441 **(From 02nd September, 2014 to 18th December, 2017)**	2/2	Yes	N.A.
Functional Director:			
e. Shri Sarvepalli Srinivas, Managing Director DIN No.02292051 **(From 01st May, 2013 to 8th June, 2018)**	4/4	Yes	National Textile Corporation
Non Official Independent Director:			
f. Smt. Shikha Roy Pabbi Non-official Independent Woman Director, DIN No. 07764529 **(From 1st February, 2017 onwards)**	4/4	Yes	-

**Shri Shantmanu ceased to be the Chairman of the Corporation with effect from 04th December, 2017 and in his place Shri Sanjay Rastogi was appointed as Chairman of the Corporation. Further Shri Shantamanu took the charge of Chairman of the Corporation from Shri Alok Kumar on 18th May, 2017.*

@Shri RVS Mani ceased to be the Director of the Corporation with effect from 18th December, 2017 and in his place Shri A. K. Sharma was appointed as Director of the Corporation.

The Board of the Corporation met 04 times during the year 2017-18 at regular intervals (25th July 2017, 6th September 2017,27th December, 2017 & 22nd March, 2018) and all the information required in accordance with DPE guidelines were placed before the Board.

Brief resume of the Directors on the Board:

i.) **Shri Sanjay Rastogi:** (51 Years) is an IAS of 1991 batch of Odisha cadre. He is B.Tech in Electrical Engineering and M Tech in Electronics & Communication, IIT – Delhi. He had served as CMD, Odisha State Road Transport Corporation, Principal Secretary – Commerce & Transport, CMD, Orissa Milk Federation (OMFED),CVO – Projects Equipment's Corporation Limited (PEC), Ministry of Commerce & Industry, Zonal Jt. DG, DGFT & Export Commissioner, Ministry of Commerce amongst others. He had joined as Development Commissioner for Handlooms in Ministry of Textiles, Government of India and as ex-officio Chairman in National Handloom Development Corporation Ltd., w.e.f. 04th December, 2017. He was entrusted the additional charge of Managing Director of the Corporation w.e.f. 19th June, 2018.

ii) **Shri A. K. Sharma:** (59 years)is Deputy Secretary and is associated with Integrated Finance Wing of the Ministry of Textiles, Government of India. He joined the Corporation as a Nominee Director on 18th December, 2012, on 05th June, 2014 and then on 18th December, 2017. He is a Commerce Graduate and is a Central Secretariat Service (CSS) Officer. He joined Central Secretariat Service in September, 1984 in the Ministry of Home Affairs.

Before joining in Ministry of Textiles as Deputy Secretary in November, 2012, he has worked in Prime Minister's Office (for over 9 years), Department of Personnel and Training (over 6 years), Ministry of Home Affairs, Ministry of Health and Ministry of Finance (over 7 years). He has mostly dealt in Establishment/ Personnel, Parliament and Finance matter.

(iii) श्रीमती शिखा रॉय पब्बीः (54 वर्ष), एक विधि स्नातक हैं और अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर हैं। इन्होंने वकालत करने से पूर्व एक विश्वविद्यालय के कॉलेज में अंग्रेजी की प्राचार्या के रूप में पदभार ग्रहण किया। ये पिछले 27 वर्ष से अधिक समय से उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी प्रेक्टिस कर रही हैं।

ये वर्ष 2000 से 2002 तक ऑल इंडिया फिल्म सर्टिफिकेट एपीलेट ट्रिब्यूनल (एफसीएटी) की विधिक सदस्य थीं। दो दशक से अधिक के अपने कानूनी कॅरियर के दौरान इन्होंने मूल और अपीलीय न्यायाधिकार क्षेत्र पर विधि की अनेक शाखाओं से बड़ी संख्या में मामलों पर काम किया है।

(ग) लेखा परीक्षा समितिः

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधान के अनुसार समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गईं। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के मार्ग निर्देशों में यथा प्रस्तावित नैगमिक अभिशासन को लेखा समिति की 8 दिसम्बर, 2010 को आयोजित 23वीं बैठक में लेखा समिति के विचारार्थ विषय में नोट किया गया। लेखा परीक्षा समिति के संघटन तथा सम्बन्धित सूचनायें निम्नलिखित हैं

नाम / श्रेणी	लेखा परीक्षा समिति में स्थिति	वर्ष के दौरान उपस्थिति सहित बैठकों की संख्या
श्री संजय रस्तोगी सरकारी निदेशक (04 दिसम्बर, 2017) प्रबंध निदेशक–एनएचडीसी (19 जून, 2018 से)	अध्यक्ष	2/2
श्री शांतमनु* सरकारी निदेशक (18 मई, 2017 – 04 दिसम्बर, 2017)	अध्यक्ष	3/3
श्री आर वी एस मणि@ सरकारी निदेशक 02 सितम्बर, 2014–18 दिसम्बर, 2017)	सदस्य	3/3
श्री ए के शर्मा, कार्यकारी निदेशक (18 दिसम्बर, 2017 से)	सदस्य	2/2
श्री सर्वपल्ली श्रीनिवास कार्यकारी निदेशक (01 मई, 2013 – 08 जून, 2018)	सदस्य	5/5
श्रीमती शिखा रॉय पब्बी अशासकीय स्वतंत्र महिला निदेशक (01 फरवरी, 2017 से)	सदस्य	5/5

लेखा परीक्षा समिति की बैठकें वर्ष 2017–18 के दौरान नियमित अंतराल पर 5 बार हुईं (25 जुलाई 2017, 06 सितम्बर 2017, 25 सितम्बर 2017, 27 दिसम्बर 2017 और 22 मार्च 2018).

** श्री शांतमनु 04 दिसम्बर, 2017 से समिति के अध्यक्ष नहीं है और उनके स्थान पर श्री संजय रस्तोगी (डीआईएन 07722405) को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। श्री शांतमनु को 18 मई, 2017 से श्री आलोक कुमार के स्थान पर लेखा परीक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।*

@ श्री आर वी एस मणि 18 दिसम्बर, 2017 से समिति के सदस्य नहीं हैं और उनके स्थान पर श्री ए के शर्मा (डीआईएन 06471388) को लेखा परीक्षा समिति का सदस्य नियुक्त किया गया।

(iii) **Mrs. Shikha Roy Pabbi :** (54 years), is a law graduate and post graduate in English Literature. She joined as Lecturer in English at a University College prior to joining the Bar. She is practicing Law for the last 27 years before the High Court and Supreme Court of India.

She was the Judicial Member of the All India Film Certificate Appellate Tribunal (FCAT) from the year 2000 to 2002. During her law career over two decades she has handled a large number of cases from various branches of law on the original and appellate jurisdiction.

(c) AUDIT COMMITTEE:

In accordance with the provisions of section 177 of the Companies Act 2013, the meetings of Audit Committee were held during the year under review. The terms of reference of the Audit Committee, as proposed in the DPE guidelines on Corporate Governance for CPSEs was noted by the Audit Committee in its 23rd meeting held on 08th December, 2010. The composition of Audit Committee as on 31st March 2018 and the related information is placed herein below:

Name/ category	Position in Audit Committee	No. of meetings with attendance during the year
Shri Sanjay Rastogi Government Director (w.e.f. 04th December, 2017) Chairman cum Managing Director - NHDC (w.e.f. 19th June, 2018)	Chairman	2/2
Shri Shantmanu* Government Director (w.e.f. 18th May, 2017 – 04th December, 2017)	Chairman	3/3
Shri R V S Mani@ Government Director w.e.f. 02nd September, 2014-18th December, 2017)	Member	3/3
Shri A. K. Sharma Government Director (w.e.f. 18th December, 2017)	Member	2/2
Shri Sarvepalli Srinivas Functional Director (w.e.f. 01st May, 2013 - 08th June, 2018)	Member	5/5
Smt. Shikha Roy Pabbi Non official Independent Woman Director (w.e.f. 01st February, 2017)	Member	5/5

The Audit Committee met 5 times during the year 2017-18 at regular intervals (25th July, 2017, 06th September 2017, 25th September 2017, 27th December, 2017 and 22nd March, 2018).

** Shri Shantmanu ceased to be the Chairman of the Committee with effect from 04th December, 2017 and in his place Shri Sanjay Rastogi (DIN 07722405) was appointed as Chairman. Shri Shantmanu was appointed Chairman of the Audit Committee in place of Shri Alok Kumar w.e.f. 18th May, 2017*

@Shri R .V. S. Mani ceased to be the Member of the Committee with effect from 18th December, 2017 and in his place Shri A. K. Sharma (DIN 06471388) was appointed as Member of the Audit committee.

(घ) पारिश्रमिक समितिः

नैगमिक मन्त्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 1/2/2014–सीएलवी, दिनांक 5 जून, 2015 के तहत सरकारी कम्पनियों के वरिष्ठ प्रबन्धन और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के मामलों को छोड़कर पारिश्रमिक समिति सम्बन्धी कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 की उपधाराओं (2), (3) और (4) के प्रावधानों से छूट प्रदान की है।

इसके उपरान्त निगम एक ऐसा संगठन है जो सामाजिक उद्देश्यों के लिए काम करता है, उसका अंशदान इतना अल्प है कि उससे वह केवल ऊपरी खर्चों को ही पूरा कर पाता है। वह अपने कर्मियों को निष्पादन संबंधी भुगतान (पी आर पी) करने में सक्षम नहीं है। साथ ही कर्मियों की संख्या भी अल्प है (31 मार्च, 2018 को 202 कर्मी हैं)।

उपर्युक्त के मद्देनजर, अलग पारिश्रमिक समिति की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गयी है और पारिश्रमिक से सम्बन्धित अन्य मामले, यदि होते हैं, तो निदेशक मण्डल को सीधे प्रस्तुत किए जाते हैं।

(ङ) नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समितिः

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की अपेक्षाओं और डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल ने एक सीएसआर समिति का गठन किया है। सीएसआर समिति की संदर्भ शर्तों में, अन्य बातों के साथ–साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 7 के अंतर्गत कम्पनी द्वारा चलाई जाने वाली गतिविधियों को इंगित करने वाली सीएसआर नीति का निरूपण; बोर्ड को सीएसआर नीति और सीएसआर गतिविधियों पर व्यय की राशि की सस्तुंति करना; और समय समय पर कम्पनी की सीएसआर नीति की निगरानी करना शामिल है। 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की दो बैठकें 25 जुलाई, 2017 और 22 मार्च, 2018 को आयोजित की गई। सीएसआर समिति की संरचना, आयोजित बैठकों की तारीख और उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

नाम/श्रेणी	सीएसआर समिति में स्थिति	वर्ष के दौरान उपस्थिति सहित बैठकों की संख्या
श्री संजय रस्तोगी सरकारी निदेशक (अध्यक्ष 04 दिसम्बर, 2017 से) प्रबंध निदेशक – एनएचडीसी (19 जून, 2018 से)	अध्यक्ष	1/1
श्री शांतमनु* सरकारी निदेशक (18 मई, 2017 – 04 दिसम्बर, 2017)	अध्यक्ष	1/1
श्री आर वी एस मणि@ सरकारी निदेशक (02 सितम्बर, 2014 – 18 दिसम्बर, 2017)	सदस्य	1/1

(d) REMUNERATION COMMITTEE:

Vide notification no.1/2/2014-CL.V dated 05th June, 2015, Ministry of Corporate Affairs, Government of India, has exempted Government Companies from provisions of sub-sections (2), (3) and (4) of Section 178 of the Companies Act, 2013 pertaining to Remuneration Committee, except with regard to appointment of senior management and other employees.

Further, the Corporation is an organization with social objectives having very thin profit margin just sufficient to meet its overheads, hence it is unable to pay the Performance Related Payment (PRP) to its employees. Besides, the number of employees in the Corporation is also small (i.e. 202 as on 31st March, 2018). In view of above, no need has been felt to have a separate remuneration committee and the other matters relating to remuneration, if any, are placed directly to the Board of Directors.

(e) CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) COMMITTEE:

CSR Committee of the Board of Directors has been constituted in accordance with the requirements of Section 135 of Companies Act, 2013 and the DPE guidelines. The terms of reference of the CSR Committee, inter-alia, include formulation of CSR Policy indicating the activities to be undertaken by the Company covered under Schedule VII of the Companies Act, 2013 ; recommending to the Board, the CSR Policy & amount of expenditure on CSR activities; and to monitor the CSR Policy of the Company from time to time. During the financial year ended on 31st March, 2018 two meetings of the CSR Committee were held on 25th July, 2017 and 22nd March, 2018 . The composition of CSR Committee, date on which meetings were held and attendance of the Directors at the said meetings was as follows:

Name/ category	Position in CSR Committee	No. of meetings with attendance during the year
Shri Sanjay Rastogi Government Director (Chairman w.e.f. 04th December, 2017) Managing Director - NHDC (w.e.f. 19th June, 2018)	Chairman	1/1
Shri Shantmanu* Government Director (w.e.f. 18th May, 2017 – 04th December, 2017)	Chairman	1/1
Shri R V S Mani@ Government Director w.e.f. 02nd September, 2014-18th December, 2017)	Member	1/1

नाम / श्रेणी	सीएसआर समिति में स्थिति	वर्ष के दौरान उपस्थिति सहित बैठकों की संख्या
श्री ए.के. शर्मा, सरकारी निदेशक (18 दिसम्बर, 2017 से)	सदस्य	1/1
श्री सर्वपल्ली श्रीनिवास कार्यकारी निदेशक (01 मई, 2013 – 08 जून, 2018)	सदस्य	2/2
श्रीमती शिखा रॉय पब्बी अशासकीय स्वतंत्र महिला निदेशक (01 फरवरी, 2017 से)	सदस्य	2/2

** श्री शांतमनु की समिति की अध्यक्षता दिनांक 5 दिसम्बर, 2017 से समाप्त हो गई और उनके स्थान पर श्री संजय रस्तोगी (डीआईएन 07722405) को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। श्री शांतमनु को 18 मई, 2017 से श्री आलोक कुमार के स्थान पर सीएसआर समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।*

@श्री आर वी एस मणि की समिति की सदस्यता 18 दिसम्बर, 2017 से समाप्त हो गई और उनके स्थान पर श्री ए के शर्मा (डीआईएन 06471388) को सीएसआर समिति का सदस्य नियुक्त किया गया।

(च) सामान्य निकाय की बैठक:

पिछली 03 वार्षिक सामान्य सभाएं (एजीएम) निम्नानुसार आयोजित की गईं:

वित्तीय वर्ष के लिए एजीएम	एजीएम की तारीख और समय	एजीएम का स्थल
2016-17	26 सितम्बर, 2017 / 4.00 बजे अपराह्न (निगम के पंजीकृत कार्यालय को लखनऊ से ग्रेटर नोएडा ले जाने के लिए विशेष संकल्प (उसी राज्य के भीतर)	नैगमिक कार्यालय, ग्रेटर नोएडा
2015-16	30 सितम्बर, 2016 / 12.00 बजे दोपहर	पंजीकृत कार्यालय, लखनऊ
2014-15	24 नवम्बर, 2015 / 12.00 बजे दोपहर	पंजीकृत कार्यालय, लखनऊ

(छ) प्रकटीकरण:

(i) कार्यकारी निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रु. लाख में)

कार्यकारी निदेशक का नाम	सकल वेतन	अनुलाभ	कुल योग
श्री सर्वपल्ली श्रीनिवास (प्रबंध निदेशक)	26.66	3.25	29.91

Name/ category	Position in CSR Committee	No. of meetings with attendance during the year
Shri A. K. Sharma, Government Director (w.e.f. 18th December, 2017)	Member	1/1
Shri Sarvepalli Srinivas Functional Director (w.e.f. 01st May, 2013 - 08th June, 2018)	Member	2/2
Smt. Shikha Roy Pabbi Non official Independent Woman Director (w.e.f. 01st February, 2017)	Member	2/2

** Shri Shantmanu ceased to be the Chairman of the Committee with effect from 04th December, 2017 and in his place Shri Sanjay Rastogi (DIN 07722405) was appointed as Chairman. Shri Shantmanu was appointed Chairman of the CSR Committee in place of Shri Alok Kumar w.e.f. 18th May, 2017*

@Shri R V S Mani ceased to be the Member of the Committee with effect from 18th December, 2017 and in his place Shri A. K. Sharma (DIN 06471388) was appointed as Member of the CSR committee.

(f) GENERAL BODY MEETING:

The last 03 Annual General Meetings (AGMs) were held as under:

AGM for the FY	Date & time of AGM	Venue of the AGM
2016-17	26thSeptember, 2017/ 4.00 P.M. (Special Resolution for shifting of Registered office of the Corporation from Lucknow to Greater Noida (within the same State)	Corporate Office, Greater Noida
2015-16	30thSeptember, 2016/ 12.00 Noon	Registered Office, Lucknow
2014-15	24th November, 2015/ 12.00 Noon	Registered Office, Lucknow

g. DISCLOSURES:

(i) Details of remuneration paid to the Functional Director are as under:

(Rs. in Lacs)

Name of Functional Director	Gross salary	Perquisites	Total
Shri Sarvepalli Srinivas (Managing Director)	26.66	3.25	29.91

(ii) वर्ष के दौरान, श्रीमती शिखा रॉय पब्बी को बोर्ड और समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए 85,000 रुपए का उपस्थिति शुल्क का भुगतान किया गया।

(iii) वर्ष के दौरान, कोई संबद्ध पक्षकार संव्यवहार नहीं हुआ।

(iv) वर्ष के दौरान, पुनः पुष्टि की जाती है कि किसी भी सांविधिक निकाय द्वारा कोई जुर्माना नहीं लगाया गया।

(v) निगम में एक बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित एक व्हिसलब्लोअर नीति है, जिसे निगम के सभी कर्मचारियों को परिचालित किया गया है और यह निगम की वेबसाइट www.nhdc.org.in पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, विधिपूर्वक पुष्टि की जाती है कि किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति में पहुॅंचने से मना नहीं किया गया।

(v) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को छोड़कर, जिसके लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रशासनिक मंत्रालय को एक अनुरोध भेजा जा चुका है, निगम सीपीएसईज के लिए नैगामिक अभिशासन संबंधी सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर रहा है। जहां तक पारिश्रमिक समिति का संबंध है, इस बारे में ऊपर स्पष्टीकरण दिया जा चुका है।

(vi) भारत सरकार द्वारा जारी अध्यक्षीय दिशानिर्देशों का समीक्षाधीन वर्ष और पिछले 3 वर्ष के दौरान भी निगम द्वारा अनुपालन किया गया है।

(vii) वर्ष के दौरान, लेखा पुस्तिकाओं में कोई व्यय नामे खाते नहीं डाला गया था जो कारोबार के उद्देश्य से नहीं है।

(viii) वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल और सर्वोच्च प्रबंधन के लिए ऐसा कोई व्यय नहीं किया गया जो व्यक्तिगत प्रकृति का हो।

(ix) प्रशासनिक और कार्यालय व्यय, जो पिछले वर्ष कुल व्यय का 27.14% था, इस वर्ष के दौरान कुल व्यय का 25.03% है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय व्यय नाममात्र के हैं, क्योंकि निगम एक ऋणमुक्त निगम है।

(ज) संचार के उपाय:

निगम की सम्पूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी भारत सरकार द्वारा धारित है। निगम के वार्षिक लेखों सहित वार्षिक प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजा जाता है और निगम की वेबसाइट www.nhdc.org.in पर भी डाला गया है। वार्षिक लेखे कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भी प्रस्तुत किए गए हैं।

(झ) लेखा परीक्षा योग्यताएं:

कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। वित्तीय वर्ष 2018 के लिए सचिवालयी लेखा परीक्षक और सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियों का निदेशक मंडल द्वारा विधिवत उत्तर दिया जाता है और इसे बोर्ड के प्रतिवेदन का अनुलग्नक बनाया गया है। इसके अतिरिक्त 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कम्पनी अधीनियम की धारा 143(6) के अंतर्गत निगम की अनुपूरक लेखा परीक्षा न किए जाने का निर्णय लिया है।

(ञ) निदेशक मंडल का प्रशिक्षण:

निदेशकों के बोर्ड में शामिल होने पर निगम द्वारा दस्तावेजों की सूची को एक फोल्डर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें निगम की कार्यप्रणाली और निष्पादन के बारे में महत्वपूर्ण आंकड़े, बोर्ड के सदस्यों के लिए कारोबारी आचार एवं नैतिक संहिता, नैगमिक अभिशासन संबंधी दिशानिर्देश आदि शामिल होते हैं।

(ii) During the year, Smt. Shikha Roy Pabbi was paid sitting fees amounting to Rs. 85,000/- for attending Board and Committee meetings.

(iii) During the year, there was no related party transaction

(iv) During the year, It is reaffirmed that no penalty has been imposed by any of the statutory body.

(v) The Corporation has a Whistle Blower Policy duly approved by the Board, which has been circulated to all the employees of the Corporation and also placed on the website www.nhdc.org.in of the Corporation. Further, it is affirmed that no personnel has been denied access to the Audit Committee.

(v) The Corporation is complying with all the requirements of the Guidelines on Corporate Governance for CPSEs except the appointment of Independent Directors, for which a request has been sent to the Administrative Ministry for the needful. As regards, the Remuneration Committee, the same has been explained above.

(vi) The Presidential directives issued by the Government of India has been complied by the Corporation during the year and also during the last 3 years.

(vii) During the year, no expenditure has been debited in the books of accounts which are not for the purposes of business.

(viii) During the year, no expenses which are of personal nature have been incurred for the Board of Directors and top management.

(ix) Administrative and Office Expenses during the year is 25.03% of the total expenses as against 27.14% last year. Further, the Financial Expenses are negligible, since Corporation is a debt free Corporation.

(h) MEANS OF COMMUNICATION:

The entire paid up share capital of the Corporation is held by the Government of India. The Annual report including annual accounts of the Corporation are sent to the Government of India and also placed on the website www.nhdc.org.in of the Corporation. The annual accounts are also filed with the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

(i) AUDIT QUALIFICATIONS:

The Statutory Auditor of the Company is appointed by the Comptroller & Auditor General of India u/s 139 of the Companies Act, 2013. The Comments of the Secretarial Auditor and Statutory Auditor for FY 2017-18 have been duly replied by the Board of Directors and form annexure to the Board's Report. Further for the year ended 31st March, 2018 the Comptroller & Auditors General of India under section 143(6) of the Companies has decided not to go for supplementary audit of the Corporation.

(j) TRAINING TO BOARD OF DIRECTORS:

The Corporation furnishes a set of documents in a folder form to the directors on their joining the Board. This includes important data about the functioning and performance of the Corporation, Code of Business Conduct & Ethics for the Board members, Corporate Governance Guidelines etc.

(ट) व्हिसल ब्लोअर नीतिः

निगम में बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित एक व्हिसल ब्लोअर नीति है, जिसे निगम के सभी कर्मचारियों को परिचालित किया गया है और निगम की वेबसाइट www.nhdc.org.in पर भी रखा गया है।

(ठ) आचार संहिताः

निगम ने बोर्ड के सदस्यों और निगम के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार एवं कारोबारी नैतिक संहिता निर्धारित की है। संहिता की एक प्रति निगम की वेबसाइट www.nhdc.org.in पर प्रदर्शित की गई है। बोर्ड के सभी सदस्यों और प्रमुख अधिकारियों ने स्वयं द्वारा संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। इस प्रभाव की एक घोषणा इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

(ड) अनुपालन प्रमाणपत्रः

यह प्रतिवेदन विधिवत रूप से सीपीएसईज के लिए नैगमिक अभिशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है और इसके अंतर्गत दिशानिर्देशों के अनुबंध – 7 में उल्लिखित सुझाई गई सभी मदें आती हैं। डीपीई द्वारा निर्धारित नैगमिक अभिशासन अपेक्षाओं के अनुपालन पर तिमाही/वार्षिक प्रतिवेदन को नियमित रूप से प्रशासनिक मंत्रालय को भी भेजा जाता हैं। सीपीएसईज के लिए नैगमिक अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुपालन के संबंध में पेशेवर कम्पनी सचिव से प्राप्त प्रमाणपत्र इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ह/–
(संजय रस्तोगी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 07722405

दिनांकः 25 सितम्बर 2018
स्थानः ग्रेटर नोएडा

(k) WHISTLE BLOWER POLICY:

The Corporation has laid down a Whistle Blower Policy duly approved by the Board. The policy has been circulated to all the employees of the Corporation and also placed on the website *www.nhdc.org.in* of the Corporation.

(l) CODE OF CONDUCT:

The Corporation has laid down the Code of Conduct & Business Ethics for the Board members and senior management of the Corporation. A copy of the Code is displayed on the website www.nhdc.org.in of the Corporation. All the Board members and key officers have affirmed their compliance to the Code. A declaration to this effect is annexed to this report.

(m) COMPLIANCE CERTIFICATE:

This report duly complies with the requirements of DPE Guidelines on Corporate Governance for CPSEs and covers all the suggested items mentioned in the Annexure - VII of the Guidelines. The quarterly/ annual reports on the compliance with the Corporate Governance requirements prescribed by the DPE are also sent to the Administrative Ministry regularly. The certificate obtained from the Practicing Company Secretary regarding compliance to the conditions of guidelines on Corporate Governance for CPSEs has been annexed to the report.

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
(Sanjay Rastogi)
Chairman cum Managing Director
DIN: 07722405

Dated: 25th September, 2018
Place: Greater Noida

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक द्वारा की गई घोषणा

मैं, संजय रस्तोगी, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और निगम के वरिष्ठ प्रबंधन टीम ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान निगम की कारोबारी आचरण और नैतिक संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

ह/–
(संजय रस्तोगी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 07722405

दिनांकः 04 सितम्बर 2018
स्थानः नई दिल्ली

Declaration by the CMD regarding Compliance with the Code of Conduct by the Board Members and Senior Management during the Financial Year 2017-18.

I, Sanjay Rastogi, CMD, National Handloom Development Corporation Limited, do hereby declare that all the Members of the Board of Directors and the Senior Management Team of the Corporation have affirmed their compliance to the Code of Business Conduct and Ethics of the Corporation during the FY 2017-18.

Sd/-

Dated: 4th September, 2018
Place: New Delhi

(Sanjay Rastogi)
Chairman cum Managing Director
DIN: 07722405

नैगमिक अभिशासन का प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः चतुर्थ तल, वैगमैन्स बिजनेस पार्क,
टॉवर–I, प्लॉट नं. 03, सेक्टर नॉलेज पार्क–III
सूरजपुर–कासना मेन रोड़, ग्रेटर नोएडा,
गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.–201306

हमने 31, मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लोक उपक्रम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, 2010 के लिए नैगमिक अभिशासन सम्बन्धी दिशनिर्देशों में यथाउल्लिखित राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (इसके पश्चात् ''निगम'' के रूप में उल्लिखित) के नैगमिक अभिशासन सम्बन्धी शर्तों के अनुपालन की जाँच की है।

नैगमिक अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबन्धन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच उपर्युक्त दिशानिर्देशों में यथाउल्लिखित नैगमिक अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगम द्वारा अपनाई गई कार्यविधियों तथा उनके कार्यान्वयन तक सीमित है। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही निगम के वित्तीय विवरण पर विचारों का स्पष्टीकरण है।

हमारे मत में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि सम्बन्धित मन्त्रालय द्वारा पर्याप्त संख्या में स्वतन्त्र निदेशकों को नियुक्त न किए जाने तथा जोखिम प्रबन्धन योजना के कारण बोर्ड के गठन, लेखा परीक्षा समिति एवं नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति से सम्बन्धी प्रावधान को छोड़कर निगम ने उपर्युक्त दिशानिर्देशों में यथाउल्लिखित नैगमिक अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम आगे यह उल्लेख करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो निगम की भावी व्यावहार्यता और न ही निगम की प्रभाविकता अथवा प्रभावशीलता के सम्बन्ध में किसी प्रकार का आश्वासन है जिसके साथ प्रबन्धन ने निगम के कार्यों का संचालन किया है।

कृते नवनीत अरोड़ा एंड कंपनी एलएलपी
कम्पनी सचिव

ह/–
सीएस नवनीत अरोड़ा
प्रबंध भागीदार
एफसीएस: 3214, सीओपी: 3005
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 20 अगस्त, 2018

CORPORATE GOVERNANCE CERTIFICATE

To,
The Members,
National Handloom Development Corporation Limited
Regd. Office: 4th Floor, Wegmans Business Park,
Tower-1, Plot No. 03, Sector Knowledge Park-III,
Surajpur- Kasna Main Road, Greater Noida,
Gautam Buddha Nagar, UP- 201306

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance of National Handloom Development Corporation Limited (hereinafter referred as "Corporation")for the year ended 31st March, 2018as stipulated in the guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 of Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises, Government of India and annexure mentioned there under (hereinafter referred as "Guidelines").

The compliance to the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedure and implementation thereof, adopted by the Corporation for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance as stipulated in above mentioned guidelines. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Corporation.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, we certify that the Corporation has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned guidelines except the provisions regarding composition of Board, Audit Committee and Nomination & Remuneration Committee due to non-appointment of adequate number of Independent Directors by the concerned Ministry & risk management policy.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Corporation.

For Navneet K Arora & Co LLP
Company Secretaries

Sd/-
CS Navneet Arora
Managing Partner
FCS: 3214, COP: 3005
Place: New Delhi
Date: 20th August, 2018

अनुलग्नक ख

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण प्रतिवेदन

1. हथकरघा परिदृश्यः

हथकरघा क्षेत्र, कृषि के बाद सबसे बड़ी असंगठित आर्थिक गतिविधि है और ये ग्रामीण और अर्ध–ग्रामीण आजीविका का अभिन्न अंग है जो 43 लाख से अधिक बुनकरों और संबद्ध कामगारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराता है।

हथकरघा क्षेत्र के समग्र और सतत विकास और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए, भारत सरकार निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही हैः–

क. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)

राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) को वर्ष 2017–18 से 2019–20 के दौरान इसके कार्यान्वयन के लिए निरुपित किया गया है। इस योजना में हथकरघों के एकीकृत और समग्र विकास और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए आवश्यकता आधारित रुख अपनाएगी। यह योजना बुनकरों को, अर्बन हाट, मार्केटिंग परिसरों, हैंडलूम उत्पादों की ई–मार्केटिंग के लिए वेब पोर्टल के विकास आदि के रूप में प्रदर्शनियों के माध्यम से, स्थायी अवसंरचना के सृजन के जरिए कच्चे माल, डिजाइन संबंधी इनपुट, प्रौद्योगिकी संबंधी स्तर उन्नयन, विपणन सहायता आदि के लिए सहकारी ताने बाने के भीतर और बाहर, दोनों में बुनकरों की सहायता करेगी जिसमें स्वयं–सहायता समूह, एनजीओ आदि भी शामिल हैं।

एनएचडीपी के घटक –

क ब्लॉक स्तर क्लस्टर परियोजनाएं

ख हथकरघा विपणन सहायता

ग रियायती क्रेडिट

घ हथकरघा गणना

ङ हैंडलूम पार्क

च राष्ट्रीय वस्त्र आरेखन केंद्र

छ अनुसंधान परियोजनाएं

ज जम्मू एवं कश्मीर ऊन विकास परियोजना

झ विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए विशेष परियोजनाएं

ञ राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (एनआईओएस)

ट मुख्यालय में क्लस्टर विभाग

ठ नवप्रयोगी विचार

ड प्रकाशन, विज्ञापन, निगरानी, प्रशिक्षण और योजना का मूल्यांकन

Annexure B

ANNEXURE TO DIRECTORS' REPORT
MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

1. HANDLOOM SCENARIO:

The handloom sector is one of the largest unorganized economic activities after agriculture and constitutes an integral part of the rural and semi- rural livelihood which provides direct and indirect employment to more than 43 lakh weavers and allied workers.

For holistic and sustainable development of handloom sector and welfare of handloom weavers, the Government of India is implementing following schemes and programmes:-

A. National Handloom Development Programme (NHDP)

National Handloom Development Programme (NHDP) has been formulated for its implementation during 2017-18 to 2019-20. The scheme will follow need based approach for integrated and holistic development of handlooms and welfare of handloom weavers. The scheme will support weavers, both within and outside the cooperative fold including Self Help Groups, NGOs etc. towards raw material, design inputs, technology up-gradation, marketing support through exhibitions, create permanent infrastructure in the form of Urban Haats, marketing complexes, development of web portal for e-marketing of handloom products etc.

Components of NHDP –

a. Block Level Cluster Projects

b. Handloom Marketing Assistance

c. Concessional Credit

d. Handloom Census

e. Handloom Park

f. National Centre for Textile Design

g. R&D Projects

h. J&K Wool Development Project

i. Special Projects for Special Category States

j. National Institutes of Open Schooling (NIOS)

k. Cluster Cell at Headquarters.

l. Innovative Ideas

m. Publicity, Advertisement, Monitoring, Training & Evaluation of Scheme

ख. मेगा हैंडलूम क्लस्टरों के लिए व्यापक हथरकघा क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीसी)

इसका उद्देश्य ऐसे मैगा हैंडलूम क्लस्टर विकसित करना है जो, अवसंरचना संबंधी सुविधाओं, प्री–लूम/ऑन–लूम/पोस्ट–लूम प्रचालनों में, वीविंग शैडों में प्रौद्योगिकीय स्तर उन्नयन, कौशल स्तर उन्नयन, डिजाइन इनपुट, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि के साथ स्पष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य भौगोलिकीय स्थानों पर अवस्थित हों। जो विशिष्ट उत्पादों में विशेषज्ञता प्राप्त हों, और जिनकी प्रमुख प्रतिस्पर्धियों के साथ नजदीकी सम्पर्क और उनके बीच आंतरिक निर्भताएं हों।

ग बुनकरों के लिए 'मुद्रा' योजना

हथकरघा क्षेत्र के लिए रियायती क्रेडिट घटक अब व्यक्तिगत बुनकरों के लिए केवल मुद्रा योजना के माध्यम से उपलब्ध है और बुनकर उद्यमियों की क्रेडिट सीमा कार्यशील पूंजी के साथ साथ बुनकरी/संबद्ध गतिविधि किए जाने के लिए अपेक्षित उपकरणों और उपस्करों की लागत के रूप में पूंजीगत लागत के आकलन पर आधारित है। सामान्य तौर पर कॉटन उत्पादों के लिए प्रति करघा ऋण 50,000 रुपए और रेशम उत्पादों के लिए लगभग 1,00,00 रुपए है।

घ यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस)

यह योजना हथकरघा एजेंसियों के लिए मिल गेट प्राइस पर उपलब्ध है। इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा भंडार–गृहों को प्रचालित किए जाने वाले व्ययों और परिवहन व्ययों की प्रतिपूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त, पावरलूम और मिल सेक्टर के साथ प्रतिस्पर्धा के उद्देश्य से, हथकरघा बुनकरों को सब्सिडी युक्त यार्न उपलब्ध कराने के लिए, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रतिपूर्ति आधार पर गुणवत्ता संबंधी प्रतिबंधों के साथ कॉटन हैंक यार्न, घरेलू सिल्क यार्न, वूलन यार्न और लिनन यार्न पर 10% मूल्य सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।

ङ हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना

हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना हथकरघा बुनकरों/कामगारों को सामाजिक सुरक्षा संबंधी लाभ प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए है। जिसके दो घटक हैं:–

i) पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और परिवर्तित एमजीबीबीवाई के तहत जीवन, दुर्घटना और अक्षमता बीमा कवरेज।

ii) आरएसबीवाई पद्धति पर स्वास्थ्य बीमा कवरेज।

च पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र प्रोत्साहन योजना (एनईआरटीपीएस)

योजना का उद्देश्य रोजगार और हथकरघा उत्पादों के मूल्य में वृद्धि का लक्ष्य हासिल करने के लिए अपेक्षित सरकारी सहायता प्रदान करके पूर्वोत्तर क्षेत्र में हथकरघा क्षेत्र का विकास करना है। योजना के 3 अवयव हैं:

i) पूर्वात्तर में क्लस्टर विकास परियोजना

ii) पूर्वात्तर में हथकरघों का प्रौद्योगिकीय स्तर उन्नयन

iii) पूर्वात्तर में वस्त्र और हथकरघा उत्पादों का बाजार संवर्धन

2. सामर्थ्य और दुर्बलताएं:

निगम का 9 क्षेत्रीय कार्यालयों और 31 शाखा कार्यालयों के जरिए 29 राज्यों/संघ राज्य् क्षेत्रों में एक राष्ट्रीय नेटवर्क है। हथकरघा क्षेत्र में किसी अन्य निकाय की देश में इस प्रकार की व्यापक उपस्थित नहीं है। निगम की उपस्थिति बाजार में हस्तक्षेप करने के प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करती है ताकि सूत की दर को उचित स्तर के भीतर रखने के लिए निजी व्यापारियों के एकाधिकार को प्रतिबन्धित किया जा सके।

B. Comprehensive Handloom Cluster Development Scheme (CHCDS) for development of Mega Handloom Clusters

The objective is to develop Mega Handloom Clusters that are located in clearly identifiable geographical locations that specialize in specific products, with close linkages and inter dependents amongst the key players in the cluster by improving the infrastructure facilities, with better storage facilities, technology up-gradation in pre-loom/on-loom/post-loom operations, weaving shed, skill up-gradation, design inputs, health facilities etc.

C. Weavers MUDRA Scheme

Concessional credit component for Handloom sector is now available only through MUDRA Yojna for individual weavers and weavers entrepreneurs credit limit is fixed based on assessment of working capital as well as cost of tools and equipments required for carrying out weaving/ allied activity. Normally loan for per loom for cotton products is Rs 50,000 and around Rs 1,00,000 for silk products.

D. Yarn Supply Scheme(YSS)

This scheme makes available all types of yarn at Mill Gate Price to the eligible handloom agencies. Under this scheme, depot operating expenses and transportation expenses are being reimbursed by Government of India. Further, to provide the subsidized yarn to handloom weavers in order to compete with powerloom and mill sector, 10% price subsidy on cotton hank yarn, domestic silk yarn, woolen yarn and linen yarn is available with quantity restrictions on reimbursement basis through Direct Benefit Transfer (DBT).

E. Handloom Weavers Comprehensive Welfare Scheme

Handloom Weavers Comprehensive Welfare Scheme is to enable the Handloom weavers/ workers to avail social security benefits having two components –

i) Life, accidental and disability insurance coverage under the PMJJBY, PMSBY and converged MGBBY.

ii) Health insurance coverage on the RSBY pattern

F. North Eastern Region Textile Promotion Scheme (NERTPS)

The objective of the scheme is to develop handloom sector in NER by providing the required government support to achieve increase in employment and value of handloom products. The scheme has 3 components –

i) Cluster Development Project in NER.

ii) Technological Upgradation of Handlooms in NER.

iii) Market Promotion of Textiles and Handloom Products in NER.

2. STRENGTH AND WEAKNESSES:

Corporation has a national network having presence in 29 States/Union Territories through 9 Regional offices and 31 Branch offices. No other body in the handloom sector has such a wide presence in the country. The presence of the Corporation serves as an effective tool to intervene the market so as to restrict the monopolistic character of the private traders, in order to keep the hank yarn rates within a reasonable level.

निगम उस असंगठित क्षेत्र, जिसमें गरीब कारीगर/हथकरघा बुनकर उच्च सांस्कृतिक विरासत और भारतीय संस्कृति की पारम्परिक मूल्य की वस्तुओं के उत्पादन में लगे हुए हैं, की आवश्यकताओं को पूरा करके सामाजिक दायित्व निभाने का नेक कार्य करता है।

अगले कुछ वर्षों में विभिन्न स्तरों पर कुछ कर्मचारी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इस रिक्तता, जोकि विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने से हो सकती है, को भरने के लिए निगम ने न केवल मध्य स्तर के कार्यपालकों को उच्चतर दायित्व निभाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने/कार्य में तेजी लाने की योजना बनायी है, अपितु प्रारम्भिक स्तर, और साथ ही वरिष्ठ स्तरों पर नयी भर्तियाँ कर रहा है जोकि भर्ती की आवश्यकता होने पर निर्भर करता है। वर्ष 2010–11 से पहले, पिछले 10 वर्षों के दौरान नए कर्मचारियों की भर्ती नगण्य है। यह आशा की जाती है कि निगम नई भर्ती से संगठनात्मक अनुभव रखने वाले पुराने कर्मचारी और बाहरी अनुभव रखने वाले नए कर्मचारियों के बेहतर मिश्रण से नए उत्साह को आत्मसात करेगा। इसके अलावा, निगम को राज्य के शीर्ष निकायों से अनिश्चित माँग और भुगतान में देरी का सामना करना पड़ रहा है।

3. अवसर और चुनौतियां:

इस समय निगम हथकरघा क्षेत्र के लिए कुल लच्छी सूत (हैंक यार्न) उत्पादन की 21% (लगभग) आवश्यकता को पूरा कर रहा है और कुल हैंक यार्न उत्पाादन का 79% खपत करने वाले अप्रयुक्त हथकरघा क्षेत्र में पहुँच बनाकर इस व्यवसाय का विस्तार करने के लिए बहुत बड़ा अवसर हैं। इस सम्बन्ध में, नई एजेंसियों तक पहुँच बनाकर कवरेज बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

सूत (यार्न) बाजार अच्छी तरह से विकसित है और निजी व्यापारियों, जो पहले ही सुस्थापित हैं और बुनकरों को तुलनात्मक रूप से बेहतर क्रेडिट और अन्य सुविधाओं की पेशकश कर रहे हैं, के साथ प्रतियोगिता है। उनसे मुकाबला करने के लिए, निगम हथकरघा बुनकरों को प्रतिस्पर्धी/सबसे कम दरों पर धागा उपलब्ध कराने के लिए थोक मात्रा में छूट के लिए केन्द्रीय रूप से सूत प्राप्त कर रहा है और सूत की दरों पर बातचीत कर रहा है। हथकरघा बुनकरों, एजेंसियों की पहुँच के लिए दरों को मासिक आधार पर निगम की वेबसाइट पर भी दिया जाता है, जिसके परिणामस्वारूप बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

4. दृष्टिकोण:

निगम को विश्वास है कि वह अपने विकास मंच पर वर्ष–दर–वर्ष नई ऊँचाइयों को प्राप्त करना जारी रखेगा। निगम अपनी स्थिति और मजबूत करने के लिए अपनी शक्तियों और दुर्बलताओं का पुनःआकलन करता रहेगा और तदनुसार अपने व्यवसाय की योजना तैयार करता रहेगा जिससे निगम नए विकास क्षेत्र की पहचान करने में सक्षम बनेगा।

5. सेगमेंट–वार और उत्पादन–वार निष्पादन:

हथकरघा क्षेत्र में आपूर्ति किया जाने वाला प्रमुख कच्चा माल होने के नाते, यार्न निगम के टर्नओवर में उच्चतम योगदान करता रहा है। इसका योगदान वर्ष 2016–17 के दौरान 98.46 प्रतिशत से आंशिक रूप से बढ़कर 2017–18 के दौरान 98.56 प्रतिशत हुआ है। रंगों और रसायनों की प्रतिशत हिस्सेदारी, जो वर्ष 2016–17 के दौरान 1.54 प्रतिशत थी, वर्ष 2017–18 के दौरान घटकर 1.44 प्रतिशत हुई है। निगम के प्रचालनों का सेगमेंट वार विश्लेषण निम्नवत है:

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	सेगमेंट/उत्पादन	2017-18		2016-17	
		टर्नओवर	प्रतिशत	टर्नओवर	प्रतिशत
1.	यार्न	2567.78	98.56%	2947.55	98.46%
2.	रंग और रसायन	37.38	1.44%	45.97	1.54%
3.	फैब्रिक्स		-	-	--
	कुल	**2605.16**	**100.00%**	**2993.52**	**100.00%**

Corporation serves a noble cause of social responsibility by catering to a sector, which consists of poor artisans/ handloom weavers in unorganized sector, engaged in the production of items of high cultural heritage and traditional value of Indian culture.

Few employees are going to superannuate at various levels in the next few years. To fill the vacuum that may be created by the superannuation of the employees at various levels, Corporation has planned not only to train/ gear up its middle level executives to take up the higher responsibilities but also making fresh recruitment at the induction level as well as senior levels depending upon the requirements. During the last 10 years prior to the year 2010-11, the recruitment of fresh employees was negligible. It is hoped that the fresh recruitment will imbibe new blood in the Corporation with a better mix of existing employees having organizational experience and new employees with outside experience. Besides Corporation is facing uncertain demand and delayed payments from state apex bodies.

3. OPPORTUNITIES AND THREATS:

Presently, the Corporation is catering to 21% (approximately) of the total hank yarn production to the handloom sector and there is a large scope to expand the business by reaching the untapped handloom sector consuming 79% of the total hank yarn production. In this regard the efforts are being made to increase the coverage by accessing new agencies.

The yarn market is well developed and there is a competition with the private traders which are already well established and offer comparatively better credit and other facilities to the weavers. To combat the same, the Corporation is obtaining and negotiating the yarn rates for bulk quantity discounts with a view to provide yarn to the handloom weavers at competitive/ lowest rates. Rates are placed on the Corporation's website as well, on monthly basis, for access by the handloom weavers' agencies, resulting in better transparency.

4. OUTLOOK:

The Corporation believes that it will continue to be on its growth platform achieving new heights year by year. To further strengthen its position the Corporation keep re-assessing its strengths and weaknesses and preparing its business plan accordingly, which shall enable the Corporation to identify its new growth area.

5. SEGMENT-WISE AND PRODUCT WISE PERFORMANCE:

Yarn, being the main raw material supplied to the handloom sector, continues to be the highest contributor to the turnover of the Corporation. Its contribution has increased marginally from 98.46% of the total turnover of the Corporation during the year 2016-17 to 98.56% during the year 2017-18. The percentage share of the dyes and chemicals has decreased from 1.54% during the year 2016-17 to 1.44% during the year 2017-18. The segment wise analysis of the operations of the Corporation is placed herein below:

(Rs. in crore)

S. No.	Segment/ product	2017-18		2016-17	
		Turnover	Percentage	Turnover	Percentage
1.	Yarn	2567.78	98.56%	2947.55	98.46%
2.	Dyes & chemicals	37.38	1.44%	45.97	1.54%
3.	Fabric	-	-	-	-
	Total	**2605.16**	**100.00%**	**2993.52**	**100.00%**

6. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और इनकी पर्याप्तताः

निगम ने अपने आकार के अनुरूप आन्तरिक नियन्त्रण सम्बन्धी एक प्रणाली विकसित की है। आन्तरिक नियन्त्रण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, आवश्यकतानुसार आन्तरिक लेखा परीक्षिकों को नए जाँच बिन्दु भी सुझाए जाते हैं। निगम की आन्तरिक लेखा परीक्षा निगम के आन्तरिक लेखा परीक्षक दल और साथ ही बाह्य चार्टेड एकाउन्टेन्टस द्वारा की जाती है। लेखा परीक्षा समिति के निर्णय के अनुसार, प्रधान कार्यालय और निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वर्ष वैकल्पिक रूप से आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग और बाह्य चार्टेड एकाउन्टेन्टस द्वारा की जाती है। आन्तरिक नियन्त्रण और लेखा परीक्षा प्रणाली की लेखा परीक्षा समिति द्वारा आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और निरन्तर सुधार के लिए जहाँ आवश्यक हो, सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

7. परिचालन निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चाः

निगम का टर्नओवर वित्तीय वर्ष 2016–17 में 2993.52 करोड़ रुपए की बिक्रियों की तुलना में वर्ष 2017–18 में 2605.16 करोड़ रुपए है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में रु. 46.54 करोड़ की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए कर–पूर्व लाभ रु. 35.38 करोड़ है और निवल करोपरांत लाभ वित्तीय वर्ष 2016–17 में रु. 28.89 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017–18 में रु. 23.58 करोड़ है। निगम का निवल मूल्य 31 मार्च, 2017 को 101.03 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर 31 मार्च, 2018 को 116.02 करोड़ रुपए हो चुका है।

निगम की पूंजी संरचना अपरिवर्तित रही है। और वित्तीय वर्ष 2017–18 में निगम की प्रदत्त पूंजी 19 करोड़ रुपए है जो 100 रुपए प्रत्येक के 19 लाख इक्विटी शेयरों में विभाजित है। निगम ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए 7.08 करोड़ रुपए के लाभांष की सिफारिश की है जो करोपरांत लाभों का 30.04% और इक्विटी पूंजी का 37.26% है।

8. सेवा नियोजित व्यक्तियों की संख्या सहित मानव संसाधन में विकासः

निगम में कर्मचारी दक्षता पर मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित किया है। निगम के कर्मचारियों के कौशल के स्तर उन्नयन के लिए तकनीकी, प्रबंधकीय और आईटी क्षेत्रों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार निगम के कर्मचारियों की कुल संख्या 202 (गत वर्ष 208 थी) जिनमें अनुसूचित (एससी) श्रेणी के 23 (11.36%)] अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी के 08 (3.96%)] अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के 29 (14.36%) और शारीरिक रूप से अक्षम (पीएच) श्रेणी के 06 (2.97%) कर्मचारी शामिल हैं।

प्रति कर्मचारी टर्नओवर 13.22 करोड़ रुपए (गत वर्ष – 14.39 करोड़ रुपए) और प्रति कर्मचारी करोपरांत लाभ (पीएटी) 11.97 लाख रुपए (गत वर्ष – 13.88 लाख रुपए) है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्द्रपूर्ण और शांतिपूर्ण रहे हैं।

9. नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों और डीपीई के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार निगम ने अपनी सीएसआर नीति को संशोधित किया है। संशोधित नीति, नामतः 'एनएचडीसी सीएसआर और धारणीयता नीति 2014' को दिनांक 24 नवम्बर, 2014 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, निगम की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

6. **INTERNAL CONTROL SYSTEM AND THEIR ADEQUACY:**

The Corporation has a system of internal control, which is continuously evolving to match the growing size of the Corporation. In order to make the internal control more effective, besides comprehensive Internal Audit Manual, the new check points are also advised to the internal auditors from time to time on need basis. The Internal Audit of the Corporation is conducted by the Internal Audit team of the Corporation as well as outside independent Chartered Accountants. As per the decision of the Audit Committee, the head office and regional offices of the Corporation are audited by the Internal Audit wing and outside Chartered Accountants alternatively every year. The internal control and audit systems are being reviewed periodically by the Audit Committee and corrective measures are taken, wherever necessary, for continuous improvement.

7. **DISCUSSION ON FINANCIAL PERFORMANCE WITH RESPECT TO OPERATIONAL PERFORMANCE:**

The turnover of the Corporation in FY 2017-18 is Rs. 2605.16 crore against the Sales in FY 2016-17 Rs. 2993.52 crore

The profit before tax for FY 2017-18 is Rs. 35.38 crore against Rs. 46.54 crore in the FY 2016-17 and net profit after tax is Rs. 23.58 crore in FY 2017-18 against Rs. 28.89 crore in the FY 2016-17. The net worth of the Corporation has increased to Rs. 116.02 crore as on 31st March, 2018 from Rs. 101.03 crore as on 31st March, 2017.

The capital structure of the Corporation remained unchanged with the paid up capital of Rs.19 crore divided into 19 lakh equity share of Rs.100/- each in the FY 2017-18. The Corporation has recommended a dividend of Rs. 7.08 crore being 30.04% of post tax profits and 37.26% of equity capital

8. **DEVELOPMENT IN HUMAN RESOURCE INCLUDING NUMBER OF PERSONS EMPLOYED:**

Employees' efficiency has been the key focus of the Corporation. Various training programmes in technical, managerial and IT areas are organized for upgrading the skills of the employees of the Corporation.

Total number of employees of the Corporation as on 31st March 2018 now stands at 202 (Previous year 208) which include 23 (11.36%) employees belonging to Scheduled Castes (SC) category, 08 (3.96%) employees belonging to Scheduled Tribes (ST) category, 29 (14.36%) employees belonging to Other Backward Classes (OBC) category and 06 (2.97%) employees belonging to Physically Handicapped (PH) category.

The turnover per employee is Rs. 13.22 crore (Previous year – 14.39 crore) and the Profit after Tax (PAT) per employee is Rs. 11.97 lakh (Previous year Rs. 13.88 lakh).

The Industrial relations have been cordial and remained peaceful during the year under review.

9. **CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR):**

Corporation has revised its CSR Policy in accordance with the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013 and revised DPE guidelines. The revised policy named 'NHDC CSR & Sustainability Policy 2014' has been uploaded on corporation's website, after its approval by the Board of Directors in its meeting held on 24th November, 2014.

सीएसआर समिति की संरचना और वित्तीय वर्ष 2017–18 में की गई सीएसआर गतिविधियों का ब्यौरा नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी प्रतिवेदन सीएसआर के वार्षिक प्रतिवेदन में उपलब्ध कराया गया है, जो इस वार्षिक प्रतिवेदन के भाग को बनाते हैं।

10. सजग विवरणः

प्रबन्धन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में वक्तव्य, जोकि निगम के उद्देश्यों, अनुमानों और उम्मीदों का उल्लेख करता है, लागू कानूनों और विनियमों के अर्थ में 'दूरंन्देशी वक्तव्य' हो सकता है। तथापि, वास्तविक परिणाम अभिव्यक्त अथवा निहित अर्थों से मूल रूप में या काफी हद तक भिन्न हो सकता है। वे महत्वपूर्ण घटनाएँ जोकि निगम के संचालनों को प्रभावित कर सकती हैं, में भारत में राजनीतिक और आर्थिक वातावरण में वे महत्वपूर्ण बदलाव हैं जिनमें देश में हथकरघा कार्यकलाप और मुकदमे शामिल हैं।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ह/–
(संजय रस्तोगी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 07722405

दिनांक : 25 सितम्बर, 2018
स्थान : ग्रेटर नोएडा

The Composition of the CSR Committee and the CSR activities done in FY 2017-18 are provided in the Report of Corporate Governance and Annual Report of CSR, as annexures to the Board's Report, which forms part of this Annual report

10. CAUTIONARY STATEMENT:

Statements in the Management Discussion and Analysis Report describing the Corporation's objectives, projections and expectations may be 'forward looking statements' within the meaning of applicable laws and regulations. The actual results may, however, differ substantially or materially from those expressed or implied. Important developments that could affect the Corporation's operations include significant changes in the political and economic environment in India that involves litigations and handloom activity in the country.

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
(Sanjay Rastogi)
Chairman cum Managing Director
DIN: 07722405

Dated: 25th September, 2018
Place: Greater Noida

अनुलग्नक ग

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर निदेशक मंडल का उत्तर

क्र. स.	सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	निदेशक मंडल का उत्तर
1.	जैसा कि टिप्पणी "4क" में उल्लेख किया गया है, रु.18,76,95,376 की राशि समग्र निधि के क्रेडिट (विपणन परिसर) में स्थायी है और परिणामस्वरूप इसे बैलेंस शीट की अनुसूची 11 के अनुसार सावधि जमाओं में निविष्ट किया गया है। समग्र निधि (विपणन परिसर) की सावधि जमाओं पर 31 मार्च, 2017 तक अर्जित ब्याज को संबंधित समग्र निधि में क्रेडिट किया गया किंतु चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 2017–18 के दौरान सावधि जमा राशियों पर रु. 18,76,95,376 के ब्याज को, समग्र निधि (विपणन परिसर) में क्रेडिट किए जाने की बजाय निगम की ब्याज आय के रूप में लिया गया है।	विपणन परिसर के विकास के लिए भारत सरकार से प्राप्त राशि 8.26 करोड़ रुपए थी। भारत सरकार को रिफण्ड की गई राशि 4.82 करोड़ रुपए थी। इस प्रकार शेष बची राशि केवल 3.44 करोड़ रुपए थी। इस पर, 15.23 करोड़ रूपए का ब्याज अधिक प्रतीत होता है और इसके समाशोधन की आवश्यकता है, जो वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान किया जाएगा। सामान्य एकत्रण से ऊपर के अनुरक्षण प्रभार को भी एनएचडीसी द्वारा ऐसी गैर–प्रचालनिक आय से पूरा किया जाता है।
2.	जैसा कि टिप्पणी "(ख)" में उल्लेख किया गया हैं, दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार, रु. 3,21,75,213/– की धनराशि समग्र निधि (मेगा क्लस्टर) के बैंक में निविष्ट निधियों पर अर्जित ब्याज के खाते पर समग्र निधि (मेगा क्लस्टर) के क्रेडिट पर स्थायी बनी हुई है। चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 2017–18 के दौरान रु. 3,21,75,213 की पूर्ण धनराशि को निगमी ब्याज आय के रूप में लिया गया है।	दिनांक 31–03–2017 तक के पूर्ववर्ती वर्षों में, निधियों के आवर्तन की व्यवस्था मेगा क्लस्टर निधि का उपयोग करने की बजाय निगम की निधियों से की गई है। इस प्रक्रिया में, निगम ने अपनी स्वयं की निधियों पर ब्याज गंवा दिया है। तथापि, निगम ने मेगा क्लस्टर निधि की एफडीआर पर ब्याज को पूर्ववर्ती वर्षों में मेगा क्लस्टर निधियों के लेखे में क्रेडिट किया था। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, निगम ने उपर्युक्त की समीक्षा की है और मेगा क्लस्टर निधि को केवल आवंटित क्लस्टरों के कच्चे माल की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त किया गया है और रु.3.21 करोड के समग्र मेगा निधि की ब्याज आय को निगम के खाते में संचित किया है जिसे पूर्ववर्ती वर्षों में मेगा क्लस्टर खाते में क्रेडिट किया गया था।
3.	टिप्पणी संख्या 15 (VIII) उप टिप्पणी (iv) के अनुसार, भारत सरकार की अनुदान सहायता से प्राप्य राशियों के कुछ मामलों के लिए एनएचडीसी ने उपयेगिता प्रमाणपत्र (यूसी) प्रस्तुत किया है। तथापि, यह धनराशि अभी भी भारत सरकार से प्राप्य है। इसके अतिरिक्त, कुछ मामले ऐसे हैं, जिनमें निगम ने व्यय किए हैं और प्रतिपूर्ति के लिए दावे भारत सरकार को प्रस्तुत किए हैं, किंतु न तो	वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान आयोजित प्रदर्शनियों के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं और प्राप्य राशि से ऊपर की राशि वित्तीय वर्ष 2018–19 में ज्ञात हो जाएंगी। यह एक सतत प्रक्रिया है और पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान

Annexure C

ANNEXURE TO DIRECTORS' REPORT
REPLY OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE COMMENTS OF THE STATUTORY AUDITORS ON THE ACCOUNTS FOR THE FY 2017-18

S. No.	Comments of Statutory Auditors	Reply of the Board of Directors
1.	As stated in Note No. "4A" Rs. 18,76,95,376/- is standing to the credit of Corpus Fund (Marketing Complex) and correspondingly invested in fixed deposits as per Schedule 11 of the Balance Sheet. Interest earned on fixed deposits of Corpus Funds (Marketing Complexes) till 31st March 2017, was credited to respective Corpus Fund, but during current FY i.e. 2017-18 interest on fixed deposits of Rs. 18,76,95,376/- has been taken as interest income of the Corporation, instead of crediting to the Corpus Fund (Marketing Complex).	Amount received from Govt. Of India for development of Marketing Complex was Rs. 8.26 crore. Amount refunded to GOI was Rs. 4.82 crore Thus, balance left was Rs. 3.44 crore only. On this, Interest amount of Rs. 15.23 crore, seems to be on higher side and needs reconciliation, which shall be done during the FY 2018-19. Maintenance charges over and above the routine collection are also met by NHDC from such Non-operational income.
2.	As Per Note No. "4(B)", as on 31-03-2017 Rs. 3,21,75,213/- was standing to the credit of Corpus Fund (Mega Cluster) on account of interest earned on funds invested with the bank of Corpus Fund (Mega Cluster). During the current FY i.e. 2017-18, the entire amount of Rs. 3,21,75,213/- has been taken as interest income of the Corporation.	In earlier years up to 31-03-2017, the rotation of funds had been arranged from Corporation funds instead of using the Mega Cluster Fund. In that process, the Corporation has lost the interest on its own funds. However, the Corporation had credited the interest on FDR of Mega Cluster fund in account of Mega Cluster Funds in earlier years. In current financial year, the Corporation has reviewed the above and used the Mega Cluster Fund only for arranging the raw materials of assigned clusters and credited the accumulated interest income of Rs. 3.21 crore. Corpus Mega fund in the Corporation a/c which were credited in Mega Cluster a/c in earlier years.
3.	Receivable from Govt. of India (GOI) Grant in Aid, as per the note no. 15 (VIII) sub-note (iv), for few cases NHDC has submitted the Utilization Certificates (UC). However, the amount is still receivable from GOI. Further there are some cases, where Corporation has made the expenditure and submitted the claims to GOI for reimbursement but neither GOI has been issued nor the	UC's for the exhibitions conducted during FY 2017-18 are under submission and actual amount of expenditure over and above the amount receivable shall be known in the FY 2018-19. It is an ongoing process and expenditure disallowed

क्र. स.	सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	निदेशक मंडल का उत्तर
	भारत सरकार ने राशि जारी की है न ही यह प्राप्त हुई है। अस्वीकृत राशि का प्रभाव लेखा परीक्षकों को अभी तक अज्ञात है।	अस्वीकृत व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के लाभ – हानि खाते में प्रभारित किया जाएगा।
4.	टिप्पणी संख्या ''13'' के अनुसार, देनदारी, जहां यह समग्र निधि से ऊपर रु. 7,65,319/– (क्षे. का. कोलकाता) के लिए देनदार हैं और यह तीन वर्ष से अधिक पुरानी है। इसके लिए वर्ष के दौरान लेखों में प्रावधान नहीं किया गया है।	ऐसे देनदारों से राशि को वसूल/आवर्तित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, यदि, राशि की वसूली चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नहीं होती है, तो इसके लिए प्रावधान इस वित्तीय वर्ष 2018–19 में किया जाएगा।
5.	वर्ष के दौरान निगम ने रु. 2,17,22,254/– के अवकाश वेतन को पिछले वर्ष के दौरान किए गए अधिशेष प्रावधानों के रूप में प्रतिलेखित किया है जिसके परिणामस्वरूप लाभ में रु. 2,17,22,254/– की वृद्धि हुई है।	अवकाश वेतन और ग्रेच्युटी आदि के लिए प्रावधान बीमांकित द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। वर्ष के लिए, ग्रेच्युटी हेतु प्रावधान में रु.3.32 करोड़ की वृद्धि और अवकाश वेतन में रु. 2.17 करोड़ की कमी हुई है।
6.	सभी वित्तीय विवरणिकाओं को ईआरपी (माड्यूल) से तैयार किया गया हैं। इनमें और सुधार किए जाने ओर प्रतिवेदनों को विशिष्ट रूप से तैयार किए जाने की आवश्यकता है।	इस संबंध में ईआरपी टीम से चर्चा की गई है और बेहतर कस्टमाइजेशन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
7.	तीसरी पी आर सी के आधार पर रु. 6.52 करोड़ के वेतन बकायों (गत वर्ष 0.60 करोड़ रूपये) का प्रावधान किया गया है। वित्तीय लेखों की टिप्पणी संख्या 7 के अनुसार, प्रावधानों का सृजन किया गया है किंतु लेखों को अंतिम रूप दिए जाने की तारीख तक इनका भुगतान नहीं किया गया है।	वेतन बकायों के लिए प्रावधान का सृजन तीसरी पीआरसी के आधार पर और निदेशक मंडल की अनुशंसा के अनुसार किया गया है। इसका भुगतान मंत्रालय द्वारा स्वीकृति के आधार पर किया जाएगा।
8.	निगम ने गत तीन वर्षों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में किए गए अधिकांश महत्वपूर्ण अवलोकनों पर कार्रवाई आरंभ की है। इन अवलोकनों पर अंतिम चरण पर पहुँचने के लिए कदम उठाया जाना, निगम की लेखाकरण प्रणाली, वित्तीय नीति और आर्थिक स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए अच्छा होगा। इस संबंध में इन्हें पुनः उद्धृत किया जाना अनावश्यक होगा।	सुधार एक सतत प्रक्रिया है और प्रबंधन समय समय पर मूल्यवान सुझाव देने के लिए लेखा परीक्षकों का आभारी है। तथापि, यदि आवश्यकतानुसार, सुधार प्रक्रिया जारी रहेगी।

S. No.	Comments of Statutory Auditors	Reply of the Board of Directors
	amount has been received. The impact of disallowed amount is still unknown to the Auditors.	during earlier years have been charged to P&L a/c of the current FY 2018-19.
4.	As per Note No. "13", Sundry Debtors where it was found the Debtors for Rs. 7,65,319/- (R.O. Kolkata) above then Corpus Fund and ageing beyond more than three years. Provision of the same has not been made in the accounts during the year.	Efforts are being made to recover/rotate the amount from such Debtors. However, if, the amount is not recovered during the current financial year, provision shall be made in FY 2018-19.
5.	During the Year Corporation has written back leave salary provision amounting to Rs. 2,17,22,254/- as excess provisions made in the last years resulting an increase of profit to the tune of Rs. 2,17,22,254/-	Provisions for leave salary and gratuity etc. are made, based on actuarial valuation done by actuary. For this year, provision for Gratuity have increased by Rs. 3.32 crore and decreased in case of leave salary by Rs. 2.17 crore
6.	All the financial statements has been made from ERP (Module). It further needs to improve and develop the customization of reports.	Matter has been taken up with ERP team and efforts are made for better customization.
7.	Provision of salary arrears amounting to Rs. 6.52 crore (Previous year Rs. 0.60 crore) has been provided on account of 3rd PRC. As per note no. 7 of Financial Accounts, the provisions have been created but it's not paid till the date of finalization of accounts.	Provision for salary arrears are created based on recommendations of 3rd PRC and approval by the Board of Directors. The same shall be paid based on clearance by the Ministry.
8.	The Corporation has initiated action on many of the vital observations made in the audit reports of the previous three years. It would be in the greater interest of the betterment of the accounting system, financial policy and fiscal health of the Corporation to take steps to reach at the conclusive stage on those observations. It would be unnecessary to reiterate the same in this respect.	Improvement is a continuous process and Management is thankful to Auditors for giving valuable suggestions from time to time. However, the improvement process shall continue, as desired.

क्र. सं	सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	निदेशक मंडल का उत्तर
9.	वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए वित्तीय विवरणिकाओं की समग्र निधि (समग्र विकास) के लिए टिप्पणी संख्या 8 की जांच करते हुए, अवलोकन किया गया है कि समर्ग्रशील पूंजी के लिए क्लस्टरों की मांग को पूरा करने के लिए समग्र निधि को संवितरित किया गया है। निधियों के इन संवितरणों को अन्य जरूरतमंद क्लस्टरों के पक्ष में रिकवरी करके और पुनःवितरित करके आवर्तित किया जाना है। इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है। लेखा परीक्षकों ने यह भी इंगित किया है कि समग्र निधि की कार्यशील पूंजी में कोई गतिविधि नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, समग्र निधि के लिए शेष अभिपुष्टि की संख्या संबंधित समर्ग्रालयों में उपलब्ध नहीं है।	कार्य निधि की संस्वीकृति वस्त्र मंत्रालय द्वारा की जाती है जिसका विशेष फोकस कतिपय क्लस्टरों को विकसित करने पर है और तदनुसार भारत सरकार द्वारा क्लस्टर–वार निधियां जारी की जाती हैं। एनएचडीसी में क्लस्टर–वार निधियां, क्रेडिट बिक्रियां करने, नए ग्राहक बनाने और उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राप्त की जाती हैं।

निदेशक मंडल के लिए ओर उनकी ओर से

ह/–
(संजय रस्तोगी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07722405

S. No.	Comments of Statutory Auditors	Reply of the Board of Directors
9.	While scrutinizing note No.8 for Corpus fund (Corpus development) of the financial statements for Financial Year 2017-18, it is observed that Corpus fund have been disbursed to meet out their demands of clusters for working capital. These disbursements of the funds are to be recycled by making recovery and re-disbursing the same in favor of other needy clusters. Effective action in this regard is wanting. The Internal Auditor has also pointed out that there is no movement in the working capital of the Corpus fund. In addition to this number of balance confirmation for Corpus fund is not available at the respective offices.	Corpus fund is sanctioned by Ministry of Textile with special focus to develop certain Clusters and accordingly Cluster-wise funds are released by the Government of India. Cluster-wise funds are received in NHDC for making credit sales, developing new customers and meeting their Working Capital requirements.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Sanjay Rastogi
Chairman cum Managing Director
DIN: 07722405

अनुलग्नक घ

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक
वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सचिवीय
लेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर निदेशक मंडल का उत्तर

सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणी	निदेशक मंडल का उत्तर
• जबकि कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) और 149(5) के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी द्वारा इसके निदेशक मंडल में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति किया जाना अपेक्षित है किंतु कम्पनी ने भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के आदेश संख्या 11/26/82–डीसीएच/एनएचडीसी/(भाग–4) के अनुपालन में दिनांक 1 फरवरी 2017 से तीन वर्ष की अवधि के लिए केवल एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की है। प्रबंधन ने आगे सूचित किया है कि एक सरकारी कम्पनी होने के नाते कम्पनी ने अपने प्रशासनिक मंत्रालय से अपने निदेशक मंडल में एक और स्वतंत्र निदेशक की आवश्यक नियुक्ति करने के लिए अनुरोध किया है।	हमारी कम्पनी एक पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनी है और निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। भारत सरकार ने आदेश संख्या 11/26/82–डीसीएच/एनएचडीसी/(भाग 4) द्वारा 1 फरवरी 2017 से तीन वर्ष की अवधि तक या अगले आदेशों तक श्रीमती शिखा रॉय पब्बी को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कम्पनी ने एक अन्य स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति करने के लिए निरंतर प्रशासनिक मंत्रालय को लिखित अनुरोध किया है, और अंतिम पत्र 27 जुलाई, 2018 को भेजा गया है।
• जबकि कम्पनी (निदेशक बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(1) के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी द्वारा बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति गठित किया जाना अपेक्षित था जिसमें अधिकांश स्वतंत्र निदेशक हों। कम्पनी ने बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है जिसमें स्वतंत्र निदेशकों की पर्याप्त संख्या के बिना चार निदेशक हैं। प्रबंधन ने आगे सूचित किया है कि एक सरकारी कम्पनी होने के नाते कम्पनी ने अपने प्रशासनिक मंत्रालय से अपने निदेशक मंडल में एक और स्वतंत्र निदेशक की आवश्यक नियुक्ति करने के लिए अनुरोध किया है ताकि लेखा परीक्षा समिति के गठन में में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या रखी जा सके।	जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, कम्पनी पहले ही अपने प्रशासनिक मंत्रालय को एक अन्य स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति करने के लिए लिख चुकी है, एक बार एक अन्य स्वतंत्र निदेशक नियुक्त हो जाने पर, कम्पनी लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन करेगी।
• जबकि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी द्वारा एक जोखिम प्रबंधन नीति बनाना अपेक्षित था, कम्पनी ने कोई औपचारिक जोखिम प्रबंधन नीति अंगीकृत नहीं की है। तथापि, जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया हे, कम्पनी ने जोखिम के प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक उपाय किए हैं।	कम्पनी ने कोई औपचारिक जोखिम प्रबंधन नीति अंगीकृत नहीं की है। तथापि, जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, कम्पनी ने जोखिम के प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक उपाय किए हैं।

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

ह/–
(संजय रस्तोगी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 07722405

Annexure D

ANNEXURE TO DIRECTORS' REPORT
REPLY OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE OBSERVATIONS OF THE SECRETARIAL AUDITORS FOR THE FY 2017-18

OBSERVATIONS OF SECRETARIAL AUDITORS	REPLY OF THE BOARD OF DIRECTORS
• Whereas in terms of the provisions of Section 149(4) & 149(5)of the Companies Act, 2013 read with rule 4 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, the Company was required to appoint at least two Independent Directors on the Board of the Company but the Company in compliance of Government of India, Ministry of Textiles Order no. 11/26/82-DCH/NHDC/ (VOL. IV) has appointed only one Independent Director for a period of three years w.e.f. 1st February 2017. The Management has further informed that the Company being a Government Company has requested its Administrative Ministry for making necessary appointment of another Independent Director on the Board of the Company.	Our Company is a wholly owned Government Company and Directors are appointed by the Government of India. Government of India had appointed Smt. Shikha Roy Pabbi as an Non-Official Independent Director vide Order no. 11/26/82-DCH/NHDC/ (VOL. IV) w.e.f 1st February 2017 for a period of three years or till further order. The Company has constantly written to the Administrative Ministry for appointing another Independent Director, the latest communication being sent on 27th July, 2018.
• Whereas in terms of the provisions of Section 177(1) of the Companies Act, 2013 read with rule 6 of the Companies (Meeting of Board and its powers) Rules, 2014, the Company was required to constitute an Audit Committee of the Board with the majority of Independent Directors. The Company has constituted the Audit Committee of the Board consisting of four directors without sufficient number of Independent Directors. The Management has further informed that the Company being a Government Company has requested its Administrative Ministry for making necessary appointment of Independent Director on the Board of the Company so as to constitute optimum number of Independent Director in the Audit Committee.	As reiterated earlier, the Company has already written to the Administrative Ministry for appointing another Independent Director, once another Independent Director is appointed, the Company shall reconstitute its Audit Committee.
• Where as in term of the provisions of Section 134(3) of the Companies Act, 2013 the Company was required to have a Risk Management policy, the Company has not adopted any formal Risk Management policy. However as informed by the Management the Company has adopted all necessary measures for the management of the risk.	The Company has not adopted any formal Risk Management policy. However, the Company has adopted all necessary measures for the management of the risk.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Sanjay Rastogi
Chairman cum Managing Director
DIN: 07722405

अनुलग्नक ङ

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक
वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर वार्षिक प्रतिवेदन

1. **क्या कम्पनी ने सीएसआर नीति बनाई है/यदि हां, तो कम्पनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें कम्पनी द्वारा हाथ में ली जाने वाली परियोजनाओं या कार्यक्रमों का विवरण और सीएसआर नीति और परियोजनाओं या कार्यक्रमों के वेब–लिंक का संदर्भ भी सम्मिलित हो:**

   एक उत्तरदायी नैगमिक नागरिक होने के नाते, आपकी कम्पनी हथकरघा बुनकरों के समुदाय पर प्रमुख फोकस के साथ समुदाय के कल्याण और सतत विकास के लिए सामाजिक रूप से उपयोगी कार्यक्रम चलाने के लिए प्रतिबद्ध है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों और डीपीई के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, निदेशकों की नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति विद्यमान है। नीचे दी गई सारणी में मद 5(ग) में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा चलाई जाने वाली सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों को रेखांकित किया गया है। सीएसआर नीति कम्पनी की वेबसाइट www.nhdc.org.in पर उपलब्ध है।

2. **सीएसआर समिति की संरचना**

   (क) समिति में निदेशकों की कुल संख्याः चार
   (ख) समिति में स्वतंत्र निदेशकों की संख्याः एक

3. **पिछले तीन वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी का औसत निवल लाभ (धारा 198 के अनुसार): रु. 4080.79 लाख**

4. **निर्धारित सीएसआर व्यय (उपर्युक्त मद 3 के अनुसार धनराशि का दो प्रतिशत):**

   रु. 81.62 लाख। तथापि, कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए अपने सीएसआर बजट के रूप में 100 लाख रुपए आवंटित किए।

5. **वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा**

(क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि : रु. 100 लाख

(ख) खर्च न की गई राशि, यदि कोई हो; रु. 42.11 लाख

(खर्च की जाने वाली अनिवार्य राशिः रु. 23.73 लाख, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत या इसका कोई भाग)

Annexure E

ANNEXURE TO DIRECTORS' REPORT
Annual Report on Corporate Social Responsibility (CSR) for FY 2017-18

1. **Whether the Company has framed CSR policy? If yes, a brief outline of the company's CSR policy, including overview of projects or programs proposed to be undertaken and reference of the web-link to the CSR policy and projects or programmes:**

   As a responsible corporate citizen, the Company is committed to undertake socially useful programmes for welfare and sustainable development of the community with its major focus on the community of handloom weavers. The Company has in place the Corporate Social Responsibility (CSR) Committee of Directors in terms of Section 135 of the Companies Act, 2013 and revised DPE guidelines. The overview of projects or programs undertaken during the year under review, is provided in the table at item 5(c) below. The CSR policy is available on the Company's website: *www.nhdc.org.in*

2. **The Composition of the CSR Committee**

(a) Total No. of Directors in the Committee: Four

(b) No. of Independent Directors in the Committee: One

3. **Average net profit of the company for last three financial years (as per Section 198): Rs. 4080.79 lakh**

4. **Prescribed CSR Expenditure (two percent of the amount as in item 3 above):**

   Rs. 81.62 lakh, However the Company allocated Rs. 100 lakh as its CSR budget for FY 2017-18

5. **Details of CSR spent during the financial year**

(a) Total amount to be spent for the financial year: Rs. 100 lakh

(b) Amount unspent, if any; Rs. 42.11 lakh

(Mandatory amount to be spent: Rs. 23.73 lakh, being 2% of the average net profit of the last three financial years or any part thereof)

(ग) वह तरीका जिससे वित्तीय वर्ष के दौरान राशि खर्च की गई, ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना या चिन्हित गतिविधि	वह क्षेत्र जिसके दायरे में परियोजना आती है	परियोजनाएं या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) वह राज्य और जिला विनिर्दिष्ट करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम चलाए गए	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम अनुसार	परियोज–नाओं या कार्यक्रमो पर खर्च की गई राशि उप–शीर्ष: (1) परियोज–नाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) ऊपरी खर्च	प्रतिवेदन अवधि तक संचित व्यय	खर्च की गई राशि: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1	विभिन्न हथकरघा क्षेत्रों के विद्यालयों में लड़कियों के लिए शौचालयों का निर्माण	अनुसूची VII का खंड i ["स्वास्थ्य सेवाएं प्रायोजित करना जिसमें निवारक स्वास्थ्य सेवाएं भी शामिल हैं"] और स्वच्छता	शिवसागर, जोरहाट, नालबारी (असम), दक्षिणी सिक्किम (सिक्किम), तेंजावल (मिजोरम), मुकोचांज (नागालैंड), पापुंपरे (अरुणाचल प्रदेश)	32.25	(1) 32.25	32.25	प्रत्यक्ष
2	निगम के पंजीकृत/क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों और इनके आसपास स्वच्छ भारत अभियान के लिए जागरूकता सृजित करने के लिए शिविर आयोजित किए गए हैं	अनुसूची VII का खंड i ["स्वास्थ्य सेवाएं प्रायोजित करना जिसमें निवारक स्वास्थ्य सेवाएं भी शामिल हैं"] और स्वच्छता	भारत भर में निगम के पंजीकृत/क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में शिविर आयोजित किए गए हैं	3.97	(1) 3.97	3.97	प्रत्यक्ष
3	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के माध्यम से जैकेट का वितरण	अनुसूची VII का खंड i ["स्वास्थ्य सेवाएं प्रायोजित करना जिसमें निवारक स्वास्थ्य सेवाएं भी शामिल हैं"] और स्वच्छता	नई दिल्ली (दिल्ली)	11.79	(1) 11.79	11.79	प्रत्यक्ष

(c) Manner in which the amount spent during the Financial Year is detailed below:

Rs. in lakh

Sl No	CSR Project or activity identified	Sector in which the Project is covered	Projects or programs (1) Local area or other (2) Specify the State and district where projects or program were undertaken	Amount outlay (budget) project or programs wise	Amount spent on the projects or programs Sub-heads: (1) Direct expenditure on projects or programs (2) Overheads	Cumulative expenditure upto the reporting period	Amount spent: Direct or through implementing agency
1	Construction of toilets for girls in school in various handloom clusters	Clause i of Schedule VII ["promoting health care including preventive health care"] and sanitation	Sivasagar, Jorhat, Nalbari (Assam), South Sikkim (Sikkim), Thenzawl (Mizoram), Mukokchang (Nagaland), Papumpare (Arunachal Pradesh)	32.25	(1) 32.25	32.25	Direct
2	Various camps had been organized at Registered/ Regional/Branch offices and nearby vicinity for awareness towards Swachh Bharat Abhiyan.	Clause i of Schedule VII ["promoting health care including preventive health care"] and sanitation	Camps had been organized PAN India in registered/regional/ branch offices of the Corporation	3.97	(1) 3.97	3.97	Direct
3	Distribution of jackets through Ministry of Drinking water and Sanitation	Clause i of Schedule VII ["promoting health care including preventive health care"] and sanitation	New Delhi (Delhi)	11.79	(1) 11.79	11.79	Direct

(रु. लाख में)

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना या चिन्हित गतिविधि	वह क्षेत्र जिसके दायरे में परियोजना आती है	परियोजनाएं या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) वह राज्य और जिला विनिर्दिष्ट करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम चलाए गए	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम अनुसार	परियोज–नाओं या कार्यक्रमो पर खर्च की गई राशि उप–शीर्ष: (1) परियोज–नाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) ऊपरी खर्च	प्रतिवेदन अवधि तक संचित व्यय	खर्च की गई राशि: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
4	हैदराबाद में बुनकर उद्यमी कार्यशाला	अनुसूची Vii का खंड ii (रोजगार संवर्धन व्यावसायिक कौशल, जीविका संवर्धन परियोजनाएं)	तेलंगाना (हैदराबाद)	9.88	(1) 9.88	9.88	प्रत्यक्ष
		कुल		**57.89**	**57.89**	**57.89**	**57.89**

6. **पिछले तीन वित्तीय वर्ष के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत या इसका कोई अन्य भाग खर्च न किए जाने के कारण:**

बुनकर समुदाय के कल्याण के लिए आयोजित कुछ शिविरों को सीएसआर बजट से हटा लिया गया। क्योंकि उन्हें प्रोत्साहन गतिविधियों के दायरे में माना गया था। खर्च न की गई राशि को वित्तीय वर्ष 2018–19 में खर्च किया जाएगा।

7. **कम्पनी के निदेशक मंडल की नैगमिक सामाजिक दायित्व समिति का उत्तरदायित्व विवरण निम्नवत् है:**

''नैगमिक सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति का कार्यान्वयन और निगरानी सीएसआर के उद्देश्यों और कम्पनी की नीति के अनुपालन में की जाती है''।

ह/–	ह/–	ह/–
(नवीन गुप्ता)	(शक्तिवेल पेरुमालसामी)	(संजय रस्तोगी)
अधिशासी निदेशक	अधिशासी निदेशक	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक/
(वित्त)/सीएफओ	(वाणिज्य)	सीएसआर समिति के अध्यक्ष

Rs. in lakh

Sl No	CSR Project or activity identified	Sector in which the Project is covered	Projects or programs (1) Local area or other (2) Specify the State and district where projects or program were undertaken	Amount outlay (budget) project or programs wise	Amount spent on the projects or programs Sub-heads: (1) Direct expenditure on projects or programs (2) Overheads	Cumulative expenditure upto the reporting period	Amount spent: Direct or through implementing agency
4	Weavers Entrepreneurship Work Shop at Hyderabad	Clause ii of Schedule VII [employment enhancing vocational skills, livelihood enhancement projects	Telangana (Hyderabad)	9.88	(1) 9.88	9.88	Direct
			Total	**57.89**	**57.89**	**57.89**	**57.89**

6. Reasons for not spending two per cent of the average net profit of the last three financial years or any part thereof:

Certain camps conducted for the welfare of weavers fraternity, were removed from the CSR budget as they were considered to be under the ambit of promotional activities. The unspent amount shall be carried forward and spent in FY 2018-19.

7. The responsibility statement of the Corporate Social Responsibility Committee of the Board of Directors of the Company is given below:

'The implementation and monitoring of Corporate Social Responsibility (CSR) Policy, is in compliance with CSR objectives and policy of the Company'.

Sd/- **(Naveen Gupta)** **ED (Finance)/CFO**	**Sd/-** **(Sakthivel Perumalsamy)** **ED(Commercial)**	**Sd/-** **(Sanjay Rastogi)** **CMD/Chairman of CSR Committee**

अनुलग्नक च

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक
वार्षिक विवरणी का उद्धरण - प्रपत्र संख्या एमजीटी-9

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौराः

i)	सीआईनः-	U17299UP1983GOI005974
ii)	पंजीकरण की तारीख	22 फरवरी, 1983
iii)	कम्पनी का नाम	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
iv)	कम्पनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	सार्वजनिक कम्पनी
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता और सम्पर्क विवरण	वेगमैन्स बिजनेस पार्क, चतुर्थ तल, टॉवर – 1 प्लॉट संख्या 03, सेक्टर नॉलेज पार्क – III, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश – 201306 फोन – 0120-2329615
vii)	क्या सूचीबद्ध कम्पनी है – हां/नहीं	नहीं
viii)	पंजीकरण और हस्तांतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता और सम्पर्क विवरण	लागू नहीं

II. कम्पनी की प्रमुख कारोबारी गतिविधियां (कम्पनी के कुल टर्नओवर के 10 प्रतिशत या इससे अधिक योगदान देने वाली सभी कारोबारी गतिविधियों का उल्लेख किया जाएगा)–

क्र.स.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का एनआईसी कोड	कम्पनी के कुल टर्नओवर का %
1.	यार्न	1311	98.56%

III. धारक, सहायक और सम्बद्ध कम्पनियों का विवरण –

क्र.स.	कम्पनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/अनुषंगी/सहयोगी	धारित शेयरों का%	प्रयोज्य धारा
-	-	-	-	-	-

Annexure F

ANNEXURE TO DIRECTORS' REPORT

EXTRACT OF ANNUAL RETURN-FORM NO. MGT-9

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

i)	CIN:-	U17299UP1983GOI005974
ii)	Registration Date	22nd February, 1983
iii)	Name of the Company	National Handloom Development Corporation Ltd.
iv)	Category / Sub-Category of the Company	Public Company
v)	Address of the Registered office and contact details	4th Floor, Wegmans Business Park, Tower - 1 Plot No. 03, Sector Knowledge Park – III, Greater Noida, Uttar Pradesh, 201306 Phone – 0120-2329615
vii)	Whether listed company Yes /No	No
viii)	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	N.A.

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY(All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the Company shall be stated):-

Sl. No.	Name and Description of main products / services	NIC Code of the Product/ service	% to total turnover of the company
1.	Yarn	1311	98.56%

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES–

S. No.	Name and address of the company	CIN/ GLN	Holding/ subsidiary/ associate	% of shares held	Applicable Section
-	-	-	-	-	-

IV. शेयरधारिता पद्धति (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा)

i) श्रेणी–वार शेयरधारिता

शेयरधारिता की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान% परिवर्तन
	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. संवर्धक (1) भारतीय केंद्रीय सरकार* उप–योग (क)(1):–	-	1900000	1900000	100%	-	1900000	1900000	100%	-
(2) विदेश क) एनआरआई–व्यक्ति ख) अन्य– व्यक्ति ग) निगमित निकाय. घ) बैंक/वित्तीय संस्थाएं ङ) कोई अन्य .... उप–योग (क) (2):–	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संवर्धकों की कुल शेयरधारिता (क) = (क) (1) + (क) (2)	-	1900000	1900000	100%	-	1900000	1900000	100%	-
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता 1. संस्थाएं क) म्युचुअल फंड ख) बैंक/वित्तीय संस्थाएं ग) केंद्रीय सरकार घ) राज्य सरकार (सरकारें) ङ उद्यम पूंजी निधियां च) बीमा कम्पनियां छ) एफआईआई ज विदेशी उद्यम पूंजी निधियां झ अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–योग (ख)(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर संस्थाएं									
क) निगमित निकाय i) भारतीय ii) विदेशी ख) व्यक्ति i) 1 लाख रुपए तक नामांकित शेयर पूंजी धारित करने वाली व्यक्तिगत शेयरधारक ii) 1 लाख रुपए से अधिक नामांकित शेयर पूंजी धारित करने वाली व्यक्तिगत शेयरधारक									
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)									
उप–योग (ख)(2):–	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)= (ख)(1)+ (ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर और एडीआर के लिए संरक्षक द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (क+ख+ग)	**-**	**1900000**	**1900000**	**100%**	**-**	**1900000**	**1900000**	**100%**	**-**

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i) Category-wise ShareHolding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoters (1) Indian Central Govt * Sub-total (A) (1):-	-	1900000	1900000	100%	-	1900000	1900000	100%	-
(2) Foreign a) NRIs -Individuals b) Other –Individuals c) Bodies Corp. d) Banks /FI e) Any Other…. Sub-total (A) (2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total shareholding of Promoter (A) = (A) (1) + (A) (2)	-	1900000	1900000	100%	-	1900000	1900000	100%	-
B. Public Shareholding 1. Institutions a) Mutual Funds b) Banks /FI c) Central Govt d) State Govt(s) e) Venture Capital Funds f) Insurance Companies g) FIIs h) Foreign Venture Capital Funds i) Others(specify)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total (B)(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Non Institutions a) Bodies Corp. i) Indian ii) Overseas b) Individuals i) Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1lakh ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs 1 lakh c) Others (specify)									
Sub-total (B)(2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+ (B)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grand Total (A+B+C)	**-**	**1900000**	**1900000**	**100%**	**-**	**1900000**	**1900000**	**100%**	**-**

(ii) संवर्धकों की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन %
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का%	कुल शेयरों में प्रतिभूत/धारित शेयरों की प्रतिशतता	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों की तुलना में प्रतिभूत/धारित शेयरों की प्रतिशतता	
1.	केंद्रीय सरकार	1900000	100%	-	1900000	100%	-	
	कुल	1900000	100%	-	1900000	100%	-	

**कम्पनी एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी है। 19,00,000 शेयरों की कुल शेयरधारिता में से, 18,99,992 शेयर भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा धारित हैं, शेष 8 शेयर उपायुक्त (हथकरघा) और कम्पनी के अधिकारियों द्वारा धारित हैं।*

(iii) संवर्धकों की शेयरधारिता में परिवर्तन (कृपया विनिर्दिष्ट करें, यदि कोई परिवर्तन नहीं)– कोई परिवर्तन नहीं

क्र.सं		वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष की शुरुआत में	1900000	100%	1900000	100%
2.	वर्ष के दौरान वृद्धि/ह्रास का उल्लेख करते हुए संवर्धकों की अंशधारिता में आंकड़ा–वार वृद्धि / ह्रास (जैसे आबंटन/अंतरण / बोनस / उद्यम इक्विटी आदि)	-	-	-	-
3.	वर्ष के अंत में	1900000	100%	1900000	100%

(ii) Shareholding of Promoters

Sl. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% change in share holding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the Company	% of Shares Pledged/ encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the Company	%of Shares Pledged/ encumbered to total shares	
1.	Central Govt.*	1900000	100%	-	1900000	100%	-	-
	Total	**1900000**	**100%**	**-**	**1900000**	**100%**	**-**	**-**

**The Company is a wholly-owned Government Company, out of the total shareholding of 19,00,000 shares, 18,99,992 shares are held by the Nominee of Hon'ble President of India, the remaining 8 shares are held by officers of DC (Handlooms) and the Company.*

(iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)- No change

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
1	At the beginning of the year	1900000	100%	1900000	100%
2	Date wise Increase/ Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/ sweat equity etc):	-	-	-	-
3	At the End of the year	1900000	100%	1900000	100%

(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों की शेयरधारिता पद्धति (निदेशकों, प्रमोटरों और जीडीआर तथा एडीआर के धारकों के अतिरिक्त):

क्र.सं	शीर्ष 10 शेयरधारकों द्वारा धारिता	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %
वर्ष की शुरुआत में		**18,99,995**	**100%**	**18,99,995**	**100%**
	भारत के राष्ट्रपति के नामित	18,99,992	100%	18,99,992	100%
	श्री अनिल कुमार अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)	01	0%	01	0%
	श्री आर.के. साहू अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)	01	0%	01	0%
	श्री शक्तिवेल पेरुमालसामी अधिशासी निदेशक (वाणिज्य)@	01	0%	01	0%
वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में तारीख–वार वृद्धि/कमी			-	-	-
वर्ष के अंत में		**18,99,9925**	**100%**	**18,99,9925**	**100%**

@ श्री शक्तिवेल पेरुमालसामी को श्री एम.सी. गुप्ता से दिनांक 25 जुलाई, 2017 से शेयर हस्तांतरित किए गए

(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

क्र.सं	निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %
1.	**श्री संजय रस्तोगी, अध्यक्ष/विकास आयुक्त (हथकरघा)***				
	वर्ष की शुरुआत में	-	-	-	-
	18 दिसम्बर, 2017 को अधिग्रहीत शेयर	02	0%	02	0%
	वर्ष के अंत में	02	0%	02	0%
2.	**श्री ए के शर्मा, निदेशक/उपसचिव, समेकित वित्त प्रभाग (वस्त्र मत्रांलय)@**				
	वर्ष की शुरुआत में	-	-	-	-
	18 दिसम्बर, 2017 को अधिग्रहीत शेयर	01	0%	01	0%
	वर्ष के अंत में	01	0%	01	0%
3.	**श्री सर्वपल्ली श्रीनिवास, प्रबंध निदेशक**				
	वर्ष की शुरुआत में	01	0%	01	0%
	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख–वार वृद्धि/कमी	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	01	0%	01	0%
4.	**श्री नवीन कुमार गुप्ता, अधिशासी निदेशक (वित्त)/सीएफओ#**				
	वर्ष की शुरुआत में	-	-	-	-
	25 जुलाई, 2017 को अधिग्रहीत शेयर	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	01	0%	01	0%

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

Sl. No.	For each of the Top 10 shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
At the beginning of the year		**18,99,995**	**100%**	**18,99,995**	**100%**
	The Nominee, President of India	18,99,992	100%	18,99,992	100%
	Sh. Anil Raj Kumar, ADC (Handlooms)	01	0%	01	0%
	Sh. R.K. Sahu, ADC (Handlooms)	01	0%	01	0%
	Sh. Sakthivel Perumalsamy, ED(Com)@	01	0%	01	0%
Date wise Increase / Decrease in Promoters Shareholding during the year.			-	-	-
At the End of the year		**18,99,9925**	**100%**	**18,99,9925**	**100%**

@ Share was transferred to Shri Sakthivel Perumalsamy from Shri M.C. Gupta on 25th July, 2017

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

Sl. No.	For each of the Directors and Key Managerial Personnel	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
1.	**Shri Sanjay Rastogi, Chairman/DC Handloom***				
	At the beginning of the year	-	-	-	-
	Shares acquired on 18th Dec, 2017	02	0%	02	0%
	At the End of the year	02	0%	02	0%
2.	**Shri A.K.Sharma, Director@**				
	At the beginning of the year	-	-	-	-
	Shares acquired on 18th Dec, 2017	01	0%	01	0%
	At the End of the year	01	0%	01	0%
3.	**Shri Sarvepalli Srinivas, Managing Director**				
	At the beginning of the year	01	0%	01	0%
	Date wise Increase/ Decrease in Shareholding during the year	-	-	-	-
	At the End of the year	01	0%	01	0%
4.	**Shri Naveen Kumar Gupta ED(Finance)/CFO#**				
	At the beginning of the year	-	-	-	-
	Shares acquired on 25th July, 2017	-	-	-	-
	At the End of the year	01	0%	01	0%

**श्री संजय रस्तोगी को 4 दिसम्बर, 2017 से निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और श्री शांतमनु द्वारा धारित शेयर 18 दिसम्बर, 2017 से इनको हस्तांतरित कर दिए गए। श्री शांतमनु से पूर्व, ये शेयर श्री आलोक कुमार द्वारा धारित थे, जो 25 जुलाई, 2017 को श्री शांतमनु को हस्तांतरित किए गए थे।*

@श्री ए.के. शर्मा को 18 दिसम्बर, 2017 से निगम का निदेशक नियुक्त किया गया और श्री आर.वी.एस. मणि द्वारा धारित शेयर उसी तारीख से इनको हस्तांतरित कर दिए गए।

#शेयर 25 जुलाई, 2017 को श्री जय गोपाल महाजन से श्री नवीन कुमार गुप्ता को हस्तांतरित किए गए।

V. देनदारी:

कम्पनी की देनदारी में बकाया/संचित, किंतु भुगतान के लिए अदेय ब्याज शामिल है

(रु. लाख में)

	जमा राशियां को छोडकर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा राशियां	कुल देनदारी
वित्त वर्ष के प्रारंभ में देनदारी i) मूल राशि ii) देय परंतु नहीं दिया गया ब्याज iii) प्रोद्भूत–ब्याज परंतु अनदेय	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)	-	-	-	-
वित्त वर्ष के दौरान देनदारी में परिवर्तन • वृद्धि • कमी	-	-	-	-
निवल परिवर्तन	-	-	-	-
वित्त वर्ष के अंत में देनदारी i) मूल राशि ii) देय परंतु नहीं दिया गया ब्याज iii) प्रोद्भूत–ब्याज परंतु अनदेय	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)	-	-	-	-

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक को पारिश्रमिक:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक का नाम–श्री सर्वपल्ली श्रीनिवास	कुल राशि
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	26.66	26.66
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य	3.25	3.25
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 017(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ	-	-
2.	स्टॉक विकल्प	-	-
3.	उद्यम इक्विटी	-	-
4.	कमीशन – लाभ के % के रूप में – अन्य, विनिर्दिष्ट करें...	-	-
5.	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	-	-
	अधिनियम के अनुसार कुल (क) सीमा	29.91	29.91

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

वित्तीय वर्ष 2017–18 में श्री शिखा रॉय पब्बी, अशासकीय स्वतंत्र निदेशक को निगम की बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए 85000/– रुपए की राशि का भुगतान किया गया।

** Shri Sanjay Rastogi was appointed as Chairman of the Corporation w.e.f. 4th December, 2017 and the shares held by Shri Shantmanu were transferred to him on 18th December, 2017. Prior to Shri Shantmanu, these shares were held by Shri Alok Kumar, which were transferred to Shri Shantmanu on 25th July, 2017.*

@ Shri A.K.Sharma was appointed as Director of the Corporation w.e.f. 18th December, 2017 and the share held by Shri R.V.S. Mani were transferred to him on the same date.

 # Shares were transferred to Shri Naveen Kumar Gupta from Shri Jai Gopal Mahajan on 25th July, 2017.

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

(Rs. in lakh)

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due	-	-	-	-
Total (i+ii+iii)	-	-	-	-
Change in Indebtedness during the financial year • Addition • Reduction	-	-	-	-
Net Change	-	-	-	-
Indebtedness at the end of the financial year i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due	-	-	-	-
Total (i+ii+iii)	-	-	-	-

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. REMUNERATION TO MANAGING DIRECTOR:

(Rs. in lakh)

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD - Shri Sarvepalli Srinivas	Total Amount
1.	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	26.66	26.66
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	3.25	3.25
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income tax Act, 1961	-	-
2.	Stock Option	-	-
3.	Sweat Equity	-	-
4.	Commission - as % of profit - others, specify…	-	-
5.	Others, please specify	-	-
	Total (A) Ceiling as per the Act	29.91	29.91

B. REMUNERATION TO OTHER DIRECTORS

An amount of Rs. 85000/- was paid to Smt. Shikha Roy Pabbi, Non -Official Independent Director in FY 2017-18 for attending the Board/Committee Meetings of the Corporation.

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक के अतिरिक्त प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

(रु. लाख में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			कुल
		सीईओ	सीएफओ	कम्पनी सचिव*	
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	20.14	0.64	20.78
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य	-	-	-	-
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ	-	-	-	-
2.	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-
3.	उद्यम इक्विटी	-	-	-	-
4.	कमीशन – लाभ के % के रूप में – अन्य, विनिर्दिष्ट करें...	-	-	-	-
5.	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	-	-	-	-
	कुल (ख)	-	20.14	0.64	20.78

**सुश्री गुंजन वर्मा दिनांक 13 सितम्बर, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक निगम की कम्पनी सचिव थीं*

VII. कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपराधों के लिए दण्ड/सजा/जुर्माना: शून्य

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	शास्ति/दंड/लगाए गए संयोजन शुल्क का ब्यौरा	प्राधिकरण [आरडी/एनसीएलटी/न्यायालय]	की गई अपील, यदि कोई हो (ब्यौरा दें)
क. कम्पनी					
शास्तिप	-	-	-	-	-
दंड	-	-	-	-	-
संयोजन	-	-	-	-	-
ख. निदेशक					
शास्तिप	-	-	-	-	-
दंड	-	-	-	-	-
संयोजन	-	-	-	-	-
ग. व्यक्तिक्रम अन्य अधिकारी					
शास्तिप	-	-	-	-	-
दंड	-	-	-	-	-
संयोजन	-	-	-	-	-

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

ह/–

(संजय रस्तोगी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएनः 07722405

दिनांक 25 सितम्बर 2018

स्थान : नई दिल्ली

C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/ MANAGER/ WTD

(Rs. in lakh)

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			Total
		CEO	CFO	Company Secretary*	
1.	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	-	20.14	0.64	20.78
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	-	-	-	-
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	-	-	-	-
2.	Stock Option	-	-	-	-
3.	Sweat Equity	-	-	-	-
4.	Commission - as % of profit - others, specify…	-	-	-	-
5.	Others, please specify	-	-	-	-
	Total (B)	-	20.14	0.64	20.78

**Ms. Gunjan Verma was the CS of the Corporation from 13th September, 2017 to 31st December, 2017*

VII. PENALTIES/ PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES UNDER COMPANIES ACT' 2013: NIL

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/ Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD / NCLT/ COURT]	Appeal made, if any (give Details)
A. COMPANY					
Penalty	-	-	-	-	-
Punishment	-	-	-	-	-
Compounding	-	-	-	-	-
B. DIRECTORS					
Penalty	-	-	-	-	-
Punishment	-	-	-	-	-
Compounding	-	-	-	-	-
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty	-	-	-	-	-
Punishment	-	-	-	-	-
Compounding	-	-	-	-	-

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Sanjay Rastogi
Chairman cum Managing Director
DIN: 07722405

Dated: 25th September, 2018
Place: New Delhi

सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

[दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए,
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) तथा कम्पनी
(प्रबन्धन कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 की नियम संख्या 9 के अनुसरण में

सेवा में,
सदस्यगण,
राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः चतुर्थ तल, वैगमैन्स बिजनेस पार्क,
टॉवर–I, प्लॉट नं. 03, सेक्टर नॉलेज पार्क–III,
सूरजपुर–कासना मेन रोड़, ग्रेटर नोएडा,
गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.–201306

हमने **राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (CIN NO U17299UP1983GOI005974)** (इसके पश्चात "कम्पनी" के रूप में उल्लिखित) द्वारा प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा उनके द्वारा अच्छी नैगमिक कार्यप्रणाली के अनुपालन की सचिवालीय लेखा परीक्षा की है। सचिवालीय लेखा परीक्षा इस प्रकार संचालित की गई थी कि जिससे हमें नैगमिक आचरण/सांविधिक अनुपालनों तथा उन पर मेरी राय व्यक्त करने का तार्किक आधार प्राप्त हो सके।

कम्पनी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों तथा दायर की गई विवरणिका एवं कम्पनी द्वारा रखे जा रहे अन्य रिकार्डों तथा साथ ही कम्पनी, उसके अधिकारियों, एजेंटो एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवालीय लेखा परीक्षा के दौरान मुहैया कराई गई सूचना के सम्बन्ध में हमारे सत्यापन के आधार पर हम एतद्वारा यह टिप्पणी करते हैं कि हमारी राय में कम्पनी ने दिनांक **31 मार्च, 2018** को समाप्त वित्त वर्ष को कवर करने वाली लेखा परीक्षा अवधि के दौरान यहाँ सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा साथ ही कम्पनी के पास उचित व्यापक प्रक्रियाओं का प्रावधान है तथा साथ ही उनके अनुपालन के सम्बन्ध में कार्यतन्त्र भी विद्यमान है जो इसके पश्चात की गई टिप्पणी के अध्यधीन है।

हमने दिनांक **31 मार्च, 2018** को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कम्पनी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों एवं दायर की गई विवरणियों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जाँच की है :–

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 **(अधिनियम)** तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम – **अप्रयोज्य हैं क्योंकि कम्पनी द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियाँ समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध नहीं थीं;**

(iii) सांविधिक जमा अधिनियम, 1996 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए विनियम एवं उपनियम – **अप्रयोज्य हैं क्योंकि कम्पनी द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियाँ समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध नहीं थीं;**

(iv) विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, 1999 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम, जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, अप्रवासी प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक उधारियों के सन्दर्भ में बनाए गए थे – **अप्रयोज्य है क्योंकि कम्पनी ने समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है;**

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अन्तर्गत निर्धारित किए गए निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश – **अप्रयोज्य हैं क्योंकि कम्पनी की प्रतिभूतियाँ समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध नहीं थीं;**

Secretarial Audit Report

[For the Financial Year ended on 31st March, 2018]
[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
National Handloom Development Corporation Limited
Regd. Office: 4th Floor, Wegmans Business Park,
Tower-1, Plot No. 03, Sector Knowledge Park-III,
Surajpur- Kasna Main Road, Greater Noida,
Gautam Buddha Nagar, UP- 201306

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and adherence to good corporate practices by the **National Handloom Development Corporation Limited (CIN NO: U17299UP1983GOI005974)** (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts / statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on **31st March, 2018** complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board - Processes and Compliance -Mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the period ended on **31st March, 2018** according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 **(the Act)** and the Rules made thereunder;

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder; - **not applicable as the securities issued by Company were not listed during the period under review;**

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed there under; - **not applicable as the securities issued by Company are not dematerialized and were not listed during the period under review;**

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings - **Not applicable as the Company has not made any such transaction during the financial year under review;**

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act') **were not applicable to the company as the securities of the Company was not listed during the relevant audit period:**

क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का महत्वपूर्ण अभिग्रहण एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011;

ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का निषेध) विनियम, 2015

ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2009;

घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;

ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों को जारी करना तथा उन्हे सूचीबद्ध करना) विनियम, 2008;

च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचियन) विनियम, 2009;

छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 1998;

ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गमन एवं शेयर हस्तांतरण एजेंट सम्बन्धी पंजीयक) विनियम, 1993 जो कम्पनी अधिनियम के सम्बन्ध में है तथा जिसका सम्बन्ध ग्राहकों से है; **अप्रयोज्य है क्योंकि कम्पनी लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान, किसी रजिस्ट्रार से जुड़ी गतिविधियों में शामिल नहीं थी और शेयर ट्रांसफर एजेंट के रूप में भी काम नहीं कर रही थी।**

(vi) कम्पनी के लिए अन्य श्रम, पर्यावरण और विशिष्ट लागू अधिनियम/कानून जिसके लिए सचिवालीय लेखा परीक्षा एक अवलोकन लेखा परीक्षा के रूप में आयोजित की गई थी और आमतौर पर हमें प्रदान किए गए दस्तावेजों और कम्पनी और प्रबन्धन के अन्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट और अन्य पेषेवरों द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र, कम्पनी ने लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी के लिए लागू निम्नलिखित अधिनियमों/कानूनों का अनुपालन किया है :–

क) भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मन्त्रालय (सार्वजनिक उद्यम विभाग), भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए नैगमिक सामाजिक दायित्व पर दिशानिर्देश – मार्च 2010;

ख) नैगमिक कार्य मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नैगमिक अभिशासन स्वैच्छिक दिशानिर्देश, 2009;

ग) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 और कर्मचारी जमा–लिंक्ड बीमा योजना, 1976 और कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952;

घ) अनुबन्ध श्रम (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम, 1970;

ङ) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961;

च) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948;

छ) पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 और अन्य पर्यावरण कानूनों के साथ पढ़नीय पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986;

ज) महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नियम, 2013 के साथ पढ़ित महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013;

a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011; -

b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009;

d) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;

e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;

f) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009;

g) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998;

h) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Shares Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client; **The Company was not involved in the activities relating to Registrar to a issue and also not acting as Share Transfer Agent hence the regulations were not applicable to the Company during the audit period;**

(vi) Other labour, environment and specific applicable Acts / Laws to the Company for which Secretarial Audit was conducted as an overview audit and was generally based/ relied upon the documents provided to us and Management Confirmation Certificate provided by the Management of the Company& other audit report and certificates given by other professionals, the company has complied with the following Acts / Laws applicable to the Company during the audit period;

(a) Guidelines on Corporate Social Responsibility for Central Public Sector Enterprises-March 2010 issued by the Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises (Department of Public Enterprises), Government of India;

(b) Corporate Governance Voluntary Guidelines, 2009 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

(c) The Employees Provident Fund &Miscellaneous Provisions Act 1952 & The Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 and Employees Provident Fund Scheme, 1952

(d) The Contract Labour (Regulations and Abolition) Act 1970.

(e) Maternity Benefit Act 1961

(f) Minimum Wages Act, 1948

(g) Environment (Protection) Act 1986 read with The Environment (Protection) Rules 1986 and other Environment Laws.

(h) The Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 read with The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Rules 2013.

झ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005.

हमने इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेट्रीज़ ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवालीय मानकों के लागू होने वाले नियमों के अनुपालन की भी जाँच की है।

हमने लागू वित्तीय कानूनों जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों की जाँच नहीं की है, क्योंकि यह वैधानिक वित्तीय लेखा परीक्षा और अन्य नामित पेशेवरों की समीक्षा के अधीन आता है।

हम यह प्रमाणित करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अध्यधीन उपर्युक्त अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि का अनुपालन किया है :–

– जबकि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) एवं 149(5) के साथ पठित कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियमावली, 2014 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के लिए यह आवश्यक था कि वह कम्पनी के बोर्ड में कम से कम दो स्वतन्त्र निदेशकों की नियुक्ति करे परन्तु कम्पनी ने भारत सरकार के वस्त्र मन्त्रालय के आदेश संख्या 11/26/82–डीसीएच/रा.ह.वि.नि./(अंक IV) के अनुपालन में केवल एक ही स्वतन्त्र निदेशक श्रीमती शिखा रॉय पब्बी की नियुक्ति दिनांक 1 फरवरी 2017 से तीन वर्ष की अवधि के लिए की है। प्रबन्धन द्वारा आगे दी गई सूचना के अनुसार एक सरकारी कम्पनी होने के नाते कम्पनी ने आवश्यकतानुसार एक और स्वतन्त्र निदेशक की नियुक्ति करने के लिए अपने प्रशासनिक मन्त्रालय से अनुरोध किया है।

– जबकि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(1) के साथ पठित कम्पनी (बोर्ड की बैठके तथा उसकी शक्तियाँ) नियमावली, 2014 के अनुसार कम्पनी के लिए यह आवश्यक था कि वह स्वतन्त्र निदेशकों के बहुमत वाली बोर्ड की एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करे। कम्पनी ने चार निदेशकों वाली बोर्ड की एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है, जिसमें आवश्यकतानुसार स्वतन्त्र निदेशक नहीं हैं। प्रबन्धन द्वारा आगे दी गई सूचना के अनुसार एक सरकारी कम्पनी होने के नाते कम्पनी ने बोर्ड में आवश्यक स्वतन्त्र निदेशकों की नियुक्ति करने के लिए अपने प्रशासनिक मन्त्रालय से अनुरोध किया है, जिससे कि स्वतन्त्र निदेशकों के बहुमत वाली लेखा परीक्षा समिति पुनर्गठित की जा सके।

– जबकि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी द्वारा एक जोखिम प्रबंधन नीति बनाना अपेक्षित था, कम्पनी ने कोई औपचारिक जोखिम प्रबंधन नीति अंगीकृत नहीं की है। तथापि, जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, कम्पनी ने जोखिम के प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक उपाय किए है।

हम आगे यह टिप्पणी करते है कि:–

1) कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 और भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मन्त्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा बोर्ड के गठन में कार्यकारी, गैर–कार्यकारी और स्वतन्त्र निदेशकों के उचित सन्तुलन के बारे में जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए नैगमिक अभिशासन दिशानिर्देश, 2010 का अनुपालन किया है।

2) सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों का आयोजन करने के लिए पर्याप्त, कम से कम सात दिन पहले, सूचना दी गई है। तत्पश्चात सभी निदेशकों को कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियाँ अग्रिम रूप से भेज दी गई थीं। और बैठक से पूर्व एवं बैठक में सार्थक भूमिका निभाने के लिए आगे की सूचना प्राप्त करने एवं कार्यसूची की मदों पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु एक कार्यतन्त्र मौजूद है। देरी से सूचना के मामले में, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के साथ पठित आईसीएसआई के सेक्रेटरीयल स्टैण्डर्ड–1 के अनुच्छेद 1.3.7 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(i) Right to Information Act 2005.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India.

We have not examined the applicable financial laws, like direct and indirect tax laws, since the same have been subject to review by statutory financial audit and other designated professionals.

We report that during the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. as mentioned above subject to the following observation:

- Where as in term of the provisions of Section 149(4) & 149(5)of the Companies Act, 2013 read with rule 4 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, the Company was required to appoint at least two Independent Directors on the Board of the Company but the Company in compliance of Government of India, Ministry of Textiles Order no. 11/26/82-DCH/NHDC/ (VOL. IV) has appointed only one Independent Director for a period of three years w.e.f 1st February 2017. The Management has further informed that the Company being a Government Company has requested its administrative ministry for making necessary appointment of another Independent Director on the Board of the Company.

- Where as in term of the provisions of Section 177(1) of the Companies Act, 2013 read with rule 6 of the Companies (Meeting of Board and its powers) Rules, 2014, the Company was required to constitute an Audit Committee of the Board with the majority of Independent Directors. The Company has constituted the Audit Committee of the Board consisting of four directors without sufficient number of Independent Directors. The Management has further informed that the Company being a Government Company has requested its administrative ministry for making necessary appointment of Independent Director on the Board of the Company so as to constitute optimum number of Independent Director in the Audit Committee.

- Where as in term of the provisions of Section 134(3) of the Companies Act, 2013 the Company was required to have a Risk Management policy, the Company has not adopted any formal Risk Management policy. However as informed by the Management the Company has adopted all necessary measures for the management of the risk.

We further report that:

1) The Company has complied with Companies Act 2013, Corporate Governance Guidelines for Central Public Sector Enterprises, 2010 issued by Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises, Government of India in respect of constitution of the board with proper balance of Executive, Non-Executive Directors & Independent Directors.

2) Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings atleast seven days in advance/as per provisions and agenda and detailed notes on agenda were also sent in advance to all the Directors subsequently, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting. In case of shorter notice, the Company has complied with the applicable provisions of Section 173 of the Companies Act 2013 read with clause 1.3.7 of the Secretarial Standard -1 of ICSI.

3) बहुमत के निर्णय को वरीयता दी जाती है जबकि असहमत सदस्यों के मत, यदि कोई हों, तो उन पर भी ध्यान दिया जाता है और उन्हें कार्यवृत्त के भाग के रूप में अभिलेख कर लिया जाता है।

4) निदेशकों ने अपनी नियुक्ति की पात्रता के सम्बन्ध में प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, वे निदेशकों और प्रबन्धन कर्मियों के लिए व्यापार आचरण और नैतिकता संहिता के स्वतन्त्र और अनुपालन के साथ हैं।

हम आगे यह टिप्पणी करते हैं कि प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों की मॉनीटरिंग करने तथा उनके अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कम्पनी के आकार तथा उसके कार्यकरण के अनुरूप कम्पनी में पर्याप्त व्यवस्थाएँ एवं प्रक्रियाएँ मौजूद हैं।

हम आगे प्रतिवेदन करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, निम्नलिखित का कोई मामला नहीं थाः

(क) ''शेयरों/स्वैट इक्विटी का सार्वजनिक/अधिमान्य निर्गमन

(ख) प्रतिभूतियों का पुनःक्रय

(ग) विलय/समामेलन/पुनःसंरचना आदि और

(घ) विदेशी तकनीकी सहयोग

कृते नवनीत के अरोड़ा एंड कम्पनी एलएलपी
कम्पनी सचिव

ह/–
सीएस नवनीत अरोड़ा
प्रबंध भागीदार
सीएसः 3214, सीओपीः 3005

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 20 अगस्त, 2018

[टिप्पणीः इस प्रतिवेदन को हमारे इसी तारीख के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो ''अनुलग्नक–क'' के रूप में संलग्न है और इस प्रतिवेदन का अभिन्न अंग है]

3) Majority decision is carried through while the dissenting members' views, if any, are captured and recorded as part of the minutes.

4) The Directors have complied with the disclosure requirements in respect of their eligibility of appointment, their being independent and compliance with the Code of Business Conduct & Ethics for Directors and Management Personnel;

We further report that based on the information received and records maintained there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with other applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period, there were no instances of:

a) Public / Preferential Issue of Shares / Sweat Equity.

b) Buy-back of Securities.

c) Merger / Amalgamation / Reconstruction etc. and

d) Foreign Technical Collaborations.

For Navneet K Arora & Co LLP
Company Secretaries

Sd/-
CS Navneet Arora
Managing Partner
CS:3214, COP:3005

Place: New Delhi
Date: 20th August, 2018

[Note: This report is to be read with our letter of even date which is annexed as **"Annexure-A"** and forms an integral part of this report].

अनुलग्नक– ''क''

सेवा में,
सदस्यगण,
राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः चतुर्थ तल, वैगमैन्स बिजनेस पार्क,
टॉवर–I, प्लॉट नं. 03, सेक्टर नॉलेज पार्क–III
सूरजपुर–कासना मेन रोड़, ग्रेटर नोएडा,
गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.–201306

हमारा इसी तारीख का प्रतिवेदन निम्नानुसार इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है:

1) सचिवालयी अभिलेख का अनुरक्षण कम्पनी के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा दायित्व हमारी लेखा परीक्षा पर इन सचिवालयी अभिलेखों पर एक मत व्यक्त करना है।

2) हमने उन लेखा परीक्षा परिपाटियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवालयी अभिलेखों की विषयवस्तु की त्रुटिहीनता के बारे में औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करने के लिए समीचीन थीं। यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन परीक्षण आधार किया गया कि सचिवालयी अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं और परिपाटियां हमारे मत के लिए एक औचित्यपूर्ण आधार उपलब्ध कराती हैं।

3) हमने कम्पनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तिकाओं की सटीकता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है।

4) जहां कहीं अपेक्षित था, हमने विधियों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबधंक का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

5) निगमित और अन्य प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

6) सचिवालयी लेखा परीक्षा न तो कम्पनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में, न ही उस कुशलता या प्रभावोत्पादकता का कोई आश्वासन है जिससे प्रबंधन ने कम्पनी का कामकाज चलाया है।

कृते नवनीत के अरोड़ा एंड कम्पनी एलएलपी

कम्पनी सचिव

ह/–
सीएस नवनीत अरोड़ा
प्रबंध भागीदार
सीएसः 3214, सीओपीः 3005

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 20 अगस्त, 2018

Annexure-"A"

To,
The Members,
National Handloom Development Corporation Limited
Regd. Office: 4th Floor, Wegmans Business Park,
Tower-1, Plot No. 03, Sector Knowledge Park-III,
Surajpur- Kasna Main Road, Greater Noida,
Gautam Buddha Nagar, UP- 201306

Our report of even date is to be read along with this letter as under:

1) Maintenance of secretarial record is the responsibility of the Management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records on our audit.

2) We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial Records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.

3) We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and books of accounts of the Company.

4) Where ever required, we have obtained the Management Representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

5) The Compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of Management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.

6) The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the company.

For Navneet K Arora & Co LLP
Company Secretaries

Sd/-
CS Navneet Arora
Managing Partner
CS:3214, COP:3005

Place: New Delhi
Date: 20th August, 2018

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन
सदस्यगण राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (एनएचडीसी)

(I) स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट :

हमने **राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (निगम)** के स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2018 तक का तुलन पत्र, लाभ एवं हानि सम्बन्धी विवरण, रोकड़ प्रवाह सम्बन्धी विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सार तथा तत्कालीन समाप्ति वर्ष की अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल हैं। उपरोक्त वित्तीय विवरणों में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड – कन्नूर, कोलकाता, वाराणसी, पानीपत, हैदराबाद, कोयम्बटूर, गुवाहाटी, भुवनेश्वर एवं विजयवाड़ा के निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित उस तारीख को समाप्त वर्ष की विवरणी अन्तर्विष्ट है। क्षेत्रीय कार्यालयों और सम्बन्धित सांविधिक लेखा परीक्षकों का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :–

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	शाखा लेखा परीक्षकों का नाम और पता
1	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, कन्नूर, केरल	मैसर्स जेकब एंड जॉर्ज, चार्टेड एकाउन्टेन्टस, बी.बी. कॉम्पलेक्स, साउथ बाजार, कन्नूर, केरल-670002
2	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	मिश्रा एंड मिश्रा, चार्टेड एकाउन्टेन्टस, 1/1सी गोवा बागान स्ट्रीट, प्रथम तल, कोलकाता -700006
3	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	मैसर्स आलोक शर्मा एंड कम्पनी, चार्टेड एकाउन्टेन्टस, सी–13/5-A, औरंगाबाद, वाराणसी
4	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, पानीपत, हरियाणा	मैसर्स विनोद ग्रोवर एंड एसोशिएट्स, चार्टेड एकाउन्टेन्टस, 26.27, प्रथम तल, शकुंतला कॉम्पलेक्स, पालिका बाजार, जीटी रोड़, पानीपत, हरियाणा
5	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना	मैसर्स एम.ए. मोहियाद्दीन एंड कम्पनी, चार्टेड एकाउन्टेन्टस, 307, लेनाइन एस्टेट एबिड्स, हैदराबाद-500001
6	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	मैसर्स एन.एम. एंड कम्पनी चार्टेड एकाउन्टेन्टस, 200/4 प्रथम तल, प्रीमियर एपार्टमेंट्स, एनएसआर रोड़, साई बाबा कॉलोनी, कोयम्बटूर -641011
7	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, गुवाहाटी, असम	मैसर्स एस.बोस एंड कम्पनी, चार्टेड एकाउन्टेन्टस, नं. 4/ए अविनाश निवास, जीएस रोड़, उलुबाड़ी, गुवाहाटी -781007
8	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, भुवनेश्वर, ओडिशा	मैसर्स पीपीबी एंड कम्पनी, चार्टेड एकाउन्टेन्टस, प्लॉट नं. 97, प्रथम तल, नियर वाटर टैंक, शाहिद नगर, भुवनेश्वर, ओडिशा–751007
9	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश	मैसर्स गद्दम सत्यनारायण एंड कम्पनी, चार्टेड एकाउन्टेन्टस, 23-38-1 और 1ए, शिवरमन स्ट्रीट, सत्यानारायणपुरम, विजयवाड़ा -520011

INDEPENDENT AUDITOR'S' REPORT TO THE MEMBERS
NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (NHDC)

(I) Report on the Standalone Financial Statements

We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of **NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED** ("the Corporation"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2018, the Statement of Profit and Loss, the Cash Flow Statement, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information for the year then ended. The aforesaid financial statements incorporate the returns for the year ended on that date audited by the auditors of the Corporation's Regional Offices at National Handloom Development Corporation Limited- Kannur, Kolkata, Varanasi, Panipat, Hyderabad, Coimbatore, Guwahati, Bhubaneswar and Vijayawada. The detail of Regional Offices and the respective Statutory Auditors is being indicated as under-

S. No.	Name of the Regional Office	Name & Address of the Branch Statutory Auditors
1	National Handloom Development Corporation Limited, Kannur, Kerala	M/s. Jacob & George, Chartered Accountants, B.B. Complex, South Bazar, Kannur, Kerala- 670002
2	National Handloom Development Corporation Limited, Kolkata, West Bengal	Mishra & Mishra, Chartered Accountants, 1/1C Goa Bagan Street 1st Floor, Kolkata-700006
3	National Handloom Development Corporation Limited, Varanasi, Uttar Pradesh	M/s. Alok Sharma & Co. Chartered Accountants, C-13/5-A Aurangabad, Varanasi.
4	National Handloom Development Corporation Limited, Panipat, Haryana	M/s Vinod Grover & Associates, Chartered Accountants,26-27, 1st Floor, Shakuntla, Complex, Palika Bazar, G.T. Road, Paipat, Haryana.
5	National Handloom Development Corporation Limited, Hyderabad, Telangana.	M/s. M.A. Mohiaddin & Co., Chartered Accountants, 307,Lenaine estate Abids, Hyderabad-500001
6	National Handloom Development Corporation Limited, Coimbatore, Tamilnadu	M/s. N.M.& Co., Chartered Accountants 200/4 First Floor, Premier Apartments, NSR Road, Sai Baba Colony, Coimbatore-641011
7	National Handloom Development Corporation Limited, Guwahati, Assam	M/s S. Bose & Co. , Chartered Accountants, No.4/a, Avinash Niwas, GS Road, Ulubari, Guwahati-781007
8	National Handloom Development Corporation Limited, Bhubaneswar, Odisha	M/s. PPB & Co., Chartered Accountants, Plot No.97, 1st Floor, Near Water Tank, Sahid Nagar, Bhubaneswar, Odisa-751007
9	National Handloom Development Corporation Limited, Vijayawada, Andhra Pradesh	M/s Gaddam Satyanarayana & Co., Chartered Accountants, 23-38-1 & 1 A, Sivaraman Street, Satyanarayanapuram, Vijayawada-520011

(II) स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबन्धन की जिम्मेदारी :

कम्पनी का निदेशक मण्डल इन स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है जो कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों सहित भारत में समान्यतया स्वीकृत लेखाकरण नीतियों के अनुसार कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन तथा रोकड़ अन्तःप्रवाह का एक सही और निष्पक्ष अवलोकन प्रस्तुत करता है। इस जिम्मेदारी को कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करने, धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने, उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चयन तथा उनका अनुप्रयोग करने; युक्तियुक्त व विवेकपूर्ण निर्णय एवं प्राक्कलन करने; तथा पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की अभिकल्पना, कार्यान्वयन व उनका रखरखाव करने जो लेखाकरण अभिलेख की यथार्थता व सम्पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्यशील थे, वित्तीय विवरण जो एक सही और निष्पक्ष अवलोकन प्रस्तुत करते हैं तथा जिनमें किसी प्रकार का अयथार्थ विवरण, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण, नहीं होता है, के लिए अधिनियम को तैयार किए जाने के अनुरूप पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों का रखरखाव शामिल है।

(III) लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी :

हमारी जिम्मेदारी इन स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर अपने स्वतन्त्र विचार व्यक्त करना है। लेखा परीक्षा करते समय हमने अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के तहत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले लेखाकरण एवं लेखा परीक्षा मानकों व मामलों को ध्यान में रखा है।

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के लिए यह अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और वित्तीय विवरणों की यथार्थता के बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना तैयार करें एवं लेखा परीक्षा करें।

लेखा परीक्षा में धनराशि के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने तथा वित्तीय विवरणों के प्रकटन के लिए समग्र निष्पादन की क्रियाविधियाँ भी शामिल होती हैं। चयनित क्रियाविधियाँ धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों की विषय वस्तु सम्बन्धी अयथार्थता के जोखिमों का मूल्यांाकन सहित लेखा परीक्षा के निर्णय पर आधारित होती हैं। इन जोखिमों का निर्धारण करते समय लेखा परीक्षक कम्पनी के वित्तीय विवरणों को तैयार करने के क्रम में संगत आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण पर विचार करता है जो परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त लेखा परीक्षा की क्रियाविधियों की अभिकल्पना करने के उद्देश्य से सही और निष्पक्ष अवलोकन प्रस्तुत करता है। लेखा परीक्षा में वित्तीय प्रशासन एवं प्रयोग की गई लेखाकरण नीतियों की यथार्थता का मूल्यांकन तथा कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा तैयार किए गए लेखाकरण आकलन की उपयुक्तता एवं साथ ही वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट के सम्बन्ध में प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा का आधार प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

(IV) मत :

हमारे विचार में तथा हमारी सूचना के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार पूर्वोक्त स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना को यथाअपेक्षित रूप में मुहैया कराते हैं और 31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार निगम के कार्यकलापों के सम्बन्ध में भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप सही और निष्पक्ष अवलोकन प्रस्तुत करते हैं तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए निगम के लाभ एवं उसके रोकड़ अन्तःप्रवाह को दर्शाते हैं।

(II) Management's Responsibility for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that reflect a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the preparation of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies. The Board of Directors are also responsible for making judgments and estimates that are prudent and reasonable; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial control, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting record, relevant to preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

(III) Auditor's' Responsibility

Our responsibility is to express independent opinion on these Standalone Financial Statements based on our audit. While conducting the audit, we have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there-under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. These Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit also involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to error or fraud. In making these risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the financial management and appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Board of Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence obtained by us and the audit evidence obtained by other auditors in terms of their reports is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Standalone financial statements.

(IV) Opinion

In our opinion to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements referred to in Emphasis of Matters/Others Matters below, give the information required by the Act in the manner so required and give a True and Fair View in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Corporation as at 31st March 2018, and its Profit and its cash flows for the year ended on that date.

IV) महत्वपूर्ण मामलेः

(यहां नीचे संदर्भित टिप्पणी संख्याएं स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणिकाओं के भाग को बनाने वाली संबंधित टिप्पणियों के संदर्भ में हैं)

I) जैसा कि टिप्पणी ''4क'' में उल्लेख किया गया है, रु. 18,76,95,376 की राशि समग्र निधि के क्रेडिट (विपणन परिसर) में स्थायी है और परिणामस्वरूप इसे तुलन पत्र की अनुसूची 11 के अनुसार सावधि जमाओं में निविष्ट किया गया है। समग्र निधि (विपणन परिसर) की सावधि जमाओं पर 31 मार्च, 2017 तक अर्जित ब्याज को संबंधित समग्र निधि में क्रेडिट किया गया। किंतु चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 2017–18 के दौरान सावधि जमा राशियों पर रु. 18,76,95,376 के ब्याज को, समग्र निधि (विपणन परिसर) में क्रेडिट किए जाने की बजाय निगम की ब्याज आय के रूप में लिया गया है।

II) टिप्पणी ''4(ख)'' के अनुसार, दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार, रु. 3,21,75,213 की धनराशि समग्र निधि (मेगा क्लस्टर) के बैंक में निविष्ट निधियों पर अर्जित ब्याज के खाते पर समग्र निधि (मेगा क्लस्टर) के क्रेडिट पर स्थायी बनी हुई है। चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 2017–18 के दौरान रु. 3,21,75,213 की पूर्ण धनराशि को निगमी ब्याज आय के रूप में लिया गया है।

III) टिप्पणी संख्या 15 (VIII) उप टिप्पणी (iv) के अनुसार, भारत सरकार की अनुदान सहायता से प्राप्य राशियों के कुछ मामलों के लिए एनएचडीसी ने उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) प्रस्तुत किया है। तथापि, यह धनराशि अभी भी भारत सरकार से प्राप्य है। इसके अतिरिक्त, कुछ मामले ऐसे हैं, जिनमें निगम ने व्यय किए हैं और प्रतिपूर्ति के लिए दावे भारत सरकार को प्रस्तुत किए हैं, किंतु न तो भारत सरकार ने राशि जारी की है न ही यह प्राप्त हुई है। अस्वीकृत राशि का प्रभाव लेखा परीक्षकों को अभी तक अज्ञात है।

IV) टिप्पणी संख्या ''13'' के अनुसार, देनदारी, जहां यह समग्र निधि से ऊपर रु. 7,65,319 (क्षे.का. कोलकाता) के लिए देनदार हैं और यह तीन वर्ष से अधिक पुरानी है। इसके लिए वर्ष के दौरान लेखों में प्रावधान नहीं किया गया है।

हमारा मत उपर्युक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं है।

(VI) अन्य मामलेः

हमने कम्पनी के स्टैण्डअलोन वित्तीय वक्तव्यों में शामिल 9 क्षेत्रीय कार्यालयों के वित्तीय वक्तव्यों/सूचनाओं का लेखा परीक्षण नहीं किया है, जिनके वित्तीय वक्तव्यों/वित्तीय सूचनाओं में 31 मार्च, 2018 तक 430.60 करोड़ की कुल सम्पत्ति को प्रतिबिम्बित किया गया है और स्टैण्डअलोन वित्तीय वक्तव्यों में विचार के रूप में, उस तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कुल राजस्व 2,879.56 करोड़ रुपए प्रतिबिम्बित किया गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/सूचनाएँ शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई हैं, जिनकी रिपोर्ट हमें दी गई है, और हमारी अब तक की राय है कि इन शाखाओं के सम्बन्ध में शामिल मात्रा और प्रकटीकारण केवल इस तरह के शाखाधिकारी की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

हमारा मत इन मामलों के संबंध में सशर्त नहीं है

(VII) अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर प्रतिवेदन

क. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (11) के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश, 2016 द्वारा अपेक्षित है, हम अनुलग्नक–क में, आदेश के पैरा 3 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण प्रदान करते हैं।

ख. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (5) द्वारा अपेक्षित है, हम अनुलग्नक–ख में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों और उप–निदेशों पर विवरण प्रदान करते हैं।

(V) Emphasis of matters:

(Note Nos. referred here under are with reference to respective Notes forming part of the standalone financial statements)

I) As stated in Note No. "4A" Rs. 18,76,95,376 is Standing to the Credit of Corpus Fund (Marketing Complex) and correspondingly Invested in Fixed Deposits as Per Schedule 11 of the Balance Sheet. Interest earned on Fixed Deposits of Corpus Funds (Market Complexes) till 31st March 2017, was credited to respective Corpus Fund, But during Current Financial Year i.e. 2017-18 Interest on Fixed Deposits of Rs. 18,76,95,376 has been taken as Interest Income of the Corporation, instead of crediting to the Corpus Fund (Marketing Complex).

II) As Per Note No. "4(B)", As on 31-03-2017, Rs. 3,21,75,213/- was standing to the Credit of Corpus Fund (Mega Cluster) on Account of Interest earned on Funds invested with the Bank of Corpus Fund (Mega Cluster). During the Current Financial Year i.e. 2017-18, the entire amount of Rs. 3,21,75,213 has been taken as Interest Income of the Corporation.

III) Receivable from Govt. of India (GOI) Grant in Aid, as per the note no. 15 (VIII) sub-note (iv), for few cases NHDC has submitted the Utilization Certificates (UC). However, the amount is still receivable from GOI. Further there are some cases, where Corporation has made the expenditure and submitted the claims to GOI for reimbursement but neither GOI has been issued nor the amount has been received. The impact of disallowed amount is still unknown to the Auditors.

IV) As per Note No. "13" Sundry Debtors where it was found the Debtors for Rs. 7,65,319/- (R.O Kolkata) above then Corpus Fund and ageing beyond more than three years. Provision of the same has not been made in the accounts during the year.

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

(VI) Other matter:

We did not audit the financial statements/information of 9 Regional offices included in the standalone financial statements of the Company whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 430.60 crores as at 31st March, 2018 and total revenues of Rs. 2,879.56 crores for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements/information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not qualified in respect of this matter.

(VII) Report on Other Legal and Regulatory Requirements.

A. As required by Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the order"), issued by Central Government Of India in terms of section 143(11) of the Act, we give in the Annexure-A, a statement on the matters specified in paragraph 3 and 4 of the order.

B. As required by section 143(5) of The Act, we give in Annexure-B, a statement on the directions and sub-direction issued by Comptroller and Auditor General of India.

ग. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथापेक्षानुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :–

(i) हमने हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु यथावश्यकतानुसार हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुरूप सभी सूचनाएँ प्राप्त की हैं तथा उसके सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण दिया है।

(ii) हमारी राय में विधि द्वारा यथावश्यकतानुसार कम्पनी को बही खातों का सही प्रकार से रखरखाव करना चाहिए जैसा कि इन बहियों के सम्बन्ध में हमारी जाँच से यह तथ्य उभर कर सामने आया है। और हमारे द्वारा नहीं देखी गई शाखाओं से हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए उचित प्रत्युत्तर प्राप्त हुए हैं।

(iii) अधिनियम की धारा 143 (8) के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालय के लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों की रिपोर्ट हमें भेज दी गई हैं और हमारी रिपोर्ट तैयार करते समय हमने उन रिपोर्टों का बारीकी से अवलोकन किया है।

(iv) तुलन पत्र, लाभ एवं हानि सम्बन्धी विवरण एवं रोकड़ अन्तःप्रवाह सम्बन्धी विवरण, जिसका इस रिपोर्ट में हमने अवलोकन किया है, हमारे द्वारा दौरा नहीं किए गए क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त बही खातों तथा प्राप्त रिटर्न के अनुरूप है।

(v) हमारी राय में पूर्वोक्त स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण कम्पनी (खाता) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत निर्धारित लेखाकरण मानकों के अनुरूप हैं।

(vi) नैगमिक कार्य मन्त्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ङ), दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार अधिनियम की धारा 164 (2) के तहत निदेशकों की अयोग्यता सम्बन्धी प्रावधान निगम पर लागू नहीं होते।

(vii) निगम की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियन्त्रणों की कार्यशील प्रभाविकता के सम्बन्ध में "अनुलग्नक ग" में अलग से प्रस्तुत की गई हमारी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

(viii) कम्पनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के सम्बन्ध में हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :–

क) निगम ने उसके वित्तीय विवरणों में उसकी वित्तीय स्थिति पर लम्बित वादों के प्रभाव का खुलासा किया है – देनदारों के लिए 16(ii) में सन्दर्भ नोट, 18(iii) पाद टिप्पणी, 18(vii) में पाद टिप्पणी, वित्तीय विवरण के 32(1) (क) में सन्दर्भ नोट।

ख) निगम के पास गौण संविदाओं सहित कोई दीर्घावधि संविदा नहीं हैं इसलिए, यह अप्रयोज्य है।

ग) यह पाया गया है कि अन्तरित धनराशि, जिसे निगम द्वारा निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा निधि में हस्तान्तरित किया जाना था, में विलम्ब से सम्बन्धित खण्ड अप्रयोज्य है।

कृते एम ए एन वी एंड एसोशिएट्स
(चार्टेड एकाउन्टेन्टस)
एफ आर संख्या: 007351N

ह/–
एन. के. गुप्ता
भागीदार:
(एम. नं. 085713)

दिनांक: 4 सितंबर 2018
स्थान: नई दिल्ली

C. As required by section 143(3) of The Act, we report that:

(i) We have sought and, obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

(ii) in our opinion, proper books of account as required by Law has been kept by the company so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the branches not visited by us.

(iii) The reports on the accounts of the Regional Offices of the Corporation audited under Section 143 (8) of the Act by Regional Offices auditors have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing our report.

(iv) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account and with the returns received from the Regional Offices not visited by us.

(v) in our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statement comply with the Accounting Standards specified under section 133 of the Act, read with Rule 7 of The Company(Accounts) Rules,2014.

(vi) In terms of Notification No. G.S.R. 463(E) dated 05th June, 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, the provisions of Section 164(2) of the Act regarding disqualification of directors, are not applicable to the Corporation.

(vii) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Corporation and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure C".

(viii) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

a) The Corporation has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements – Refer Note on account in 16(ii) for debtors, Refer Note on account in 18(iii) foot note, 18(vii) foot note, Refer Note on account in 32(1)(A) to the financial statements.

b) The Corporation does not have any long term contracts including derivative contracts, hence, not applicable.

c) It is found that clause relating to delay in transferring amount, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Corporation is not applicable.

For MANV & Associates
(Chartered Accountants)
F.R.No: 007351N

Dated: 4th September 2018
Place: New Delhi

Sd/-
N.K.GUPTA
Partner:
(M No.085713)

अनुलग्नक – "क"

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (एनएचडीसी) के लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पर अनुलग्नक

क्र.सं	विवरण	हमारा उत्तर
(i)	(क) क्या कम्पनी अचल परिसम्पत्तियों का मात्रात्मक ब्यौरा तथा उनकी स्थिति सहित सम्पूर्ण विवरणों को दर्शाने वाले समुचित अभिलेखों का रखरखाव कर रही है।	नौ क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखा परीक्षकों द्वारा हमें प्रस्तुत लेखा परीक्षा रिपोर्टो के अनुसार, इन कार्यालयों ने अचल परिसम्पत्तियों का मात्रात्मक ब्यौरा तथा उनकी स्थिति सहित सम्पूर्ण विवरणों को दर्शाने वाले समुचित अभिलेखों का रखरखाव किया है। जबकि निगम के मुख्यालय ने अभी तक पूर्ण विवरण दिखाते हुए, जिसमें मात्रात्मक विवरण और अचल परिसम्पत्तियों की स्थिति शामिल है, उचित अभिलेख बनाए जाने अभी बाकि है।
	(ख) क्या युक्तियुक्त अन्तराल पर प्रबन्धन द्वारा इन अचल परिसम्पत्तियों की वास्तविक रूप से जाँच की गई है, क्या ऐसी जाँच के दौरान कोई वास्तविक अनियमितता पाई गई है और यदि हाँ, तो क्या उसे बही खातों में उचित तरीके से दर्शाया गया है।	नौ क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखा परीक्षकों द्वारा हमें प्रस्तुत लेखा परीक्षा विवरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान नियमित अन्तराल पर प्रबन्धन द्वारा अचल परिसम्पत्तियों को वास्तविक रूप से जाँच की गई है। हालाँकि, मुख्यालय में अचल परिसम्पत्तियों की वर्ष के दौरान नियमित अन्तराल पर प्रबन्धन द्वारा वास्तविक रूप से जाँच नहीं की गई है।
	(ग) क्या अचल परिसम्पत्तियों के स्वत्व विलेखों को कम्पनी के नाम पर रखा जाता है। यदि नहीं, तो उसका ब्यौरा प्रस्तुत करें।	लेखा परीक्षा के दौरान हमने रा.ह.वि.नि. के नाम पर पंजीकृत फ्रीहोल्ड एवं लीज होल्ड भूमि के लीज डीड्स की जाँच की है। भूमि के अधिकार स्पष्ट हैं और निगम द्वारा उपरोक्त भूमि पर कोई भार नहीं बनाया गया है। यह बताया जाना है कि 21,63,293 रुपए वाली मुम्बई स्थित 221.70 वर्ग मीटर क्षेत्र के कार्यालय भवन उपयुक्त प्राधिकरण में उसके पंजीयन के लिए लम्बित है। अभिलेखों में 152.35 वर्ग मीटर वाले क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता के भवन का हस्तान्तरण विलेख उपलब्ध है परन्तु सम्पत्ति का पंजीकृत दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।
(ii)	क्या प्रबन्धन द्वारा युक्तियुक्त अन्तराल पर इन्वेंटरी की वास्तविक रूप से जाँच की गई है और क्या कोई अनियमितताएँ पाई गई हैं और यदि हाँ, तो क्या उसे बही खातों में उचित तरीके से दर्षाया गया है।	जैसा कि हमें सूचित किया गया था, इन्वेंटरी की वास्तविक जाँच प्रबन्धन द्वारा नियमित अन्तराल पर की जाती है। क्षेत्रीय कार्यालयों के सांविधिक लेखा परीक्षकों की राय में आवृत्ति की जाँच युक्तियुक्त है तथापि, सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों में सूत की खरीद तथा बिक्री आदि के लिए केवल दस्तावेजी अभिलेखों का रखरखाव किया जाता है। उपयुक्त सामग्री के आवागमन से सम्बन्धित जानकारी लेखा परीक्षण के समय प्रस्तुत नहीं की जा सकी थीं।

Annexure-"A"

ANNEXURE TO THE AUDITORS' REPORT OF NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (NHDC) FOR FINANCIAL YEAR 2017-18

S. No.	PARTICULARS	Our Reply
(i)	(a)Whether the company is maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets.	As per the audit reports submitted to us by Auditors of 9 Regional Offices, these offices have maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of Fixed Assets. Whereas Head Office of the Corporation has yet to maintain proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets.
	(b) Whether these fixed assets have been physically verified by the management at reasonable intervals, whether any material discrepancies were noticed on such verification and if so, whether the same have been properly dealt with in the books of accounts.	As per the audit reports submitted to us by Auditors of 9 Regional Offices, Fixed Assets have been physically verified by the Management during the year at regular intervals. However, Fixed Assets at Corporate Office have not been physically verified by the Management during the year at regular intervals.
	(c)Whether the title deeds of immovable properties are held in the name of the company. If not, provide the details thereof.	During the course of audit, we have verified the title deeds of free hold and lease hold land registered in the name of NHDC. The title of the land is clear and no encumbrance has been created by the Corporation on the above land. It is to be pointed out that the office building area 221.70 sq. meters, at Mumbai amounting to Rs. 2163293/- is pending for registration with the appropriate authority. Conveyance deed of R.O. Kolkata Building area 152.35 sq. meters is available on records but registered documents of property not found.
(ii)	Whether physical verification of inventory has been conducted at reasonable intervals by the management and whether any material discrepancies were noticed and if so, whether they have been properly dealt with in the books of account.	As informed to us, physical verification of inventory is conducted by the Management at regular intervals. In the opinion of Statutory Auditors of Regional Offices, the frequency of verification is reasonable. However, only the documentary records are maintained for purchase and sale of yarn etc. at the respective R.O. The physical movement of above material could not be shown to audit.

क्र.सं	विवरण	हमारा उत्तर
(iii)	क्या कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अन्तर्गत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज की गई अन्य कम्पनियों, फर्मों, अन्य पक्षकारों की सीमित देयता वाली साझेदारी फर्मों को सुरक्षित अथवा असुरक्षित किसी भी प्रकार का कोई ऋण दिया है, यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा प्रस्तुत करें। (क) क्या ऐसे ऋण प्रदान करने से सम्बन्धित निबन्धन व शर्तें कम्पनी के हित में नहीं हैं।	कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अन्तर्गत बनाए गए रजिस्टर में कवर की गई अन्य कम्पनियों, फर्मों, अन्य पक्षकारों की सीमित देयता वाली साझेदारी फर्मों को सुरक्षित अथवा असुरक्षित किसी भी प्रकार का कोई ऋण नहीं दिया है। लागू नहीं।
	(ख) क्या मूलधन के पुर्नभुगतान तथा ब्याज के भुगतान की समय सीमा निर्धारित की गई है तथा पुर्नभुगतान तथा प्राप्तियाँ नियमित हैं।	लागू नहीं।
	(ग) यदि राशि बकाया है तो नब्बे दिनों से अधिक समय से बकाया कुल राशि का उल्लेख करें और क्या मूलधन एवं ब्याज की वसूली के लिए कम्पनी द्वारा युक्तियुक्त कदम उठाए गए हैं।	लागू नहीं।
(iv)	क्या ऋण, निवेश, गारंटियों तथा प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 तथा 186 का अनुपालन किया गया है। यदि नहीं, तो उसका ब्यौरा प्रस्तुत करें।	लागू नहीं।
(v)	यदि कम्पनी ने जमा राशि स्वीकार की है तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 अथवा अन्य संगत प्रावधानों तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों, जो भी प्रयोज्य हों, का अनुपालन किया गया है? यदि नहीं, तो ऐसे उल्लघनों के स्वरूप का उल्लेख करें और क्या कम्पनी विधि बोर्ड अथवा राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण अथवा भारतीय रिजर्व बैंक या किसी भी न्यायालय अथवा किसी भी अन्य अधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में कोई आदेष पारित किया गया है और क्या उसका अनुपालन किया गया है अथवा नहीं?	कम्पनी ने किसी भी प्रकार की जमा राशि स्वीकार नहीं की है। इसके मद्देनजर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 अथवा अन्य संगत प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
(vi)	क्या कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा लागत अभिलेखों के रखरखाव का निर्धारण किया गया है और क्या ऐसे लेखों और अभिलेखों को इस प्रकार तैयार किया जाता है और उनका रखरखाव किया जाता है।	निगम से यह अपेक्षित नहीं है कि वह लागत अभिलेखों का रखरखाव करे क्योंकि केन्द्र सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के अन्तर्गत लागत अभिलेखों के रखरखाव का उल्लेख नहीं किया है।

S. No.	PARTICULARS	Our Reply
(iii)	Whether the company has granted any loans, secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013, if so.	The company has not granted any loans secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability Partnership of other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013.
	(a)Whether the terms and conditions of the grant of such loans are not prejudicial to the company's interest.	Not Applicable
	(b)Whether the schedule of repayment of principal and payment of interest has been stipulated and whether the repayments or receipts are regular.	Not Applicable
	(c)if the amount is overdue, state the total amount overdue for more than ninety days, and whether reasonable steps have been taken by the company for recovery of the principal and interest.	Not Applicable
(iv)	In respect of loans, investments, guarantees and security whether provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013 have been complied with. If not, provide the details thereof.	Not Applicable
(v)	In case, the company has accepted deposits, whether the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of Sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the rules framed there under, where applicable, have been complied with? If not, the nature of such contraventions be stated, if an order has been passed by Company Law Board or National Company Law Tribunal or Reserve Bank of India or any court or any other tribunal, whether the same has been complied with or not?	The Company has not accepted any deposits. In view of this the provisions of section 73 to 76 or any other relevant provision of the Companies Act, 2013 does not apply.
(vi)	Whether maintenance of cost records has been specified by the Central Government under sub section (1) of Section 148 of the Companies Act, 2013 and whether such accounts and records have been so made and maintained.	The Corporation is not required to maintain the cost records, as the Central Government has not prescribed to maintain cost records under section 148(1) of the Companies Act, 2013.

क्र.सं	विवरण	हमारा उत्तर
(vii)	(क) क्या निगम भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उप कर तथा कोई अन्य सांविधिक बकाया राशि सहित अविवादित सांविधिक बकाया राशि नियमित रूप से उपयुक्त प्राधिकरण के पास जमा कर रही है। यदि नहीं तो सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिथि तक ऐसे कितने सांविधिक बकाया शेष जो कि देयता तिथि से 6 माह से अधिक पुराने बकाया हैं।	निगम स्त्रोत पर कटौती, भविष्य निधि एवं आयकर सहित अविवादित सांविधिक बकाया राशि को नियमित रूप से जमा करा रहा है। कर्मचारी राज्य बीमा तथा बिक्री कर को उपयुक्त प्राधिकरणों के पास जमा कराया जाता है। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा उप कर निगम के लिए लागू नहीं होते हैं।
	(ख) क्या बकाया राशि अथवा आयकर या बिक्री कर अथवा सेवा कर या सीमा शुल्क अथवा उत्पाद शुल्क या मूल्य वर्धित कर किसी विवाद के कारण जमा नहीं कराया गया है तब ऐसी राशि तथा उस न्यायाधिकरण, जहाँ विवाद लम्बित है, का उल्लेख करें (सम्बन्धित विभाग के समक्ष केवल प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने को विवाद नहीं माना जाएगा)।	निगम के अभिलेखों के अनुसार बिक्री कर, व्यावसायिक कर के सम्बन्ध में कोई भी अविवादित देय राशि लम्बित नहीं है। तथापि निगम के निम्नलिखित क्षेत्रीय कार्यालयों के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने सांविधिक बकाया राशि की लम्बितता को बिक्री कर के समान दर्शाया है। **1. क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी** बिक्री कर – वित्त वर्ष 2010–11 के लिए मूल्यांकन प्राधिकरण बिक्री कर कार्यालय लखनऊ द्वारा 95,20,994 रुपए के लिए उठाई गई माँग के खिलाफ सहायक आयुक्त, विक्री कर, वाराणसी के समक्ष एक अपील लम्बित है। **2. क्षेत्रीय कार्यालय, कोयम्बटूर** वित्त वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के लिए बिक्री कर विभाग ने क्षेत्रीय कार्यालय कोयम्बटूर द्वारा दावा किए गए कुछ छूट प्राप्त बिक्री राशि को पूर्ण रूप से अस्वीकृत कर दिया गया था और 53.88 लाख रुपए की माँग की थी। इस आदेष को क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने दिनांक 11 दिसम्बर 2014 को इस मामले में किसी भी प्रकार की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी तथा बिक्री विभाग को इसके प्रत्युत्तर में जवाब दायर करने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया गया था जिसे लेखा परीक्षा की तारीख तक विभाग द्वारा दायर नहीं किया गया था।
(viii)	क्या कम्पनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार से लिए गए ऋण अथवा ऋण–पत्र धारकों के पास बकाया राशि के पुर्नभुगतान में चूक की है? यदि हाँ, तो उक्त अवधि तथा रिपोर्ट की गई चूक की राशि (बैंक, वित्तीय संस्थान तथा	लागू नहीं।

S. No.	PARTICULARS	Our Reply
(vii)	(a)Whether the company is regular in depositing undisputed statutory dues including provident fund, employees' state insurance, income tax sales tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory dues to the appropriate authorities and if not, the extent of the arrears of outstanding statutory dues as on the last day of the financial year concerned for a period of more than six months from the day they became payable, shall be indicated.	The Corporation is regular in depositing undisputed statutory dues including provident fund Income Tax including TDS. Employees' state insurance, Sales Tax & GST with the appropriate authorities. The payments of customs duty, excise duty and cess are not applicable to the Corporation.
	(b)Where dues or income tax or sales tax or service tax or duty of customs or duty of excise or value added tax have not been deposited on account of any dispute, then the amounts involved and the forum where dispute is pending shall be mentioned (A mere representation to the concerned Department shall not be treated as a dispute).	According to the records of the Corporation, no undisputed amounts payable in respect of Sales Tax, Professional Tax is pending. However, the Statutory auditors of the under noted Regional Offices of the Corporation have indicated the pendency of the statutory dues like Sales Tax. **1) Regional Office Varanasi** Sales Tax- An appeal is pending with Assistant Commissioner Sales Tax Varanasi against demand raised for Rs. 9520994.00 the assessing authority Sales Tax office Lucknow for the financial year 2010-11. **2) Regional Office Coimbatore** For the Financial Year 2011-12 & 2012-13 the Sales Tax department arbitrarily rejected some of the exempted sales claimed by the R.O Coimbatore and raised a demand of Rs. 53.88 lakh. This order has been challenged by the R.O in the Hon'ble Madras High Court. The High Court granted the stay on any further proceeding in the matter on 11-12-2014 and gave 8 weeks' time to Sales Tax Department to file their counter, which they have not filed till the date of audit.
(viii)	Whether the company has defaulted in repayment of loans or borrowing to a financial institution, bank, government or dues to debenture holders? If yes, the period and the	Not Applicable.

क्र.सं	विवरण	हमारा उत्तर
	सरकारी उधार प्रदान करने वाले संस्थान के सम्बन्ध में की गई चूक का ब्यौरा प्रस्तुत करें)।	
(ix)	क्या आरंभिक सार्वजनिक पेशकश अथवा इसके आगे के सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के द्वारा प्राप्त की गई राशि तथा सावधि ऋण का प्रयोग प्रयोजनार्थ हुआ है। यदि नहीं, तो विलम्ब और चूक सहित सम्मिलित ब्यौरा प्रस्तुत करें तथा तदनन्तर समाशोधन, यदि कोई हो, जो प्रयोज्य हो, का उल्लेख करें।	लागू नहीं।
(x)	क्या वर्ष के दौरान कम्पनी अथवा कम्पनी के किन्हीं अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी ध्यान में लाई गई है अथवा उसके सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट की गई है; यदि हाँ, तो उसकी प्रकृति तथा उसमें निहित राशि का उल्लेख करें।	जैसा कि उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2017–18 के दौरान कोई धोखाधड़ी ध्यान में नहीं लाई गई है।
(xi)	क्या कम्पनी अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधानों द्वारा अधिदेशित अपेक्षित अनुमोदनों के अनुसार प्रबन्धकीय पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है अथवा उसका प्रावधान किया गया है? यदि नहीं, तो उक्त राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए सम्मिलित धनराशि तथा कम्पनी द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख करें।	प्रबन्ध निदेशक को पारिश्रमिक का भुगतान डीपीई द्वारा अनुमोदित आईडीए स्केल्स के अनुसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक सरकारी कम्पनी होने के कारण निगम को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 से छूट प्रदान की गई है।
(xii)	क्या निधि कम्पनी ने देयताओं को पूरा करने के लिए 1 : 20 के अनुपात में राशि जमा करने के लिए निवल स्वाधिकृत निधियों का अनुपालन किया है और क्या देयताओं को पूरा करने के लिए निधि नियमावली, 2014 में यथानिर्दिष्ट दस प्रतिशत अभारित सावधि जमाओं को पूरा किया जा रहा है।	लागू नहीं।
(xiii)	क्या सम्बन्धित पक्षकारों के साथ सभी लेनदेन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुरूप हैं और क्या वे प्रयोज्य हैं तथा प्रयोज्य लेखाकरण मानकों द्वारा यथापेक्षित वित्तीय विवरणों में उसका ब्यौरा दर्शाया गया है।	निगम की रिपोर्ट के अनुसार सम्बन्धित पक्षकार से कोई लेनदेन नहीं है।
(xiv)	क्या समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने कोई वरीयता प्राप्त आवंटन किया है अथवा शेयरों का निजी रूप से नियोजन किया है अथवा डिबेंचरों का आंशिक रूप से परिवर्तन किया है और यदि हाँ, तो क्या कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 की आवश्यकता का अनुपालन किया	लागू नहीं।

S. No.	PARTICULARS	Our Reply
	amount of default to be reported (in case of defaults to banks, financial institutions, and Government lender wise details to be provided).	
(ix)	Whether moneys raised by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) and term loans were applied for the purposes for which those are raised. If not, the details together with delays or default and subsequent rectification, if any, as may be applicable, be reported.	Not Applicable.
(x)	Whether any fraud by the company or any fraud on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the year; if yes, the nature and the amount involved is to be indicated.	As reported, no fraud has been noticed during the year 2017-18.
(xi)	Whether managerial remuneration has been paid or provided in accordance with the requisite approvals mandated by the provisions of section 197 read with Schedule V of the Companies Act? If not, state the amount involved and steps taken by the company for securing refund of the same.	Remuneration to Managing Director has been paid as per IDA Scales approved by DPE. Further, the Corporation is being a Government Company is exempt from Section 197 of the Companies Act, 2013.
(xii)	Whether the Nidhi Company has complied with the Net Owned Funds to Deposits in the ratio of 1:20 to meet out the liability and whether ten percent unencumbered term deposits as specified in the Nidhi Rules, 2014 to meet out the liability.	Not Applicable.
(xiii)	Whether all transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of Companies Act, 2013 where applicable and the details have been disclosed in the Financial Statements etc. as required by the applicable accounting standards.	There is no related party's transaction as reported by the Corporation.
(xiv)	Whether the company has made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review and if so, as to whether the requirement of section 42 of the Companies Act, 2013 have been complied with and the amount	Not Applicable.

क्र.सं	विवरण	हमारा उत्तर
	गया है तथा उगाही गई राशि का उस प्रयोजनार्थ हेतु उपयोग किया गया है। यदि नहीं, तो संलग्न राशि के सम्बन्ध में ब्यौरा प्रस्तुत करें तथा गैर–अनुपालना की प्रकृति का भी ब्यौरा प्रस्तुत करें।	
(xv)	क्या कम्पनी ने निदेशकों अथवा उसके साथ सम्बद्ध व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का गैर–नकदी लेनदेन किया है और यदि हाँ, तो क्या कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।	जैसा कि रिपोर्ट किया गया है, निगम द्वारा निदेशकों के साथ किसी प्रकार का गैर–नकदी लेनदेन नहीं किया गया है।
(xvi)	क्या कम्पनी का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–1 (क) के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है और यदि हाँ, तो क्या पंजीकरण कराया गया है।	लागू नहीं।

कृते एम ए एन वी एंड एसोशिएट्स
(चार्टेड एकाउन्टेन्टस)
एफ आर संख्या: 007351N

ह/–
एन.के. गुप्ता
भागीदार
(एम. नं. 085713)

दिनांक: 4 सितंबर 2018
स्थान: नई दिल्ली

S. No.	PARTICULARS	Our Reply
	raised have been used for the purposes for which the funds were raised. If not, provide the details in respect of the amount involved and nature of non-compliance.	
(xv)	Whether the company has entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him and if so, whether the provisions of Section 192 of Companies Act, 2013 have been complied with	As reported, there is no non-cash transaction entered by the Corporation with the Directors.
(xvi)	Whether the company is required to be registered under Section 45-1A of the Reserve Bank of India Act, 1934 and if so, whether the registration has been obtained.	Not applicable.

For MANV & Associates
(Chartered Accountants)
F.R.No: 007351N

Sd/-
N.K.GUPTA
Partner:
(M No.085713)

Dated: 4th September 2018
Place: New Delhi

अनुपालन प्रमाणपत्र

हमने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अन्तर्गत भारत के नियत्रंक और महालेखा परीक्षक द्वारा हमें जारी किए गए निर्देशों/उपनिर्देशों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के लेखाओं की लेखा परीक्षा की है तथा हम प्रमाणित करते हैं कि हमने दिनांक 04 सितम्बर, 2018 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करके हमें जारी किए गए सभी निर्देशों/उपनिर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते एम ए एन वी एंड एसोशिएट्स
(चार्टेड एकाउन्टेन्टस)
एफ आर संख्या: 007351N

ह/–
एन. के. गुप्ता
भागीदारः
(एम. नं. 085713)

दिनांकः 4 सितंबर 2018
स्थानः नई दिल्ली

COMPLIANCE CERTIFICATE

We have conducted the audit, of accounts of National Handloom Development Corporation Limited for the year ended 31st March, 2018 in accordance with the directions/sub-directions issued to us by the C & AG of India under Section 143(5) of the Companies Act, 2013 and we certify that we have complied with all the directions/sub-directions issued to us by submitting our report dated 4th September, 2018.

For MANV & Associates
(Chartered Accountants)
F.R.No: 007351N

Sd/-
N.K.GUPTA
Partner:
(M No.085713)

Dated: 4th September 2018
Place: New Delhi

अनुलग्नक–ख

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश के लेखों पर वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रयोज्य कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन

क्र.स.	प्रश्न–सूची	प्रश्न–सूची का उत्तर
1	क्या फ्रीहोल्ड तथा लीज होल्ड के लिए कम्पनी के पास टाइटल डीड/लीज डीड हैं? यदि नहीं तो कृपया फ्रीहोल्ड तथा लीज होल्ड भूमि के क्षेत्रफल का उल्लेख करें जिसके लिए टाइटल डीड/लीज डीड उपलब्ध नहीं है।	लेखा परीक्षा के क्रम में, हमने एनएचडीसी के नाम पर पंजीकृत फ्री होल्ड और लीज होल्ड भूमि के स्वत्व विलेखों को सत्यापित किया है। भूमि का स्वत्वाधिकार स्पष्ट है और उपर्युक्त भूमि पर निगम द्वारा कोई ऋणभार सृजित नहीं किया गया है। इंगित किया जाना है कि मुंबई में रु. 21,63,293/– का 221.70 वर्गमीटर कार्यालय भवन क्षेत्र उपयुक्त प्राधिकारी के पास पंजीकरण के लिए लंबित है। क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता के 152.35 वर्गमीटर कार्यालय क्षेत्र का हस्तांतरण विलेख अभिलेखों में उपलब्ध है किंतु सम्पत्ति के पंजीकृत दस्तावेज नहीं पाए गए।
2	क्या ऋणों/कर्जों/ब्याज आदि के अधित्याग/बट्टे खाते में डाले जाने का कोई मामला है और इसके कारणों में और निहित राशि का उल्लेख करें।	लेखा परीक्षा के दौरान, हमने पाया है कि निगम ने आपूर्तिकर्ताओं की रु. 3,90,496/– के संदिग्ध अग्रिमों की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है, उक्त आपूर्तिकर्ताओं के अग्रिम बहुत पुराने हैं और ये राशियां कानूनी कार्यवाहियों के लिए व्यवहार्य नहीं थे वित्तीय विवरणिकाओं की लेखों पर टिप्पणी 25(क) का संदर्भ लें। निगम ने देनदारों की कोई देयराशि, ऋण या ब्याज आदि बट्टे खातें में नहीं डाली हैं। तथापि, निगम ने लेखापरीक्षाधीन वर्ष के दौरान संदिग्ध देनदारों के लिए रु. 84,38,130/– के लिए प्रावधान किया है वित्तीय विवरणिकाओं की लेखों पर टिप्पणी 25(क) का संदर्भ लें। इसके अतिरिक्त, निगम ने रु. 66,964/– की परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि की राशि को भी बट्टे खाते में डाला है [वित्तीय विवरणिकाओं की लेखों पर टिप्पणी 25(क) का संदर्भ लें]।
3	क्या तृतीय पक्षकारों के साथ उपलब्ध इन्वेंट्रिज़ के लिए समुचित अभिलेखों का रखरखाव किया जाता है और सरकार या अन्य प्राधिकरणों से परिसम्पत्तियों/उपहार/अनुदान के रूप में प्राप्त की जाती है।	जैसा कि प्रबन्धन द्वारा प्रमाणित किया गया है किसी भी तीसरी पार्टी के पास कोई सामान नहीं है। सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार/अनुदान के रूप में कोई सम्पत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

कृते एम ए एन वी एंड एसोशिएट्स
(चार्टेड एकाउन्टेन्टस)
एफ आर संख्या: 007351N

ह/–
एन. के. गुप्ता
भागीदार:
(एम. नं. 085713)

दिनांक: 4 सितंबर 2018
स्थान: नई दिल्ली

Annexure-"B"

COMPLIANCE OF THE DIRECTIONS ISSUED UNDER SECTION 143(5) OF THE COMPANIES ACT, 2013 APPLICABLE FOR THE FINANCIAL YEAR 2017-18 ON ACCOUNTS OF NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED, GREATER NOIDA, U.P.

S. No.	Questionnaire	Reply of the Auditors
1	Whether the company has clear title/lease deeds for free hold and lease hold respectively? If not please state the area of freehold and leasehold land for which title/lease deeds are not available?	During the course of audit, we have verified the title deeds of free hold and lease hold land registered in the name of NHDC. The title of the land is clear and no encumbrance has been created by the Corporation on the above land. It is to be pointed out that the office building area 221.70 sq. meters, at Mumbai amounting to Rs. 21,63,293/- is pending for registration with the appropriate authority. Conveyance deed of R.O. Kolkata Building area 152.35 sq. meters is available on records but registered documents of property not found.
2	Whether there are any cases of waiver/ write off of debts/loans/interest etc. the reasons thereof and the amount involved.	During the audit, we noticed that the Corporation has written off provision for doubtful advances to suppliers' amounting to Rs. 3,90,496/- the said suppliers advance were very old and amount was not feasible for legal proceedings [refer notes on accounts No. 25(a) of the financial statements].The Corporation has not written off any due of debtors, loans & interest etc. However, the Corporation has made the provision for doubtful debtors for Rs. 84,38,130/- [refer notes on accounts No. 25(a) of the financial statements] during the year under audit. Further, the Corporation has also written off loss on sale of assets amounting to Rs. 66,964/- [refer note on accounts No. 25(a) of the financial statements].
3	Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties and assets received as gift/grant(s) from Government or other authorities.	There is no inventory lying with the third party as certified by the Management.; No assets received as gift/grant(s) from Government or other authorities.

For MANV & Associates
(Chartered Accountants)
F.R.No: 007351N

Sd/-
N.K.GUPTA
Partner:
(M No.085713)

Dated: 4th September 2018
Place: New Delhi

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं की समान तिथि पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का ''अनुलग्नक ग''

कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रतिवेदन।

हमने राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (''निगम'') की दिनांक 31 मार्च, 2018 की वित्तीय रिपोर्ट के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए निगम के वित्तीय विवरणों की हमारी निष्पक्ष लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षा की है।

(i) आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण के लिए प्रबन्धन की जिम्मेदारी :

भारतीय चार्टेड एकाउन्टेन्टस संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में जारी किए गए दिशानिर्देश नोट में उल्लिखित आन्तरिक नियन्त्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्डों पर आन्तरिक नियन्त्रण के आधार पर निगम का प्रबन्धन आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण स्थापित करने और उसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित कम्पनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, अभिलेखों की यथार्थता एवं उनकी सम्पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय से तैयार करने सहित उसके कार्य व्यापार का व्यवस्थित एवं प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के लिए इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की अभिकल्पना, कार्यान्वयन तथा रखरखाव शामिल है।

(ii) लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी :

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने भारतीय चार्टेड एकाउन्टेन्टस संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अन्तर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में दिशानिर्देश नोट तथा लेखाकरण मानकों (''दिशानिर्देश नोट'') के अनुसार लेखा परीक्षा की है जो आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की लेखा परीक्षा की सीमा तक प्रयोज्य है तथा दोनों आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की लेखा परीक्षा के लिए लागू है तथा दोनों को भारतीय चार्टेड एकाउन्टेन्टस संस्थान द्वारा जारी किया गया था। इन मानकों और दिशानिर्देश नोट में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं तथा योजना का अनुपालन करें और यह आश्वासन प्राप्ति करने के लिए कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण स्थापित हुआ था और उसे बनाए रखा गया था एवं सभी विषय–वस्तु के मामलों में ऐसे नियन्त्रण का प्रभावी रूप से पालन किया गया था, हम लेखा परीक्षा करें।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली की पर्याप्तता के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा साक्ष्य तथा उनके कार्यकरण के लिए कार्य निष्पादन कार्यविधियाँ शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के सम्बन्ध में हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की समझ का जायजा लेना सामग्री की मौजूदा कमजोरी के जोखिम का मूल्यांकन करना तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आन्तरिक नियन्त्रण की अभिकल्पना तथा कार्यकरण प्रभाविकता की जाँच करना तथा उसका मूल्यांकन करना शामिल है। इस प्रकार चयनित कार्यविधि धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों की वास्तविक यथार्थता के जोखिमों का मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा सम्बन्धी साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण पर लेखा परीक्षा सम्बन्धी हमारी राय के लिए आधार मुहैया कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

"ANNEXURE C" to the Independent Auditors' Report of even date on the Financial Statements of NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

Report on the Internal Financial Control under clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("The Act").

We have audited the internal financial control over financial reporting of NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED, ("The Corporation") as of March 31, 2018 in conjunction with our independent audit report of the financial statements of the Corporation for the year ended on that date.

(I) Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Corporation's management is responsible for establishing and maintaining internal financial control based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Control over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

(II) Auditor's Responsibility

Our responsibility is to expression of opinion on the Company's internal financial control over financial reporting based on our audit; we conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Control Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under Section 143 (10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Control and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial control over financial reporting was established and maintained and if such control operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial control system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial control over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedure selected depends on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the company's internal financial control system over financial reporting.

(iii) वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण को पूरा करना :

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी का आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा वित्तीय विवरणों को तैयार करने के सम्बन्ध में युक्तियुक्त आश्वासन मुहैया कराने के लिए अभिकल्पित प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण में वे नीतियाँ और कार्यविधियाँ शामिल हैं जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से सम्बन्धित हैं तथा जो युक्तियुक्त ब्यौरे के रूप में सटीकता एवं निष्पक्षता से कम्पनी की परिसम्पत्तियों के लेनदेन तथा उनके स्थानान्तरण को प्रतिबिम्बित करती हैं; (2) यह युक्तियुक्त आश्वासन मुहैया कराती हैं कि सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए यथावश्यकतानुसार लेनदेन का अभिलेख रखा जाता है, और कम्पनी के प्रबन्धन तथा निदेशकों की अनुज्ञा के अनुसार ही कम्पनी की प्राप्तियों और व्यय का अभिलेख रखा जाता है; और (3) कम्पनी की परिसम्पत्तियों का अप्राधिकृत अभिग्रहण, उपयोग अथवा स्थानान्तरण का समय से पता लगाने के सम्बन्ध में सतर्कता बरते जाने हेतु युक्तियुक्त आश्वासन मुहैया कराती है जिनका वित्तीय विवरणों पर वास्तविक रूप से प्रभाव हो सकता है।

(iv) वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की अन्तर–निहित सीमाएँ :

टकराव की सम्भावना अथवा सुनियोजित प्रबन्धन नियन्त्रणों का अभाव सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की अन्तर्निहित सेवाओं के कारण चूक अथवा धोखाधड़ी के कारण सामग्री सम्बन्धी अयथार्थ विवरण की सम्भावना रहती है और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, वित्तीय नियन्त्रण पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों का आधी अवधि के लिए किसी प्रकार के मूल्यांकन का प्राक्कलन इस जोखिम के अध्यधीन है कि शर्तों में परिवर्तन अथवा नीतियों का कार्यविधियों के अनुपालन में कमी के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण अपर्याप्त होगा।

(v) योग्य मत :

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर, 31 मार्च 2018 तक निम्नलिखित महत्वपूर्ण कमियाँ पाई गई हैं।

I) जैसा कि टिप्पणी ''4क'' में उल्लेख किया गया है, रु. 18,76,95,376 की राशि समग्र निधि के क्रेडिट (विपणन परिसर) में स्थायी है और परिणामस्वरूप इसे तुलनपत्र की अनुसूची 11 के अनुसार सावधि जमाओं में निविष्ट किया गया है। समग्र निधि (विपणन परिसर) की सावधि जमाओं पर 31 मार्च, 2017 तक अर्जित ब्याज को संबंधित समग्र निधि में क्रेडिट किया गया किंतु चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 2017–18 के दौरान सावधि जमा राशियों पर रु. 18,76,95,376 के ब्याज को, समग्र निधि (विपणन परिसर) में क्रेडिट किए जाने की बजाय निगम की ब्याज आय के रूप में लिया गया है।

II) टिप्पणी ''4(ख)'' के अनुसार, दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार, रु. 3,21,75,213 की धनराशि समग्र निधि (मेगा क्लस्टर) के बैंक में निविष्ट निधियों पर अर्जित ब्याज के खाते पर समग्र निधि (मेगा क्लस्टर) के क्रेडिट पर स्थायी बनी हुई है। चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 2017–18 के दौरान रु. 3,21,75,213 की पूर्ण धनराशि को निगमी ब्याज आय के रूप में लिया गया है।

III) टिप्पणी संख्या 15 (VIII) उप टिप्पणी (iv) के अनुसार, भारत सरकार की अनुदान सहायता से प्राप्य राशियों के कुछ मामलों के लिए एनएचडीसी ने उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) प्रस्तुत किया है। तथापि, यह धनराशि अभी भी भारत सरकार से प्राप्य है। इसके अतिरिक्त, कुछ मामले ऐसे हैं, जिनमें निगम ने व्यय किए हैं और प्रतिपूर्ति के लिए दावे भारत सरकार को प्रस्तुत किए हैं, किंतु न तो भारत सरकार ने राशि जारी की है न ही यह प्राप्त हुई है। अस्वीकृत राशि का प्रभाव लेखा परीक्षकों को अभी तक अज्ञात है।

IV) टिप्पणी संख्या ''13'' के अनुसार, देनदारी, जहां यह समग्र निधि से ऊपर रु. 7,65,319 (क्षे.का. कोलकाता) के लिए देनदार हैं और यह तीन वर्ष से अधिक पुरानी है। इसके लिए वर्ष के दौरान लेखों में प्रावधान नहीं किया गया है।

(III) Meaning of Internal Financial Control over Financial Reporting

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions and are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles , and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention of timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

(IV) Inherent Limitations of Internal Financial Control over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future period are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

(V) Qualified Opinion

According to the information and explanations given to us and based on our audit, the following material weaknesses have been identified as at March 31, 2018 as also pointed out in our Audit Report:

I) As stated in Note No. "4A" Rs. 18,76,95,376/- is Standing to the Credit of Corpus Fund (Marketing Complex) and correspondingly Invested in Fixed Deposits as Per Schedule 11 of the Balance Sheet. Interest earned on Fixed Deposits of Corpus Funds (Market Complexes) till 31st March 2017, was credited to respective Corpus Fund, But during Current Financial Year i.e. 2017-18 Interest on Fixed Deposits of Rs. 18,76,95,376/- has been taken as Interest Income of the Corporation, instead of crediting to the Corpus Fund (Marketing Complex).

II) As Per Note No. "4(B)", As on 31-03-2017, Rs. 3,21,75,213/- was standing to the Credit of Corpus Fund (Mega Cluster) on Account of Interest earned on Funds invested with the Bank of Corpus Fund (Mega Cluster). During the Current Financial Year i.e. 2017-18, the Entire Amount of Rs. 3,21,75,213/- has been taken as Interest Income of the Corporation.

III) Receivable from Govt. of India (GOI) Grant in Aid, as per the note no. 15 (VIII) sub-note (iv), for few cases NHDC has submitted the Utilization Certificates (UC). However, the amount is still receivable from GOI. Further there are some cases, where Corporation has made the expenditure and submitted the claims to GOI for reimbursement but neither GOI has been issued nor the amount has been received. The impact of disallowed amount is still unknown to the Auditors.

IV) As per Note No. "13" Sundry Debtors where it was found the Debtors for Rs. 7,65,319/- (R.O Kolkata) above then Corpus Fund and ageing beyond more than three years. Provision of the same has not been made in the accounts during the year.

V) वर्ष के दौरान निगम ने रु. 2,17,22,254 के अवकाश वेतन को पिछले वर्ष के दौरान किए गए अधिशेष प्रावधानों के रूप में प्रतिलेखित किया है जिसके परिणामस्वरूप लाभ में रु. 2,17,22,254 की वृद्धि हुई है।

VI) सभी वित्तीय विवरणिकाओं को ईआरपी (माड्यूल) से तैयार किया गया हैं। इनमें और सुधार किए जाने और प्रतिवेदनों को विशिष्ट रूप से तैयार की आवश्यकता है।

VII) तीसरी पी आर सी के आधार पर रु. 6.52 करोड के वेतन बकायों (गत वर्ष 0.60 करोड़ रुपए) का प्रावधान किया गया है। वित्तीय लेखों की टिप्पणी संख्या 7 के अनुसार, प्रावधानों का सृजन किया गया है किंतु लेखों को अंतिम रूप दिए जाने की तारीख तक इनका भुगतान नहीं किया गया है।

VIII) निगम ने गत तीन वर्षों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में किए गए अधिकांश महत्वपूर्ण अवलोकनों पर कार्रवाई आरंभ की है। इन अवलोकनों पर अंतिम चरण पर पहुंचने के लिए कदम उठाया जाना निगम की लेखाकरण प्रणाली, वित्तीय नीति और आर्थिक स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए अच्छा होगा। इस संबंध में इन्हें पुनः उद्धृत किया जाना अनावश्यक होगा।

IX) वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए वित्तीय विवरणिकाओं की समग्र निधि (काय विकास) के लिए टिप्पणी संख्या 8 की जांच करते हुए, अवलोकन किया गया है कि कार्यशील पूंजी के लिए क्लस्टरों की मांग को पूरा करने के लिए समग्र निधि को संवितरित किया गया है। निधियों के इन संवितरणों को अन्य जरूरतमंद क्लस्टरों के पक्ष में रिकवरी करके और पुनः वितरित करके आवर्तित किया जाना है। इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है। लेखा परीक्षकों ने यह भी इंगित किया है कि समग्र निधि की कार्यशील पूंजी में कोई गतिविधि नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, समग्र निधि के लिए शेष अभिपुष्टि की संख्या संबंधित कार्यालयों में उपलब्ध नहीं है।

एक भौतिक कमजोरी, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण में एक कमी या कमियों का संयोजन है, इस तरह की उचित सम्भावना है कि कम्पनी के वार्षिक वित्तीय विवरणों की सामग्री का गलत विवरण किसी समय के आधार पर रोका या पता नहीं किया जाएगा।

हमारी राय में, नियन्त्रण मानदण्डों के उद्देश्यों की उपलब्धि पर ऊपर वर्णित भौतिक कमजोरियों के प्रभाव/सम्भावित प्रभावों को छोड़कर, निगम ने भारतीय चार्टेड एकाउन्टेन्टस संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के अन्तर्गत आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के लेखा परीक्षा के आवश्यक घटकों को देखते हुए सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली और इस तरह की आन्तरिक वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियन्त्रण, 31 मार्च, 2018 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहा था, निगम द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदण्डों पर आन्तरिक नियन्त्रण के आधार पर आन्तरिक नियन्त्रण किया है।

हमने निगम की दिनांक 31 मार्च, 2018 के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में लागू लेखा परीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने वाली भौतिक कमजोरियों पर और ऊपर की गई रिपोर्टों पर विचार किया है और ये भौतिक कमजोरियां निगम के वित्तीय बयानों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं।

कृते एम ए एन वी एंड एसोशिएट्स
(चार्टेड एकाउन्टेन्टस)
एफ आर संख्या: 007351N

ह/–
एन. के. गुप्ता
भागीदार:
(एम. नं. 085713)

दिनांक: 4 सितंबर 2018
स्थान: नई दिल्ली

V) During the Year Corporation has written back leave salary provision amounting to Rs. 2,17,22,254/- as excess provisions made in the last years resulting an increase of profit to the tune of Rs. 2,17,22,254/-

VI) All the financial statements has been made from ERP (Module). It further needs to improve and develop the customization of reports.

VII) Provision of Salary Arrears amounting to Rs. 6.52 crores (Previous year Rs. 0.60 crores) has been provided on account of 3rd PRC. As per note no. 7 of Financial Accounts, the provisions have been created but it's not paid till the date of finalization of accounts.

VIII) The Corporation has initiated action on many of the vital observations made in the audit reports of the previous three years. It would be in the greater interest of the betterment of the accounting system, financial policy and fiscal health of the Corporation to take steps to reach at the conclusive stage on those observations. It would be unnecessary to reiterate the same in this respect.

IX) While scrutinizing note No.8 for Corpus fund (Corpus development) of the financial statements for Financial Year 2017-18, it is observed that Corpus fund have been disbursed to meet out their demands of clusters for working capital. These disbursements of the funds are to be recycled by making recovery and re-disbursing the same in favor of other needy clusters. Effective action in this regard is wanting. The Internal Auditor has also pointed out that there is no movement in the working capital of the Corpus fund. In addition to this number of balance confirmation for Corpus fund is not available at the respective offices.

A material weakness is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal financial control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the company`s annual financial statements will not be prevented or detected on a timely basis.

In our opinion, except for the effects/possible effects of the material weaknesses described above on the achievement of the objectives of the control criteria, the Corporation has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2018, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Corporation considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

We have considered the material weaknesses identified and reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the March 31, 2018 financial statements of the Corporation, and these material weaknesses do not affect our opinion on the financial statements of the Corporation.

For MANV & Associates
(Chartered Accountants)
F.R.No: 007351N

Sd/-
N.K.GUPTA
Partner:
(M No.085713)

Dated: 4th September 2018
Place: New Delhi

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कम्पनी के प्रबन्धन की जिम्मेदारी है। उक्त अधिनियम की धारा 139 (5) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किया गया सांविधिक लेखा परीक्षक उक्त अधिनियम की धारा 143 (10) के अन्तर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार निष्पक्ष लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उल्लेखनीय है कि इसे उनके द्वारा दिनांक 4 सितम्बर, 2018 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अन्तर्गत पूरा किया गया है।

मैंने, भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से उक्त अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा न करने का निर्णय लिया है।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए तथा उनकी ओर से

N. Munshi

(नन्दन मुंशी)
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा महानिदेशक
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–।।
नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 14 सितंबर 2018

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT Corporation LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2018.

The preparation of financial statements of the National Handloom Development Corporation Limited for the year ended 31 March 2018 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 04 September 2018.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India have decided not to conduct the supplementary audit of the financial statements of National Handloom Development Corporation Limited for the year ended 31 March 2018 under section 143(6)(a) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

N. Munshi

(Nandana Munshi)
Director General of Commercial Audit
& Ex-officio Member, Audit Board-II,
New Delhi

Place: New Delhi
Date: 14.09.2018

उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियां

लेखाकरण परिपाटी :

सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों, कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान तथा भारतीय चार्टेड एकाउन्टेन्टस संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए प्रयोज्य लेखाकरण मानकों के अनुसार ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अन्तर्गत वित्तीय विवरण तैयार किए जाते रहे हैं।

स्थायी परिसम्पत्तियाँ :

अधिप्राप्त/क्रय की गई परिसम्पत्तियों को क्रय मूल्य के आधार पर अभिलेख किया जाता है।

परिसम्पत्तियों का मूल्य ह्रास एवं क्षति :

स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास सरल लेखा विधि से प्रभारित किया जाता है। ह्रास की गणना वर्ष के दौरान परिसम्पत्तियों में हुई वृद्धियों पर आनुपातिक आधार पर उस वर्ष में की गयी है। जिस वर्ष में स्थायी परिसम्पत्तियों को उपयोग में लाया गया है। अधिग्रहीत की गयी ऐसी परिसम्पत्तियों पर 100% मूल्य ह्रास लगाया गया है। जिनका अलग–अलग मूल्य रु. 5000.00 (रुपये पांच हजार मात्र) से अधिक नहीं है। कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ।। में वर्णित परिसम्पत्तियों के उपयोगी जीवन के अनुसार मूल्य ह्रास की गणना की गयी है।

ह्रास से जुड़े प्रत्येक तुलन पत्र में परिसम्पत्तियों की लागत की जाँच की जाती है ताकि ह्रास सम्बन्धी हानि, यदि कोई हो, जिसके सम्बन्ध में कार्रवाई अपेक्षित हो अथवा पूर्ववर्ती अवधियों में जिसका निर्धारण किया गया हो, की जाँच की जा सके।

अनुदान :

सहायता अनुदान के सम्बन्ध में विशिष्ट प्रयोजनों पर व्यय किया गया है तथा उन्हें तदनुसार सरकार से प्राप्त विशिष्ट अनुदानों में समायोजित किया जाता है। सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान/प्राप्य राशि को उसके समग्र संग्रहण की निश्चिन्तता के मद्देनज़र प्रोद्भूत आधार पर निर्धारित किया जाता है।

इन्वेंट्रीज़ :

स्टॉक का मूल्य निर्धारण लागत मूल्य पर अथवा निवल वसूली मूल्य, जो भी न्यूनतम हो, के आधार पर किया जाता है। विक्रय वापसी के कारण अथवा अन्य किसी कारण मार्गस्थ माल को क्रय मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है।

बिक्री :

सूत, रंग एवं रसायन तथा वस्त्र की बिक्री उपभोक्ताओं को प्रेषित सामानों के मूल्य को दर्शाती है।

व्यय का वर्गीकरण :

सभी व्यय एवं आय का लेखाकरण स्वभाविक खाता शीर्ष के अन्तर्गत किया जाता है। जहाँ कहीं आवष्यक हुआ है, व्यय का आवंटन कार्यात्मक आधार पर किया गया है।

अतिदेय बिलों पर ब्याजः

अतिदेय बिलों पर ब्याज का प्रावधान, उनके साथ निर्णीत क्रेडिट की शर्तों के अनुसार, विलंबित भुगतानों के लिए किया गया है। अनिष्पाद्य अतिदेय ब्याज के रूप में दर्शाया गया है।

वित्तीय प्रभारः

रंगों और रसायनों के ग्राहकों पर लगाए गए वित्तीय प्रभारों को इनके अंतिम एकत्रण की अनिश्चितता के दृष्टिगत प्राप्ति आधार पर राजस्व के रूप में स्वीकृत किया गया है।

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

ACCOUNTING CONVENTIONS:

The financial statements have been prepared under historical cost convention in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles, the provisions of Companies Act' 2013 and applicable Accounting Standards issued by the Institute of Charted Accountants of India (ICAI).

FIXED ASSETS:

The assets acquired/ purchased are recorded on the basis of purchase value.

DEPRECIATION AND IMPAIRMANET OF ASSETS:

Depreciation on fixed Assets is charged on straight-line method. Depreciation is calculated on pro-rata basis on all additions made during the year in which the assets are put to use/ brought on charges. However, 100% depreciation is charged on the assets acquired during the year where individual cost does not exceed Rs. 5000. Depreciation is calculated as per useful life of assets mentioned in Schedule – II of the Companies Act 2013.

The carrying amount of assets is tested at each Balance Sheet date for impairment so as to determine and provide for the impairment loss, if any, required or the reversal, if any, required for impairment loss recognized in previous periods.

GRANTS:

The expenses against Grants-in-aid have been incurred on specific purposes and are adjusted accordingly in specific grant received from Government. Grants/ Receivable from Government are recognized on accrual basis keeping in view the certainty of its ultimate collection.

INVENTORIES:

The valuation of stocks is at cost or net realizable value, whichever is lower. Goods-in-transit due to sales return or otherwise are valued at purchase price.

SALES:

The sales of yarn, dyes & chemicals and fabrics represent the value of goods dispatched to customers.

CLASSIFICATION OF EXPENDITURE:

All expenses and Incomes are accounted for under natural heads of account. Wherever necessary, allocation of expenditure on the functional basis has been made.

INTEREST ON OVERDUE BILLS:

Interest on overdue bills has been provided for delayed payments as per terms of credit decided with them. The unrealized overdue interest is shown as Deferred Accrued Interest.

FINANCE CHARGE:

Finance charges levied on customers of Dyes & Chemicals are recognized as revenue on receipt basis in view of uncertainty in its ultimate collection.

सेवानिवृत्ति लाभों का लेखाकरणः

(क) ग्रेच्युटी के लिए देनदारी का प्रावधान लेखाकरण मानक–15 के अनुसार बीमांकिक के मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।

(ख) छुट्टी नकदीकरण से संबंधित देनदारी का प्रावधान लेखाकरण मानक–15 के अनुसार बीमांकिक के मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।

(ग) छुट्टी यात्रा छूट की अनुमति निगम के नियमों के अनुसार दी गई है और इसे लेखों में उस वर्ष में दर्ज किया गया है जिसमें कर्मचारियों द्वारा ये अनुमतियां ली गई हैं।

पूर्व अवधि सम्बन्धी समायोजन :

पूर्व अवधि सम्बन्धी समायोजन वे समयोजन हैं जो मूलभूत भूल–चूक का अशुद्धि–शोधन किए जाने से पूर्व अवधियों के लिए प्रयोज्य होते हैं।

विकास कार्यों के लिए आरक्षित धन :

निगम द्वारा विकास कार्यों पर अपने स्त्रोत से किये गये व्यय तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान से अधिक किये गये व्यय को विकास कार्यों के लिए आरक्षित कोष से सीधे प्रभारित किया गया है तथा जिसे निगम के लाभ में से विनियोजित किया गया है।

खण्ड लेखाकरण नीति :

खण्ड लेखाकरण नीतियाँ निगम की लेखाकरण नीतियों के अनुरूप हैं। तथापि, खण्ड की रिपोर्टिंग के लिए निम्नलिखित विशिष्ट लेखाकरण नीतियों का अनुसरण किया गया है :–

(क) खण्ड राजस्व में खण्ड के साथ प्रत्यक्ष रूप से अभिज्ञेय तथा आबंटित बिक्री व अन्य सम्मिलित हैं। जिसमें अंर्तखण्ड राजस्व को भी सम्मिलित किया गया है। कम्पनी की वह आय जो खण्डों में आबंटित नहीं है को अन्य गैर आबंटित आय की मद में रखा गया है।

(ख) खण्ड परिणाम का निर्धारण करते समय खण्ड के साथ अप्रत्यक्षतः अभिज्ञेय/आबंटित खर्चों को भी ध्यान में रखा गया है। कम्पनी के ऐसे सम्पूर्ण खर्चे जो खण्डों को आबंटित नहीं है उन्हें अन्य गैर आबंटित खर्चों की मद में रखा गया है।

(ग) खण्ड परिसम्पत्तियों तथा देयताओं में सीधे सम्बन्धित खण्डों के साथ अभिज्ञेय परिसम्पत्तियाँ तथा देयताएँ शामिल है। अबंटनीय नैगमिक परिसम्पत्तियाँ तथा देयताएँ उन परिसम्पत्तियों तथा देयताओं को दर्शाती हैं जो समग्र रूप से निगम से सम्बन्धित हैं तथा जिन्हें किसी भी खण्ड में आबंटित नहीं किया जा सकता है।

आय पर कर :

मौजूदा अवधि के लिए आय कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार कर योग्य आय तथा कर समंजन के आधार पर किया जाता है तथा जो निर्धारणों/अपीलों के सम्भावित निष्पादनों पर आधारित होता है।

आस्थगित कर का निर्धारण वर्ष विशेष के लिए लेखाकरण आय तथा कर योग्य आय के मध्य के अन्तर के आधार पर किया जाता है तथा उसका परिकलन कर दरों एवं अधिनियमित विधियों अथवा तुलन पत्र की तारीख को अधिनियमित विशिष्ट विधियों के आधार पर किया जाता है।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों का निर्धारण तथा उन परिसम्पत्तियों को तुलन पत्र में उस सीमा तक आगे अग्रेषित किया जाता है जोकि निश्चित रूप से युक्तियुक्त हों तथा जिससे यह सुनिश्चित हो कि ऐसी आस्थगित कर परिसम्पत्तियों के बदले पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी।

ACCOUNTING OF RETIREMENT BENEFITS:

(a) Liability towards Gratuity is provided based on the actuarial valuation as per AS-15.

(b) Liability towards Leave Encashment is provided based on the actuarial valuation as per AS-15.

(c) Leave travel concession is allowed as per rules of the Corporation and booked in accounts in the year in which it is availed by the employees.

PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS:

Prior Period Adjustments are those adjustments applicable to prior periods arising from correction of fundamental errors & omissions.

RESERVE FOR DEVELOPMENTAL ACTIVITIES:

Expenditure incurred by the Corporation on developmental activities from its own sources including expenditure incurred over and above the grant-in-aid received from Government of India are charged to Reserve for Developmental Activities directly which have been appropriated out of profits of the Corporation.

SEGMENT ACCOUNTING POLICY:

Segment Accounting policies are in line with the accounting policies of the Corporation. However, the following specific accounting policies have been followed for segment reporting:

a) Segment Revenue includes sales and other income directly identifiable with/ allocable to the segments including inter-segment revenue. The income, which relate to the Corporation as a whole and not allocable to the segments is included in "Other Un-allocable Income".

b) Expenses that are directly identifiable with/ allocable to the segments are considered for determining the segments result. The expenses, which relate to the Corporation as a whole and not allocable to the segments are included under "Other Un-allocable Expenditure".

c) Segment assets and liabilities include those directly identifiable with the respective segments. Un-allocable corporate assets and liabilities represent the assets and liabilities that relate to the Corporation as a whole and not allocable to any segment.

TAXES ON INCOME:

Tax income for the current period is determined on the basis of taxable income and tax credits computed in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961 and based on the expected outcome of assessments/ appeals.

Deferred tax is recognized on timing difference between the accounting income and the taxable income for the year and quantified using the tax rates and laws enacted or substantively enacted as on the Balance Sheet date.

Deferred tax assets are recognized and carried forward to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized.

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
दिनांक 31 मार्च, 2018 को तुलन-पत्र (बैलेंस शीट)

विवरण		नोट सं.	31.03.2018 को (रु. में)	31.03.2017 को (रु. में)
1		2	3	4
I.	**इक्विटी एवं देयता**			
1	**अंशधारक की निधियाँ**			
क)	शेयर पूंजी	1	190000000	190000000
ख)	रिजर्वस एवं अतिरेक	2	970232744	820304826
2	**गैर मौजूदा देयताएं**			
क)	आस्थगित कर देयताएं (निवल)	3	-25668842	-26516346
ख)	अन्य दीर्घावधि देयताएं (समग्र)	4	553531625	985672985
3	**मौजूदा देयताएं**			
क)	व्यापार देनदारियां	5	4609246672	3325400731
ख)	अन्य मौजूदा देयताएं	6	923627453	753865413
ग)	अल्पावधि प्रावधान	7	356889580	413874626
	कुल		**7577859232**	**6462602235**
II.	**परिसंपत्तियां**			
	गैर मौजूदा परिसंपत्तियां			
1 (क)	नियत परिसंपत्तियां			
i)	मूर्त परिसंपत्तियां	8	130691403	127475118
ii)	अमूर्त परिसंपत्तियां	9	14513824	17742591
ख)	स्दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	10	368278	398778
ग)	अन्य गैर मौजूदा परिसंपत्तियां (समग्र)	11	553531625	985672985
2	**मौजूदा परिसंपत्तियां**			
क)	इन्वेंट्रीज	12	9998237	12736571
ख)	प्राप्य व्यापार	13	3729994072	2210480511
ग)	रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	14	1292259476	1933814196
घ)	अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	15	1808671974	1119175371
ड)	अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां	16	37830344	55106113
	कुल		**7577859232**	**6462602235**

नोटः 1 से 28 तथा मौजूदा समीक्षावधि के अंत में उपलब्ध तुलन–पत्र के साथ संलग्न महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि संबंधी विवरण, इक्विटी और मुद्रा के प्रवाह में परिवर्तन लेखाओं का एक अभिन्न भाग है।

ह./–
अंजलि यादव
कम्पनी सचिव

ह./–
नवीन गुप्ता
अधिशासी निदेशक (वित्त)/सीएफओ

ह./–
संजय रस्तोगी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन नं. 07722405

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
एम ए एन वी और एसोसिएट्स के लिए
चार्टेड एकाउन्टेन्टस

ह/–
साझेदार : एन के. गुप्ता
एम. नं. 085713, एफ.आर.नं. 007351N

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 04 सितम्बर 2018

NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2018

	PARTICULARS	NOTE NO.	As on 31-03-2018 (Rs.)	As on 31-03-2017 (Rs.)
	1	2	3	4
I.	**EQUITY AND LIABILITIES**			
1	**Shareholder's funds**			
a)	Share Capital	1	190000000	190000000
b)	Reserves and Surplus	2	970232744	820304826
2	**Non- current liabilities**			
a)	Deferred tax liabilities (Net)	3	-25668842	-26516346
b)	Other long term liabilities (Corpus)	4	553531625	985672985
3	**Current liabilities**			
a)	Trade payables	5	4609246672	3325400731
b)	Other current liabilities	6	923627453	753865413
c)	Short term provisions	7	356889580	413874626
	TOTAL		**7577859232**	**6462602235**
II.	**ASSETS**			
	Non current assets			
1(a)	Fixed Assets			
i)	Tangible assets	8	130691403	127475118
ii)	Intangible assets	9	14513824	17742591
b)	Long term loans and advances	10	368278	398778
c)	Other non current assets(Corpus)	11	553531625	985672985
2	**Current assets**			
a)	Inventories	12	9998237	12736571
b)	Trade receivable	13	3729994072	2210480511
c)	Cash and cash equivalents	14	1292259476	1933814196
d)	Short term loans and advances	15	1808671974	1119175371
e)	Other current assets	16	37830344	55106113
	TOTAL		**7577859232**	**6462602235**

Note 1 to 28 and significant Accounting Policies annexed to Balance sheet as at the end of current reporting period and Statement of Profit and Loss, Change in Equity and Cash Flow for the year ended on that date form an integral part of Accounts.

Sd/-
Anjali Yadav
Co. Secretary

Sd/-
Naveen Gupta
ED (Finance) / CFO

Sd/-
Sanjay Rastogi
CMD
DIN No. - 07722405

As per our Report of even date
For MANV & Associates, Chartered Accountants

Sd/-
Partner : N. K. Gupta
M.No. : 085713, F.R.No. : 007351N

Place: New Delhi
Date: September 4, 2018

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि संबंधी विवरण

	विवरण	नोट सं.	वित्त वर्ष 2017-18 के लिए (01.04.2017 से 31.03.2018) (रु. में)	वित्त वर्ष 2016-17 के लिए (01.04.2016 से 31.03.2017) (रु. में)
I.	(क) कार्य संचालनों से प्राप्त राजस्व	17	26051554168	29935179302
	(ख) यॉर्न आपूर्ति स्कीम के अंतर्गत व्यय की प्रतिपूर्ति के बदले सहायता अनुदान	17	2705608306	3027168644
II.	अन्य आय	18	211571314	114262803
III.	**कुल राजस्व (I+II)**		**28968733788**	**33076610749**
IV.	व्यय:			
	व्यापार में स्टाक की खरीद	19	27239932070	31324523043
	परिवहन/डिपो प्रभारों की प्रतिपूर्ति	20	902315064	930465136
	व्यापार में इंवेंट्रीज/स्टाक में परिवर्तन	21	2738334	1960975
	कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय	22	292007599	224161672
	वित्तीय लागत	23	-	-
	अवमूल्यन और प्रतिशोधन व्यय	8 & 9	9011194	6021706
	अन्य व्यय	24	152943527	109078342
	कुल व्यय		**28598947789**	**32596210874**
V.	आपवादिक, असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ (III-IV)		369785999	480399875
VI.	आपवादिक मदें	25	10175389	4961892
VII	नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय	26	5788604	10021783
VIII.	असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ (V-VI-VII)		353822006	465416200
IX	असाधारण मदें			
X	कर पूर्व लाभ (VIII- IX)		353822006	465416200
XI	कर व्यय:			
	1 मौजूदा कर (प्रावधान)	27	117200000	176000000
	2 आस्थगित कर	3	847504	600241
XII.	सतत कार्यसंचालन से अवधि के दौरान लाभ (हानि) (X - XI)		235774502	288815959
XIII.	बंद कार्य संचालनों से लाभ/हानि		-	-
XIV.	बंद कार्य संचालनों का कर संबंधी व्यय		-	-
XV.	बंद कार्य संचालनों से लाभ/हानि (कर के भुगतान के पश्चात्) (XIII-XIV)		-	-
XVI.	उक्त अवधि के लिए लाभ (हानि) (XII + XV)		235774502	288815959
XVII. (i)	प्रति इक्विटी शेयर से आय (असाधारण मदों से पूर्व)			
	(1) मूलभूत		124.09	152.01
	(2) डायल्युटेड		124.09	152.01
(ii)	प्रति इक्विटी शेयर से आय (असाधारण मदों के पश्चात्)			
	(1) मूलभूत		124.09	152.01
	(2) डायल्युटेड		124.09	152.01

नोटः 1 से 28 तथा मौजूदा समीक्षावधि के अंत में उपलब्ध तुलन–पत्र के साथ संलग्न महत्वपूर्ण लेखाकार नीतियां तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि संबंधी विवरण, इक्विटी और मुद्रा के प्रवाह में परिवर्तन लेखाओं का एक अभिन्न भाग है।

ह./–
अंजलि यादव
कम्पनी सचिव

ह./–
नवीन गुप्ता
अधिशासी निदेशक (वित्त)/सीएफओ

ह./–
संजय रस्तोगी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन नं. 07722405

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
एम ए एन वी और एसोसिएट्स के लिए
चार्टेड एकाउन्टेन्टस

ह/–
साझेदार : एन के. गुप्ता
एम. नं. 085713, एफ.आर.नं. 007351N

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 04 सितम्बर 2018

NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2018

	PARTICULARS	NOTE NO.	For FY 2017-18 (01-04-2017 to 31-03-2018) (In Rs.)	For FY 2017-18 (01-04-2016 to 31-03-2017) (In Rs.)
I.	(a) Revenue from operations	17	26051554168	29935179302
	(b) Grant in-aid against reimbursement of expenditure under Yarn Supply Scheme	17	2705608306	3027168644
II.	Other Income	18	211571314	114262803
III.	**Total Revenue (I+II)**		**28968733788**	**33076610749**
IV.	Expenses:			
	Purchases of stock in trade	19	27239932070	31324523043
	Reimbursement of Transportation/depot charges	20	902315064	930465136
	Changes in inventories/stock in trade	21	2738334	1960975
	Employee benefits expenses	22	292007599	224161672
	Finance costs	23	-	-
	Depreciation and amortization expenses	8 & 9	9011194	6021706
	Other expenses	24	152943527	109078342
	Total Expenses		**28598947789**	**32596210874**
V.	Profit before exceptional and extraordinary items and tax (III-IV)		369785999	480399875
VI.	Exceptional items	25	10175389	4961892
VII	Corporate social responsibility (CSR) Expenses	26	5788604	10021783
VIII.	Profit before extraordinary items and tax (V-VI-VII)		353822006	465416200
IX	Extraordinary Items			
X	Profit before tax (VIII- IX)		353822006	465416200
XI	Tax expense:			
	1 Current Tax (Provision)	27	117200000	176000000
	2 Deferred Tax	3	847504	600241
XII.	Profit (Loss) for the period from continuing operations (X - XI)		235774502	288815959
XIII.	Profit/loss from discontinuing operations	-	-	
XIV.	Tax expenses of discontinuing operations	-	-	
XV.	Profit/(loss) from discontinuing operations (after tax) (XIII-XIV)	-	-	
XVI.	Profit(Loss) for the period (XII + XV)		235774502	288815959
XVII. (i)	Earnings per equity share (Before extra ordinary items)			
	(1) Basic		124.09	152.01
	(2) Diluted		124.09	152.01
(ii)	Earnings per equity share (After extra ordinary items)			
	(1) Basic		124.09	152.01
	(2) Diluted		124.09	152.01

Note 1 to 28 and significant Accounting Policies annexed to Balance sheet as at the end of current reporting period and Statement of Profit and Loss, Change in Equity and Cash Flow for the year ended on that date form an integral part of Accounts.

Sd/-
Anjali Yadav
Co. Secretary

Sd/-
Naveen Gupta
ED (Finance) / CFO

Sd/-
Sanjay Rastogi
CMD
DIN No. - 07722405

As per our Report of even date
For MANV & Associates, Chartered Accountants

Sd/-
Partner : N. K. Gupta
M.No. : 085713, F.R.No. : 007351N

Place: New Delhi
Date: September 4, 2018

लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1. शेयर पूंजी

विवरण	31.03.2018 को (रु. में)		31.03.2017 को (रु. में)	
प्राधिकृत				
प्रत्येक 100/– रू. मूल्य वाले 20,00,000 इक्विटी शेयर (पूर्व वर्ष 20,00,000 इक्विटी शेयर)		20,00,00,000		20,00,00,000
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त				
प्रत्येक 100/–रु. मूल्य वाले 18,98,465 इक्विटी शेयर जिनके लिए नकद राशि का भुगतान किया गया था तथा जो डीसीएच कार्यालय के जरिए भारत सरकार द्वारा धारित थे (पूर्व वर्ष प्रत्येक 100 रु. मूल्य वाले 18,98,465 इक्विटी शेयर)	189846500		189846500	
प्रत्येक 100/–रु. मूल्य वाले 1,535 इक्विटी शेयर जिनके लिए नकद भुगतान नहीं किया गया था (कंपनी के निगमीकरण व्यय के बदले भारत के राष्ट्रपति को डीसीएच कार्यालय के जरिए आबंटित किए गए शेयर) पूर्व वर्ष प्रत्येक 100/–रु. मूल्य वाले 1535 इक्विटी शेयर	153500	190000000	153500	190000000
कुल		**190000000**		**190000000**

2. रिजर्वस तथा अतिरेक

विवरण	31.03.2018 को (रु. में)	31.03.2017 को (रु. में)
(क) रिजर्वस		
(I) तुलन–पत्र के अनुसार विकासात्मक कार्यों के लिए रिजर्व	2461630	2490403
वृद्धिः लाभ और हानि के विवरण से अंतरित की गई धनराशि लाभ और हानि	-	5800000
कमीः वर्ष के दौरान उपयोग	-	5828773
कुल (i)	**2461630**	**2461630**
(II) तुलन–पत्र के अनुसार सेवानिवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा निधि	10189606	7197499
वृद्धिः लाभ और हानि के विवरण से अंतरित की गई धनराशि लाभ और हानि	-	3700000
वृद्धिः वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	826347	250350
कमीः वर्ष के दौरान उपयोग	1458051	958243
कुल (ii)	**9557902**	**10189606**
कुल (i+ii)	**12019532**	**12651236**
(ख) अधिशेष		
तुलन–पत्र के अनुसार	807653590	633050829
वृद्धिः लाभ और हानि के विवरण से अंतरित की गई धनराशि मौजूदा वर्ष में लाभ	235774502	288815961
कमीः–		
प्रस्तावित लाभांश	70800000	87000000
नैगमिक कर लाभांश	14414880	17713200
विकास गतिविधि के लिए आरक्षित राशि को हस्तांतरित किया गया	-	5800000
सेवानिवृत्ति के पश्चात् अंतरित की गई चिकित्सा निधि	-	3700000
अधिशेष (ख)	**958213212**	**807653590**
कुल (क+ख)	**970232744**	**820304826**
प्रति इक्विटी शेयर प्रस्तावित लाभांश	**37.26**	**45.79**

NOTES ON ACCOUNTS

1 SHARE CAPITAL

Particulars	As on 31-03-2018 (Rs.)		As on 31-03-2017 (Rs.)	
Authorized				
20,00,000 Equity shares (Previous year 20,00,000 Equity shares) of Rs. 100/- each		20,00,00,000		20,00,00,000
Issued, Subscribed & Paid-up				
18,98,465 Equity shares of Rs. 100/- each fully paid in cash held by Government of India through DCH office (Previous year: 18,98,465 Equity shares of Rs. 100/- each)	189846500		189846500	
1,535 Equity shares of Rs. 100/- each fully paid up without payment being received in cash (Shares allotted to The President of India through DCH Office against company's incorporation expenses) Previous year 1,535 equity shares of Rs. 100/- each	153500	190000000	153500	190000000
TOTAL		**190000000**		**190000000**

2 RESERVES & SURPLUS

	Particulars	As on 31-03-2018 (Rs.)	As on 31-03-2017 (Rs.)
(A)	**RESERVES:**		
(I)	Reserve for developmental Activities as per last Balance sheet	2461630	2490403
	Add : Amount transferred from Statement of Profit & Loss	-	5800000
	Less: Utilization during the year	-	5828773
	Total(i)	**2461630**	**2461630**
(II)	Post Retirement Medical Corpus As per last Balance sheet	10189606	7197499
	Add : Amount transferred from Statement of Profit & Loss	-	3700000
	Add : Interest Earned during the year	826347	250350
	Less: Utilization during the year	1458051	958243
	Total(ii)	**9557902**	**10189606**
	Total(i+ii)	**12019532**	**12651236**
(B)	**SURPLUS**		
	As per last Balance sheet	807653590	633050829
	Add : Amount transferred from Statement of Profit & Loss - Current year profit	235774502	288815961
	Less:-		
	Proposed Dividend	70800000	87000000
	Corporate Tax on Dividend	14414880	17713200
	Amount transferred to reserve for developmental activity	-	5800000
	Transferred to post retirement medical corpus	-	3700000
	SURPLUS(B)	**958213212**	**807653590**
	TOTAL (A+B)	**970232744**	**820304826**
	Proposed Dividend per Equity Share	37.26	45.79

3. आस्थगित कर देयता (निवल)

मौजूदा समीक्षावधि के अंत में निवल आस्थगित कर देयता का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

अस्थगित कर परिसंपत्तियों के घटक तथा आस्थगित कर देयता	31.03.2018 को	
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (रु. में)	आस्थगित कर देयता (रु. में)
आस्थगित कर देयताएं		
लेखा बहियों के अनुसार अवमूल्यन योग्य परिसंपत्तियों का बही मूल्य तथा कर अवमूल्यन के अनुसार लिखित मूल्य का अंतर		6573570
समय का अंतर करने के लिए अन्य आस्थगित कर देयता		6206839
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
शंकायुक्त ऋण एवं अग्रिम आदि के लिए प्रावधान	14670404	
छुट्टी संबंधी वेतन के लिए प्रावधान	23124888	
मृतक कर्मचारी योजना के लिए प्रावधान	299628	
समय संबंधी अंतर के लिए अन्य आस्थगित कर परिसंपत्ति (वीआरएस)	354331	
कुल	**38449251**	**12780409**
मौजूदा समीक्षावधि के अंत में निवल आस्थगित कर देयता/ (परिसंपत्ति)		**-25668842**
पूर्व समीक्षावधि के अंत में निवल आस्थगित कर देयता/ (परिसंपत्ति)		**-26516346**
मौजूदा समीक्षावधि के दौरान लाभ संबंधी विवरण के लिए प्रभारित निवल देयता/(परिसंपत्ति)		**847504**

4. गैर मौजूदा देयता-अन्य दीर्घावधि देयताएं

अन्य दीर्घावधि देयता (समग्र)

विवरण	31.03.2018 को (रु. में)		31.03.2017 को (रु. में)	
(क) समग्र निधि (विपणन कॉम्पलेक्स)				
क) भारत सरकार से प्राप्ति	82580850		82580850	
ख) **कमी:** समायोजित/सरकार को वापस की गई धनराशि	48158949		48158949	
ग) सरकार को प्रतिदेय मूल राशि (क–ख)	34421901		34421901	
घ) समायोजनों सहित एजेंसियों से प्राप्त धनराशि	97544411		96773633	
ङ) **कमी:** एजेंसियों की ओर से कॉम्पलेक्सों के लिए स्थान का अभिग्रहण/ अन्य व्यय आदि के लिए अदा की गई राशि	96584973		95351227	
च) एजेंसियों को प्रतिदेय राशि (घ–ङ)	959439		1422406	
छ) शेष (क–ख+घ–ङ) या (ग+च)		35381340		35844307
ज) अर्जित लाभ में से विविध व्यय को घटाने के बाद राशि		152314036		152314036
कुल (छ+ज)		**187695376**		**188158343**

i) प्रारंभ में समग्र निधि (विपणन कॉम्पलेक्स) लेखा में जमा करने के पश्चात् उपयोगकर्ता एजेंसियों की ओर से मुंबई, इंदौर, जयपुर और नई दिल्ली में विपणन परिसर की एकमुश्त खरीद के लिए भारत सरकार द्वारा 82580850/–रु. (पिछले वर्ष 82580850/–रु.) की निधि जारी की गई थी जिसका विपणन परिसरों की खरीद के लिए उपयोग कर लिया गया है। उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त 97544411/–रु. (पिछले वर्ष 96773633/–रु.) की राशि समग्र निधि में जमा कर दी गई है और विपणन परिसरों की स्थापना पर किए गए 96584973/–रु. (पिछले वर्ष 95351227/–रु.) का व्यय समग्र निधि से प्रभारित किया गया है। विविध व्यय, यदि कोई हो को समायोजित करने के पश्चात् 31 मार्च 2017 तक अव्ययित समग्र निधि से सृजित सावधि जमा पर अर्जित ब्याज 152314036/–रु. को जमा कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, समग्र निधियों (विपणन परिसर) पर ब्याज क्रेडिट नहीं किया गया है।

3 DEFERRED TAX LIABILITY (Net)

The break up of net deferred tax liability as at the end of current reporting period is as under:

Components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liability	As on 31-03-2018	
	Deferred Tax Assets (Rs.)	Deferred Tax Liability (Rs.)
Deferred Tax Liabilities		
Difference between book value of depreciable assets as per books of accounts and written down value as per tax depreciation		6573570
Other deferred tax liability giving rise to timing difference		6206839
Deferred Tax Assets		
Provision for doubtful debts and advances etc. based on Income Tax Rate of Provision	14670404	
Provision for leave salary	23124888	
Provision for Deceased Employee Scheme	299628	
Other deferred tax asset giving rise to timing difference- (VRS)	354331	
Total	**38449251**	**12780409**
Net Deferred Tax Liability/ (Asset) as at the end of current reporting period		**-25668842**
Net Deferred Tax Liability/ (Asset) as at the end of previous reporting period		**-26516346**
Net Liability / (Asset) charged to Statement of Profit and Loss during the current reporting period		**847504**

4 NON CURRENT LIABILITIES – OTHER LONG TERM LIABILITIES

I) Other Long Term Liability (Corpus)

Particulars	As on 31-03-2018 (Rs.)		As on 31-03-2017 (Rs.)	
(A) Corpus Fund (Marketing Complex)				
a) Receipt from Govt. of India upto date	82580850		82580850	
b) Less: Amount adjusted/ refunded to Govt. upto date	48158949		48158949	
c) Principle amount refundable to Govt. (A-B)	34421901		34421901	
d) Amount realized from agencies including adjustments upto date	97544411		96773633	
e) Less: Amount paid for acquisition of space/ other expenses etc. for complexes on behalf of agencies upto date	96584973		95351227	
f) Refundable to agencies (D-E)	959439		1422406	
g) Balance (A-B+D-E) or (C+F)		35381340		35844307
h) Amount of Interest earned less miscellaneous expenditure upto date		152314036		152314036
Total (G+H)		**187695376**		**188158343**

i) Funds released by the Govt. of India amounting to Rs. 82580850/- (Previous Year Rs. 82580850/-) for outright purchases of Marketing Complexes at Mumbai, Indore, Jaipur, and New Delhi on behalf of user agencies, after initially crediting them to Corpus Fund (Marketing Complex) Account, have been utilized for purchase of Marketing Complexes. The amount of Rs. 97544411/- (Previous Year Rs 96773633/-) received from user agencies has been credited to the corpus fund and expenditure incurred on setting up of marketing complexes amounting to Rs. 96584973/- (Previous Year Rs. 95351227/-) has been charged to the corpus fund. The interest earned on fixed deposits created from unspent corpus fund, after adjusting the Misc. expenditure if any, amounting to Rs. 152314036/- till 31st March 2017 has been credited thereto. During the FY 2017-18 Interest has not been credited to the Funds (Marketing Complex).

विवरण	31.03.2018 को (रु. में)	31.03.2017 को (रु. में)
(ख) समग्र निधि (मेगा क्लस्टर)		
क) भारत सरकार से प्राप्ति	95000000	95000000
ख) अर्जित लाभ की राशि 31.03.2017 से	32175213	32175213
ग) **घटाएं:** आय में स्थानांतरित करें	32175213	-
कुल	**95000000**	**32175213**

i) सरकारी निदेशों के अनुसार वाराणसी, शिवसागर, गोड्डा, मुर्शिदाबाद तथा प्रकाशन मेगा क्लस्टर में हथकरघा बुनकरों को सूत की आपूर्ति के लिए 95000000/–रु. (पिछले वर्ष 95000000/–रु.) सरकार द्वारा जारी की गई राशि का उपयोग मेगा क्लस्टर में हथकरघा बुनकरों को सूत की आपूर्ति करने के लिए किया गया है। सावधि जमाओं पर 31 मार्च 2017 तक अर्जित ब्याज 32175213/–रु. को वर्ष के दौरान, आय में हस्तांरित कर दिया गया है।

ii) वर्ष के दौरान, मेगा कलस्टर योजना के तहत रूपये 1213.60 लाख की धनराशि कुल आपूर्ति नियमित आवर्तन द्वारा की गई है। वर्ष के अंत में रु. 43.80 लाख उपयोगकर्त्ता एजेंसियों से लेने थे जिन्हें कुल दनदारों में सम्मिलित किया गया है।

विवरण	31.03.2018 को (रु. में)		31.03.2017 को (रु. में)	
(ग) समग्र निधि (व्यापार सुविधा केंद्र)				
क) भारत सरकार से प्राप्ति	2,686,916,952		2,686,580,436	
ख) समायोजन / यूसी प्रस्तुत की गई राशि और अन्य खर्चों अद्यतित	44,155,546		4,921,310	
ग) कुल (क+ख)		**2,642,761,406**		**2,681,659,126**
घ) **कमी:** परियोजना प्रबंधन एजेंसी को अंतरित की गई राशि (एनबीसीसी)		2,603,108,724		2,093,108,724
ङ) **कमी:** आर्किटेक्ट शुल्क अद्यतित (सिक्का)		37,194,772		57,940,451
शेष (ग–घ–ङ)		**2,457,910**		**530,609,951**

विवरण	31.03.2018 को (रु. में)		31.03.2017 को (रु. में)	
(घ) हैंडलूम पार्क, पोचमपल्ली				
क) केंद्रीय / राज्य से प्राप्ति	234729478		247502000	
ख) वर्ष के दौरान प्राप्ति	32498000			
ग) अर्जित ब्याज की राशि / कम व्यय	9852902		6939861	
घ) भुगतान की ब्याज की राशि	8702041		2212383	
ङ) कुल (क+ख+ग+घ)		268378339		252229478
च) **कम:** पोचमपल्ली में स्थानांतरित राशि (अग्रिम भुगतान)		-		10000000
छ) **कम:** कच्चे माल के लिए स्थानांतरित राशि		-		7500000
शेष (ग–घ–ङ)		**268378339**		**234729478**
कुल (क+ख+ग+घ)		**553531625**		**985672985**

Particulars		As on 31-03-2018 (Rs.)		As on 31-03-2017 (Rs.)
(B) Corpus Fund (Mega Cluster)				
a) Receipt from Govt. of India upto date		95000000		95000000
b) Amount of interest earned till 31.03.2017		32175213		32175213
c) Less : transfer to income		32175213		-
Total		**95000000**		**32175213**

i) As per Government directives, the funds released by Govt. of India amounting to Rs. 95000000/- (Previous Year Rs. 95000000/-) for supply of yarn to the Handloom weavers in Varanasi, Sivsagar, Godda, Murshidabad and Prakasham Mega cluster have been utilized for arranging the yarn supply to handloom weavers in Mega Cluster. The amount of interest earned on fixed deposits amounting to Rs. 32175213/- till 31st March, 2017 has been transferred into income during the year.

ii) During the year total supplies has been made to the tune of Rs 1213.60 lakh by rotating the funds under Mega cluster scheme . As at end of year Rs. 43.80 lakh is due to user agencies which is included in Sundry debtors accounts.

Particulars	As on 31-03-2018 (Rs.)		As on 31-03-2017 (Rs.)	
(C) Corpus Fund (Trade Facilitation Centre)				
a) Receipt from Govt. of India upto date	2,686,916,952		2,686,580,436	
b) Amount of Adjusment/UC Submitted & Other expenses up to date	44,155,546		4,921,310	
c) Total (A-B)		2,642,761,406		2,681,659,126
d) Less: Amount transferred to Project Management Agency upto date(NBCC)		2,603,108,724		2,093,108,724
e) Less : Architect fee upto date(SIKKA)		37,194,772		57,940,451
Balance (C-D-E)		**2,457,910**		**530,609,951**

Particulars	As on 31-03-2018 (Rs.)		As on 31-03-2017 (Rs.)	
(D) Pochampally for Handloom Park				
a) Receipt from Central / State	234729478		247502000	
b) Receipt during the year	32498000			
c) Amount of Interest earned/ Less Expenses	9852902		6939861	
d) Amount of Interest paid	8702041		2212383	
e) Total (A+B+C-D)		268378339		252229478
f) Less: Amount transferred to Pochampally (Advance paid)		-		10000000
g) Less: Amount transferred for Raw Material		-		7500000
Balance (C-D-E)		**268378339**		**234729478**
GRAND TOTAL (A+B+C+D)		**553531625**		**985672985**

5 मौजूदा देयताएं - व्यापार देनदारियां

विवरण	31.03.2018 को (रु. में)	31.03.2017 को (रु. में)
विविध लेनदार	4514046140	3193836380
(एसएसआई इकाइयों को देय रु. 1041453512/- शामिल है - पिछले वर्ष रुपये 1056948877/-)		
ग्राहक/अन्य से प्राप्त अग्रिम राशि	95200531	131564351
कुल	**4609246672**	**3325400731**

i) संतुलन पुष्टि एक सतत प्रक्रिया है। वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के अंत में इस वर्ष के अंत तक की शेष राशि सभी लेनदारों तथा अन्य पक्षकारों को पुष्टि के लिए भेज दी गई है, हालांकि, पुष्टि निम्नानुसार प्राप्त की गई है–

विवरण	कुल		पुष्टि 31–03–2018 को प्राप्त हुई		31–03–2018 को शेष राशि की पुष्टि का%	
	एजेंसियों की संख्या	बकाया राशि (रु.)	एजेंसियों की संख्या	बकाया राशि (रु.)	एजेंसियों की संख्या	बकाया राशि (रु.)
बकाया राशि	537	4514046140	208	3665024664	38.73	81.19
ग्राहक/अन्य से प्राप्त अग्रिम राशि	1674	95200531	516	26620987	30.82	27.96

ऊपर दर्शाए गए पुष्टि प्राप्त शेष राशि में वह राशि शामिल नहीं है जिसके लिए किसी प्रकार का विवाद हो परंतु इसमें केवल वह शेष राशि शामिल है जहां अंतर/समाधान के कारण की गई प्रविष्टियां दोनों पक्षकारों को स्वीकार्य हों। वह शेष राशि जो पुष्टि के लिए लंबित है, उसकी नियत समय में समीक्षा की जाएगी और उसके संबंध में समाधान निकाला जाएगा तथा इस संबंध में समायोजन यदि कोई हो जिसकी इन मामलों में आवश्यकता हो, तो उसे यथाशीघ्र पूरा किया जाएगा।

ii) विविध लेनदारों में 1005823484/–रु. (पिछले वर्ष 354913447/–रु.) की राशि शामिल है जो मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के अंत में 30 से अधिक दिनों के लिए से बकाया है तथा जो लघु उद्योग को देय है। उपर्युक्त लघु उद्योग वाले लेनदारों को देय राशि को उनके साथ किए गए करार के आधार पर रोक दिया गया है जिसमें उन्हें संबंधित लेनदारों से धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् ही आगे का भुगतान किया जाएगा।

iii) इसके अतिरिक्त ऐसे कोई सूक्ष्म और लघु उद्यम नहीं हैं, जिन्हें धनराशि का भुगतान करने संबंधी कंपनी की कोई देनदारी हो और मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के अंत में 45 से अधिक दिनों से बकाया हों। यह सूचना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकट की जानी अपेक्षित है और यह निगम के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसे पक्षकारों को अभिज्ञात करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेखा परीक्षकों द्वारा इस पर भरोसा व्यक्त किया गया है।

6 मौजूदा देयताएं - अन्य मौजूदा देयताएं

विवरण	31.03.2018 को (रु. में)	31.03.2017 को (रु. में)
प्रतिभूति जमा	10613722	613722
सरकारी अनुदान/सहभागिता राशि	291313296	33568448
अवधारण राशि	341649	341649
अग्रिम राशि	702763	827763
समग्र निधि (क्लस्टर विकास)	161609697	256909696
परिवहन एवं डिपो को देय	443822357	355725021
अन्य देयताएं	15223970	105879114
कुल	**923627453**	**753865413**

सरकार अनुदान/ भागीदारी धन राशि में भारत सरकार और एच.एस.एस.वाई योजना के तहत क्रियान्वयन एजेंसी होने के नाते प्राप्त राशि रु. 2662.47 लाख (पिछला वर्ष 482.01 लाख) शामिल है।

5 CURRENT LIABILITIES – TRADE PAYABLES

Particulars	As on 31-03-2018 (Rs.)	As on 31-03-2017 (Rs.)
Sundry creditors	4514046140	3193836380
(Includes Rs.1041453512/- payable to S.S.I units – Previous year Rs.1056948877/-)		
Advance from customers/ others	95200531	131564351
Total	**4609246672**	**3325400731**

i) The balance confirmation is a continuous process. The year end balances as at the end of current reporting period has been sent to all the creditors and other parties for confirmation, however, confirmation has been received as follows:-

Particulars	Total		Confirmation received as on 31-03-2018		% of Confirmation of balances as on 31-03-2018	
	No. of agencies	Amount outstanding (Rs.)	No. of agencies	Amount outstanding (Rs.)	No. of agencies	Amount outstanding (Rs.)
Creditors	537	4514046140	208	3665024664	38.73	81.19
Advance from customers/ others.	1674	95200531	516	26620987	30.82	27.96

The confirmed balances shown above do not include those, where there is any dispute, but only those balances where the entries on account of difference/ reconciliation are acceptable to both the parties. The balances which are pending for confirmation will be reviewed and reconciled in due course and the adjustment, if any, required in these cases will be made as soon as reconciled.

ii) Sundry Creditors includes amount of Rs. 1005823484/- (Previous year Rs. 354913447/-) payable to Small Scale Industries, outstanding for more than 30 days as at the end of current reporting period. The amount due to creditors being small scale industries as above is based on the arrangement with them, wherein, the payment will be released to them after realization of the payment from the corresponding debtors.

iii) Besides above, there are no micro and small enterprises, to whom the company owes dues which are outstanding for more than 45 days as at the end of current reporting period. This information is required to be disclosed under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 and has been determined to the extent such parties had been identified on the basis of information available with the corporation. This has been relied upon by the auditors.

6 CURRENT LIABILITIES – OTHER CURRENT LIABILITIES

Particulars	As on 31-03-2018 (Rs.)		As on 31-03-2017 (Rs.)
Security deposits	10613722		613722
Govt. grants/participation money	291313296		33568448
Retention money	341649		341649
Earnest money	702763		827763
Corpus fund (Cluster development)	161609697		256909696
Transportation and depot payable	443822357		355725021
Other Liabilities	15223970		105879114
Total	**923627453**		**753865413**

Govt. grants/participation money amount includes Rs. 2662.47 Lacs received from GOI and implementing agency on A/c of HSSY (previous year Rs. 487.01 Lacs)

7 मौजूदा देयताएं - अल्पावधि प्रावधान

विवरण	31-03-2017 को शेष राशि	वर्ष के दौरान की गई वृद्धि	कुल	भुगतान/ उपयोग प्रभारित	वर्ष के दौरान वापस लिखा गया	31-03-2018 को शेष राशि
आय कर	176000000	117200000	293200000	174649993	1350007	117200000
प्रोद्भूत छुट्टी	109161426	-	109161426	8404910	21722254	79034262
उपदान दायित्व के लिए प्रावधान	-	33240438	33240438	-	-	33240438
अनुग्रह राशि का प्रावधान	18000000	21000000	39000000	17987432	12568	21000000
प्रस्तावित लाभांश	87000000	70800000	157800000	137000000	-	20800000
प्रस्तावित लाभांश पर नैगमिक टैक्स	17713200	14414880	32128080	17713200	-	14414880
वेतन बकाए के लिए प्रावधान (संशोधित भुगतान)	6000000	65200000	71200000	-	-	71200000
	413874626	**321855318**	**735729944**	**355755535**	**23084829**	**356889580**

i) मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के लिए प्रति इक्विटी शेयर प्रस्तावित लाभांश 37.26/- रु. (पूर्व वर्ष 45.79/- रु.) है।

ii) परिभाषित लाभ योजना संशोधित एएस-15 के अनुसार अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित मौजूदा दायित्व मूल्य के आधार पर छुट्टी नकदीकरण और ग्रेच्युटी के लिए दायित्व को मान्यता प्राप्त प्रदान की जाती है।

छुट्टी नकदीकरण और ग्रेच्युटी के संबंध में परिभाषित लाभ दायित्व के अर्थ शेष एवं अंत शेष का समाधान नीचे दिया गया है:-

विवरण	छुट्टी नकदीकरण	
	वित्त वर्ष 2017-18 के लिए	वित्त वर्ष 2016-17 के लिए
बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व	109161426	82832430
वृद्धिः अन्य पीएसयू से नए ज्वाइनी आदि से प्राप्त राशि।	-	-
वृद्धिः मौजूदा वर्ष के खर्चे के लिए प्रभारित करके उपलब्ध कराई गई राशि	-	33321736
कमीः अतिरिक्त प्रावधान वर्ष के दौरान वापस लिखा	21722254	-
कमीः लाभ का भुगतान/एन भुनाई गई छुट्टी	8404910	6992740
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व	**79034262**	**109161426**

विवरण	ग्रेच्युटी	
	वित्त वर्ष 2017-18 के लिए	वित्त वर्ष 2016-17 के लिए
एलआईसी के साथ साल की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व	113135242	115308669
वृद्धिः योजना एसेट पर वास्तविक वापसी	8309523	8986270
वृद्धिः वर्ष के दौरान एलआईसी को दिया गया अंशदान	-	-
कमीः एलआईसी द्वारा अदा किया गया लाभ/निपटाया गया दावा	11866539	9232291
एलआईसी के साथ साल के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व	109578226	115062648
वृद्धि : ग्रेज्युटी फंड के लिए अंशदान के बदले किया गया अतिरिक्त प्रावधान	35269219	6863349
कमीः भावी समायोजन के लिए एलआईसी के साथ वाले ग्रेज्युटी न्यास में जमा की गई राशि	-	8790755
कमीः वापस लिखी गई ग्रेज्युटी निधि के लिए अंशदान के बदले किया गया अतिरिक्त प्रावधान	-	-
प्रावधान के पश्चात् वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व	**144847445**	**113135242**

7 CURRENT LIABILITIES – SHORT TERM PROVISIONS

Particulars	Balance as on 31-03-2017	Addition during the year	Total	Payment/ utilization/ charged off	Written back during the year	Balance as on 31-03-2018
Income tax	176000000	117200000	293200000	174649993	1350007	117200000
Accrued leave	109161426	-	109161426	8404910	21722254	79034262
Provision for gratuity liability	-	33240438	33240438	-	-	33240438
Provision for ex-gratia	18000000	21000000	39000000	17987432	12568	21000000
Proposed dividend	87000000	70800000	157800000	137000000	-	20800000
Corporate tax on proposed dividend	17713200	14414880	32128080	17713200	-	14414880
Provision for Salary Arrears (pay revision)	6000000	65200000	71200000	-	-	71200000
	413874626	**321855318**	**735729944**	**355755535**	**23084829**	**356889580**

i) The Proposed dividend per equity share for the current reporting period is Rs.37.26/- (Previous year Rs. 45.79/-).

ii) Defined Benefit Plan

The obligation for leave encashment and gratuity is recognized based on the present value of obligation determined by actuarial valuation using the Projected Unit Credit Method as per revised AS-15.

The reconciliation of opening and closing balances of defined benefit obligation in respect of leave encashment and gratuity is as below:-

Particulars	LEAVE ENCASHMENT	
	For FY 2017-18	For FY 2016-17
Defined benefit obligation at the beginning of the year as per actuarial valuation	109161426	82832430
Add: Amount received from new joinee etc. from other PSU.	-	-
Add: Amount provided by charging to current year's expenses	-	33321736
Less: Excess Provision written back during the year	21722254	-
Less : Benefit paid/ leaves en-cashed	8404910	6992740
Defined benefit obligation at year end	**79034262**	**109161426**

Particulars	GRATUITY	
	For FY 2017-18	For FY 2016-17
Defined benefit obligation at the beginning of the year with LIC	113135242	115308669
Add : Actual Return on Plan Asset	8309523	8986270
Add : Contribution paid to LIC during the year.	-	-
Less : Benefit paid/ claim settled by LIC	11866539	9232291
Defined benefit obligation at year end with LIC.	109578226	115062648
Add : Further provision made against contribution towards Gratuity fund.	35269219	6863349
Less : Deposit with Gtaruuity Trust lying with LIC for future adjustment.	-	8790755
Less : Excess provision made against contribution towards Gratuity fund written back	-	-
Defined benefit obligation at year end after provision.	**144847445**	**113135242**

8 गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां - वास्तविक परिसंपत्तियां

रु.

विवरण	मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के लिए											पूर्व समीक्षाधीन अवधि के लिए
	भूमि	भवन	फर्नीचर एवं फिक्सचर	कार्यालय एवं विद्युत उपकरण	विद्युत उपकरण एवं अधिष्ठापन	कार्यालय उपकरण	कार्यशाला उपकरण	वाहन	कंप्यूटर: कंप्यूटर एवं डाटा प्रक्रमण इकाई	कंप्यूटर: सरवर्स एवं नेटवर्क्स	कुल	
सकल खंड												
वर्ष की शुरूआत में	75909184	35341692	12589533	273467	18051733	7282857	412455	3777373	8351812	2452719	164442825	149098102
वर्ष के दौरान की गई वृद्धि	-	-	408239	-	4441246	1603402	-	800257	1558284	-	8811428	15476434
वर्ष के दौरान अंतरण/बिक्री/समायोजन	-	-3361820	-2482835	-	-1516293	-246710	-	-564546	-768058	-165120	-9105382	-2074356
वर्ष के दौरान अंतरण	-	3358320	2486335	-	1396593	191751	-	-	768058	165120	8366177	1942645
वर्ष के अंत में	**75909184**	**35338192**	**13001272**	**273467**	**22373279**	**8831300**	**412455**	**4013084**	**9910096**	**2452719**	**172515048**	**164442825**
मूल्य ह्रास												
वर्ष की शुरूआत में	-	9825620	5152998	257525	5642012	4560214	166495	2322491	6843277	2197075	36967707	32268199
वर्ष के दौरान अंतरण/बिक्री/समायोजन	-	-1138326	-524217	-	-405305	-207088	-	-536318	-720104	-157220	-3688578	-1310231
वर्ष के दौरान अंतरण	-	1134826	527717	-	359317	175522	-	-	720104	157220	3074706	1211639
वर्ष के दौरान मूल्य ह्रास (रिजर्व एवं अधिशेष में किया गया अंतरण)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
वर्ष के दौरान मूल्य ह्रास (लाभ एवं हानि खाते में किया गया अंतरण)	-	518760	892467	3355	1728848	790675	42476	401907	1001561	89760	5469810	4798100
वर्ष के अंत में	**-**	**10340880**	**6048965**	**260880**	**7324872**	**5319324**	**208971**	**2188080**	**7844838**	**2286835**	**41823645**	**36967707**
निवल खंड												
वर्ष की शुरूआत में	75909184	25516072	7436535	15942	12409721	2722643	245960	1454882	1508535	255644	127475118	116829903
वर्ष के अंत में	**75909184**	**24997312**	**6952307**	**12587**	**15048407**	**3511976**	**203484**	**1825004**	**2065258**	**165884**	**130691403**	**127475118**

i) नियत परिसंपत्तियों में मुंबई स्थित कार्यालय भवन, संपत्ति की लंबित अंतरण औपचारिकता तथा उपयुक्त प्राधिकरणों में किया गया पंजीकरण शामिल है जिसकी लागत 2163293/–रु. (पिछले वर्ष 2163293/–रु.) है तथा जिसके संबंध में कब्जा ले लिया गया है परंतु उक्त परिसंपत्तियों को प्रोद्भूत होने पर पंजीकरण प्रभार अधिरोपित किया जाएगा।

ii) किसी परिसंपत्ति का बिगड़ी हुई अवस्था में जब समझा जाता है जब उस परिसंपत्ति की वहनीय लागत उसके प्राप्य मूल्य से अधिक होती है। उस परिसंपत्ति की खराबी संबंधी हानि को उस वर्ष के लाभ और हानि संबंधी विवरण में दर्शाया गया है जिस वर्ष में उस परिसंपत्ति के खराब होने की पहचान की जाती है। वर्ष के अंत में निगम के बही खातों में दर्शाई जाने वाली परिसंपत्तियों का मूल्य वह है जो उनमें दर्शाया गया है तथा किसी प्रकार की खराबी, यदि कोई हो तो उसे, तुलन–पत्र के नोट 25 में दर्शाया गया है।

8 NON CURRENT ASSETS- TANGIBLE ASSETS

(Rs.)

Items	For the current reporting period											For the previous reporting period
	Land	Building	Furniture & Fixture	Office and Electrical Equipments	Electrical Equipment and Installation	Office Equipment	Laboratory Equipments	Vehicle	COMPUTERS: Computer & Data processing Units	COMPUTERS: Servers & Networks	TOTAL	
GROSS BLOCK												
As at beginning of the year	75909184	35341692	12589533	273467	18051733	7282857	412455	3777373	8351812	2452719	164442825	149098102
Addition during the year	0	0	408239	0	4441246	1603402	0	800257	1558284	0	8811428	15476434
Transfer/ Sale/ Adjustments during the year	0	-3361820	-2482835	0	-1516293	-246710	0	-564546	-768058	-165120	-9105382	-2074356
Transfer to during the year	0	3358320	2486335	0	1396593	191751	0	0	768058	165120	8366177	1942645
As at end of the year	75909184	35338192	13001272	273467	22373279	8831300	412455	4013084	9910096	2452719	172515048	164442825
DEPRECIATION												
As at beginning of the year	0	9825620	5152998	257525	5642012	4560214	166495	2322491	6843277	2197075	36967707	32268199
Transfer/ Sale/ Adjustments during the year	0	-1138326	-524217	0	-405305	-207088	0	-536318	-720104	-157220	-3688578	-1310231
Transfer to during the year	0	1134826	527717	0	359317	175522	0	0	720104	157220	3074706	1211639
Depreciation during the year (Transfer to Reserve and Surplus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciation during the year (Transfer to Profit and Loss account)	0	518760	892467	3355	1728848	790675	42476	401907	1001561	89760	5469810	4798100
As at end of the year	-	10340880	6048965	260880	7324872	5319324	208971	2188080	7844838	2286835	41823645	36967707
NET BLOCK												
As at beginning of the year	75909184	25516072	7436535	15942	12409721	2722643	245960	1454882	1508535	255644	127475118	116829903
As at end of the year	75909184	24997312	6952307	12587	15048407	3511976	203484	1825004	2065258	165884	130691403	127475118

i) Fixed Assets include office building, pending transfer formality of the property and registration with the Appropriate Authorities, amounting to Rs.2163293/- (Previous year Rs.2163293/-) at Mumbai, for which possession has been taken but Registration charges for the same will be capitalized as and when incurred.

ii) An asset is treated as impaired when the carrying cost of asset exceeds its recoverable value. An impairment loss is charged to the statement of profit and loss in the year in which the asset is identified as impaired. The assets as appearing in the books of accounts of the corporation at year end have the value at which they are appearing therein and the impairment, if any, has been shown in the Note 25, to the balance sheet.

9 गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां - अवास्तविक परिसंपत्तियां

विवरण	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	
	मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के लिए	पूर्ववर्ती समीक्षाधीन अवधि के लिए
सकल खंड		
वर्ष की शुरूआत में	21258320	2447321
वर्ष के दौरान की गई वृद्धि	2,440,547	18811000
वर्ष के दौरान अंतरण/बिक्री/समायोजन	(2,271,000)	-
वर्ष के दौरान अंतरण	-	-
वर्ष के अंत में	21427867	21258320
मूल्य ह्रास		
वर्ष के शुरूआत में	3515729	2292124
वर्ष के दौरान समायोजन	(143,073)	-
वर्ष के दौरान अंतरण	-	-
सामान्य रिजर्व में अंतरण	-	-
वर्ष के दौरान मूल्य ह्रास	3541387	1223605
वर्ष के अंत में	6914043	3515729
निवल खंड		
वर्ष के शुरूआत में	17742591	155196
वर्ष के अंत में	14513824	17742591

10 गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां - लंबी अवधि के ऋण और अग्रिम

विवरण	31-03-2018 को (रु. में)	31-03-2017 को (रु. में)
प्रतिभूति जमा	368278	398778
कुल	**368278**	**398778**

11 अन्य गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां (समग्र)

विवरण	31-03-2018 को (रु. में)	31-03-2017 को (रु. में)
(क) समग्र निधि का नियोजन (विपणन परिसर)	187695376	188158344
(ख) समग्र निधि का नियोजन (मेगा क्लस्टर)	95000000	32175213
(ग) समग्र निधि का नियोजन (व्यापार सुविधा केंद्र)	2457910	530609951
(घ) पोचमपल्ली में कोष निधि की तैनाती	268378339	234729478
कुल	**553531625**	**985672985**

उपरोक्त समग्र निधि का नियोजन सावंधि जमा खाते में किया गया है।

9 NON CURRENT ASSETS- INTANGIBLE ASSETS

Particulars	Computer Software	
	For the current reporting period	For the previous reporting period
GROSS BLOCK		
As at beginning of the year	21258320	2447321
Addition during the year	2,440,547	18811000
Transfer/ Sale/ Adjustments during the year	(2,271,000)	-
Transfer to during the year	-	-
As at end of the year	21427867	21258320
DEPRICIATION		
As at beginning of the year	3515729	2292124
Adjustment during the year	(143,073)	-
Transfer to during the year	-	-
Transfer to general reserve	-	-
Depreciation during the year	3541387	1223605
As at end of the year	6914043	3515729
NET BLOCK		
As at beginning of the year	17742591	155196
As at end of the year	14513824	17742591

10 NON CURRENT ASSETS - LONG TERM LOAN AND ADVANCES

Particulars	As on 31-03-2018 (Rs.)		As on 31-03-2017 (Rs.)
Security Deposit	368278		398778
TOTAL	**368278**		**398778**

11 OTHER NON CURRENT ASSETS (CORPUS)

Particulars	As on 31-03-2018 (Rs.)		As on 31-03-2017 (Rs.)
(A) Deployment of Corpus Fund (Marketing Complexes)	187695376		188158344
(B) Deployment of Corpus Fund (Mega Cluster)	95000000		32175213
(C) Deployment of Corpus Fund (Trade Facilitation Centre)	2457910		530609951
(D) Deployment of Corpus Fund Pochampally	268378339		234729478
TOTAL	**553531625**		**985672985**

The above Deployment of Corpus funds are in fixed deposit account

12 मौजूदा परिसंपत्तियां - इन्वेन्ट्रीज

विवरण	31-03-2018 को (रु. में)		31-03-2017 को (रु. में)
(प्रबंधन द्वारा यथा उल्लिखत, मूल्यांकित एवं प्रमाणित)			
– स्टॉक–इन–ट्रेड – लागत पर (अप्रचलन के कारण कम लिखा गया) अथवा निवल प्राप्य मूल्य, जो भी कम हो	9998237		12736571
परिवहन माल	-		-
कुल	**9998237**		**12736571**

13 मौजूदा परिसंपत्तियां - व्यापार प्राप्य

	विवरण	31-03-2018 को (रु. में)		31-03-2017 को (रु. में)	
	विविध देनदार (असुरक्षित)				
i)	**छह महीनों में**				
	– अच्छे माने गए	145393714		155378324	
	– संदिग्ध माने गए	39195817		31634481	
		184589531		**187012805**	
	– कमः संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान"	-39195817	145393714	-31634481	155378324
ii)	**अन्य (अच्छे माने गए)**		3584600358		2055102187
	कुल		**3729994072**		**2210480511**

i) शेष राशि की पुष्टि एक सतत प्रक्रिया है। मौजूदा समीक्षावधि के अंत में बची शेष राशि को सभी व्यापार प्राप्यों को पुष्टि के लिए भेज दिया गया है, तथापि पुष्टि निम्नानुसार प्राप्त हुई हैः–

विवरण	कुल		पुष्टि 31–03–2018 को प्राप्त हुई		31–03–2018 को शेष राशि की पुष्टि का%	
	एजेंसियो की संख्या	बकाया राशि (रु.)	एजेंसियो की संख्या	बकाया राशि (रु.)	एजेंसियो की संख्या	बकाया राशि (रु.)
व्यापार स्वीकार योग्य	1316	3769189889	270	657752206	20.52	17.45

उपर्युक्त पुष्टि की गई शेष राशि में वह राशि शामिल नहीं है जहां किसी प्रकार का विवाद हो परंतु उसमें केवल वह शेष राशि शामिल है जहां दोनों पक्षकारों को अंतर/समाधान के कारण की गई प्रवृष्टियां स्वीकार्य हो। पुष्टि के लिए लंबित शेष राशि की यथा समय समीक्षा की जाएगी तथा उसका समाधान किया जाएगा एवं समायोजन, यदि कोई हो, जो इन मामलों में अपेक्षित हो, का यथाशीघ्र समाधान कर दिया जाएगा।

ii) 3769189889/–रु. (पिछले वर्ष 2242114992/–रु.) के व्यापार प्राप्य में 18135922 की राशि (पिछले वर्ष 8095810/–रु.) की राशि शामिल है जिसके लिए निगम द्वारा उपयुक्त न्यायालयों में मुकदमा दायर किया गया है। इसके अतिरिक्त व्यापार प्राप्य में फैब्रिक की आपूर्ति की बदले 18923921 /–रु. (पिछले वर्ष 18923994/–रु.) की प्राप्य राशि शामिल है जिसमें निगम का लेनदारों से प्राप्त की जाने वाली शामिल है जो उगाही किए जाने के पश्चात् ही देय होगा। फैब्रिक लेनदारों के पास 21011280/–रु. (पिछले वर्ष 21011474/– रु.) की राशि है। व्यापार प्राप्य में 55142050/–रु. (पिछले वर्ष 102980680/– रु.) की राशि भी शामिल है जिसमें समग्र निधि (क्लस्टर विकास) के रूप में निगम द्वारा प्राप्त परिक्रामी अग्रिम के बदले आपूर्ति की गई है।

12 CURRENT ASSETS - INVENTORIES

Particulars	As on 31-03-2018 (Rs.)		As on 31-03-2017 (Rs.)
(As taken, valued and certified by the management)			
Stock-in-trade - At cost (less written off for obsolescence) or net realizable value, whichever is less.	9998237		12736571
Goods in Transit	-		-
TOTAL	**9998237**		**12736571**

13 CURRENT ASSETS- TRADE RECEIVABLE

	Particulars	As on 31-03-2018 (Rs.)		As on 31-03-2017 (Rs.)	
	SUNDRY DEBTORS (unsecured)				
i)	**Over six months**				
	- Considered good	145393714		155378324	
	- Considered doubtful	39195817		31634481	
		184589531		187012805	
	- Less: Provision for doubtfuldebts"	-39195817	145393714	-31634481	155378324
ii)	**Others (Considered good)**		3584600358		2055102187
	TOTAL		**3729994072**		**2210480511**

i) The balance confirmation is a continuous process. The year end balances as at the end of current reporting period has been sent to all the Trade Receivables for confirmation, however, confirmation has been received as follows:-

Particulars	Total		Confirmation received as on 31-03-2018		% of Confirmation of balances as on 31-03-2018	
	No. of agencies	Amount outstanding (Rs.)	No. of agencies	Amount outstanding (Rs.)	No. of agencies	Amount outstanding (Rs.)
Trade Receivables	1316	3769189889	270	657752206	20.52	17.45

The confirmed balances shown above do not include those, where there is any dispute, but only those balances where the entries on account of difference/ reconciliation are acceptable to both the parties. The balances which are pending for confirmation will be reviewed and reconciled in due course and the adjustment, if any, required in these cases will be made as soon as reconciled.

ii) Trade Receivables for Rs. 3769189889/- (Previous year Rs. 2242114992/-) include a sum of Rs. 18135922/- (Previous year: Rs. 8095810/-) for which suits have been filed by the corporation with appropriate courts. Further, Trade Receivables include Rs. 18923921/- (Previous year Rs. 18923994/-) receivable against supply of fabric wherein the corporation is having corresponding dues to creditors, payable only after realization. The fabric creditors are Rs. 21011280/- (Previous year Rs. 21011474/-). Trade Receivables also includes a sum of Rs. 55142050/- (Previous year Rs. 102980680/-) wherein supplies have been made against the revolving advance received by the corporation as Corpus Fund (Cluster Development).

iii) संदिग्ध व्यापार प्राप्यों के लिए प्रावधान का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

विवरण	31–03–2017 को शेष राशि	वर्ष के दौरान वृद्धि	कुल	उगाही / समायोजित की गई राशि	वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	31–03–2018 को शेष राशि
संदिग्ध व्यापार प्राप्त के लिए प्रावधान	31634481	8438130	40072611	876794	-	39195817

14 मौजूदा परिसंपत्तियां - नकद और नकद समकक्ष

विवरण		31-03-2018 को (रु. में)		31-03-2017 को (रु. में)
अनुसूचित बैंक के पास जमा		311460201		750826312
गैर अनुसूचित बैंक के पास जमा		3604084		9283638
एफ डी आर		710948505		1125003008
बैंक के जमा – एच.एस.एस.वाई		266246686		48701239
कुल		**1292259476**		**1933814196**

15 मौजूदा परिसंपत्तियां - अल्पावधि ऋण और अग्रिम

विवरण	31-03-2018 को (रु. में)		31-03-2017 को (रु. में)	
(i) सुरक्षित ऋण (अच्छे समझे गए)				
- वाहनों के हाइपोथेकेशन के खिलाफ कर्मचारियों को वाहन ऋण		944930		1297270
(ii) अग्रिम (असुरक्षित)				
(नकद अथवा उसके रूप में अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए वसूली की जाने वाली राशि)				
- आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम राशि				
- अच्छे समझे गए	447066		1295779	
- संदिग्ध समझे गए	1182419		1572915	
	1629485		2868694	
- कमी: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	-1182419	447066	-1572915	1295779
(iii) कर्मचारियों को अग्रिम				
- अच्छे समझे गए	655226		1945741	
- संदिग्ध समझे गए	101744		126274	
	756969.6		2072015	
- कमी: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-101744	655226	-126274	1945741
(iv) अन्य को अग्रिम				
- अच्छे समझे गए	11639487		20648646	
- संदिग्ध समझे गए	159681		135151	
	11799167		20783797	
- कमी: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-159681	11639487	-135151	20648646

iii) The details of provision for doubtful Trade Receivables is placed herein below:-

Particulars	Balance as on 31-03-2017	Addition during the year	Total	Amount realized/ adjusted	Written off during the year	Balance as on 31-03-2018
Provision for doubtful Trade Receivables.	31634481	8438130	40072611	876794	-	39195817

14 CURRENT ASSETS - CASH & CASH EQUIVALENTS

Particulars		As on 31-03-2018 (Rs.)		As on 31-03-2017 (Rs.)
Balances with scheduled bank		311460201		750826312
Balances with non- scheduled bank		3604084		9283638
FDR		710948505		1125003008
Bank deposits - HSSY		266246686		48701239
TOTAL		**1292259476**		**1933814196**

15 CURRENT ASSETS - SHORT TERM LOANS AND ADVANCES

Particulars	As on 31-03-2018 (Rs.)		As on 31-03-2017 (Rs.)	
(i) Secured loans (considered good)				
- Vehicle loan to staff against hypothecation of vehicles		944930		1297270
(ii) Advances (Unsecured)				
(Recoverable in cash or kind or for value to be received)				
- Advance to suppliers				
- Considered good	447066		1295779	
- Considered doubtful	1182419		1572915	
	1629485		2868694	
- Less: Provision for doubtful advances	-1182419	447066	-1572915	1295779
(iii) Advance to staff				
- Considered good	655226		1945741	
- Considered doubtful	101744		126274	
	756969.6		2072015	
- Less: Provision for doubtful advances	-101744	655226	-126274	1945741
(iv) Advance to others				
- Considered good	11639487		20648646	
- Considered doubtful	159681		135151	
	11799167		20783797	
- Less: Provision for doubtful advances	-159681	11639487	-135151	20648646

(v) पूर्वदत्त व्यय		204715		682894
(vi) स्त्रोत पर कर कटौती सहित अग्रिम आयकर		78127869		146145564
(vii) जमा (असुरक्षित लेकिन अच्छे समझे गए)				
- सरकारी विभागों के साथ		-		-
- परिसरों/दूसरों के किराए के लिए				
- अच्छे समझे गए	1859850		1268195	
- संदिग्ध समझे गए	86130		86130	
	1945980		1354325	
- कमी: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-86130	1859850	-86130	1268195
(viii) प्राप्तियां				
- भारत सरकार से सहायता अनुदान के बदले		1708327147		937555505
- प्राप्य दावें		4280294		4024761
- विपणन परिसर/अन्य के लिए बकाया राशि				
- अच्छे समझे गए	2185392		4311016	
- संदिग्ध समझे गए	1664418		1664418	
	3849810		5975434	
- कमी: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-1664418	2185392	-1664418	4311016
(ix) उपयोगकर्ता एजेंसियों से बकाया ब्याज				
आस्थागित अर्जित ब्याज				
- अच्छे समझे गए	-		-	
- संदिग्ध समझे गए	17934693		17934693	
	17934693		17934693	
- कमी: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-17934693	-	-17934693	-
ब्याज				
कुल		**1808671974**		**1119175371**

i) संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

विवरण	31–03–2017 को शेष राशि	वर्ष के दौरान वृद्धि की गई राशि	कुल	उगाही/समायोजित की गई राशि	वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	31–03–2018 को शेष राशि
क) आपूर्तिकर्ताओं के लिए संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	1572915	-	1572915	-	390497	1182419
ख) कर्मचारियों को संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	101744	-	101744	-	-	101744
ग) अन्य को संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	159681	-	159681	-	-	159681
घ) संदिग्ध जमा राशि के लिए प्रावधान	86130	-	86130	-	-	86130
ड) संदिग्ध प्राप्तियों के लिए प्रावधान	1664418	-	1664418	-	-	1664418
च) संदिग्ध आस्थगित उपार्जित ब्याज के लिए प्रावधान	17934693	-	17934693	-	-	17934693
कुल	**21519581**	**-**	**21519581**	**-**	**390497**	**21129084**

(v) Prepaid expenses		204715		682894
(vi) Advance income tax including tax deducted at source		78127869		146145564
(vii) DEPOSITS (Unsecured but considered good)				
- With Government departments		-		-
- For rent of complexes/ others				
- Considered good	1859850		1268195	
- Considered doubtful	86130		86130	
	1945980		1354325	
- Less: Provision for doubtful deposits	-86130	1859850	-86130	1268195
(viii) RECEIVABLES				
- From the Government of India against grant-in-aid		1708327147		937555505
- Claims receivable		4280294		4024761
- Outstanding against marketing Complex/ others				
- Considered good	2185392		4311016	
- Considered doubtful	1664418		1664418	
	3849810		5975434	
- Less: Provision for doubtful receivables	-1664418	2185392	-1664418	4311016
(ix) Interest outstanding from user Agencies				
Deferred accrued Interest				
- Considered good	-		-	
- Considered doubtful	17934693		17934693	
	17934693		17934693	
- Less: Provision for doubtful	-17934693	-	-17934693	-
interest				
TOTAL		**1808671974**		**1119175371**

i) The details of provision for doubtful assets is placed herein below:-

Particulars	Balance as on 31-03-2017	Addition during the year	Total	Amount realized/ adjusted	Written off during the year	Balance as on 31-03-2018
a) Provision for doubtful advances to suppliers.	1572915	-	1572915	-	390497	1182419
b) Provision for doubtful advances to staff.	101744	-	101744	-	-	101744
c) Provision for doubtful advances to others.	159681	-	159681	-	-	159681
d) Provision for doubtful deposits.	86130	-	86130	-	-	86130
e) Provision for doubtful receivables.	1664418	-	1664418	-	-	1664418
f) Provision for doubtful deferred accrued interest.	17934693	-	17934693	-	-	17934693
Total	**21519581**	**-**	**21519581**	**-**	**390497**	**21129084**

ii) अन्य को अग्रिम राशि के अंतर्गत निगम के ग्रेज्युटी कोष के लिए एलआईसी में अग्रिम के लिए रखी हुए रु. शून्य (पिछले वर्ष 1927406/–रु.) की राशि शामिल है।

iii) आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम की 1629485/–रु. (पिछले वर्ष 2868694/–रु.) की राशि के अंतर्गत 726947/–रु. (पिछले वर्ष 726947/–रु.) की राशि शामिल है जिसके लिए निगम ने उपयुक्त न्यायालयों में मुकदमा दायर किया गया है।

iv) आयोजनों के संबंध में भारत सरकार से सहायता अनुदान के बदले प्राप्त की जाने वाली राशि 62119411/–रु. (पिछले वर्ष 38824366/–रु.) शामिल है जिसमें से समीक्षाधीन अवधि के अंत में सरकार के समझ दावे प्रस्तुत किए जाने हैं। उपयुक्त राशि 49001315/–रु. (पिछले वर्ष 27463717)/–रु.) शामिल है जिसमें से कोई जीओ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

vi) 4042661/–रु. (पिछले वर्ष 4042661/–रु.) की दावा प्राप्तियों में 4024761/–रु. (पिछले वर्ष 4024761/–रु.) की राशि शामिल है, जो आयकर प्राधिकारियों द्वारा वापस किए जाने हेतु देय है जिसमें पूर्व वर्षों से संबंधित मांग के आधार पर किए जा रहे विरोध के अंतर्गत निगम द्वारा जमा की गई बड़ी राशि शामिल है।

vii) उपर्युक्त 17934694/–रु. (पिछले वर्ष 17934694/–रु.) के आस्थगित प्रोद्भूत ब्याज के संबंध में निगम द्वारा उपयुक्त न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है।

16 मौजूदा परिसंपत्तियां - अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां

विवरण	31-03-2018 को (रु. में)		31-03-2017 को (रु. में)	
क) अर्जित ब्याज लेकिन अप्राप्त		28272442		44916507
ख) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा निधि				
- चिकित्सा निधि के बदले एफडीआर	9557902		6055714	
- अनुसूचित बैंक में मौजूदा खाते में शेष राशि	-	9557902	4133892	10189606
कुल (क+ख)		**37830344**		**55106113**

17 परिचालकों से राजस्व

विवरण	31–03–2018 को समाप्त वर्ष के लिए (रु)		31–03–2017 को समाप्त वर्ष के लिए (रु)	
क) प्राप्तियां घटा बिक्री				
सूत – सूत आपूर्ति स्कीम	26835425931		30836786373	
कमीः हैंक यॉर्न पर 10% अनुवृत्ति	-1209918745	25625507185	-1417305057	29419481316
सामान्य स्कीम		52225041		56032736
डाई एवं केमिकल्स		373796802		459665250
फैब्रिक्स		25140		-
कुल (क)		**26051554168**		**29935179302**
ख) सूत आपूर्ति स्कीम के अंतर्गत व्यय की प्रतिपूर्ति के बदले सहायता अनुदान		1435192996		1538997280
हैंक यार्न पर 10% अनुवृत्ति		1209918745		1417305055
सूत आपूर्ति स्कीम के अंतर्गत 10% यार्न अनुवृत्ति घटक के बदले सेवा प्रभार		60496565		70866309
कुल (ख)		**2705608306**		**3027168644**
कुल (क+ख)		**28757162474**		**32962347946**

i) सूत आपूर्ति स्कीम के अंतर्गत व्यय प्रतिपूर्ति के लिए सहायता अनुदान की राशि 2705608306 /–रु. (पिछले वर्ष 3027168644/–रु.) है जोकि सूत की आपूर्ति के लिए है तथा जिसे प्रोद्भूत आधार पर लेखांकित कर दिया गया है जिसमें से मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के अंत में सरकार को प्रस्तुत करने के लिए कुल 720162469/–रु. (पिछले वर्ष 481117512/–रु.) के दावे की राशि लंबित है।

ii) Advance to Others include an amount of Rs. Nill (Previous Year Rs. 1927406/-) for advance lying with LIC of India against Gratuity Fund of the corporation.

iii) Advances to suppliers of Rs. 1629485/- (Previous year Rs. 2868694/-) include a sum of Rs. 726947/- (Previous year Rs. 726947/-) for which suit have been filed by the Corporation with appropriate courts.

iv) Receivable from Government of India against grant-in-aid includes Rs. 62119411/- (Previous year Rs. 38824366/-) in respect of events wherein claims are to be submitted to the Government as at the end of current reporting period. The above amount also includes Rs. 49001315/- (Previous year Rs. 27463717/-) wherein no GO has yet been received.

v) Claims receivables Rs. 4042661/- (Previous year Rs. 4042661/-), which is due to be refunded by the income tax authorities, wherein, the major amount has been deposited by the corporation under protest based on the demand for earlier years.

vi) In respect of Deferred accrued interest for Rs. 17934694/- (Previous year Rs. 17934694/-) as shown above, the suit has been filed by the corporation with appropriate court.

16 CURRENT ASSETS - OTHER CURRENT ASSETS

	Particulars	Balance as on 31-03-2018 (Rs.)		Balance as on 31-03-2017 (Rs.)	
A)	Interest accrued but not received		28272442		44916507
B)	Post Retirement Medical Corpus				
	- FDR against Medical Corpus	9557902		6055714	
	- Balance with Scheduled Bank in Current Account	-	9557902	4133892	10189606
	TOTAL (A+B)		**37830344**		**55106113**

17 REVENUE FROM OPERATIONS

	Particulars	For the year ended 31-03-2018 (Rs.)		For the year ended 31-03-2017 (Rs.)	
(a)	Sales less returns				
	-Yarn - Yarn Supply Scheme	26835425931		30836786373	
	Less: 10% subsidy on Hank yarn	-1209918745	25625507185	-1417305057	29419481316
	General Scheme		52225041		56032736
	-Dyes & chemicals		373796802		459665250
	-Fabrics		25140		-
	Total (A)		**26051554168**		**29935179302**
(b)	Grant-in-aid against reimbursement of expenditure under Yarn Supply Scheme		1435192996		1538997280
	10% Subsidy on Hank yarn		1209918745		1417305055
	Service charges against 10% yarn subsidy component under Yarn Supply Scheme		60496565		70866309
	Total (B)		**2705608306**		**3027168644**
	TOTAL (A+B)		**28757162474**		**32962347946**

i) Grant in aid against reimbursement of expenditure under Yarn Supply Scheme amounting to Rs. 2705608306/- (Previous year Rs. 3027168644/-) on account of supply of yarn has been accounted for on accrual basis. Out of which, claims totaling Rs. 720162469/- (Previous year Rs. 481117512/-) are pending for submission to the government as at the end of current reporting period.

18 अन्य आय

विवरण	31–03–2018 को समाप्त वर्ष के लिए (रु)	31–03–2017 को समाप्त वर्ष के लिए (रु)
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	249845	637
विविध प्राप्ति / निविदा शुल्क	30414615	5806732
प्राप्त डिपो प्रभार	1023139	734762
बैंक / वाहन ऋण / दूसरों से ब्याज	154966993	99064909
नकद छूट / कमीशन	117234	50491
अतिदेय बिल पर पक्षकारों से प्राप्त ब्याज	312978	971264
वापस लिखी गई देयताएं / अतिरिक्त प्रावधान	21851756	642360
ऐसे प्रावधान जिन्हें वापस लिखा जाना आवश्यक नहीं	2634754	6991648
कुल	**211571314**	**114262803**

i) अब प्रावधान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वापस लिखे गये 2634754 रुपए में 876791 रुपए के देनदार वर्ष के दौरान एजेंसियों से प्राप्त हो गए हैं।

ii) वापस लिखी गई देयताएं / अतिरिक्त प्रावधान रु. 2,18,51,756 में से 2,17,22,254 रु. के प्रावधान बीमाकिंक मूल्यांकन की सिफ़ारिश के अनुसार वापिस खाते में लिए गए।

19 व्यापारिक स्टॉक की खरीद

विवरण	31–03–2018 को समाप्त वर्ष के लिए (रु)	31–03–2017 को समाप्त वर्ष के लिए (रु)
क्रय घटा प्राप्तियां		
– सूत	26884558714	30891185319
– डाई एवं केमिकल्स	355352946	433337724
– फैब्रिक्स	20409	-
कुल	**27239932070**	**31324523043**

2016–17 के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से प्राप्त सूत का मूल्य 8,15,00,69,502 / –रुपये (कुल अधिप्राप्त सूत का 30%) है जबकि पिछले वर्ष 2016–17 के दौरान यह मूल्य 19,84,32,48,850 / –रु. (कुल अधिप्राप्त सूत का 64.23%) था।

20 परिवहन/डिपो प्रभार

विवरण	31–03–2018 को समाप्त वर्ष के लिए (रु)	31–03–2017 को समाप्त वर्ष के लिए (रु)
परिवहन प्रभार	437233501	416314945
डिपो प्रभार	465081563	514150191
कुल	**902315064**	**930465136**

सूत आपूर्ति स्कीम के अंतर्गत सूत की आपूर्ति के लिए 902315064 / –रु. (पिछले वर्ष 930465136 / –रु.) के परिवहन और डिपो प्रभार को प्रौद्भूत आधार पर लेखांकित किया गया है। इसमें से मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के अंत में सरकार को प्रस्तुत किए जाने के लिए कुल 279722680 / –रु. (पिछले वर्ष 169367078 / –रु.) का दावा लंबित है। उपयोगकर्ता एजेंसियों को देय परिवहन और डिपो के प्रभारों के लिए स्कीम के अनुसार प्रावधान बनाए गए हैं।

18 OTHER INCOME

Particulars	For the year ended 31-03-2018 (Rs.)	For the year ended 31-03-2017 (Rs.)
Profit on sale of assets	249845	637
Miscellaneous receipt/ tender Fees	30414615	5806732
Depot charges received	1023139	734762
Interest from bank/ vehicle loan/ others	154966993	99064909
Cash discount/ commission	117234	50491
Interest received from parties on overdue bills	312978	971264
Liabilities/ excess provisions written back	21851756	642360
Provision no longer required written back	2634754	6991648
TOTAL	**211571314**	**114262803**

i) Provision no longer required written back for Rs. 2634754/- includes Rs. 876791/- realised during the year from agencies against debtors provision.

ii) 'Liabilities/ excess provisions written back for Rs 2181756/- includes Rs. 21722254/- excess provision written back from leave salary provision as per actuarial valuation.

19 PURCHASES OF STOCK IN TRADE

Particulars	For the year ended 31-03-2018 (Rs.)	For the year ended 31-03-2017 (Rs.)
Purchases less returns		
-Yarn	26884558714	30891185319
-Dyes & chemicals	355352946	433337724
-Fabrics	20409	-
TOTAL	**27239932070**	**31324523043**

The value of Yarn procured from Micro and Small Enterprises (MSEs) (including MSEs owned by SC/ ST entrepreneurs) during the year 2017-18 is Rs. 8150069502/- (30% of total yarn procured) as against Rs. 19843248850/- (64.23% of total yarn procured) during the previous year 2016-17.

20 TRANSPORTATION/ DEPOT CHARGES

Particulars	For the year ended 31-03-2018 (Rs.)	For the year ended 31-03-2017 (Rs.)
Transportation Charges	437233501	416314945
Depot Charges	465081563	514150191
TOTAL	**902315064**	**930465136**

Transportation and depot charges under Yarn Supply Scheme amounting to Rs. 902315064/- (Previous year Rs. 930465136/-) on account of supply of yarn has been accounted for on accrual basis. Out of which, claims for expenses totaling Rs. 279722680/- (Previous year Rs. 169367078/-) are pending for submission to the government as at the end of current reporting period. Provision for transportation and depot charges payable to the user agencies has been made in accordance with the scheme.

21 प्रक्रियाधीन तैयार माल की सूची में परिवर्तन और व्यापारिक स्टॉक

(रु. में)

विवरण	दिनांक 01.04.2017 को प्रारंभिक स्टॉक	दिनांक 31.03.2018 को समापन स्टॉक	वृद्धि (–)/ कटौती (+)
सूत	8908770	6778305	2130465
डाई एवं केमिकल्स	3827801	3219933	607868
फैब्रिक्स	-	-	-
कुल	**12736571**	**9998238**	**2738333**
विवरण	**दिनांक 01.04.2016 को प्रारंभिक स्टॉक**	**दिनांक 31.03.2017 को समापन स्टॉक**	**वृद्धि (–)/ कटौती (+)**
सूत	9255135	8908770	346365
डाई एवं केमिकल्स	5442411	3827801	1614610
फैब्रिक्स	-	-	-
कुल	**14697546**	**12736571**	**1960975**

22 कर्मचारी लाभ सबंधी व्यय

विवरण	31–03–2018 को समाप्त वर्ष के लिए (रु)		31–03–2017 को समाप्त वर्ष के लिए (रु)
(क) वेतन एवं मजदूरी			
वेतन और भत्ते	190613103		130733856
वेतन और भत्ते (प्रबंध निदेशक)	2241836		2101637
प्रोद्भूत छुट्टी के लिए प्रावधान सहित छुट्टी नकदीकरण (प्रबंध निदेशक के लिए शून्य रु. शामिल है – पूर्व वर्ष शून्य रु.)	-		33577518
अनुग्रह राशि (प्रबंध निदेशक के लिए 396622/–रु. शामिल हैं–पूर्व वर्ष 322939 रु.)	21000000		18000000
बच्चों की शिक्षा राशि की प्रतिपूर्ति (प्रबंध निदेशक के लिए शून्य रु. शामिल है –पूर्व वर्ष शून्य रु.)	257545		320515
वाहन प्रतिपूर्ति	1455694		1824079
भर्ती व्यय	1314867		528798
अवकाश यात्रा रियायत/नकदीकरण (प्रबंध निदेशक के लिए शून्य/–रु. शामिल है – पूर्व वर्ष शून्य रु.)	579913		817507
चिकित्सा व्यय (प्रबंध निदेशक के लिए 25000/–रु. शामिल है –पूर्व वर्ष 22562 रुपये)	7201231		7739149
कर्मियों को प्रशिक्षण	4484768		585429
उप कुल (क)	**229148957**		**196228488.2**
(ख) पीएफ और अन्य कोष में अंशदान			
सीपीएफ एवं एफपीएफ/ईडीएलआई स्कीम के लिए नियोक्ता अंशदान (एमडी के लिए 269020/–रु. शामिल हैं – पिछले वर्ष 255204/–रु.)	21591394		14820859
ग्रेच्युटी	35269219		7363349
उप कुल (ख)	**56860613**		**22184208**

21 CHANGES IN INVENTORIES OF FINISHED GOODS WORK IN PROGRESS AND STOCK IN TRADE

(In Rs.)

PARTICULARS	OPENING STOCK ON 01-04-2017	CLOSING STOCK ON 31-03-2018	INCREASE (-)/ DECREASE (+)
YARN	8908770	6778305	2130465
DYES & CHEMICALS	3827801	3219933	607868
FABRICS	-	-	-
TOTAL	**12736571**	**9998238**	**2738333**
PARTICULARS	**OPENING STOCK ON 01-04-2017**	**CLOSING STOCK ON 31-03-2018**	**INCREASE (-)/ DECREASE (+)**
YARN	9255135	8908770	346365
DYES & CHEMICALS	5442411	3827801	1614610
FABRICS	-	-	-
TOTAL	**14697546**	**12736571**	**1960975**

22 EMPLOYEE BENEFITS EXPENSES

	Particulars	For the year ended 31-03-2018 (Rs.)		For the year ended 31-03-2017 (Rs.)
a)	**Salary & Wages**			
	Salary and allowances	190613103		130733856
	Salary and allowances (Managing Director)	2241836		2101637
	Leave encashment-Including provision for accrued leave (includes Rs. Nil for MD -Previous year Rs.Nil)	-		33577518
	Ex-Gratia (Includes Rs 396622 for MD - Previous year Rs.322939)	21000000		18000000
	Children education reimbursement (Includes Rs.NIL for MD - Previous year Rs.NIL)	257545		320515
	Conveyance reimbursement	1455694		1824079
	Recruitment Expenses	1314867		528798
	Leave travel concession/encashment (Includes Rs Nill for MD - Previous year Rs. Nil)	579913		817507
	Medical expenses (Includes Rs.25000 for MD- Previous year Rs25000)	7201231		7739149
	Training to personnel	4484768		585429
	Sub Total (A)	**229148957**		**196228488.2**
b)	**Contribution to PF & other Fund**			
	Employers contribution to CPF & FPF/ EDLI scheme (Includes Rs. 269020 for MD - Previous year Rs.255204)	21591394		14820859
	Gratuity	35269219		7363349
	Sub Total (B)	**56860613**		**22184208**

(ग) कर्मचारी कल्याण खर्च			
कर्मचारी कल्याण खर्च (मानदेय, इनाम वर्दी और वर्दी सहित)	5323154		4210603
समूह व्यक्तिगत दुर्घटना और उपदान बीमा	82375		76573
मृतक कर्मचारी स्कीम के लिए भुगतान	592500		1461800
उप कुल (ग)	**5998029**		**5748976**
कुल (क+ख+ग)	**292007599**		**224161672**

क) लेखांकन मानक–15 कर्मचारी लाभ के अनुसार लेखांकन मानक में यथापरिभाषित कर्मचारी लाभ का खुलासा नीचे दिया गया है:–

परिभाषित योगदान योजना

उक्त वर्ष के लिए खर्च के रूप में मान्यता प्राप्त परिभाषित योगदान योजना के लिए किया जाने वाला योगदान निम्नानुसार है:–

विवरण	31–03–2018 को समाप्त वर्ष के लिए (रु)	31–03–2017 को समाप्त वर्ष के लिए (रु)
सीपीएफ/ईपीएफ एवं ईडीएलआई स्कीमों के लिए नियोक्ता का योगदान	21591394	14820859

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 की धारा 17 के अंतर्गत निगम के भविष्य निधि को छूट प्रदान की गई है। छूट की शर्तों में यह उल्लेख है कि नियोक्ता ऐसी स्थिति में ब्याज दर में कटौती करेगा जब सांविधिक दर के बदले न्यास द्वारा घोषित ब्याज दर में किसी प्रकार का अंतर हो।

ख) वेतन और भत्ते रु. 190613103 (पिछला वर्ष रु. 130733866) में वेतन आयोग कि सिफ़ारिश के अनुसार लेखा पुस्तकों में रु. 65200000 (पिछला वर्ष रु. 6000000) के दायत्वों का प्रावधान किया गया।

ग) वर्ष 2017–18 के दौरान मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) को भुगतान किया गया पारिश्रमिक निम्नानुसार है:– (In Rs.)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			
		प्रबंध निदेशक	अधिशासी निदेशक (वित्त)	कम्पनी सचिव	कुल
01.	सकल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	2665660	2014000	76387	4756047
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अंतर्गत अनुलाभों का मूल्य	324915	-	-	324915
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के बदले लाभ	-	-	-	-
02.	स्टॉक का विकल्प	-	-	-	-
03.	उद्यम इक्विटी	-	-	-	-
04.	आयोग				
	- लाभ के प्रतिशत के रूप में	-	-	-	-
	- अन्य, उल्लेख करें...........	-	-	-	-
05.	अन्य, कृपया विस्तृत विवरण दे............	-	-	-	-
	कुल	**2990575**	**2014000**	**76387**	**5080962**

23 वित्त लागत

विवरण	31–03–2018 को समाप्त वर्ष के लिए (रु)		31–03–2017 को समाप्त वर्ष के लिए (रु)
बैंक/अन्य को ब्याज	-		-
अन्य उधार लागत	-		-
कुल	-		-

c)	**Staff Welfare expenses**			
	Staff welfare expenses (including honorarium, reward, uniform & liveries)	5323154		4210603
	Group personal accident and Gratuity insurance	82375		76573
	Payment to Deceased Employee Scheme	592500		1461800
	Sub Total (C)	**5998029**		**5748976**
	Total (A+B+C)	**292007599**		**224161672**

a) As per Accounting Standard -15 "Employee Benefits", the disclosures of Employee Benefits as defined in the Accounting Standard is given below:-

Defined Contribution Plan

Contribution to Defined Contribution Plan, recognized as expense for the year is as under:

Particulars	For the year ended 31-03-2018 (Rs.)	For the year ended 31-03-2017 (Rs.)
Employer's contribution to CPF/ FPF & EDLI Schemes.	21591394	14820859

Corporation's provident fund is exempted u/s 17 of Employee's Provident Fund Act, 1952. Condition to exemptions stipulates that the employer shall make good deficiency, if any, in the interest rate declared by the trust against the statutory rate.

b) Salary and allowances for Rs. 190613103/- (Previous year Rs. 130733866/-) included Rs. 65200000/- (previous year Rs. 6000000/-) as provision for Salary Arrears (pay revision)

c) Remuneration paid to Key Managerial Personnels (KMP) during the year 2017-18 is as below:-

(In Rs.)

Sl No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		MD	ED (FINANCE)/ CFO	Co. Secretary	TOTAL
01.	Gross Salary				
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961	2665660	2014000	76387	4756047
	(b) Value of Perquisites u/s 17(2) of Income Tax Act, 1961	324915	-	-	324915
	(c) Profits in lieu of salary u/s 17(3) of Income Tax Act, 1961	-	-	-	-
02.	Stock Option	-	-	-	-
03.	Sweat Equity	-	-	-	-
04.	Commission				
	- as % of Profit	-	-	-	-
	- others, specify...........	-	-	-	-
05.	Others, please specify............	-	-	-	-
	TOTAL	**2990575**	**2014000**	**76387**	**5080962**

23 FINANCE COSTS

Particulars	For the year ended 31-03-2018 (Rs.)		For the year ended 31-03-2017 (Rs.)
Interest to bank/ others	-		-
Other Borrowing cost	-		-
Total	-		-

24 अन्य व्यय

विवरण	31–03–2018 को समाप्त वर्ष के लिए (रु)		31–03–2017 को समाप्त वर्ष के लिए (रु)
(क) प्रशासनिक व्यय			
यात्रा व्यय (प्रबंध निदेशक के लिए 1685893/– रु. (पिछले वर्ष 3342204/–रु.)	32979074		16837834
लेखा परीक्षकों को भुगतान	657673		561825
बोर्ड की बैठक के खर्च	85000		-
पुस्तकें व पत्रिकाएं	113260		118674
वाहन खर्चे	12204751		8715440
बिजली/पानी का खर्च	3081819		3656649
बीमा	448317		303403
कानूनी और व्यावसायिक प्रभार	6698602		3302565
सदस्यता शुल्क और अंशदान	255690		24259
कार्यालय रखरखाव	1903877		2263264
छपाई और स्टेशनरी	2606398		3137268
डाक/तार/टेलीफोन और टेलेक्स	6803518		6696290
किराया दरें और कर (निवल वसूली) (प्रबंध निदेशक के लिए आवासीय सुविधा हेतु 645000/– रु. का लीज रेंट शामिल है – पिछले वर्ष 540000/– रु.)	30814766		10814126
मरम्मत एवं रखरखाव	5086257		2449834
सेवा वाहन खर्चे	1120157		934499
सुरक्षा खर्चे	6319341		6328573
विविध व्यय	176857		88909
कुल (क)	**111355356**		**66233413**

i) लेखा परीक्षकों को किया गया भुगतान निम्नानुसार है:–			
लेखा परीक्षा शुल्क	283000		309425
अन्य क्षमता	374673		252400
कुल	**657673**		**561825**

24 OTHER EXPENSES

	Particulars	For the year ended 31-03-2018 (Rs.)		For the year ended 31-03-2017 (Rs.)
(a)	**ADMINISTRATIVE EXPENSES**			
	Travelling expenses (Including Rs. 1685893/- for MD - Previous year Rs.3342204/-)	32979074		16837834
	Payment to auditors	657673		561825
	Board meeting expenses (Sitting fees)	85000		-
	Books & periodicals	113260		118674
	Conveyance expenses	12204751		8715440
	Electricity/water charges	3081819		3656649
	Insurance	448317		303403
	Legal & professional charges	6698602		3302565
	Membership fees & subscription	255690		24259
	Office upkeep	1903877		2263264
	Printing & stationery	2606398		3137268
	Postage/telegram/telephone & telex	6803518		6696290
	Rent, rates & taxes (net of recoveries) (includes lease rent for residential accommodation of MD Rs.645000/- Previous year Rs.540000/-)	30814766		10814126
	Repair & maintenance	5086257		2449834
	Service vehicle expenses	1120157		934499
	Security expenses	6319341		6328573
	Miscellaneous expenses	176857		88909
	TOTAL (A)	**111355356**		**66233413**

i)	**Payment made to auditors is as below:-**			
	Audit Fee	283000		309425
	Other Capacity	374673		252400
	TOTAL	**657673**		**561825**

(ख) व्यापार

विवरण	31–03–2018 को समाप्त वर्ष के लिए (रु)	31–03–2017 को समाप्त वर्ष के लिए (रु)
विज्ञापन और प्रचार	766579	2705102
व्यापार संवर्धन	31022451	26570222
बट्टा, कमीशन और छूट	664230	4793905
बैंक प्रभार	76379	155576
माल ढुलाई और अन्य प्रभार	1598691	500293
बैठक खर्च	2022343	1967377
बिक्री कर	21929	366463
सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन/रखरखाव का खर्च	1451736	2309220
डाटा प्रविष्टि प्रभार	3963833	3476771
कुल (ख)	**41588171**	**42844929**
कुल (क+ख)	**152943527**	**109078342**

i) व्यावसायिक प्रोत्साहन व्यय में प्रदर्शनी गतिविधियों व अन्य विकासात्मक गतिविधियों में चालू वित्त वर्ष के दौरान मंजूर किए गए बजट से अधिक खर्च किए गए व्यय शामिल हैं।

25 असाधारण मदें

	विवरण	31–03–2018 को समाप्त वर्ष के लिए (रु)	31–03–2017 को समाप्त वर्ष के लिए (रु)
क)	**प्रावधान, बट्टा खाता आदि**		
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	66964	27756
	संदिग्ध देनदारों के लिए प्रावधान	8438130	1447769
	देनदारियों को बट्टेखाते में डालना	-	3486367
	आपूर्तिकर्ता को संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	390496	-
	उप कुल	**8895589**	**4961892**
ख)	**पूर्व अवधि समायोजन**	-	-
ग)	**वीआरएस क्षतिपूर्ति**	**1279800**	-
	कुल (क+ख+ग)	**10175389**	**4961892**

26 नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय

विवरण	31–03–2018 को समाप्त वर्ष के लिए (रु)	31–03–2017 को समाप्त वर्ष के लिए (रु)
नैगमिक सामाजिक जिम्मेदारी पर व्यय	5788604	10021783
कुल	**5788604**	**10021783**

वर्ष 2017–18 के दौरान शुरू किए गए सी.एस.आर. कार्यकलाप का ब्यौरा नीचे दिया गया है:	(रुपये)
1. वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान सी.एस.आर. कार्यकलाप पर व्यय की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि	1,00,00,000
2. वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान व्यय की गई राशि (नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार)	57,88,604

(b) TRADE

Particulars	For the year ended 31-03-2018 (Rs.)	For the year ended 31-03-2017 (Rs.)
Advertisement & publicity	766579	2705102
Business promotion	31022451	26570222
Discount, commission & rebate	664230	4793905
Bank charges	76379	155576
Freight & other charges	1598691	500293
Meeting expenses	2022343	1967377
Sales tax	21929	366463
Software implementation/ maintenance expenses	1451736	2309220
Data entry charges	3963833	3476771
TOTAL (B)	**41588171**	**42844929**
TOTAL (A+B)	**152943527**	**109078342**

i) Business promotion expenses includes expenses incurred on exhibition activities over and abve the sanctioned budget during the current financial year .

25 EXCEPTIONAL ITEMS

	Particulars	For the year ended 31-03-2018 (Rs.)	For the year ended 31-03-2017 (Rs.)
a)	**PROVISION, WRITE OFF ETC.**		
	Loss on sale of assets	66964	27756
	Provision for doubtful debtors	8438130	1447769
	Write off debtors	-	3486367
	Provision for doubtful advances to supplier	390496	-
	Sub Total	**8895589**	**4961892**
b)	**Prior Period Adjustments**	**-**	**-**
c)	**VRS Compensation**	**1279800**	**-**
	Total (A+B+C)	**10175389**	**4961892**

26 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EXPENSES

Particulars	For the year ended 31-03-2018 (Rs.)	For the year ended 31-03-2017 (Rs.)
Expenses on Corporate Social Responsibility	5788604	10021783
Total	**5788604**	**10021783**

The details of CSR activity undertaken during the year 2017-18 is as below:-	(Rs.)
1. Gross amount required to be spent on CSR Activity during the F.Y. 2017-18	10000000
2. Amount spent during the F.Y. 2017-18 (as per details below)	5788604

विवरण	मौजूदा वर्ष के दौरान अदा की गई राशि	वह राशि जिसका अभी भुगतान किया जाना है	कुल
क) वर्ष के दौरान शौचालयों के निर्माण तथा गांवों के विकास पर खर्च की गई राशि	36.22	-	36.22
ख) हैदराबाद में बुनकर उद्यमिता कार्यशाला	9.88	-	9.88
ग) जैकेट का विवरण	11.79	-	11.79
कुल	57.89	-	57.89

27 कर व्यय - मौजूदा कर (प्रावधान)

विवरण	31–03–2018 को समाप्त वर्ष के लिए (रु)		31–03–2017 को समाप्त वर्ष के लिए (रु)
मौजूदा वर्ष के लिए आयकर	117200000		176000000
पूर्व वर्ष के लिए आयकर	-		-
कुल	**117200000**		**176000000**

वर्ष के दौरान लेखाओं में 117200000/–रु. (पिछले वर्ष 176000000/–रु.) के आयकर का प्रावधान किया गया है।

28. अन्य टिप्पणियां

1 **आकस्मिक देनदारियों और प्रतिबद्धताओं :–**

(क) आकस्मिक देयताएं :–

(क) बिक्री कर– 14908994 /–रु. (पिछले वर्ष 17331290/–रु.)

(i) आकलन प्राधिकरी, बिक्री कर कार्यालय, लखनऊ द्वारा वित्त वर्ष 2017–18 (गत वर्ष 95,20,994/–) के लिए निकाली गई 95,20,994/– रुपए की एक लम्बित मांग के खिलाफ सहायक बिक्री कर आयुक्त, वाराणसी के समक्ष अपील लम्बित है।

(ii) वित्त वर्ष 2011–12 और वित्त वर्ष 2012–13 के लिए आयकर विभाग, चेन्नई द्वारा 5388000/–रु. (पिछले वर्ष 5388000/–रु.) की मांग की गई है जिस पर माननीय मद्रास उच्च न्यायलय से स्टे ले लिया गया है।

(ख) निगम के संबंध में दावों/मांगों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया।

(i) आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दावा की गई बकाया राशि पर ब्याज 293000/–रु. (पिछले वर्ष 293000/–रु.) है।

(ii) कंपनी के खिलाफ न्यायिक मामले–शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये)

(iii) मैसर्स यू.पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पक्ष में जारी की गई बैंक गारंटी– 200000/–रु. (पिछले वर्ष 2000000/–रु.)

(iv) क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण सामान्य सेवा प्रभार 45,77,446 रुपए (गत वर्ष 45,77,446 रुपए) बहुत लम्बी अवधि से बकाया है, दिनांक 31 मार्च, 2018 को आकस्मिक देयता और भी अधिक हो सकती है।

(ख) प्रतिबद्धताः–

1. चूंकि संबंधित बिक्री पर प्राधिकारियों द्वारा कर राशि का पता नहीं लगा पाने के कारण निर्धारण प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है, इसलिए केंद्र और विभिन्न राज्य बिक्री कर अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत सूत, डाई और रसायन एवं कपड़ा के संबंध में बिक्री कर देयता, यदि कोई हो, संबंधी कोई प्रावधान नहीं है।

2. प्रबंध निदेशक को वर्ष के दौरान गैर–अधिकारिक यात्राओं के लिए 325/–रु. प्रति माह के भुगतान पर कंपनी की कार का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की गई थी।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III भाग II के अनुसरण में अतिरिक्त सूचना निम्नानुसार है।

क) निर्माण की लाइसेंसित और अधिष्ठापित क्षमता–लागू नहीं

	Particulars	Paid during current year	Yet to be paid	Total
a)	Amount spent on construction of toilets,RO water and village development during the year under Swatch Bharat Abhiyan	36.22	-	36.22
b)	Weavers Enterprenuership workshop at Hyderabad	9.88	-	9.88
c)	Distribution of Jacket	11.79	-	11.79
	Total	**57.89**	**-**	**57.89**

27 TAX EXPENSES - Current Tax

Particulars	For the year ended 31-03-2018 (Rs.)		For the year ended 31-03-2017 (Rs.)
Income Tax for Current year	117200000		176000000
Income Tax for earlier year	-		-
Total	**117200000**		**176000000**

During the year provision for income tax of Rs. 117200000/- (Previous year Rs. 176000000/-) has been made in the accounts.

28 OTHER NOTES

1 CONTINGENT LIABILITIES & COMMITMENTS :-

(A) Contingent Liabilities:-

(a) Sales tax- Rs. 14908994/- (Previous year Rs. 17331290/-).

(i) An appeal is pending with Assistant Commissioner Sales Tax Varanasi against demand raised for Rs. 9520994/- by assessing authority sales tax office Lucknow for the F.Y. 2017-18 (Previous year Rs. 9520994/-)

(ii) Demand for Rs. 5388000/- (Previous Year Rs. 5388000/-) has been raised by the Sales Tax Department Chennai for the financial year 2011-12 and financial year 2012-13, on which a stay has been obtained from Hon'ble Madras High Court.

(b) Claims/ demands against the corporation not acknowledged as debts.

(i) Interest on outstanding claimed by the suppliers Rs. 293000/- (Previous year Rs. 293000/-)

(ii) Court cases against the company - Rs. Nil (Previous year Nil).

(iii) Bank guarantee issued in favour of M/s U P Pollution Control Board - Rs. 200000/- (Previous year Rs. 200000/-).

(iv) Lucknow Development Authority common service charges- Rs. 4577446/- (Previous Year Rs. 4577446/-) since this is from long period. There may be more contingent liability as on 31st March, 2018.

(B) Commitment:-

1 Since the amount is not ascertainable pending finalization of assessment by the concerned sales tax authorities, no provision for sales tax liability, if any, under the provision of Central and various State Sales Tax Acts has been made in respect of sales of yarn, dyes & chemicals and fabrics.

2 The Managing Director was allowed the use of Company Car during the year for non-duty journeys on payment of Rs.325/- per month.

3 Additional information pursuant to Schedule III Part II to the Companies Act, 2013:-

A) Licensed and installed capacity of production - Not applicable.

ख) प्रारंभिक स्टॉक, क्रय, बिक्री तथा समापन स्टॉक के संबंध में मात्रात्मक सूचना निम्नानुसार है:

क्र. सं	विवरण			सूत		डाई एवं रसायन		कपड़ा	
				यूनिट	मूल्य	मूल्य	मूल्य	यूनिट	मूल्य
1	प्रारम्भिक स्टॉक	-	मौजूदा वर्ष	0.191	8908770	0.231	3827801		
		-	पिछले वर्ष	0.263	9255135	0.239	5442411		
2	क्रय	-	मौजूदा वर्ष	1557.201	26884558715	38.812	355352946	-	20409
		-	पिछले वर्ष	1802.121	30891185319	46.216	433337724	-	-
3	बिक्री	-	मौजूदा वर्ष	1557.175	25677732226	38.906	373796802	-	25140
		-	पिछले वर्ष	1802.193	29475514052	46.224	459665250	-	-
4	समापन स्टॉक	-	मौजूदा वर्ष	0.217	6778305	0.137	3219933		
		-	पिछले वर्ष	0.191	8908770	0.231	3827801		

ग) (i) रंग एवं रसायन के संबंध में सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य शून्य रु. (पिछले वर्ष शून्य रु.), (ii) कच्चा माल, (iii) घटक एवं कलपुर्जों पूंजीगत सामानों के संबंध में शून्य रु. (पिछले वर्ष शून्य रु.) है।

घ) विदेशी मुद्रा में आय – शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रु.) हैं।

ङ) विदेशी मुद्रा में किया गया व्यय–शून्य रु. (पिछले वर्ष शून्य रु.)

च) आयातित कच्चे माल, कलपुर्जों तथा उपयोग किए गए घटकों का मूल्य–शून्य रु. (पिछले वर्ष शून्य रु.)

4. एएस–17 अर्थात् आईसीएआई द्वारा जारी की गई खंड–वार रिपोर्टिंग की आवश्यकताओं के अनुसार रिपोर्टिंग खंड़ों के रूप में गतिविधि–वार वित्तीय विवरण जिसमें सूत, डाई एवं रसायन तथा कपड़ा का विवरण शामिल है, का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(रु. राशि में)

	खंड–वार विवरण	सूत	डाई एवं रसायन	फैब्रिक्स	कुल
क)	प्राथमिक सूचना				
1	खंड–वार राजस्व	25677834665	373765864	-	26051600528
2	खंड–वार परिणाम	496216950	3941174	-	500158124
3	अनाबंटित ओवरहेडस	-	-	-	-310950915
4	बैंक एवं अन्यों से प्राप्त ब्याज	-	-	-	119521659
5	अन्य आय	-	-	-	50881742
6	अवधि पूर्व समायोजन	-	-	-	-
7	सीएसआर व्यय				-5788604
8	कर पूर्व लाभ	-	-	-	353822005
9	पूर्ववर्ती वर्ष सहित कर संबंधी प्रावधान	-	-	-	-117200000
10	आस्थगित कर	-	-	-	-847506
11	कर पश्चात् लाभ	-	-	-	235774499
12	खंड–वार परिसंपत्तियां	4166810839	132310841	6853768	4305975447
13	अबंटनीय नैगमिक परिसंपत्तियां (वित्तीय परिसंपत्तियों सहित)	-	-	-	3271883785
14	कुल परिसंपत्तियां	-	-	-	7577859232
15	बैंक उधारियों सहित खंड–वार देयताएं	5181211879	253698592	4662300	5439572771
16	अबंटनीय नैगमिक देयताएं (बैंक उधारियों सहित)	-	-	-	978053717
17	कुल देयताएं	-	-	-	6417626488
18	खंड–वार मूल्य ह्रास	2663198	911617	-	3574815

B) Quantitative information in respect of Opening Stock, Purchases, Sales and Closing stock are as under:-

Sl. No.	PARTICULARS		YARN		DYES & CHEMICAL		FABRIC	
			Unit	Value	Unit	Value	Unit	Value
1	Opening Stock -	Current Year	0.191	8908770	0.231	3827801		
	-	Previous Year	0.263	9255135	0.239	5442411		
2	Purchase -	Current Year	1557.201	26884558715	38.812	355352946	-	20409
	-	Previous Year	1802.121	30891185319	46.216	433337724	-	-
3	Sale -	Current Year	1557.175	25677732226	38.906	373796802	-	25140
	-	Previous Year	1802.193	29475514052	46.224	459665250	-	-
4	Closing Stock -	Current Year	0.217	6778305	0.137	3219933		
	-	Previous Year	0.191	8908770	0.231	3827801		

C) Value of Import on CIF basis in respect of (i) Dyes & chemicals is Rs. Nil (Previous year Rs.Nil) and in respect of (ii) Raw Material (iii) Components & spare parts (iv) Capital goods is Rs. Nil (Previous year – Rs. Nil).

D) Earnings in Foreign Currency – Rs. Nil (Previous Year- Rs.Nil).

E) Expenditure incurred in foreign Currency - NIL (Previous year - Rs. Nil).

F) Value of imported raw material, spare parts and components consumed - Rs. Nil (Previous year - Rs. Nil).

4 In accordance with the requirements of AS-17, i.e. Segment Reporting as issued by ICAI, Activity wise financial information as reporting segments consisting of Yarn, Dyes & Chemicals and Fabric is as under:-

(Amount in Rs.)

	Segment wise Information	Yarn	Dyes & Chemicals	Fabrics	Total
A)	Primary information				
1	Segment wise Revenue	25677834665	373765864	-	26051600528
2	Segment wise Results	496216950	3941174	-	500158124
3	Unallocated overheads	-	-	-	-310950915
4	Interest from Bank & others	-	-	-	119521659
5	Other Income	-	-	-	50881742
6	Prior period adjustments	-	-	-	-
7	CSR Expenditure				-5788604
8	Profit before tax	-	-	-	353822005
9	Provision for Tax including earlier year adjustments	-	-	-	-117200000
10	Deferred tax	-	-	-	-847506
11	Profit after tax	-	-	-	235774499
12	Segment-wise assets	4166810839	132310841	6853768	4305975447
13	Unallocable Corporate Assets (Including Financial Assets).	-	-	-	3271883785
14	Total Assets	-	-	-	7577859232
15	Segment wise liabilities includes Bank Borrowing	5181211879	253698592	4662300	5439572771
16	Unallocable Corporate liabilities (Including Bank Borrowings)	-	-	-	978053717
17	Total liabilities	-	-	-	6417626488
18	Depreciation segment-wise	2663198	911617	-	3574815

नोटः— i. खंड—वार राजस्व में अंतर खंड लेनदेन शामिल नहीं है।

ii. खंड—वार परिणाम में बकाया बिलों पर ब्याज 312978/- रु. का आस्थगित प्रोद्भूत ब्याज शामिल हे।

iii. खंड—वार परिणाम में 1401680/—रु. (ऋण) के संबंध में देयताएं/वापस लिखा गया प्रावधान तथा 390486 /—रु. (जमा) के लिए प्रावधान तथा उसे बट्टे खाते में डालना आदि शामिल है।

ख)	**द्वितीयक सूचना**	**क्षेत्र का नाम**	**खंड—वार राजस्व**
	ऐसे खंड जिनका राजस्व सभी भौगोलिक खंडों के कुल राजस्व का 10% अथवा उससे अधिक है, के लिए भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार खंड—वार राजस्व	क्षे.का. पानीपत	5525323236
		क्षे.का. कोयम्बटूर	10061653943
		क्षे.का. वाराणसी	5842370136
		क्षेत्र का नाम	**आस्तियां**
2	ऐसे खंड जिनकी परिसंपत्तियां सभी भौगोलिक खंड़ों की कुल परिसंपत्तियों का 10% अथवा उससे अधिक है, के लिए भौगोलिक अवस्थिति के अनुसार खंड—वार परिसंपत्तियां	क्षे.का. पानीपत	724447020
		क्षे.का. कोयम्बटूर	117577349
		क्षे.का. वाराणसी	2723752348
		क्षेत्र का नाम	**नियत परिसंपत्तियों में की गई वृद्धि**
3	ऐसे खंड जिनकी परिसंपत्तियां सभी भौगोलिक खंड़ों की कुल परिसंपत्तियों का 10% अथवा उससे अधिक है, के लिए नियत परिसंपत्तियों में की गई वृद्धि	क्षे.का. पानीपत	77000
		क्षे.का. विजयवाड़ा	47310

5 मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के अंत में बनाए गए तुलन—पत्र के साथ संलग्न नोट 1 से 28 व महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां तथा लाभ संबंधी विवरण एवं हानि तथा वर्ष की समाप्ति की तारीख को इक्विटी एवं नकदी अंतरप्रवाह में परिवर्तन लेखाओं का अभिन्न अंग है।

6 जहां कहीं पूर्व वर्ष के आंकड़ों का मौजूदा आंकड़ों के साथ तुलना करना आवश्यक प्रतीत हुआ वहां पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है।

7 आंकड़ों को नजदीकी पूर्णाक रु. के रूप में दर्शाया गया है।

ह./—
अंजलि यादव
कम्पनी सचिव

ह./—
नवीन गुप्ता
अधिशासी निदेशक (वित्त)/सीएफओ

ह./—
संजय रस्तोगी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन नं. 07722405

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
एम ए एन वी और एसोसिएट्स के लिए
चार्टेड एकाउन्टेन्टस

ह/—
साझेदार : एन के. गुप्ता
एम. नं. 085713
एफ.आर.नं. 007351N

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 04 सितम्बर 2018

Notes:- i. There is no inter segment transaction in segment-wise revenue.

ii. Segment- wise result includes interest on overdue bills/ deferred accrued interest for Rs. 312978/-.

iii. Segment-wise result includes liabilities/ provisions written back for Rs.1401680/- (credit) , and provisions & write off etc made for Rs. 390486/- (Debit).

(Amount in Rs.)

B)	Secondary Information	Name of the Region	Segment Revenue
1	Segment Revenue by geographical area for the segment whose revenue is 10% or more of total revenue of all geographical segments.	RO Panipat	5525323236
		RO Coimbatore	10061653943
		RO Varanasi	5842370136
		Name of the Region	**Assets**
2	Segment assets by geographical location of assets of the segment whose assets are 10% or more of total assets of all geographical segments.	RO Panipat	724447020
		RO Coimbatore	117577349
		RO Varanasi	2723752348
		Name of the Region	**Addition to Fixed Assets**
3	Additions to fixed assets for the segment where assets are 10% or more of the total assets of all geographical segments.	RO Panipat	77000
		RO Vijaywada	47310

5 Note 1 to 28 and significant Accounting Policies annexed to Balance sheet as at the end of current reporting period and Statement of Profit and Loss, Change in Equity and Cash Flow for the year ended on that date form an integral part of Accounts.

6 The figures of previous year have been re-casted/ re-grouped wherever necessary to render them comparable with the figures of current year.

7 Figures have been rounded off to the nearest rupees .

Sd/-
Anjali Yadav
Co. Secretary

Sd/-
Naveen Gupta
ED (Finance) / CFO

Sd/-
Sanjay Rastogi
CMD
DIN No. - 07722405

As per our Report of even date
For MANV & Associates, Chartered Accountants

Sd/-
Partner : N. K. Gupta
M.No. : 085713
F.R.No. : 007351N

Place: New Delhi
Date: September 4, 2018

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी अंतःप्रवाह का विवरण

(राशि रु. में)

	विवरण	2017-18	2016-17
(क)	**प्रचालन कार्यकलापों से नकदी अंतः प्रवाह**		
	कर पूर्व लाभ	353822006	465416202
	समायोजनः		
i	मूल्यह्रास	9011194	6021704
ii	विकासत्मक कार्यकलापों/चिकित्सा निधि पर किया गया व्यय संगत निधि से प्रभारित किया गया	-631704	-6536666
iii	वर्ष के दौरान वापस लिखा गया आयकर प्रावधान	-1350007	-120483
iv	परिसंपतियों की बिक्री पर हानि	66964	27756
v	परिसंपतियों की बिक्री पर लाभ	-249845	-637
	पूंजीगत परिवर्तन संबंधी कार्य करने से पूर्व प्रचालन लाभ	360668608	464807876
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन	`	`
	(नकदी एवं बैंक जमा राशियों को छोड़कर)		
	वृद्धि/कमीः		
i	माल	2738334	2186875
ii	बुक–ऋण	-1519513561	26199116
iii	ऋण और अग्रिम	29345175	-7681021
iv	प्राप्तियां	-769553204	-455627461
v	व्यापार एवं अन्य देय	1524921255	972792188
	कार्यकलापों से सृजित नकद राशि`	-371393392	1002677573
	कमः आयकर का भुगतान*	-106632298	-162901544
	कार्यशील गतिविधियों से निवल नकदी अंतःप्रवाह (क)	**-478025690**	**839776029**
(ख)	**निवेश कार्यकलापों से नकदी अंतःप्रवाह**		
	i नियत परिसंपतियों की बिक्री	2436142	6000
	ii नियत परिसंपतियों/डब्ल्यूआईपी में की गई वृद्धि	-11251975	-28001634
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी अंतःप्रवाह (ख)	**-8815833**	**-27995634**
(ग)	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी अंतःप्रवाह**		
	i लाभांश का भुगतान	-154713200	-87981698
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी अंतःप्रवाह (ग)	**-154713200**	**-87981698**
(घ)	**नकदी एवं नकद समतुल्य में निवल परिवर्तन (क+ख+ग)**	**-641554723**	**723798697**
(ङ)	**नकदी एवं नकद समतुल्य–प्रारंभिक शेष**	**1933814199**	**1210015502**
(च)	**कुल**	**1292259476**	**1933814199**
(छ)	**नकदी एवं नकद समतुल्य – समापन शेष**	**1292259476**	**1933814199**
	नकदी एवं नकद समतुल्यः		
1	रोकड़ शेष	-	-
2	बैंक में चालू और सावधि जमा खाते में शेष राशि	1292259476	1933814199
	कुल	**1292259476**	**1933814199**

<u>नोटः</u>

1. अप्रत्यक्ष पद्धति के अंतर्गत नकदी अंतः प्रवाह संबंधी विवरण तैयार किया गया है जैसा कि आईसीएआई द्वारा जारी किए गए एएस–3 में निर्धारित किया गया है।
2. पिछले वर्ष के आंकड़े जहां कहीं प्रयोज्य हैं, उन्हें पुनः समूहीकृत किया गया है।

ह./–
अंजलि यादव
कम्पनी सचिव

ह./–
नवीन गुप्ता
अधिशासी निदेशक (वित्त)/सीएफओ

ह./–
संजय रस्तोगी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन नं. 07722405

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
एम ए एन वी और एसोसिएट्स के लिए
चार्टेड एकाउन्टेन्टस

ह/–
साझेदार : एन के. गुप्ता
एम. नं. 085713, एफ.आर.नं. 007351N

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 04 सितम्बर 2018

NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LTD
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2018

(Amount In Rs.)

	PARTICULARS	2017-18	2016-17
(A)	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
	Profit before tax	353822006	465416202
	Adjustments :		
i	Depreciation	9011194	6021704
ii	Expenditure on developmental activities/medical corpus charged to relevant fund	-631704	-6536666
iii	Income tax provision written back during the year	-1350007	-120483
iv	Loss on Sale of Assets	66964	27756
v	Profit on Sale of Assets	-249845	-637
	OPERATING PROFIT BEFORE WORKING CAPITAL CHANGES	360668608	464807876
	CHANGES IN WORKING CAPITAL	`	`
	(Excluding Cash & Bank Balances)		
	Increase/Decrease in:		
i	Inventories	2738334	2186875
ii	Book-debts	-1519513561	26199116
iii	Loans & Advances	29345175	-7681021
iv	Receivables	-769553204	-455627461
v	Trade & other Payables	1524921255	972792188
	Cash Generated from Operations`	-371393392	1002677573
	Less : Income Tax paid*	-106632298	-162901544
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITES (A)	**-478025690**	**839776029**
(B)	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
	i Sale of Fixed Assets	2436142	6000
	ii Addition to Fixed Assets/W.I.P	-11251975	-28001634
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	**-8815833**	**-27995634**
(C)	**CASH FLOW FROM FINANCIAL ACTIVITIES**		
	i Payment of Dividend	-154713200	-87981698
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	**-154713200**	**-87981698**
(D)	**NET CHANGES IN CASH AND CASH EQUIVALENT (A+B+C)**	**-641554723**	**723798697**
(E)	**CASH AND CASH EQUIVALENT- OPENING BALNACE**	**1933814199**	**1210015502**
(F)	**TOTAL**	**1292259476**	**1933814199**
(G)	**CASH AND CASH EQUIVALENT- CLOSING BALANCE**	**1292259476**	**1933814199**
	Cash & Cash Equivalent represent :		
1	Cash in Hand	-	-
2	Balance with Banks in Current & Fixed deposit Account	1292259476	1933814199
	Total	**1292259476**	**1933814199**

Notes :

1 Cash flow statement has been prepared under the indirect method as set out in the AS-3, issued by the ICAI.

2 Previous year's figures have been regrouped/ re-classified wherever applicable.

Sd/-
Anjali Yadav
Co. Secretary

Sd/-
Naveen Gupta
ED (Finance) / CFO

Sd/-
Sanjay Rastogi
CMD
DIN No. - 07722405

As per our Report of even date
For MANV & Associates, Chartered Accountants

Sd/-
Partner : N. K. Gupta
M.No. : 085713, F.R.No. : 007351N

Place: New Delhi
Date: September 4, 2018

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(क) इक्विटी शेयर पूंजी

(राशि रु. में)

समीक्षाधीन अवधि के प्रारंभ में शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	समीक्षाधीन अवधि के अंत में शेष राशि
190000000	-	190000000

(ख) अन्य इक्विटी

(राशि रु. में)

विवरण	शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	मिश्रित वित्तीय साधनों के इक्विटी घटक	रिर्जव्स एवं अधिशेष				अन्य समग्र आय के जरिए ऋण विलेख	नकदी अंतप्रवाह पर प्रभावी भाग	अधिशेष का पुनर्मूल्यांकन	एक विदेशी कार्यकलाप के वित्तीय विवरणों के अनुवाद पर विनिमय संबंधी मतभेद	अन्य समय आय की अन्य मदें (कृपया स्वरूप का उल्लेख करें)	शेयर वारंट्स कुल के बदले प्राप्त की गई धनराशि	कुल
			पूंजीगत रिजर्व	प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व	अन्य रिर्जव्स (कृपया स्वरूप का उल्लेख करें) विकासात्मक कार्यकलाप एवं चिकित्सा निधि के लिए रिजर्व	प्रतिधारित आय							
समीक्षाधीन अवधि की शुरूआत में शेष राशि					12651236	807653590							
पूर्व की अवधि संबंधी त्रुटियों की लेखांकन नीति में परिवर्तन					-	-							
समीक्षाधीन अवधि की शुरुआत में पुनरु उल्लिखत शेष राशि					-	-							
कुल समग्र आय					-	-							
लाभांश						70800000							
प्रतिधारित आय का अंतरण					826347	235774502							
कोई अन्य प्रभार (निर्दिष्ट करने के लिए)					1458051	14414880							
समीक्षाधीन अवधि के अंत में शेष राशि					12019532	958213212							

NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LTD, LUCKNOW
STATEMENT OF CHANGE IN EQUITY FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2018

(A) Equity Share Capital

(Amount in Rs.)

Balance at the beginning of the reporting period	Changes in equity share capital during the year	Balance at the end of the reporting period
190000000	-	190000000

(B) Other Equity

(Amount in Rs.)

Particulars	Share application money pending allotment	Equity component of compound financial instruments	Reserves and Surplus				Debt instruments through other Comprehensive income	Effective portion on Cash Flow Hedges	Revaluation Surplus	Exchange differences on translating the financial statements of a foreign operation	Other items of other comprehensive Income (specify nature)	Money received against share warrants	Total
			Capital Reserve	Securities Premium Reserve	Other Reserves (specify nature) Reserve for Development Activity and Medical Corpus	Retained earnings							
Balance at the beginning of the reporting period					12651236	807653590							
Changes in accounting policy of prior period errors					-	-							
Restated balance at the beginning of the reporting period					-	-							
Total Comprehensive Income for the year					-	-							
Dividends						70800000							
Transfer to retained earnings					826347	235774502							
Any other change (to be specified)					1458051	14414880							
Balance at the end of the reporting period					12019532	958213212							

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के अनुसरण में सूचना, तुलन-पत्र तथा कंपनी की सामान्य व्यावसायिक रूप रेखा

i) पंजीकरण संबंधी ब्यौरा :	
सीआईएन सं.	U17299UP1983GOI005974
पंजीकरण सं.	005974
राज्य का कोड	20
तुलन–पत्र की तारीख	31-03-2018
ii) वर्ष के दौरान बढ़ाई गई पूंजी (राशि रु. में) जिसे भारत सरकार द्वारा सब्सक्राइब किया गया	-
iii) निधियों की गत्यात्मकता तथा उनके नियोजन की स्थिति (राशि रु. में)	
कुल देयताएं	**कुल परिसम्पत्तियां**
7577859232	**7577859232**
निधियों का स्त्रोत	
चूकता पूंजी	190000000
रिजर्व एवं अधिशेष	970232744
आस्थगित कर देयता (निवल)	-25668842
समग्र निधि (विपणन परिसर, मेगा क्लस्टर, टीएफसी और पीएचपी)	553531625
अन्य गैर मौजूदा देयताएं	-
मौजूदा देयताएं	5889763705
निधियों का अनुप्रयोग	
निवल नियत परिसंपतियां – वास्तविक	130691403
– अवास्तविक	14513824
प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य	-
समग्र निधि का नियोजन (विपणन परिसर एवं मेगा क्लस्टर)	553531625
अन्य गैर मौजूदा देयताएं	368278
मौजूदा परिसंपतियां	6878754103
iv) कंपनी का कार्यनिष्पादन	
कारोबार	26051554168
कुल व्यय	25697732162
कर पूर्व लाभ	353822006
कर पश्चात् लाभ	235774502
प्रति शेयर आय रु. में	124.09
लाभांश (शेयर पूंजी का %)	37.26%
v) कंपनी के प्रमुख उत्पाद का जेनेरिक नाम	
उत्पाद का वर्णन	मद कोड सं. (आईटीसी कोड)
सूत	5208(कपास)
डाई एवं रसायन	3204(डाई)
फैब्रिक	N.A.

INFORMATION PURSUANT TO SCHEDULE III TO THE COMPANIES ACT, 2013, BALANCE SHEET AND COMPANY'S GENERAL BUSINESS PROFILE.

i) Registration details:	
CIN No.	U17299UP1983GOI005974
Registration No.	005974
State Code	20
Date of Balance sheet	31-03-2018
ii) Capital raised during the year (Amount in Rs.) subscribed by Government of India.	-
iii) Position of Mobilization and Deployment of Funds (Amount in Rs.)	
Total Liabilities	**Total Assets**
7577859232	**7577859232**
Sources of Funds	
Paid up Capital	190000000
Reserve & Surplus	970232744
Deferred tax liability (net)	-25668842
Corpus Fund (Marketing Complex, Mega Cluster,TFC & PHP)	553531625
Other Non Current liabilities	-
Current liabilities	5889763705
Application of Funds	
Net Fixed Assets - Tangible	130691403
- Intangible	14513824
Capital work in progress	-
Deployment of Corpus Fund (Marketing Complex & Mega Cluster)	553531625
Other Non Current Assets	368278
Current Assets	6878754103
iv) Performance of the company	
Turnover	26051554168
Total Expenditure	25697732162
Profit before Tax	353822006
Profit after Tax	235774502
Earning per share in Rupees	124.09
Dividend (% age of Share Capital)	37.26%
v) Generic name of the principal product of the company	
Product description	Item Code No. (ITC Code)
Yarn	5208(Cotton)
Dyes & Chemicals	3204(Dyes)
Fabric	N.A.

i) अनुदान संबंधी विवरण

मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के लिए सरकारी अनुदान तथा प्रतिभागियों की राशि का ब्यौरा

(रु. में)

क्र. सं.	विवरण	प्रारंभिक शेष दिनांक 1.4.2017 को	वर्ष के दौरान प्राप्तियां		कुल	वर्ष के दौरान लेन-देन		कुल	दिनांक 31-03-2018 को शेष राशि
			सरकार से	प्रतिभागियों से		खर्चे	वापसी/ समायोजन /अंतरण		
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7	8	9 (7+8)	10(6-9)
(क)	विपणन प्रदर्शनी व्यय								
1	सिल्क फैब, पुणे 2015–16		208836		208836	971336	-762500	208836	-
2	सिल्क फैब, पटना 2015–16		659068		659068	1971568	-1312500	659068	-
3	राष्ट्रीय स्तर प्रदर्शनी अहमदाबाद 2015–16		328973		328973	3683823	-3354850	328973	-
4	सिल्क फैब, भोपाल 2015–16		785609		785609	1973109	-1187500	785609	-
5	सिल्क फैब, गुवाहाटी 2015–16		1479918		1479918	1979918	-500000	1479918	-
6	सिल्क फैब, गुवाहाटी 2016–17	1000000	563064	770000	2333064	2668388	-400000	2268388	-64676
7	सिल्क फैब, पुणे 2016–17	1000000	47512	1817500	2865012	3888643	-925000	2963643	98631
8	सिल्क फैब, हैदराबाद 2016–17	1000000	235537	1387492	2623029	3660680	-737500	2923180	300151
9	सिल्क फैब, भुवनेश्वर 2016–17	1000000	449265	1042500	2491765	3782932	-525000	3257932	766167
10	राष्ट्रीय हैंडलूम एक्सपो अहमदाबाद 2016–17	1900000	-	4504800	6404800	11758689	-2252400	9506289	3101489
11	ऊन फैब, जबलपुर 2016–17		797631		797631	967631	-170000	797631	-
12	सिल्क फैब, विजयवाडा 2016–17		314299	25000	339299	976799	-662500	314299	-25000
13	ऊन फैब, भोपाल 2016–17		777576		777576	967576	-190000	777576	-
14	ऊन फैब, लखनऊ 2016–17		735923		735923	940923	-205000	735923	-
15	सिल्क फैब, पटना 2016–17		-		-	973423	-973423	-	-
16	सिल्क फैब, लखनऊ 2016–17		-	170000	170000	968688	-968688	-	-170000
17	सिल्क फैब, रायपुर 2016–17		71212	59559	130771	708712	-637500	71212	-59559
18	सिल्क फैब, मुम्बई 2016–17				-	981554	-981554	-	-
19	सिल्क फैब, कोयम्बटूर 2016–17		234967	14250	249217	984967	-750000	234967	-14250
20	मेगा सिल्क फैब नई दिल्ली 2016–17			25000	25000	979979	-979979	-	-25000
21	सिल्क फैब, अहमदाबाद 2016–17		-		-	965367	-965367	-	-
22	सिल्क फैब, एर्नाकुलम		142768		142768	992768	-850000	142768	-
23	सिल्क फैब, चंडीगढ़ 2016–17				-	977438	-977438	-	-
24	मेगा प्रदर्शनी बैंगलोर 2016–17		431986	75000	506986	986986	-555000	431986	-75000
25	सिल्क फैब, जम्मू 2016–17		525898		525898	975898	-450000	525898	-
26	मेगा प्रदर्शनी इंदौर 2016–17		36170	10000	46170	998670	-962500	36170	-10000
27	सिल्क फैब, जबलपुर 2016–17				-	967186	-967186	-	-
28	सिल्क फैब, भोपाल 2016–17		62500		62500	1000000	-937500	62500	-
29	मेगा सिल्क फैब कोलकाता 2016–17		167582	25000	192582	967582	-800000	167582	-25000
30	सिल्क फैब, सूरत 2016–17			100000	100000	977165	-977165	-	-100000
31	सिल्क फैब वाराणसी (एनएचई) 2017–18		1100000		1100000	175491	-	175491	-924509
32	सिल्क फैब प्रदर्शनी रायपुर 2017–18		1400000	1382500	2782500	2195274		2195274	-587226
33	सिल्क फैब, हैदराबाद 2017–18		1400000	1465000	2865000	2999297		2999297	134297
34	सिल्क फैब प्रदर्शनी जे एण्ड के 2017–18		1400000	1075000	2475000	2612271		2612271	137271
35	सिल्क फैब प्रदर्शनी अमृतसर 2017–18		1400000	977500	2377500	2525058		2525058	147558
36	ऊन फैब जोधपुर 2017–18		1400000	350000	1750000	2049851		2049851	299851
37	सिल्क फैब प्रदर्शनी गुवाहाटी 2017–18		1400000	322000	1722000	2345221		2345221	623221
38	सिल्क फैब रांची 2017–18		1400000	990000	2390000	3092819		3092819	702819
39	ऊन फैब प्रदर्शनी लखनऊ 2017–18		1400000	450000	1850000	2612771		2612771	762771
40	सिल्क फैब प्रदर्शनी ईटानगर 2017–18		1400000	-	1400000	2223759		2223759	823759
41	सिल्क फैब प्रदर्शनी कोयम्बटूर 2017–18		1400000	1485000	2885000	3715558		3715558	830558
42	सिल्क फैब प्रदर्शनी देहरादून 2017–18		1400000	922500	2322500	3193290		3193290	870790
43	सिल्क फैब प्रदर्शनी गंगटोक 2017–18		1400000	-	1400000	2294885		2294885	894885
44	सिल्क फैब प्रदर्शनी पुणे 2017–18		1400000	2070000	3470000	4427224		4427224	957224
45	सिल्क फैब प्रदर्शनी सूरत 2017–18			2400000	2400000	3536097		3536097	1136097
46	सिल्क फैब प्रदर्शनी जमशेदपुर 2017–18			1290000	1290000	2548189		2548189	1258189
47	सिल्क फैब प्रदर्शनी लखनऊ 2017–18		1400000	2985000	4385000	5739192		5739192	1354192
48	ऊन फैब नई दिल्ली 2017–18		1400000	470000	1870000	3332760		3332760	1462760
49	सिल्क फैब प्रदर्शनी चंडीगढ़ 2017–18			2872500	2872500	4401258		4401258	1528758
50	सिल्क फैब प्रदर्शनी पटना 2017–18		1400000	2985000	4385000	5983463		5983463	1598463

i) Grant Statement

DETAILS OF GOVERNMENT GRANTS & PARTICIPANTS MONEY FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD

(In Rs.)

Sr. No.	Particulars	Opening Balance 1.4.2017	Received During The Year		Total	Transactions During The Year		Total	Balance as on 31.03.2018
			From Govt.	From Participants		Expenses	Refund/ Adjustment/Transfer		
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7	8	9 (7+8)	10(6-9)
(A)	MARKETING EXHIBITION EXPENSES								
1	SILK FAB PUNE 2015-2016		208836		208836	971336	-762500	208836	-
2	SILK FAB PATNA2015-2016		659068		659068	1971568	-1312500	659068	-
3	NATIONAL LEVEL EXPO AHEMDABAD 2015-16		328973		328973	3683823	-3354850	328973	-
4	SILK FAB BHOPAL 2015-2016		785609		785609	1973109	-1187500	785609	-
5	SILK FAB GUWAHATI 2015-2016		1479918		1479918	1979918	-500000	1479918	-
6	SILK FAB GUWAHATI 2016-2017	1000000	563064	770000	2333064	2668388	-400000	2268388	-64676
7	SILK FAB PUNE 2016-2017	1000000	47512	1817500	2865012	3888643	-925000	2963643	98631
8	SILK FAB HYDERABAD 2016-2017	1000000	235537	1387492	2623029	3660680	-737500	2923180	300151
9	SILK FAB BHUBHNESHWAR 2016-2017	1000000	449265	1042500	2491765	3782932	-525000	3257932	766167
10	NATION HAND LOOM EXPO AHMADABAD 2016-2017	1900000	-	4504800	6404800	11758689	-2252400	9506289	3101489
11	WOOL FAB JABALPUR 16-17		797631		797631	967631	-170000	797631	-
12	SILK FAB VIJAWADA 16-17		314299	25000	339299	976799	-662500	314299	-25000
13	WOOL FAB BHOPAL 16-17		777576		777576	967576	-190000	777576	-
14	WOOL FAB LUCKNOW 16-17		735923		735923	940923	-205000	735923	-
15	SILK FAB PATNA 16-17		-		-	973423	-973423	-	-
16	SILK FAB LUCKNOW 16-17		-	170000	170000	968688	-968688	-	-170000
17	SILK FAB RAIPUR 16-17		71212	59559	130771	708712	-637500	71212	-59559
18	SILK FAB MUMBAI 16-17				-	981554	-981554	-	-
19	SILK FAB COIMBATORE 16-17		234967	14250	249217	984967	-750000	234967	-14250
20	MEGA SILK FAB NEW DELHI -16-17			25000	25000	979979	-979979	-	-25000
21	SILK FAB AHMEDABAD 16-17		-		-	965367	-965367	-	-
22	SILK FAB ERNAKULAM		142768		142768	992768	-850000	142768	-
23	SILK FAB CHANDIGARH 16-17				-	977438	-977438	-	-
24	MEGA EXHIBITION BENGLURU 16-17		431986	75000	506986	986986	-555000	431986	-75000
25	SILK FAB JAMMU 16-17		525898		525898	975898	-450000	525898	-
26	MEGA EXHIBITION INDORE 16-17		36170	10000	46170	998670	-962500	36170	-10000
27	SILK FAB JABALPUR 16-17				-	967186	-967186	-	-
28	SILK FAB BHOPAL 16-17		62500		62500	1000000	-937500	62500	-
29	MEGA SILK FAB KOLKATA 16-17		167582	25000	192582	967582	-800000	167582	-25000
30	SILK FAB SURAT 16-17			100000	100000	977165	-977165	-	-100000
31	SILK FAB VARANASI (NHE) 2017-2018		1100000		1100000	175491	-	175491	-924509
32	SILK FAB EXHIBITION RAIPUR 2017-2018		1400000	1382500	2782500	2195274		2195274	-587226
33	SILK FAB HYDERABAD 2017-18		1400000	1465000	2865000	2999297		2999297	134297
34	SILK FAB EXHIBITION J & K 2017-2018		1400000	1075000	2475000	2612271		2612271	137271
35	SILK FAB EXHIBITION AMRITSAR 2017-2018		1400000	977500	2377500	2525058		2525058	147558
36	WOOL FAB JODH PUR 2017-2018		1400000	350000	1750000	2049851		2049851	299851
37	SILK FAB EXHIBITION GUWAHATI 2017-2018		1400000	322000	1722000	2345221		2345221	623221
38	SILK FAB RANCHI 2017-2018		1400000	990000	2390000	3092819		3092819	702819
39	WOOL FAB EXHIBITION LUCKNOW 2017-2018		1400000	450000	1850000	2612771		2612771	762771
40	SILK FAB EXHIBITION ITANAGAR 2017-2018		1400000	-	1400000	2223759		2223759	823759
41	SILK FAB EXHIBITION COIMBATORE 2017-2018		1400000	1485000	2885000	3715558		3715558	830558
42	SILK FAB EXHIBITION DEHRADUN 2017-2018		1400000	922500	2322500	3193290		3193290	870790
43	SILK FAB EXHIBITION GANGTOK 2017-2018		1400000	-	1400000	2294885		2294885	894885
44	SILK FAB EXHIBITION PUNE 2017-2018		1400000	2070000	3470000	4427224		4427224	957224
45	SILK FAB EXHIBITION SURAT 2017-2018			2400000	2400000	3536097		3536097	1136097
46	SILK FAB EXHIBITION JAMSHEDPUR 2017-2018			1290000	1290000	2548189		2548189	1258189
47	SILK FAB EXHIBITION LUCKNOW 2017-2018		1400000		4385000	5739192		5739192	1354192
48	WOOL FAB NEW DELHI 2017-2018		1400000	470000	1870000	3332760		3332760	1462760
49	SILK FAB EXHIBITION CHANDIGARH 2017-2018			2872500	2872500	4401258		4401258	1528758
50	SILK FAB EXHIBITION PATNA 2017-2018		1400000	2985000	4385000	5983463		5983463	1598463

51 सिल्क फैब प्रदर्शनी अहमदाबाद 2017–18			2495000	2495000	4532126		4532126	2037126
52 सिल्क फैब प्रदर्शनी विजयवाड़ा 2017–18		1400000	662500	2062500	6764347		6764347	4701847
53 सिल्क फैब प्रदर्शनी इंदौर 2017–18		2250000	2485000	4735000	6930104		6930104	2195104
54 सिल्क फैब बड़ौदा 2017–18			-		2221242		2221242	2221242
55 सिल्क फैब प्रदर्शनी जबलपुर 2017–18			1575000	1575000	3874077		3874077	2299077
56 सिल्क फैब प्रदर्शनी भुवनेश्वर 2017–18			1325000	1325000	4042600		4042600	2717600
57 सिल्क फैब प्रदर्शनी एर्नाकूलम 2017–2018			1050000	1050000	3828102		3828102	2778102
58 ऊन फैब प्रदर्शनी वाराणसी 2017–18		1400000		1400000	4388808		4388808	2988808
59 सिल्क फैब प्रदर्शनी बैंगलोर 2017–18			1202500	1202500	4223992		4223992	3021492
60 सिल्क फैब प्रदर्शनी कोलकाता 2017–18			1575000	1575000	4828869		4828869	3253869
61 सिल्क फैब मुम्बई 2017–18			2450000	2450000	6096667		6096667	3646667
62 सिल्क फैब प्रदर्शनी नई दिल्ली 2017–18			2797500	2797500	7090388		7090388	4292888
(ख) प्रशिक्षण कार्यक्रम (क्रेता–विक्रेता सम्मेलन)								
1 अगरतला में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	83085			83085			-	-83085
2 वर्ष 2014–15 में इम्फाल में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	77166			77166			-	-77166
3 वर्ष 2014–15 में गुवाहाटी में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	88884			88884			-	-88884
4 वर्ष 2014–15 में विजयवाड़ा में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	6605			6605			-	-6605
5 वर्ष 2014–15 में हुबली/गदग में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	14673			14673			-	-14673
6 वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18 में कोयम्बटूर में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	26429			26429	210426		210426	183997
7 वर्ष 2014–15 में कांचीपुरम में क्रेता–विक्रता सम्मेलन	83021			83021			-	-83021
8 वर्ष 2014–15 में काशीपुर/भदोही में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	60950			60950			-	-60950
9 भागलपुर में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	16261			16261			-	-16261
10 वर्ष 2016–17 में भागलपुर में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	22255			22255			-	-22255
11 वर्ष 2017–18 में गुवाहाटी में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन		500000		500000	760899		760899	260899
							-	-
ग व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी (टीएफसी)							-	-
1 हथकरघा सवर्धन सहायता 22.12.2016 वाराणसी	142581	4147784	-	4290365	7243894	142581	7386475	3096110
2 परियोजना प्रबंधन लेनदेन सलाह (पीएमटीए जेएलएल) फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा की गई यात्रा	-	5000000 -	- -	-	897474		897474	897474
4 दीन दयाल हस्तकलां संकुल व्यापार और म्यूजियम सेंटर (टीएफसी)	-	-	3369300	3369300	6237412		6237412	2868112
5 22.09.2017 टीएफसी और सी एम पर उद्घाटन कार्यक्रम	-	678500	2000000	2678500	6341965		6341965	3663465
(घ) 7 सीएफसी								
1 सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी), वाराणसी के लिए अनुदान	1081993			1081993			-	-1081993
2 7 सीएफसी के निर्माण के लिए अनुदान	1915533			1915533	14411813		14411813	12496280
3 सीएफसी वाराणसी मेगा हैंडलूम क्लस्टर में 15 बुनकर चौपाल		120000		120000	117321		117321	-2679
4 सीएफसी वाराणसी के लिए अनुदान		103620		103620	2473301		2473301	2369681

51	SILK FAB EXHIBITION AHEMDABAD 2017-2018			2495000	2495000	4532126		4532126	2037126
52	SILK FAB EXHIBITION VIJAYAWADA 2017-2018		1400000	662500	2062500	6764347		6764347	4701847
53	SILK FAB EXHIBITION INDORE 2017-2018		2250000	2485000	4735000	6930104		6930104	2195104
54	Silk Fab Baroda 2017-18				-	2221242		2221242	2221242
55	SILK FAB EXHIBITION JABALPUR 2017-2018			1575000	1575000	3874077		3874077	2299077
56	SILK FAB EXHIBITION BHUBANESWAR 2017-2018			1325000	1325000	4042600		4042600	2717600
57	SILK FAB EXHIBITION ERNAKULAM 2017-2018			1050000	1050000	3828102		3828102	2778102
58	WOOL FAB EXHIBITION VARANASI 2017-2018		1400000		1400000	4388808		4388808	2988808
59	SILK FAB EXHIBITION BENGALURU 2017-2018			1202500	1202500	4223992		4223992	3021492
60	SILK FAB EXHIBITION KOLKATA 2017-2018			1575000	1575000	4828869		4828869	3253869
61	SILK FAB MUMBAI 2017-2018			2450000	2450000	6096667		6096667	3646667
62	SILK FAB EXHIBITION NEW DELHI 2017-2018			2797500	2797500	7090388		7090388	4292888
(B)	TRAINING PROGRAMME (BUYER-SELLER MEET)								
1	BUYER SELLER MEET AT AGARTALA	83085			83085			-	-83085
2	BUYER SELLER MEET AT IMPHAL 2014-15	77166			77166			-	-77166
3	BUYER SELLER MEET AT GUWAHATI 2014-15	88884			88884			-	-88884
4	BUYER SELLER MEET AT VIJAYWADA 2014-15	6605			6605			-	-6605
5	BUYER SELLER MEET AT HUBLI/ GADAG 14-15	14673			14673			-	-14673
6	BUYER SELLER MEET- COIMBATORE 2014-15-16-17-18	26429			26429	210426		210426	183997
7	BUYER SELLER MEET AT KANCHIPURAM 14-15	83021			83021			-	-83021
8	BUYER SELLER MEET AT KASHIPUR/BHADOHI 14-15	60950			60950			-	-60950
9	BUYER SELLER MEET AT BHAGALPUR	16261			16261			-	-16261
10	BUYER SELLER MEET AT BHAGALPUR 2016-2017	22255			22255			-	-22255
11	BUYER SELLER MEET AT GUWAHATI 2017-18		500000		500000	760899		760899	260899
C	TRADE FACIIATATION CENTRE VARANASI (TFC)								
1	HATKARGHA SAMVARDHAN SAHAYATA 22.12.2016 VNS	142581	4147784	-	4290365	7243894	142581	7386475	3096110
2	PROJECT MANAGEMENT TRANSACTION ADVISORY (PMTA JLL)		5000000	-	5000000	9477283		9477283	4477283
3	VISIT OF FRENCH PRESIDENT TO T F C ON 12/03/2018	-	-	-	-	897474		897474	897474
4	DIN DYAL HASTKALA SANKUL TRADE & MUSEUM CENTRE (TFC)	-	-	3369300	3369300	6237412		6237412	2868112
5	INAUGURATION PROGRAMME ON 22.09.2017 TFC AND CM	-	678500	2000000	2678500	6341965		6341965	3663465
(D)	7 CFCs								
1	GRANT FOR COMMON SERVICE CENTRES (CSC), VARANASI	1081993			1081993			-	-1081993
2	GRANT FOR CONSTRUCTION OF 7 CFCs	1915533			1915533	14411813		14411813	12496280
3	15 BUNKAR CHOUPALS IN CFC VARANASI MEGA HANDLOOM CLUSTER		120000		120000	117321		117321	-2679
4	GRANT FOR CFC VARANASI		103620		103620	2473301		2473301	2369681

(ङ)	हथकरघा संवर्धन सहायता								
1	हथकरघा संवर्धन सहायता (केन्द्र सरकार का अंश) प्राप्ति		114009180		114009180		-10250426	-10250426	-124259606
2	हथकरघा संवर्धन सहायता (केन्द्र सरकार का अंश) भुगतान				-	994500		994500	994500
3	हथकरघा संवर्धन सहायता (क्रियान्वयन एजेंसी)			159552343	159552343	16570763		16570763	-142981580
4	हथकरघा संवर्धन सहायता के लिए अनुदान	5580000	-	-	5580000	-	-	-	-5580000
5	हथकरघा संवर्धन सहायता के लिए अनुदान (जे एण्ड के)	1083000	-	-	1083000	971751	-	971751	-111249
(च)	अन्य अनुदान								
1	क्लस्टर विकास कार्यक्रम (बर्धमान)	129147			129147	9000		9000	-120147
2	फैशन शो, मुम्बई के लिए अनुदान (आईएमजी रिलायंस)	1000000			1000000	1000000		1000000	-
3	पुरस्कार के लिए अनुदान/पुरस्कार वितरण 6 आईआईएचटीएस में	678000			678000			-	-678000
4	बहुसंख्यक बीयूटीआई मशीन के ईएक्स पी. परिचय हेतु अनुदान	5138			5138			-	-5138
5	डब्ल्यूएससी, वाराणसी में चार पहिया वाहन तथा विविध खर्च हेतु अनुदान	261400			261400	165000		165000	-96400
6	6 डब्ल्यूएससी के लिए डेस्कटॉप की आपूर्ति हेतु अनुदान	30000			30000			-	-30000
7	बुनकरों जागरूकता शिविर	760175			760175			-	-760175
8	राष्ट्रीय हथकरघा अभियान (आई एच बी ब्रांड)	-			-	1775419		1775419	1775419
9	हैण्डलूम बुनकर मित्र सहायता लाइन सेंटर	74718			74718	8427954		8427954	8353236
10	डिजाइन और पैट्रन विकास, वाराणसी	361600			361600			-	-361600
11	बीएलआईएलयू के तहत संविदागत कर्मचारियों की भर्ती के लिए अनुदान	522071			522071			-	-522071
12	महेश्वर अध्ययन से 5 विवर्स टेक्निक्स और डिजाइन	-68755	68755		-	-		-	-
13	कौशल उन्नयन के लिए अनुदान (डब्ल्यू एस सी)	856000			856000	892991		892991	36991
14	अंतर्राष्ट्रीय हैंडलूम मेला	250000			250000	164880	85120	250000	-
15	आईएचबी प्रमाणीकरण के लिए एनएचडीपी का विपणन सहायता घटक	289500			289500			-	-289500
16	वाराणसी एच/एल मेगा क्लस्टर 04 विस्तार काउंटर	287474			287474			-	-287474
17	सूचना शिक्षा और संचार के लिए अनुदान	4805406			4805406			-	-4805406
18	एच/एल हिस्सों की आपूर्ति के लिए अनुदान	917251			917251			-	-917251
19	2000 बैटरी लिंक्ड इन्वर्टर लाइटिंग यूनिट्स के वितरण के लिए अनुदान	5633148			5633148			-	-5633148
20	बीएलआईएसएस की व्यवस्थापक लागत के लिए अनुदान	256759			256759			-	-256759
21	वाराणसी क्लस्टर में बुनकरों के बेसलाइन सर्वेक्षण के लिए अनुदान	336980			336980	336980		336980	-
22	डब्ल्यू एस सी गुवाहाटी में एक दिन की वर्कशॉप		92000		92000	92000		92000	-
23	हैंडलूम सेक्टर के प्रचार के लिए फिल्म		603750		603750	603750		603750	-
24	जीआई पंजीकृत एच/एल और एच/सी पर फिल्म		776250		776250	776250		776250	-
25	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तहत जीआई पंजीकृत हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पाद 8 मार्च 2017 पर फिल्म	-	-	1844088	1844088	1881722		1881722	37634

(E)	HATHKARGHA SAMVARDHAN SAHAYATA								
1	HATHKARGHA SAMVARDHAN SAHAYATA (CENTRAL SHARE) RECEIPT		114009180		114009180		-10250426	-10250426	-124259606
2	HATHKARGHA SAMVARDHAN SAHAYATA (CENTRAL SHARE) PAYMENT				-	994500		994500	994500
3	HATHKARGHA SAMVARDHAN SAHAYATA (IMPLEMENTING AGENCY)			159552343	159552343	16570763		16570763	-142981580
4	GRANT FOR HATHKARGHA SAMVARDHAN SAHAYATA	5580000	-	-	5580000	-	-	-	-5580000
5	GRANT FOR HATHKARGHA SAMVARDHAN SAHAYATA (J&K)	1083000	-	-	1083000	971751	-	971751	-111249
(F)	OTHERS GRANTS								
1	CLUSTER DEV. PROGRAMME (BURDWAN)	129147			129147	9000		9000	-120147
2	GRANT FOR 6 FASHION SHOWS AT MUMBAI (IMG RELIANCE)	1000000			1000000	1000000		1000000	-
3	GRANT FOR AWARD/ PRIZE DISTRIBUTION TO 6 IIHTS	678000			678000			-	-678000
4	GRANT FOR EXP. INTRODUCTION OF MULTIPLE BUTI MACHINE	5138			5138			-	-5138
5	GRANT FOR HIRING FOUR WHEELER AND MISC EXP. WSC VARANASI	261400			261400	165000		165000	-96400
6	GRANT FOR SUPPLY OF DESKTOP FOR 6 WSCs	30000			30000			-	-30000
7	WEAVERS AWARENESS CAMP	760175			760175			-	-760175
8	NATIONAL HANDLOOM CAMPAIGN (I H B BRAND)	-			-	1775419		1775419	1775419
9	BUNKAR MITRA HANDLOOM HELP LINE CENTRE	74718			74718	8427954		8427954	8353236
10	DESIGNS DEVELOPMENT & PATTERN MAKING VARANASI	361600			361600			-	-361600
11	GRANT FOR HIRING CONTRACTUAL STAFF UNDER BLILU	522071			522071			-	-522071
12	5 WEAVERS FROM MAHESHWAR STUDY THE TECHNIQUEES AND DESIGNS	-68755	68755		-	-		-	-
13	GRANT FOR SKILL UPGRATION (W S C)	856000			856000	892991		892991	36991
14	INTERNATIONAL HANDLOOM FAIR	250000			250000	164880	85120	250000	-
15	MARKETING ASSISTANCE COMPONENT OF NHDP FOR IHB CERTIFICATION	289500			289500			-	-289500
16	VARANASI H/L MEGA CLUSTER 04 EXTENSION COUNTER	287474			287474			-	-287474
17	GRANT FOR INFORMATION EDUCATION & COMMUNICATION	4805406			4805406			-	-4805406
18	GRANT FOR SUPPLY OF H/L PARTS	917251			917251			-	-917251
19	GRANT FOR DISTRIBUTION OF 2000 BATTERY LINKED INVERTER LIGHTING UNITS	5633148			5633148			-	-5633148
20	GRANT FOR ADMN. COST FOR DIST. OF BLILUS	256759			256759			-	-256759
21	GRANT FOR BASELINE SURVEY OF WEAVER IN VARANASI CLUSTER	336980			336980	336980		336980	-
22	ONE DAY WORK SHOP AT W S C GUWAHATI		92000		92000	92000		92000	-
23	FILM FOR PROMOTION OF HANDLOOM SECTOR		603750		603750	603750		603750	-
24	FILM ON GI REGISTERED H/L & H/C		776250		776250	776250		776250	-
25	FILM ON GI REGISTERED HANDLOOM HANDICRAFT PRODUCT 8TH MARCH 2017 UNDER INTERNATIONAL WOMEN DAY	-	-	1844088	1844088	1881722		1881722	37634

26	जीआई पंजीकृत हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पाद 8 मार्च 2017 के तहत फिल्म	-	1906930	-	1906930	1906930		1906930	-
27	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तहत जीआई पंजीकृत हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पाद 8 मार्च 2017 पर फिल्म		1014147		1014147	1014147		1014147	-
28	स्वदेशी मेला चंडीगढ़ 2017–2018	-	-	-	-	500000		500000	500000
29	वर्ल्ड फेयर ट्रेड सप्ताह– 8 नवंबर से 13 नवंबर 2017 (फैशन कार्यक्रम 10 नवंबर 2017 को दिखाया गया)	-	-	-	-	588869		588869	588869
30	हस्तकला सहयोग शिविर (फेज़ 2)	-	1080000	-	1080000	2147660		2147660	1067660
31	हस्तकला सहयोग शिविर (फेज़ 1)	-	4020000	-	4020000	7785242		7785242	3765242
32	क्राफ्ट म्यूजियम, नई दिल्ली में 1 अगस्त 2017 से डिजाइनर चौपाल का आयोजन	-	662500	-	662500	926881		926881	264381
33	31 जुलाई से 2 अगस्त तक 2017 अहमदाबाद में अंतरराष्ट्रीय कपड़ा मेला आयोजन	-	-	-	-	6032737		6032737	6032737
34	गुवाहाटी में 7 अगस्त 2017 को 3 राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस	-	10000000	-	10000000	19554343		19554343	9554343
35	जीआई अधिनियम 1999 के तहत पंजीकृत हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पाद पर 15 मिनट की 12 फिल्में बनाना		6315000	-	6315000	7451700		7451700	1136700
36	विवर्स क्रेडिट कार्ड		-	-	-	90000		90000	90000
37	वाराणसी मेगाक्लस्टर (सीएचसीडीएस) में डिजाइन, विकास और पैटर्न बनाने में ट्रेनिंग प्रसंस्करण का संचालन	-	-	-	-	343737		343737	343737
	कुल	33568448	188704710	218901332	441174490	307600442	-36940775	270659667	-170514823
	कुल डेबिट (प्राप्य राशियों में स्थानांतरण)	9433486	70256250	56692680	136382416	276177906	-18997017	257180889	120798473
	कुल क्रेडिट (अनुदान खातें में स्थानांतरण)	24134962	118448460	162208652	304792074	31422536	-17943758	13478778	-291313296
	कुल राशि	**33568448**	**188704710**	**218901332**	**441174490**	**307600442**	**-36940775**	**270659667**	**-170514823**

ii) अनुदान संबंधी विवरण

मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के लिए सरकारी अनुदान तथा प्रतिभागियों की राशि का ब्यौरा

(रु. में)

क्र. सं.	विवरण	प्रारंभिक शेष दिनांक 1.4.2017 को	वर्ष के दौरान प्राप्तियां		कुल	वर्ष के दौरान लेन-देन		कुल	दिनांक 31-03-2018 को शेष राशि
			सरकार से	प्रतिभागियों से		खर्चे	वापसी/ समायोजन /अंतरण		
	यार्न आपूर्ति सब्सिडी योजना								
1	10% हैंक यार्न सबसिडी	-	1078038100		1078038100	1270415317	304525657	1574940974	496902874
2	वाईएसएस दावे (एमजीपीएस)	-	918916739		918916739	1435193007	556838810	1992031817	1073115078
	कुल	**-**	**1996954839**	**-**	**1996954839**	**2705608324**	**861364467**	**3566972791**	**1570017952**
	कुल अनुदान	**33568448**	**2185659549**	**218901332**	**2438129329**	**3013208766**	**824423691**	**3837632457**	**1399503129**

26	FILM ON GI REGISTERED HANDLOOM HANDICRAFT PRODUCT 8TH MARCH 2017 UNDER INTERNATIONAL WOMEN DAY	-	1906930	-	1906930	1906930		1906930	-
27	FILM ON GI REGISTERED HANDLOOM HANDICRAFT PRODUCT 8TH MARCH 2017 UNDER INTERNATIONAL WOMEN DAY		1014147		1014147	1014147		1014147	-
28	SWADESHI MELA CHANDHIGARH 2017-2018	-	-	-	-	500000		500000	500000
29	WORLD FAIR TRADE WEEK -8TH NOV. TO 13TH NOV 2017 (FASHION SHOW ON 10TH NOV 2017	-	-	-	-	588869		588869	588869
30	HASTKALA SAHYOG SHIVIR (PHASE 2)	-	1080000	-	1080000	2147660		2147660	1067660
31	HASTKALA SAHYOG SHIVIR (PHASE 1)	-	4020000	-	4020000	7785242		7785242	3765242
32	ORGANIZE DESIGENERS CHAUPAL AT CRAFT MUSEUM NEW DELHI IST AUG.2017	-	662500	-	662500	926881		926881	264381
33	INTERNATIONAL TEXTILE FARE AT AHEMDABAD FROM 31ST JULY TO 2ND AUG. 2017	-	-	-	-	6032737		6032737	6032737
34	3RD NATIONAL HANDLOOM DAY ON 7TH AUGUST 2017 AT GUWAHATI	-	10000000	-	10000000	19554343		19554343	9554343
35	MAKING OF 12 FILMS OF 15 MINUTES EACH ON REGD HANDLOOM AND HANDICRAFT PRODUCT UNDER GI ACT 1999		6315000	-	6315000	7451700		7451700	1136700
36	WEAVERS CREDIT CARD		-	-	-	90000		90000	90000
37	CONDUCTING TRAINING PROGRAMME IN DESIGN, DEVELOPMENT AND PATTERN MAKING IN VARANASI MEGA CLUSTER (CHCDS)	-	-	-	-	343737		343737	343737
	TOTAL	33568448	188704710	218901332	441174490	307600442	-36940775	270659667	-170514823
	TOTAL DEBIT (TRANSFER TO RECEIVABLES)	9433486	70256250	56692680	136382416	276177906	-18997017	257180889	120798473
	TOTAL CREDIT (TRANSFER TO GRANT ACCOUNT)	24134962	118448460	162208652	304792074	31422536	-17943758	13478778	-291313296
	GRAND TOTAL	**33568448**	**188704710**	**218901332**	**441174490**	**307600442**	**-36940775**	**270659667**	**-170514823**

ii) Grant Statement

DETAILS OF GOVERNMENT GRANTS & PARTICIPANTS MONEY FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD

(In Rs.)

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2017	Received During The Year		Total	Transactions During The Year		Total	Closing Balance as on 31.03.2018
			From Govt.	From Participants		Expenses	Refund/ Adjustment/ Transfer		
	YARN SUPPLY SUBSUDY SCHEAME								
1	10% HANK YARN SUBSIDY	-	1078038100		1078038100	1270415317	304525657	1574940974	496902874
2	YSS CLAIMS (MGPS)	-	918916739		918916739	1435193007	556838810	1992031817	1073115078
	TOTAL	**-**	**1996954839**	**-**	**1996954839**	**2705608324**	**861364467**	**3566972791**	**1570017952**
	TOTAL GRANTS	**33568448**	**2185659549**	**218901332**	**2438129329**	**3013208766**	**824423691**	**3837632457**	**1399503129**

Notes

35वीं वार्षिक सामान्य सभा का आयोजन पंजीकृत कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में किया गया।

दाएँ से बाएँ बैठे हुए : श्री जितेन्द्र आचार्य–अपर विकास आयुक्त (हथकरघा), श्रीमति शिखा रॉय पब्बी – अशासकीय स्वतंत्र निदेशक, श्री संजय रस्तोगी – अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (एन.एच.डी.सी.) / विकास आयुक्त (हथकरघा), श्री ए. के. शर्मा–उप सचिव (समेकित वित्त प्रभाग) और श्री आर. के. साहू–अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)।

दाएँ से बाएँ खड़े हुएः श्री ए. एस. किन्द्रा और श्री नवनीत अरोड़ा–सचिवीय लेखा परीक्षक, श्रीमति अंजलि यादव–कम्पनी सचिव, श्री शक्तिवेल पेरूमालसामी–अधिशासी निदेशक (वाणिज्य), श्री नवीन गुप्ता – अधिशासी निदेशक (वित्त), श्री एन. के. गुप्ता और श्री एम. एम. केजरीवाल – सांविधिक लेखा परीक्षक।

35th Annual General Meeting organized at the Registered Office of the Corporation, Greater Noida.

Sitting from left to right: Shri Jitendra Acharya -Addl. Development Commissioner (Handlooms), Smt. Shikha Roy Pabbi-Non-Official Independent Director, Shri Sanjay Rastogi- CMD NHDC/ Development Commissioner (Handlooms), Shri A. K. Sharma -Dy. Secretary (IFW) and Shri R. K. Sahu - Addl. Development Commissioner (Handlooms).

Standing left to right: Shri A.S. Kindra & Shri Navneet Arora - Secretarial Auditors, Smt. Anjali Yadav- Company Secretary, Shri Sakthivel Perumalsamy- ED (Commercial), Shri Naveen Gupta -ED (Finance), Shri N. K. Gupta & Shri M. M. Kejriwal - Statutory Auditors.

राहविनि
NHDC

पंजीकृत कार्यालय
चौथी मंजिल, वेगमेन्स बिजनेस पार्क, टावर 1,
प्लांट नं. 3, सेक्टर नॉलेज पार्क–तृतीय,
सूरजपुर–कासना मेन रोड, ग्रेटर नोएडा
गौतम बुद्ध नगर
उत्तर प्रदेश–201306
फोन नं. 0120-2329600
ईमेल conhdc@nhdc.org.in

Registered Office
4th Floor, Wegmans Business Park, Tower - 1,
Plot No. 03, Sector Knowledge Park - III,
Surajpur - Kasna Main Road, Greater Noida,
Gautam Buddh Nagar
Uttar Pradesh - 201 306
Phone : 0120-2329600
E-mail : conhdc@nhdc.org.in

www.nhdc.org.in

www.censer.in (m) 9810118199